सप्तम माला, 9 December 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth -Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 16, मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1980/18 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 307, 309, 311 से 315 और 317 से 319	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—158
तारांकित प्रश्न संख्या : 310, 316 और 320 से 326	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2960 से 2998, 3000 से 3095, 3098 से 3122 और 3124 से 3159	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	188
सभा पटल पर रखे गये पत्र	188—189
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	189—190
लोक लेखा समिति के विवरण	190
आंध्रप्रदेश के कोडागुडम नामक स्थान में 'डिमांस्ट्रेशन स्पंज आयरन प्लांट' को पूरा किए जाने के बारे से वक्तव्य	190—192
श्री पी० वेंकट सुब्बय्या	190
नियम 377 के अधीन मामले—	192—196
(एक) उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट	
श्री रणवीर सिंह	192
(दो) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अनाज की वसूली करने वाली एजेंसियां	
श्री रास बिहारी बहेरा	192
(तीन) उत्तर प्रदेश में सहजनवा से दोहरीघाट तक रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण	
श्री महावीर प्रसाद	193

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजना बस्ती का निर्माणस्थल

श्रीमती गीता मुखर्जी 193

(पांच) केरल को चावल की सप्लाई

श्री वी० एस० विजयराघवन 194

(छः) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

श्री सुनील मैत्रा 194

(सात) बम्बई के कुछ भागों में गुण्डागर्दी बढ़ने के समाचार

श्रीमती प्रमिला दंडवते 195

(आठ) तमिलनाडु को मैदा की सप्लाई

श्री सी० पलानी अप्पन 196

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 196—207, 224—350

विचार किए जाने का प्रस्ताव—

श्री सतीश अग्रवाल 197

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या 202

श्री सैयद मसुदल हुसैन 205

श्री जगन्नाथ राव 224

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 226

श्री मूलचन्द डागा 228

श्री सी० टी० दंडपाणि 233

श्री ए० टी० पाटिल 238

श्री रतनसिंह राजदा 243

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 244

श्री भोगेन्द्र झा 246

श्री रामसिंह यादव 249

श्री ए० के० राय 251

श्री जेवियर अराक्कल 253

श्री जयपाल सिंह कश्यप 255

श्री जी० एम० बनातवाला 257

खण्ड 2 से 10 और 1

पास किए जाने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकट सुब्बया 258

श्री निरेन घोष 266

श्री रामावतार शास्त्री 266

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 207—224

बरौनी के निकट सिमरिया स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना—

श्री रामावतार शास्त्री 207

श्री मल्लिकार्जुन 212

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 214

श्री केदार पांडे 216

श्री पी० जे० कुरियन 219

लोक सभा

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1980/18 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा 11 बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

*307. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास ऊर्जा वितरण में कार्यकुशलता लाने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड अवधारणा (नेशनल ग्रिड कान्सेप्ट) की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी राज्यों से इस अवधारणा का समर्थन करने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को कार्यसंचालन में कुशलता प्राप्त करने और अतिरिक्त ऊर्जा के वितरण के लिए मानदंड और शुल्क-दर निर्धारित करने हेतु जो निदेश जारी किए थे उनका राज्यों ने पालन नहीं किया है; यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं और उन्होंने क्या कारण बताए है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विद्युत के क्षेत्र में अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय ग्रिड एक विकासशील प्रक्रिया है जिसके लिए राज्यों की विभिन्न प्रणालियों को भली-भांति परस्पर सम्बद्ध करना होता है और सुदृढ़ करना होता । इस प्रक्रिया में, पारेषण के क्षेत्र मेंकेन्द्र की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भूमिका की परिकल्पना की गई है ताकि समग्र रूप से देश की विद्युत प्रणालियों का इष्टतम और समेकित प्रचालन किया जा सके ।

(ख) जून, 1980 में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में, राष्ट्रीय ग्रिड के विकास

में केन्द्रीय सरकार की भूमिका को सामान्यतः स्वीकार किया गया था ।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों की उचित प्रबंध व्यवस्था के मामले पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रचालन कार्य में दक्षता, आदि भी शामिल होगी, समय-समय पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से भेजे गए विभिन्न पत्र आदि में भी इस पर जोर दिया गया है। अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान की विभिन्न श्रेणियों के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्डों द्वारा टैरिफ संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाए गए हैं। राज्य बिजली बोर्ड इन क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के घटक है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

डा० बसंत कुमार पंडित : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य के (क) भाग में कहा है कि राष्ट्रीय ग्रिड एक विकासशील प्रक्रिया है। अन्तर्राज्य/क्षेत्रीय सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चौथी योजना में शामिल किया गया था जो पांचवी योजना अवधि के दौरान भी जारी रहा। कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राज्य/क्षेत्रीय सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी निर्माण की समूची लागत की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के लिए राज्य योजना की अधिकतम सीमा के इतर की थी ।

लेकिन आज आजादी के 33 वर्ष बाद भी विकासशील देश भारत में कोई राष्ट्रीय ग्रिड नहीं है । हम कमी वाले राज्यों की ये बातें सुनते रहते हैं कि फालतू बिजली वाले राज्य सूखे की स्थिति के दौरान भी उन्हें बिजली नहीं देते । समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कमी वाले तथा विकासशील राज्यों को बिजली के समान वितरण पर निर्भर करती है। आज एक सुव्यवस्थित ऊर्जा प्रणाली का होना आवश्यक है। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता विभिन्न कारणों से विफल हो रही है। भारत के अणु, जन तथा तापीय बिजली प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक सुव्यवस्थित वितरण होनी चाहिये ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ऊर्जा मंत्री यह बताएंगे कि विकास की यह अवस्था कब समाप्त होगी ? आपने अपने वक्तव्य केन्द्रीय/क्षेत्रीय ग्रिडों के बिजली सम्बन्धी लक्ष्यों का कोई जिक्र नहीं किया है । पांच वर्षों के बाद कितनी बिजली होगी ? क्या चौथी तथा पांचवीं योजना के दौरान शुरू की गयी इस योजना को छठी योजना के दौरान भी जारी रखा जायेगा ? सरकार का मूल्यांकन कब समाप्त होगा ? राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने सम्बन्धी आपका लक्ष्य क्या है ?

श्री विक्रम महाजन : यह बात सच है कि क्षेत्रीय ग्रिड योजना चौथी योजना के दौरान शुरू की गई थी । चौथी योजना के बाद अन्तर्राज्य पारेषण लाइनों के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत ऋण दिया गया लेकिन इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा की गई प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है । अब हम केन्द्रीय क्षेत्र में पारेषण लाइनों को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं और योजना आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि इसके लिए कितनी राशि की व्यवस्था की जाये । हमें आशा है कि छठी योजना में इसके लिए 600 से 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जायेंगे और लगभग 10,000 किलोमीटर लम्बी लाइनों का निर्माण किया जायेगा । यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और अभी इस बारे में कोई भी बात अन्तिम रूप में नहीं कही जा सकती ।

डा० बसंत कुमार पंडित : विवरण में कहा गया है कि "पारेषण क्षेत्र में केन्द्र की उत्तरोत्तर

बढ़ती हुई भूमिका की परिकल्पना की गई है"। कृपया यह बात स्पष्ट करें कि क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करेगी या इसे पारेषण के लिए राज्यों तथा क्षेत्रीय बोर्डों पर छोड़ेगी। कई राज्य बिजली बोर्ड संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इस बारे में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भूमिका का क्या अर्थ है ?

श्री विक्रम महाजन : ऊर्जा मंत्री ने अभी हाल में राज्य ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था जिसमें लगभग सभी राज्यों के विद्युत मंत्रियों ने भाग लिया था। उन्होंने मंत्री महोदय को आश्वासन दिया था कि वे ऊर्जा-क्षेत्र में अधिकतम सहयोग देंगे। जहां तक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का प्रश्न है, हमें पूरा विश्वास है कि हम छठी योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : बिजली की समस्या देशव्यापी है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की परिस्थितियों के बावजूद राज्य अपनी बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि केन्द्रीय सरकार को सारी बिजली का उत्पादन अपने हाथों में लेने में और प्रदेशों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली देने में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री विक्रम महाजन : बिजली समवर्ती सूची में है और राज्यों को अपनी भूमिका अदा करनी है। यदि राज्य यह काम हमें सौंपने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमा इसे अच्छी तरह से चलाने की आशा रखते हैं। राज्य बिजली घर हमें नहीं देना चाहते और माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि हम इसके लिए बल का प्रयोग करें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वास्तव में राज्य बिजली बोर्डों को 700 करोड़ रुपये की हानि हुई है और इस बात पर बार-बार बल दिया गया है कि भ्रष्टाचार, पक्षपात और कुप्रबन्ध के फलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रिड को अधिक महत्व देना पड़ा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं आज जान सकता हूं कि क्या आप इस बात की पुष्टि करेंगे कि राज्य बिजली बोर्डों को सचमुच इतनी हानि हुई है ?

यदि यह सच है तो राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : यह बात सच है कि बिजली बोर्डों को हानि हो रही है। लेकिन कितनी हानि हुई, इसके बारे में मैं अभी आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि मूल प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रिड का सम्बन्ध है इसकी नीति का समर्थन राज्याध्यक्ष समिति ने किया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र को बिजली के क्षेत्र में अधिक भूमिका निभानी चाहिए।

हमें आशा है कि अगले 10 वर्षों के अन्दर हमारी उपलब्धि 50 : 50 होगी, अर्थात् केन्द्र की 50 और राज्य की 50।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी उड़ीसा की विद्युत परियोजनाएं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

*309. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण

सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत उन विद्युत परियोजनाओं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जो स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) वे कब से विचाराधीन पड़ी हैं; और

(ग) उनकी कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) से (ग) उड़ीसा सरकार/उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और स्वीकृति हेतु जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लंबित पड़े हैं उनकी वर्तमान स्थिति अनुबंध-1 में दिखाई गई है।

उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई 3.26 करोड़ रुपये के ऋण परिव्यय की 8 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम में स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है। 16.74 करोड़ रुपये के ऋण परिव्यय की 48 अन्य ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम में प्राप्त हुई थीं पर तु ये स्कीमें संशोधन/स्पष्टीकरणों के लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी गई थीं। इन स्कीमों का ब्यौरा अनुबन्ध-3 में दिया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की स्वीकृति, स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षमता पर और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। चालू वित्त वर्ष (1980-81) के लिए निधियों के आबंटन तथा (अक्तूबर, 1980 तक) स्वीकृत की जा चुकी स्कीमों के आधार पर ग्राम विद्युतीकरण निगम 31-3-1981 तक लगभग 5.50 करोड़ रुपये के ऋण परिव्यय की, उड़ीसा की और स्कीमें स्वीकृत करने की स्थिति में होगा।

अनुबन्ध-1

उत्तर में दिए गए विवरण में निर्दिष्ट उपाबंध

जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं और पारेषण परियोजनाओं के जो प्रस्ताव, उड़ीसा सरकार/राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुए थे और जो स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लम्बित पड़े हैं, उनकी वर्तमान स्थिति दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
	जल विद्युत परियोजनाएं				
1.	भीमकुण्ड बहुद्देशीय योजना	738	328.1	1974 संशोधित परियोजना रिपोर्ट 1980	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० के आधार पर टिप्पणियों को शामिल करके संशोधित परियोजना रिपोर्ट जून, 1980 में प्राप्त हुई थी। परियोजना

1	2	3	4	5	6
					रिपोर्ट पर के०वि०प्रा०/के० ज० आ० की और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकरण को भेज दी गई हैं। चूंकि यह परियोजना बहुद्देशीय परियोजना है, योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति कर दिए जाने के बाद, इसके विद्युत के वाले भाग को तकनीकी, आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन प्रदान करने के लिए उस पर के० वी० प्रा० द्वारा विचार किया जा सकता है।
2.	बलीमेला चरण-2	120	20.21	दिसम्बर, 1978	के० ज० आ० की टिप्पणियों के उत्तरों की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।
3.	अपर कोलाब विस्तार	80	18.62	दिसम्बर, 1979	परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की प्रोन्नत अवस्था में है।
4.	रेंगाली चरण-2	150	28.85	दिसम्बर, 1979	के० ज० आ० की टिप्पणियों के उत्तर परियोजना प्राधिकारियों से हाल ही में प्राप्त हुए हैं। यह परियोजना इस समय निर्माणाधीन रेंगाली जल विद्युत परियोजना की ही एक विस्तार परियोजना है।
5.	हीराकुण्ड चरण-3	37.5	15.97	अप्रैल, 1980	इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा हीराकुण्ड विद्युत केन्द्रों को बन्द करना होगा। दो विद्युत केन्द्रों को बन्द करने की अवधि का अनुमान लगाने के लिए विस्तृत निर्माण कार्यक्रम भेजने का अनुरोध परियोजना प्राधिकारियों से किया गया है।

ताप विद्युत परियोजनाएं

उड़ीसा राज्य में ताप विद्युत संयंत्र के लिए उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं पड़ा है। तलचेर में एक वृहत् ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किसी समय था। तथापि, राज्य सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि यह विद्युत संयंत्र केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाए।

अनुबन्ध-2

उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं तथा उनकी वर्तमान स्थिति दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम तथा तालुका ब्लाक या सम्बन्धित क्षेत्र संक्षिप्त विवरण	जिला	लागत राशि	ऋण राशि	ग्रा० वि० नि० में प्राप्त होने की तिथि	निरीक्षण की तिथि	मूल्यांकन संबंधी टिप्पणियां राज्य बिजली बोर्ड को भेजे जाने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**सामान्य कार्यक्रम**							
	1. जारावन्ध	सम्बलपुर	52·374	47.734	25.10.80	—	—	ये स्कीमें ग्रा० वि० नि० में हाल ही में प्राप्त हुई हैं।
2.	**संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (आर एम एन पी)**							
	2. चान्दापुर	कोरापूत	64.076	62 455	4.8 80	—	—	
	3. गुनपुर	कोरापूत	50.962	46.698	25.10 80	—	—	
	4. जूनागढ़	कालाहान्डी	26.134	24.019	25.10.80	—	—	
3.	**विशेष परियोजना कृषि (एस पी ए)**							
	5. केसिंगा	कालाहान्डी	13.830	10.158	22 9.80	—	—	
	6. पटनागढ़	बोलनगीर	19.246	13.560	1.10.80	—	—	
	7. अथमाल्लिक	धेनकनाल	49.316	31.421	29 10.80	—	—	
4.	**प्रणाली सुधार (एस आई)**							
	8. केन्द्रपारा-II	कटक	89.750	89.750	7.10.79	12/79	—	निधियों की अनुपलब्धता के कारण लम्बित पड़ी हैं।

अनुबन्ध-3

उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई परन्तु संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड को वापस भेजी 48 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के नाम दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम तथा तालुका, ब्लाक या सम्बन्धित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	जिला	लागत राशि	ऋण राशि	ग्रा० वि० नि० में प्राप्त होने की तिथि	निरीक्षण की तिथि	मूल्यांकन सम्बन्धी बिजली बोर्ड को भेजी जाने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
	सामान्य कार्यक्रम						
1.	तुरइकेला ब्लाक	बोलनगीर	26.537	21 390	20.7.78	12/78	9.2 80
2.	मुरीबहाल	-वही-	36.106	29.421	21.11 78	-वही-	वही
3.	वसता-बलियापाल	बालासोर	21.692	17.831	30.10 79	17.11.79	18.11.79
4.	आनन्दपुर	क्योंझर	54.690	47.134	8 1.80	25.1.80	10.3 80
5.	खान्डापारा-गानिया	फुरी	29.153	26.715	6.2.80	25.3.80	23.4.80
6.	खालीकोटे-गंजाम	गंजाम	26.487	23.684	6 2 80	14.2.80	7 3.80
7.	घांशीपुर	क्योंझर	73.493	40.427	24.3.80	17.5.80	26.5 80
8.	बारकोटे	सम्बलपुर	42 442	38 903	6.5.80	—	26.5 80
9.	नइकुल	-वही-	56 369	53.109	6.5.80	—	-वही-
10.	लोयसिंगा	बोलनगीर	41.707	33 827	6.5 80	5.6.80	16.6.80
11.	निसचिन्टकोइली	कटक	11.013	10.410	17.7.80	14.8.80 से 16.8.80	25.9.80
12.	चिकिटी	गंजाम	24.127	21.303	6.5.80	6.6.80 से 7.6.80	17.7.80

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बारीपादा (एस. पी. आई)	मयूरगंज	38.276	37.440	21.12.79	17.5.80	26.5.80
14.	एस. पी. आई. बालासोर	बालासोर-II	28.702	27.8742	1.10.79	24.12.79 से 26.12.79	1.1.80
15.	रायरखोल	सम्बलपुर-II	130.000	104.000	5.3.80	8.5.80	30.5.80
16.	बालमेला	कोरापुट	56.000	56.000	6.5.80	23.7.80 से 26.7.80	19.8.80
17.	पुरी (सदर)	पुरी	7.063	6.943	6.5.80	8.8.80	18 8.80
18.	गोंडिया स्कीम	धेनकनाल	20.735	17.525	14.8.80	23.8.80	15.9.80
	अनुरूप स्कीम	-वही-	11.849	11.849	-वही-	-वही-	-वही-
19.	पदमपुर	सम्बलपुर	55.907	51.779	-वही-	29 8.80 से 30.8.80	22 10 80
		उप जोड़	792.338	677.564			
	न्यूनतम कार्यक्रम						
1.	रासगोविन्दपुर	मयूरगंज	13.947	13.875	5.2.80	23.2.80	3.3.80
2.	स्कीम नं० 1						
	स्कीम नं० 2	-वही-	13.948	13.853	-वही-	-वही-	-वही-
3.	सुलियापाड़ा	-वही-	15.735	15.639	-वही-	-वही-	-वही-
4.	मुरडा	-वही-	14.771	14.674	-वही-	-वही-	-वही-
5.	बिस्साम कटक	कोरापुट	69.509	66.917	4.3.80	3/80	10.3.80
6.	बिशरा	सुन्दरगढ़	29.582	27.417	24.3 80	6.5.80	14.5.80
7.	कोरकुन्डा	कोरापुट	78.209	75 776	-वही-	4/80	25.4 80

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गोलमुन्डा	कोलाहान्डी	74.373	68.585	24.3.80	4/80	1.5.80
9.	नवापारा	-वही-	72.003	65.571	17.7.80	11 8.80 से 12 8.80	27.8.80
10.	रामुआन, सुकुरुली, नाराजिला, जाशिफैर	मयूरगंज	73.656	72.361	4 8.80	22.8.8 ; से 23.8.80	24 9.80
11.	नवागांव	सुन्दरगढ़	29.303	26.775	4.8.80	27 8.80 से 30 8.80	25.9 80
12.	सुन्दरगढ़ (सदर) और तांगरपल्ली	सुन्दरगढ़	40.630	38.387	4 8 80 .	27.8.80 से 30.8.80	25.9.80
13.	कोकसारा	कालाहान्डी	36.480	33.244	4.8.80	8.9.80 से 11.9.80	29.9.80
14.	केसिंगा	-वही-	28.650	28.428	20.8.80	-वही-	30.9.80
		उप जोड़	590.796	561.475			
	विशेष कृषि परियोजना						
1.	शेरीगुडा, जे. ई. डी.	कोरापुत	34.328	33.541	21.11.79	6.12.79	12.12.79
2.	सुन्दरगढ़ इलेक्ट्रिकल प्रभाग	सुन्दरगढ़	29.970	22.214	21.12.79	9.1.80	5.2.80
3.	दशरथपुर	कटक	23.646	23.038	-वही-	26.1.80	28.2 80
4.	धामा इलेक्ट्रिकल निर्माण अनुभाग	सम्बलपुर	25.054	21.678	8.1.80	19.1.80	11.2.80

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	धामनगर-भण्डारी पोखारी	बालासोर	54.727	50.578	-वही-	26.1.80	7.2.80
6.	बारीबादा इलेक्ट्रिकल प्रभाग	मयूरगंज	45.330	38.506	5.2.80	23.2.80	3.3.80
7.	उल्लन्दा बीरमहाराजपुर, ई. सी. डी.	बोलानगीर	47.828	40.635	6.2.80	15.2.80	10.3.80
8.	झारसुगुदा-लखनपुर ई. सी. डी.	सम्बलपुर	23.374	19.506	8.2.80	3/80	3.4.80
9.	बोलनगीर ब्लाक-I ई. सी. डी.	बोलनगीर	28.780	22.030	19.2.80	-वही-	-वही-
10.	सदर ब्लाक डी. ई. सी. चेनपाल	धेनकनाल	44.285	18.564	24.3.80	13.5.80	26.5.80
11.	फूलबानी इलेक्ट्रिकल प्रभाग	फूलबानी	27.647	20.929	-वही-	25.6.80 से 26.6.80	7.7.80
12.	ओडापाडा ब्लाक	धेनकनाल	37.574	27.141	6.5.80	18.6.80 से 21.6.80	26.6.80
13.	सोनपुर-बोलगीर ई. सी. डी.	बोलनगीर	42.904	32.653	-वही-	7.6.80 से 8.6.80	-वही-
14.	गोंडिया ब्लाक	धेनकनाल	49.450	33.809	-वही-	18.6.80 से 21.6.80	-वही-
15.	खापराखोल	बोलनगीर	52.307	30.102	4.8.80	13.8.80 से 14.8.80	30.8.80
		उप जोड़	567.204	434.924			
		कुल जोड़	1950.338	1673.963			

श्री के० प्रधानी : मैंने मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण को पढ़ा है।

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने तेलचर स्थित तापदि संयंत्र को केन्द्रीय क्षेत्र में लेने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो इस संयंत्र को कब तक केन्द्रीय क्षेत्र में लिया जायेगा।

श्री विक्रम महाजन : परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है। मंत्री महोदय इस बारे में दृढ़ हैं और इसे छठी योजना के दौरान हाथ में लेने का पूरा प्रयास किया जायगा।

श्री के० प्रधानी :मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था कि इस संयंत्र (जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है) के लिये कब तक स्वीकृति दी जायेगी। लेकिन मंत्री महोदय ने मुझे तिथि नहीं बतायी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन परियोजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी कोई तिथि दी जा सकती है ? मुझे पता चला है कि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ये परियोजनायें पड़ी हैं। सुन्दरगढ़ तथा सम्बलपुर जिलों में स्थित ईव पन बिजली परियोजना; सुन्दरगढ़ जिला स्थित कशाहल पन बिजली परियोजना; मयूरगंज जिला स्थित साबरकंठा परियोजना; मयूरगंज जिला स्थित गुलुडीही परियोजना; मयूरगंज जिला स्थित सोमाकुए परियोजना तथा महानदी चित्तरोपला पन- बिजली परियोजना। ये परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। मंत्री महोदय बतायें कि ये परियोजनायें इस समय किस अवस्था में हैं ?

श्री विक्रम महाजन : विभिन्न मंत्रालयों के विचाराधीन इस समय पांच परियोजनायें हैं। जहां तक भीमकुंड का सम्बन्ध हैं, यह एक बहु उद्देशीय परियोजना है। इसे अर्ध सिंचाई विभाग की तकनीकी सलाहकर समिति द्वारा स्वीकृति दी जानी है और यह अभी तक अर्ध मंत्रालय में नहीं आयी है।

जहां तक बालोमेल स्टेज II का सम्बन्ध है, हम तीन महीनों के अंदर स्वीकृति दे देंगे। आशा है कि बहुत शीघ्र ही अर्थात तीन महीनों के अंदर-अंदर स्वीकृति दे दी जायेगी।

जहां तक ऊार कोलाब एक्सटेंशन का सम्बन्ध है, इसके लिये स्वीकृति दी ही जाने वाली है। इसके लिये स्वीकृति बहुत शीघ्र दी जायेगी।

जहां तक रंगाली स्टेज II का सम्बन्ध है, यह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है। इसकी स्वीकृति सम्बन्धी कागज अभी ऊर्जा मंत्रालय में नहीं आये हैं।

हीराकुंड स्टेज III के बारे में वर्तमान बिजली एकक के बंद होने तथा नये एकक को बनाने सम्बन्धी समस्या है। हम इस बारे में उड़ीसा सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री के० प्रधानी : मैंने कुछ परियोजनाओं के बारे में पूछा था। मैंने पूछा था कि क्या इन्हें केन्द्रीय सरकार अपने आधीन ले रही है ?

श्री के० पी० सिंह देव : इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि उड़ीसा इस देश के आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है और जहां विद्युतीकरण तथा पनबिजली और उन अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में हम आधारभूत ढांचे का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे राज्य के कृषि सम्बन्धी विकास के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी, समूचे ढांचे को सुधारने तथा

इन योजनाओं के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए, जो कि एक लम्बे समय से विचाराधीन हैं, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से स्पष्ट है, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? 1973 से ये योजनाएं आ. ई. सी. तथा अन्य निकायों में विचाराधीन पड़ी हुई हैं। इन योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने हैं ताकि उड़ीसा जैसा औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र अपने आधारभूत डांचे को विकसित कर प्रगति कर सके ?

श्री विक्रम महाजन : लगभग ही योजनाएं हैं जिनकी लागत 3.26 करोड़ रुपए बैठती है। ये योजनाएं विचाराधीन हैं। उन्हें बहुत जल्दी स्वीकृत किए जाने की संभावना है। अन्य 48 योजनाएं और हैं। इन योजनाओं को वापस उड़ीसा सरकार के पास भेजा जा रहा है। कुछ प्रश्नों को स्पष्ट किया जाना है। इन पर और 16 करोड़ के लगभग लागत आएगी। पिछड़े क्षेत्रों को अधिक से अधिक धन देने के सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ मानदण्ड हैं जिनका पालन किया जाना है। कुछ खास कार्यक्रम इन अंगों को दिए गए हैं और इनमें उड़ीसा का खास ध्यान रखा गया है। हमें आशा है कि वे बड़ी तेजी से विकसित होंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं जानना चाहता था कि प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गये है ताकि ये योजनाएं शीघ्र कार्यान्वित हों।

श्री विक्रम महाजन : मैंने अपने उत्तर में बताया कि, जैसा कि माननीन सदस्य जानते है; हमारे द्वारा इन योजनाओं को अंतिम रूप से तैयार करके राज्यों को सौंपने से पहले, योजना आयोग द्वारा इन योजनाओं को स्वीकृत किया जाना है। हम उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, अनेक योजनाएं उड़ीसा को सौंपी गई है और इन्हें तेजी से स्वीकृत करने के लिए अधिकाधिक ध्यान दिया जाएगा।

श्री अर्जुन सेठी : यदि आप सभापटल पर रखे माननीय मंत्री के वक्तव्य पर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि सभी परियोजनाएं, जैसे भीमकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, बालीमेला परियोजना, आदि, 1974 से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस तथ्य से वाकिफ हैं कि भीमकुंड बांध परियोजना के सम्बन्ध में 12-11-80 को सरकार से स्वीकृती प्राप्त हो गई है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इसकी जांच की जा रही है। 1974 से लम्दे समय से विचाराधीन पड़ी परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में देश तथा राज्य के हित में बहुत जल्दी इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही हैं ?

श्री विक्रम महाजन : यह केवल प्रश्न का एक भाग है, जिसे पिछले माननीय सदस्य द्वारा पहले ही पूछ लिया गया है और मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, प्रश्न संख्या 308 के बारे में क्या कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न को सम्बद्ध सदस्य के अनुरोध पर वापस ले लिया गया है।

श्रमिक कानूनों में परिवर्तन

*311. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में लोगों तथा श्रमिकों को सस्ता तथा

आसान न्याय दिलाने की दृष्टि से श्रमिक कानूनों तथा न्यायपालिका में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि- न्याय और और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि श्रम विवादों में कम खर्चीला और सुलभ न्याय प्राप्त हो, सरकार श्रम विधियों का बराबर पुनर्विलोकन करती रहती है ।

ऐसी समय सीमा नियत करने के लिए जिसके भीतर श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों को अपने अधिनिर्णय दे देने चाहिए, एक प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है । सरकार का यह प्रस्ताव भी है कि श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों की संख्या बढ़ा दी जाए जिससे कि शीघ्र न्याय निर्णयन संभव हो सके ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री फूल चन्द वर्मा : दिल्ली में हाल ही में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय राज्य बीमा योजना, श्रमिक मुआवजा कानून, न्यूनतम वेतन कानून और केन्द्रीय प्राविडेंट फंड आयुक्त के कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और साथ ही यह भी कहा था कि श्रम न्यायलयों को अपने फैसलों पर अमल कराने का अधिकार दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक उन्होंने क्या कार्यवाई की है ?

साथ ही उन्होंने एक और बात भी कही थी कि उद्योंगों के अन्दर जो श्रमिक कार्यरत हैं उन्हें उस में भागीदार बनाने का कानून बनाया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है ?

श्री पी० शिवशंकर : इन्होंने जो सवाल मुझ से पूछा है इसको उन्हें लेबर मिनिस्टर से पूछना चाहिये था । मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है । लेकिन जो कुछ आश्वासन लेबर मिनिस्टर ने दिए हैं मैं इसके पक्ष में हूं कि उनको पूरा किया जाए । मैं माननीय सदस्य के सैंटीमेंट्स को लेबर मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दूंगा ।

श्री फूल चन्द वर्मा : आपने यह आश्वासन नहीं दिया था ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने कभी लेबर मिनिस्टर्ज या लेबर लीडर्ज की कान्फ्रेंस को एड्रेस ही नहीं दिया है ।

श्री फूल चन्द वर्मा : मैं विधि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सभी राज्यों में एक जैसा श्रम कानून हो, क्या इसके लिये सरकार विचार कर रही है ?

दूसरा निवेदन यह है कि श्रमिकों के मामले में अनेक प्रकरण काफी लम्बे समय तक कोर्टो में पैंडिल पड़े रहते हैं, क्या इनके लिये सरकार उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों में अलग बैंच बनाने का विचार कर रही है ? यदि विचार कर रही है तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ? यदि आपका इरादा नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है ?

श्री पी० शिव शंकर : आपका यह सवाल कि सारे देश में एक ही किस्म का कानून लागू

हो, आज पोजीशन यह है कि पूरे देश में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जिसके तहत लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स या नेशनल ट्रिब्यूनल्स बनाये जाते हैं। जहां तक मुकदमों की अवधि का सवाल है, डिपार्टमेंट के जेरेगौर एक बात जरूर है कि लेबर कोर्ट्स के जितने भी मुकदमें हैं, उनको 3 महीने के अन्दर खत्म कर दिया जाये, लेबर कोर्ट्स अपना अवार्ड 3 महीने में दे दें।

उसी तरह से जहां तक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक बात है, उस बारे में भी डिपार्टमेंट के जेरेगौर यह सुझाव है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स भी अपना अवार्ड 6 महीने में दे दें। जहां तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ताल्लुक है कि वहां कोई अलग बेंच बनाया जाये, इस वक्त तो ऐसा मसला जेरगौर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर जेरगौर है कि इंडस्ट्रियल एपीलेट ट्रिब्यूनल फिर से कायम किया जाये। कांस्टीट्यूशन की धारा 226 के तहत हाई कोर्ट में जो रिट-पिटीशन दाखिल होता है उसके जूरिस्डिक्शन को इंडस्ट्रियल एपीलेट ट्रिब्यूनल के जूरिस्डिक्शन में तबदील कर दिया जाये। आर्टिकल 323-ए के तहत ऐसे ट्रिब्यूनल बनाये जा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिकन्दराबाद से निर्वाचित माननीय सदस्य ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत व्यग्र है कि श्रम विवादों एवं औद्योगिक विवादों पर जल्दी से निर्णय हो। क्या मैं इसका यह अर्थ लूं कि इसमें किसी भी निर्णय का, जो दिया गया है, क्रियान्वयन भी शामिल है ? क्या सिकन्दराबाद से निर्वाचित माननीय सदस्य हमें यह बताएंगे कि क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किए जाने के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सरकार कार्यान्वित करने जा रही है, जो कि क्रियान्वयन एजेंजी है, या नहीं ? क्या उसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मैं अपने मित्र की भावनाओं से श्रममंत्री को अवगत करा दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि वित्तमंत्री ने जीवन बीमा निगम के श्रम विवाद के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को विधि मंत्रालय के पास भेज दिया है। यदि ऐसी बात है, तो क्या वे सदन को बताएंगे कि उस निर्णय के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय को परामर्श देने में कितना समय लगेगा ?

श्री पी० शिवशंकर : माननीय सदस्य महोदय को मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि मैं जितना शीघ्र संभव होगा, परामर्श दे दूंगा।

हरियाणा और पंजाब को कोयले की पूर्ति

*312. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा को भेजी जा रही कोयले की मात्रा इन दो राज्यों में स्थित सभी उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से कई गुनी अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जब मैंने वह प्रश्न रखा था तो मैंने सोचा कि मालदा जिले के साथ-साथ आपका राज्य भी कोयले की आपूर्ति से लाभान्वित होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा राज्य एकाधिकारी नहीं है, केवल उत्पादन में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम मालदा जिले से आपका सम्पर्क है, वह अच्छी बात है।

महोदय, यह प्रश्न उस समाचार के आधार पर किया गया जो कि 2 नवम्बर को 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया है कि हजारों टन कोयला तस्करों के एक सुगठित गिरोह तथा कोयला व्यापारियों द्वारा छिपे रूप मे देश से बाहर भेजा जा रहा है। यह जानकारी है। महोदय, पंजाब और हरियाणा का ऐसे राज्यों के रूप में उल्लेख किया गया जहां कि प्रत्यक्ष तौर पर सप्लाई हो रही है। उसे बीच में ही नेपाल और बंगला देश जैसे स्थानों अथवा अन्यत्र नहीं भेजा जा सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है, जहां उन्होंने इसकी कार्यप्रणाली तथा अनेक उदाहरण दिये हैं। यदि आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है तो आपको मामले की छानबीन करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसी बातें न हों। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार का दावा है कि वहां कोयले की कोई तस्करी नहीं हो रही है अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को गलत तरीके से कोई कोयला नहीं भेजा जाता। क्या वह सरकार का वक्तव्य है ?

श्री विक्रम महाजन : जहा तक राज्यों के बीच कोयले की तस्करी का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है और वास्तव में, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा कोयला का भंडार है, लगभग 130 लाख टन कोयला खदानों के पास है, हमने खुले बाजार में कोयले की बिक्री की है। कोई भी व्यक्ति खदान तक जा सकता है और वहां से कोयला खरीद सकता है, और 25 प्रतिशत कोयला खाने खोल दी गई हैं। आप वहां जा सकते हैं और कोयला खरीद सकते हैं। राज्य से दूसरे राज्य को कोयले की तस्करी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोयला खुले बाजार में मिल रहा है। कोई भी जाकर खरीद सकता है। इसकी अन्तर-राज्यीय तस्करी का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

जहां तक जांच कार्य का सम्बन्ध है, हमने पंजाब तथा अन्य ऐसे ही राज्यों के बारे में कोल इंडिया से जांच करने के लिए कहा है और उसने हमें यह रिपोर्ट दी है कि वहां कोई भी अनियमितता अथवा अनुचित बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप सहज सिद्धान्त का पालन करिए। कृत करनी, नाम जपनी, दंड छकनी—कठोर परिश्रम कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तस्करी के लिए कार्य करना (**व्यवधान**) उन्हें भी घर से तैयारी करके आने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए।

महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या देश भर में उन स्थानों पर, जहां से कोयला भेजा जाता है और उन स्थानों पर जहां कोयला प्राप्त किया जाता है, 23 अक्तूबर को जांच और जब्ती का एक अभियान चलाया गया था ताकि तस्करों के गिरोहों तथा देश से बाहर कोयला भेजने की उनकी कार्य शैली का पता लग सके और इनमें अनेक स्थान ऐसे हैं जहां जांच-पड़ताल की गई है और उससे यह जाहिर हुआ है कि करोड़ों रुपए मूल्य का कोयला खान क्षेत्रों से अज्ञात स्थान को भेजा जा रहा है। क्या इस समाचार का कोई आधार है ? क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर देगें और हमें बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री विक्रम महाजन : जांच-पड़ताल और जब्ती के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और कुछ भी हमारी जानकारी में नही लाया गया है ।

मणिपुर और मिजोरम को ईंधन की आपूर्ति

*313. **श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में 'मणिपुर मिजोरम सेन्ड एस० ओ० एस० और फ्यूल' शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सीमावर्ती राज्यों को ईंधन दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इन राज्यों का प्रशासनिक कार्य तथा जन-जीवन का दैनिक कार्य उचित ढंग से चल सके ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) असम के आन्दोलन के कारण इन राज्यों को सप्लाई करने वाले डिपुओं को रेल द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन को अधिकतम बनाने के लिए अक्तूबर, 1980 के अन्त से कदम उठाये गये थे । इन राज्यों की अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु दैनिक आधार पर स्थिति की देखभाल की जा रही है ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : 12 नवम्बर के इंडियन एक्सप्रैस में जो समाचार प्रकाशित हुआ था उस सन्दर्भ में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मणिपुर और मिजोरम में फ्यूल की सप्लाई में आप ने कितनी प्रगति की है और क्या आप की गौहाटी और डिग्बोई की रिफाइनरी शुरू हो गई है ? साथ ही मेरा प्रश्न यह भी है कि पाइप लाइन साफ करने का जो कार्यक्रम आप ने हाथ में लिया था उस में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री दलबीर सिंह : डिग्बोई रिफाइनरी शुरू हो गई है । गौहाटी रिफाइनरी में सफाई का काम हो रहा है । आशा है आठ सात रोज में वह काम पूरा हो जायेगा और उस रिफाइनरी के भी चालू हो जाने की उम्मीद है । पाइप लाइन में जो कूड़ था उस को निकाल लिया गया है और उस में फ्रेश कूड़ पम्प इन कर दिया गया है जो सप्लाई डिसरप्ट हुई थी इन सब कारणों से उस को दूसरी जगह से भेजकर के पूरा करने की कोशिश की गई है । अब मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की कैरोसिन की और डीजल की सप्लाई में पहले की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ईरान और ईराक से जो 110 लाख टन खनिज तेल हमारे देश में आता था उस के बदले में आप ने किन देशों से तेल लाने के लिए प्रयत्न किया है और कितना तेल इस साल आने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो इस सवाल से नहीं उठता ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप की ओर उन की कोई सांठ गांठ है तो मैं इजाजत दे देता हूं ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं । मेरा प्रश्न यह है कि पांच या छः लाख टन आप आयात करने वाले थे मिजोरम और मणिपुर के लिए, उसी दिन की खबर में यह आया है, तो यह जो आप ने बताया कि गौहाटी की रिफाइनरी प्रारम्भ हो गई है तो उस से कितना तेल इस साल प्राप्त करेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री : श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, डिग्बोई रिफाइनरी से 5 हजार टन पैट्रोल, 7 हजार टन कैरोसिन और 7 हजार टन डीज़ल प्राप्त होगा ।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने संबंधी सुझाव

*314. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री अन्तुले ने राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में यह सुझाव दिया था कि भारत में न्यायपालिका पर कुछ नियंत्रण लगाए जाने चाहिए; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में निकट और दूरवर्ती भविष्य के लिए तैयार की गई नीति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अगस्त 30-31, 1980 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में (महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में छपा है) यह सुझाव नहीं दिया था कि भारत में न्यायपालिका पर कुछ रोक लगाई जानी चाहिए ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या किसी मुख्य मंत्री के लिए, जो एक जिम्मेदारी वाले पद पर है और जिसने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, संसदीय लोकतंत्र को न्यायापालिका की तानाशाही बताना उचित है ? क्या यह सच नहीं है कि श्री अन्तुले संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधुदण्डवते : हां । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मंत्री जी को इस सम्बन्ध में उत्तर देना है । वे बताएंगे और उत्तर देंगे ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कितने विधि मंत्री हैं इस सदन में ? (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : या कानूनी मंत्री ?

अध्यक्ष महोदय : मैं गिनना नहीं चाहूंगा यह काम आप करिये । (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या विधि मंत्री इस तर्क से सहमत हैं कि न्यायपालिका ने इस देश में तेज गति से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन नहीं होने दिया है, और

कि यदि देश को तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाना है तो न्यायपालिका पर कुछ अंकुश अवश्य लगाए जाने चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : प्रश्न तीन भागों में है। इसके प्रथम भाग में मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शपथ और उनके वक्तव्य के बारे में कहा गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और उनका जिम्मेदाराना ओहदा।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे मालूम है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। मैंने 'मुख्यमंत्री' कहा। उन्होंने शपथ ले रखी है। **(व्यवधान)**

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमान जी, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे निश्चित विचार हैं जिसे मैंने कुछ दिन पूर्व राज्य सभा में व्यक्त किए थे, कि महज शपथ लेने का यह अर्थ नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति अभिव्यक्ति की उस स्वतंत्रता का हकदार नहीं हैं जो संविधान के भाग-तीन में भूल अधिकारों के रूप में उसे प्रदान की गई है। **(व्यवधान)**

इस सदन में मौजूद हममें से बहुतों ने संविधान के नाम में शपथ ग्रहण की हैं और हो सकता है यहां मौजूद हममें से कुछ लोगों को—मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं—संविधान के विभिन्न प्रावधानों में कोई आस्था न हो। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जो भाग-तीन में प्रदत्त की गई है और मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री ने, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, जो कि एक मूल अधिकार है, के आधार पर अभिव्यक्ति के अपने अधिकार का प्रयोग किया है।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छी बात है।

श्री पी० शिवशंकर : अब दूसरा प्रश्न। संसदीय लोकतंत्र के बारे में श्री अटल बिहारी जी ने यह तर्क दिया है कि संसदीय लोकतंत्र न्यायपालिका की तानाशाही है। मैं पहले बता चुका हूं कि प्रकाशित पुस्तक को मैंने पढ़ा है—उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद में एकमात्र प्रश्न रखा था, जो कि इस प्रकार है :

> "क्या यह सच नहीं है कि आम आदमी के हित में शुरू किए गए तथा क्रियान्वित किए जाने वाले भूमि-सुधार उपायों में न्यायपालिका द्वारा बाधा डाली गई तथा डाली जा रही है।

इसे उन्होंने इस प्रकार रखा। परन्तु जिस रूप में यह है उससे इतना नहीं कहा जा सकता कि यह न्यायपालिका की तानाशाही है। **(व्यवधान)**

श्री पी० शिव शंकर : इस निष्कर्ष पर मुझे खेद है। मेरे विचार में श्री अन्तुले के वक्तव्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता। तीव्र सामाजिक आर्थिक सुधारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में मैं अपनी राय नहीं चाहता। विभिन्न न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से माप पूरी तरह परिचित हैं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : मामला बर्खास्त।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राय व्यक्त करना अलग बात है, तथा मुझे खुशी है कि विधि

मंत्री को यह अधिकार प्रिय है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई अभियान जारी करना संविधान पर हमला है। मुख्य मंत्री श्री अन्तुले ने उप-चुनाव जीतने के बाद हाल में ही में कहा है कि जनता ने राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में मत दिया है। मैं विधि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में श्री अन्तुले से कभी बातचीत की है और क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद भी विधि मंत्री की राय भी वही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या विधि मंत्री सभा को आश्वासन दे सकते हैं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं! (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इतना शोरगुल किस लिए है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनके मन में मैल है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनकी आत्मा भी राष्ट्रीयकृत है। (व्यवधान)

श्रीअटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान् विधि मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि विपक्ष व्यर्थ में भय व्यक्त कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में दिए गए भाषणों के बाद भी आपकी यही राय है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपातकाल की मांग की गई है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उनका अब भी वही मत है। क्या वह सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार संसदीय लोकतंत्र को वहां की तानाशाही में नहीं बदलना चाहती? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां से उनका क्या अभिप्राय है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या 'वंश' असंसदीय शब्द है।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रश्न के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : विधि मंत्री इस प्रकार के कपटपूर्ण मिथ्यावाद का उत्तर देने में सक्षम हैं। वह अपना बचाव कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमान, प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध संविधान संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध अभियान चलाने के आरोप से है। यह आश्चर्य की बात है कि कुछ व्यक्तियों में संसदीय

लोकतंत्र के प्रति सहसा लगाव उत्पन्न हो गया है। (व्यवधान) इनमें से बहुत से लोगों को इसमें विश्वास नहीं था। मुझे खुशी है कि उनमें सहसा संविधान के लिए आकर्षण पैदा हो गया है (व्यवधान) बहुत से लोग जिनका इनसे कोई विश्वास नहीं है वे भी संविधान में निष्ठा रखने लगे हैं। यदि कुछ लोग राष्ट्रपति शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं—मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह प्रणाली भी अच्छी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है (व्यवधान)। आपने प्रश्न किया है मुझे उत्तर देने हैं। बहुत से लोकतांत्रिक देशों में यह चालू है। एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता ने, जिन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमरीका में राजदूत नियुक्त किया था, राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया है। मेरा विचार है कि उनकी राजदूत के पद पर नियुक्ति उन्होंने इसलिए की थी कि उनका राष्ट्रपति शासन में विश्वास है। उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कुछ लोग उनके उद्देश्य का समर्थन करने लगे हैं। उन्हें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। केवल इसीलिए कि यदि किसी भी शासन प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी सम्मिलित है, का समर्थन किया जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह संविधान पर आघात है। हमारा स्वतंत्र समाज है। हमारे अधिकार संविधान के भाग तीन में निहित मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। देश में बहुत से लोग जिनमें मुख्य मंत्री भी सम्मिलित हैं भिन्न-भिन्न शासन प्रणालियों का पक्ष लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। दूसरा प्रश्न है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष जो कुछ भी समझता है परन्तु वे जानते हैं कि 1980 के आम चुनाव में जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है तथा जनता ने हमारे नेता को भारी समर्थन दिया है। यदि वह देश की नेता हैं तो यह उनका अधिकार है तथा उनकी मिथ्या टिप्पणियों का कोई असर नहीं होने वाला है।

श्री नरेन घोष : क्या आप संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध जो कि आपके लिए असुविधाजनक बनता जा रहा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली का पक्ष लेते हैं ताकि आप लोगों के निर्णय से बच सकें, जैसा कि आपने 42वें कुख्यात संशोधन में किया था ? यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप इस अकेले मामले को लोगों के पास जनमत संग्रह के लिए भेजेंगे ? क्या आपमें ऐसा करने का हौसला है।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे मालूम है कि इस समय दूसरे पक्ष के सदस्यों के लिए संसदीय लोकतंत्र की बात करना सुविधाजनक हो गया है। मैं नहीं जानता कि ये लोग इस प्रश्न को अनावश्यक क्यों उठा रहे हैं। लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

तेल की खोज किये जाने के संबंध में भारतीय वाणिज्य और व्यापार मण्डल संगठन का सुझाव

*315 **श्री चित्त बसु** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के संगठन ने यह सुझाव दिया है कि वर्तमान तेल संकट को देखते हुए निजी क्षेत्र को तेल की खोज तीव्र कर देने की अनुमति दे दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चित्त बसु : मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर स्पष्ट है । मैं समझता हूं कि सरकार की नीति है कि देश में तेल की खोज का कार्य निजी क्षेत्र को न सौंपा जाए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तेल की खोज का कार्य विदेशी फर्मों को उत्पादन में भागीदारी के आधार पर सौंपा गया है । क्या यह राष्ट्रीय हित के लिए हानिकर नहीं है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय निगमों एवं विदेशी फर्मों के लिए खोल दिया गया है और तेल न केवल गाड़ियों और मशीनों को चलाता है परन्तु राजनीति को भी प्रभावित करता है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : सभा को पता है कि इस समय पूरा विश्व तेल संकट से गुजर रहा है तथा यदि इस समय हम तेल के बारे में आत्म-निर्भर नहीं बनते तो उससे भी बड़ा खतरा है जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । इसलिए हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाए । इस हद तक नीति में संशोधन किया गया है तथा हमने 32 ब्लॉक विदेशी फर्मों के लिए न केवल तेल की खोज के लिए अपितु तेल के उत्पादन का कार्य भी करने के लिए रख दिए हैं और सरकार इसमें कोई बुराई नहीं समझती ।

श्री चित्त बसु : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना देश में तेल की खोज के विशेष कार्य के लिए की गई थी । क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग खोज कार्य को विदेशी कम्पनियों के सहयोग के बिना करने में पर्याप्त सक्षम नहीं है ? इस बारे में क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन विदेशी कम्पनियों के सपयोग से, जिनके साथ करार किया गया है, तेल की खोज के मामले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की क्या भूमिका है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जो कार्य किया है उसे मैं छोटा नहीं समझता । उन्होंने वम्बई हाई में बहुत अच्छा काम किया है । उन्होंने गुजरात तेल क्षेत्र में तेल की खाज करने में भी अच्छा काम किया है परन्तु देश इतना विशाल है और हाइड्रो कार्बन के भण्डार इतने विपुल बनाये जाते हैं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया अकेले एक निश्चित समय में इसे निकाल नहीं सकेंगे । जहां तक करार की शर्तों का संबंध हैं हमने अभी निर्णय नहीं किया है कि उसका ब्यौरा क्या हो । क्या यह भागीदारिता पर आधारित हो अथवा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ सहयोग पर आधारित हो अथवा इस पूरे काम को उन्हें सौंप दें । ये केवल पूर्व-अधिकारी करार की शर्तें हैं । वित्तीय स्थिरता और पार्टी की प्रतिष्ठा तथा काम करने में तकनीकी योग्यता को देखते हुए हमने 67 में से 34 या 35 पार्टियों को योग्य पाया है । हमने पहले ही दो दल, एक वाशिंगटन तथा एक पेरिस, इन पार्टियों को ब्यौरा देने के लिए भेज दिए है जिनके आधार पर अगले महीने, जनवरी में किसी समय बातचीत शुरू होगी ।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : तेल संकट एक विश्वव्यापी संकट बन गया है । मैं मान-

नीय मंत्री महोदय से देश में तेल के कुओं की खुदाई में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहूंगा और नरसापुर हाई, समुद्रतट तथा समुद्रतट से दूर दोनों में तेल के कुओं की खुदाई में हुई प्रगति के बारे में भी जानना चाहूंगा। क्या यह सत्य है कि कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी में अन्य स्थलों पर भी सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कई स्थानों पर सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य चल रहा है। उदाहरण के लिए हम सोवियत सहयोग से त्रिपुरा में काम शुरू कर रहे हैं। महानदी घाटी में सर्वेक्षण हो चुका है कावेरी नदी घाटी में सर्वेक्षण हो चुका है। जहां तक नरसापुर का संबंध है, हमने दो कुओं पर प्रयत्न किया, अब हम तीसरे कुएं पर प्रयत्न कर रहे हैं।

बम्बई हाई से सुगन्धित पदार्थों के उत्पादन की परियोजना

*317 **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी चरण-दो में बम्बई हाई नैफ्था से सुगन्धित पदार्थों के उत्पादन की एक परियोजना शुरू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था :

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) विशेष रूप से निम्न के सन्दर्भ में इस परियोजना की विशेष बातें क्या हैं : (एक) भूमि और आधार भूत ढांचे की उपलब्धता, (दो) स्थल से दूर की सुविधायें, (तीन) परिवहन सहित आवर्ती लागत में बचत, (चार) पूंजी निवेश में बचत, (पांच) नैफ्था की उपलब्धता और सुगन्धित पदार्थों की मांग, (छ) उत्पादन और (सात) लाभप्रदता ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बम्बई हाई क्षेत्र के नेफथा से एरोमेटिक्स के उत्पादन के लिए मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) नये एरोमेटिक परियोजनाओं के स्थान के विषय में अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा गठित स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा।

(ग) इसके बारे में विस्तृत ब्यौरे कम्पनी द्वारा समिति को दे दिये गये हैं। समिति भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा दिये गये हैं। समिति भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा दिए गये सुझावों का अध्ययन करेगी।

श्री ए० टी० पाटिल : (क) क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि स्थल चयन समिति कब स्थापित की गई और इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत होने की सम्भावना है; (ख) समिति के विचारार्थ विभिन्न स्थल कौन से हैं; तथा (ग) क्या सरकार मेरे प्रश्न के भाग (ग) में मांगे गये ब्यौरे के संदर्भ में विभिन्न स्थलों की विशेष बातों को सभा पटल कर रखेगी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : डा० बी० डी० तिलक की अध्यक्षता में मई 1980 में एक समिति

स्थापित की गई थी। इसने स्थलों के बारे में अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, परन्तु सरकार ने निर्णय ले लिया है तथा महाराष्ट्र में सुगन्धित पदार्थ परियोजना की स्थापना के लिए 13.12 करोड़ रुपयों की स्वीकृति भी दे दी है।

शाहजहांपुर में डीजल/पैट्रोल केन्द्र

*318 **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहजहांपुर जिले में, उसके साथ लगे बरेली, पीलीभीत, सीतापुर और हरदोई जिलों की अपेक्षा डीजल। पैट्रोल के विक्रय केन्द्र बहुत कम संख्या में है :

(ख) क्या शाहजहां जिले के लोगों ने जिले में डीजल/पैट्रोल के विक्रय केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने की जोरदार मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या बरेली तथा पीलीभीत जिलों में शाहजहां पुर जिले से अधिक है; जबकि सीतापुर तथा हरदोई जिलों में फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या शाहजहांपुर से अपेक्षाकृत कम हैं।

(ख) हाल ही में शाहजहां पुर जिले में बिक्री केन्द्र खोले जाने के संबंध में पता चला है।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन से इस जिले में अधिक फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने की संभाव्यता की जांच करने के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात संबंधित क्षेत्र की संभावनाओं के आधार पर जब कभी आवश्यकता होगी इस संबंध में तेल कंपनियों द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : उत्तर में यह बताया गया कि जहां कहीं भी संबंधित क्षेत्र की संभावनाओं के आधार पर आवश्यक हुआ, बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। डीजल और पैट्रोल के सम्भरण केन्द्र स्थापित करने के लिए संबंधित क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार करते समय, केन्द्र की स्थापना के लिए कसौटी या न्यूनतम आवश्कताएं क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): आधारभूत महत्वपूर्ण प्रश्न है उन उत्पादों का सम्भरण जिन्हें हम बेचने जा रहे हैं। जहां तक बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का सम्बन्ध है, हम मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हैं जिसकी दर ५ से ७ प्रतिशत है। अब इसके लगभग १० प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। पैट्रोल पम्प और डीजल पम्प के लिए इस आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है कि दूसरा पम्प कितनी दूरी पर है, उस विशेष क्षेत्र की मांग कितनी है और क्या वह पैट्रोल पम्प उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। इस आधार पर इंडियन आयल कम्पनी सर्वेक्षण करती है। शाहजहां पुर जिले की सभी जगहों के संबंध में हमें माननीय सदस्य तथा कुछ स्थानीय विधान मंडल सदस्यों से कुछ

अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हमने कम्पनी के एक दल को इस इलाके का सर्वेक्षण करने तथा यह बताने के लिए कहा है कि नये बिक्री केन्द्र की स्थापना कहां की जा सकती है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : सरकार ने यह स्वीकार किया है कि शाहजहां पुर में डीजल और पैट्रोल सम्भरण केन्द्र स्थापित करने की माँग है और इंडियन आयल कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सर्वेक्षण कब तक पूरा होगा, क्या यह वर्ष समाप्त होने तक पूरा हो जाएगा और सम्मरण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय जनवरी 1981 में ले लिया जाएगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा कि मैंने कहा, हम उपभोग की बढ़त को ध्यान में रखते हैं। अब हमने मानदण्डों का संशोधन कर लिया है। उस इलाके की सम्मरण न्यूनतम माँग पहले के मानदण्ड में दिए गए 50 किलोमीटर की अपेक्षा 25 लीटर डीजल प्रति माह है। मानदण्ड का आधी मात्रा तक संशोधन कर दिया गया है हमें आशा है कि तेल कम्पनियाँ इस वर्ष के अन्त तक नहीं तो कम से कम जनवरी तक सर्वेक्षण पूरा कर लेंगी। कल ही मैंने सभी तेल कंपनियों से कहा है कि वे इस महीने के अन्त तक या जनवरी के आरम्भ में नये बिक्री केन्द्र खोले जाने की घोषणा कर दें।

श्री हीरा लाल आर० परमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता है कि उत्तर गुजरात में मेहसाना में जो ओ० एन० जी० सी० का प्रोजेक्ट है और उसके जो वेल हैं, उनमें जो गैस निकली है जिसको कि पिछले चार सालों से जलाया जा रहा है, उस गैस को इकट्ठा करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : प्रश्न पैट्रोल पम्प के बारे में है, न कि गैस के बारे में।

सरकारी क्षेत्र के कोयला एककों को हुआ मुनाफा और घाटा

*319. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग के प्रत्येक एकक को हुए मुनाफे और घाटे का ब्यौरा क्या है ? और

(ख) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्य में कब वृद्धि की गई थी और उसके कारण क्या हैं और इस बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के अन्तिम और बिना लेखा परीक्षा के खातों के अनुसार, वर्ष 1979-80 के दौरान कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के मुनाफे/घाटे की स्थिति इस प्रकार है :

कम्पनी का नाम	वर्ष 1979-80 में मुनाफे/घाटे की राशि करोड़ रुपयों में
कोल इंडिया लि०	— 2.42
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	—84.85
भारत कोकिंग कोल लि०	—54.72
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	+16.47
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	— 8.90
	(—) 13.442

(ख) राष्ट्रीयकरण के समय कोयले की औसत प्रति टन खान मुहाना कीमत रु० 37.50 थी। उसके बाद कीमतें निम्नलिखित स्थिति के अनुसार तीन बार बढ़ाई गई :—

	औसत कीमत बढ़ाकर कितनी की गई
1-4-1974 को	रु० 47.50
1-7-1975 को	रु० 64.92
17-7-1979 को	रु० 101.18

कीमतों में वृद्धि मजदूरी और उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण आवश्यक हो गई थी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें सेन्ट्रल कोल फील्ड्स को छोड़ करके उनके तमाम कोल फील्ड्स में घाटा चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस घाटे का कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं या प्रबंधक की अक्षमता है? सरकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं या प्रबंधक की अक्षमता है? सरकार इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ओर मेनेजमेंट को सुधारने के लिए क्या कर रही है?

श्री विक्रम महाजन : कोयले की कीमतें (cost) बढ़ने की वजह बहुत हैं जिनमें एक्सप्लोसिव्ज की कीमतों का बढ़ना, लेवर छुट्टी का कर देना, बिना दरख्वास्त के छुट्टी कर देना है। पिछले साल हमने मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी है और मजदूरी बढ़ाने से अलाउन्सिज भी देने पड़ते हैं। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हिन्दुस्तान में कोयले की खानों के मजदूरों को सब से ज्यादा मजदूरी दी जाती है। जैसे-जैसे उनकी मजदूरी बढ़ जाती है, उसी के साथ कोयले की कीमतें भी बढ़ती चली आती है। इन सब की वजह से घाटा बढ़ रहा है कोयले की खानों में।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि कहीं इनके रसातल में जाने का यह कारण तो नहीं है कि प्राइवेट खान मालिक मैनेजमेंट के साथ मिलकर सांठगांठ कर रहे हैं और सारा करप्शन हो रहा है। इसके सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री विक्रम महाजन : अध्यक्ष महोदय, कोयले की खानों का नेशनलाइजेशन हो चुका है और नेशनलाइजेशन के बाद कोयले का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। जहां तक इल्लीगल माइनिंग का सवाल है यह बड़ी नामिनल है और हमारी कोशिश है कि यह बिल्कुल न हो। मैनेजमेंट के साथ प्राइवेट

खान मालिकों की कोई सांठगांठ नहीं है, अगर इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कोई जानकारी है तो वे दें, उसकी अवश्य जांच करा ली जाएगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सोडा-एश का मूल्य

*301 श्री लहजा सिंह तुर
श्री नित्यानन्द मित्र } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के दिनों में ही सोडा-एश के मूल्य में सौ प्रति त की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) देश में सोडा ऐश के चार निर्माता हैं और सोडा ऐश की विभिन्न किस्मों के लिये दिनांक 1.4.1980और 1.9.1980 को उनके कारखाने के बाहर का मूल्य (बल्क) जैसा कि उन्होंने बताया है, और 1.4.1980 से 1.9.1980 तक मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है:—

किस्म	निर्माता का नाम	कारखाने से बाहर का मूल्य (बल्क) रुपये प्रति टन		प्रतिशत वृद्धि
		1.4.80	1.9.80	
हल्का	मैसर्स टाटा केमिकल्स मिथापुर, गुजरात	12.80	1580.00.	23.44
	मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स, पोरबन्दर, गुजरात	1450.00	1600.00	10.34
	मैसर्स ध्रग्धरा कैमिकल्स वर्क्स लि०, ध्रग्धरा	1525.00	1675.00	9.84
	मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लि०, वाराणसी	1850.00	2100.00	13.51
मध्यम	मैसर्स टाटा कैमिकल्स	1340.00	1640.00	22.39
ठोस	मैसर्स " "	1400.00	1700.00	21.43
	मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०,	1540.00	1690.00	9.74

(ख) कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण निर्माताओं के सोडा ऐश का मूल्य भी बढ़

गया है । सोडा ऐश के मूल्य और उसके वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है तथापि सोडा ऐश की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से सरकार द्वारा निम्न लिखित उपाय किये गये हैं:—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिये मार्गदर्शन जारी किये गये है कि वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम से कम उतनी मात्रा मिल सके जितनी उन्हें वर्ष 1977 के दौरान मिली थी जबकि सोडा ऐश की कमी नहीं थी ।

(2) दिनांक 14 जनवरी, 1979 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के अन्तर्गत सभी ओद्योगिक उपभोक्ताओं को सोडा ऐश के आयात की अनुमति दी गई । चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक है अत: सोडा ऐश के आयात पर से सीमा शुल्क को ठोस सोडा ऐश के मामले में 75 प्रतिशत से 5 प्रतिशत और हल्के सोडा ऐश के मामले में 35 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है ताकि आयातित सोडा ऐश के मूल्य को स्वदेशी मूल्यों के अनुरूप बनाया जा सकें ।

(3) लघु उद्योग इकाइयों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 1979-80 के दौरान स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया (सी. पी. सी.) द्वारा 19,100 टन हल्के सोडा ऐश का आयात किया गया था और उसे मुख्य रूप से लघु उद्योग इकाइयों और राज्य सरकार के संगठनों के माध्यम से वितरित किया गया । इस वर्ष भी यह निर्णय किया गया है कि स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति के लिये सी. पी. सी. के माध्यम से 50,000 टन सोडा ऐश का आयात किया जाये ।

(4) गृहणियों और धोबियों जैसे छोटे उपभोक्ताओं और निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिये राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन लि० (एन. सी. सी. एफ.) को सम्पूर्ण देश में वितरण के लिये प्रतिमाह 1000 टन सोडा ऐश की सप्लाई करने के लिये व्यवस्था की गई है ।

(5) सोडा ऐश की उपलब्धता और उसमें वितरण की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये एक स्थायी समिति नियुक्त कि गई है ।

इन उपायों के परिणाम स्वरूप सुधार हुआ है ।

बाल फिल्मों का निर्माण

*316. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बनाई जा रही निम्न कोटि की फिल्मों का बच्चों और अन्य लोगों के चरित्र पर होने वाले घृणित प्रभाव को रोकने के लिए बच्चों की फिल्मों और सामाजिक विषय की फिल्मों के निर्माण की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार की फिल्मों को किसी सरकारी एजेंसी द्वारा बनाए जाने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जो बच्चों तथा अन्य लोगों के चरित्र निर्माण में सहायक होंगी;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) बाल फिल्म सोसायटी बच्चों और किशोरों आदि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त और विशेष रुचि की फिल्में बनाती है। सरकार ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रति वर्ष 4-5 फिल्मों के निर्माण और बच्चों के लिए इतनी ही संख्या में विदेशी फिल्में मंगाने तथा उन्हें भारतीय भाषाओं में डब करने की योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। फिल्म प्रभाग भी ज्ञानवर्धक, शैक्षणिक और सामयिक, सामाजिक विषयों पर लघु फिल्में बनाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सामाजिक और उद्देश्यपूर्ण विषयों पर अच्छी कोटि की फिल्मों के निर्माण के लिए प्राइवेट निर्माताओं को ऋण देता है।

ऊपर बताई गई एजेन्सियों के जरिए फिल्मों के निर्माण में बढ़ावा देने के अलावा, सरकार का फिल्म निर्माण का काम हाथ में लेने का कोई विचार नहीं है। चूंकि फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में आता है, सरकार इस सृजनात्मक कार्य में सीधे भाग लेना आवश्यक नहीं समझती।

बिहार में रेडियो संबंधी सुविधाएं

*320. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बिहार राज्य तथा केन्द्र के बीच राज्य में रेडियो सम्बन्धी कुछ सुविधाएं दिए जाने के बारे में वार्ता हुई थी; और

(ख) इस संबंध में किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने बिहार राज्य में रेडियो के विस्तार और सुधार के बारे में पटना में 22 सितम्बर, 1980 को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। बातचीत के दौरान राज्य सरकार से जमशेदपुर में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन, भागलपुर केन्द्र के स्टूडियो के निर्माण के लिए और स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने भूतपूर्व मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि आकाशवाणी को भूमि शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

कच्चे तेल की पूर्ति पर फिर से चालू किए गए आसाम आन्दोलन का प्रभाव

*321. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशियों की समस्या पर फिर से शुरू किए गए आसाम आन्दोलन का ऊपरी असमी स्थित तेल कुओं से कच्चे तेल की निकासी पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) तेल कुओं और ग्वाहाटी तेल शोधक कारखाने से कच्चे तेल की निकासी नियमित बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आन्दोलन के परिणामस्वरूप अपर असम तेल क्षेत्रों में तेल के कुओं से क्रूड का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में घट गया

है। इसमें आगे सुधार असम में व्याप्त स्थिति पर निर्भर करेगा।

(ख) गौहाटी-बरौनी खण्ड की पाइप लाइन में पड़ा हुआ अशोधित तेल बाहर निकाला गया। दिग्बोई शोधनशाला ने आयल इंडिया लिमिटेड का अशोधित तेल लेना आरम्भ कर दिया है। गौहाटी शोधनशाला की मरम्मत चल रही है। बोंगई गांव और बरौनी शोधनशाला निरन्तर बन्द पड़ी है।

बागड़ी में गीतों, वार्ताओं का प्रसारण

*322. **श्री भीखाभाई :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद, बम्बई, उदयपुर और जयपुर से बागड़ी बोली में गीतों, वार्ताओं आदि का प्रसारण करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मांग की पूर्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या जन-प्रतिनिधियों ने भी इस मांग का जोरदार समर्थन किया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्य नगरों और कस्बों में बागड़ी बोलने वाले लाखों लोग रहते हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल माननीय सदस्य ही इस मांग का समर्थन करते रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में राजगीर में दूरदर्शन केन्द्र

*323. **श्री विजय कुमार यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के ऐतिहासिक नगर राजगीर में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण राजगीर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

खुली रंगशालाएं स्थापित करने की योजना

*324. **श्री पी. एम. सईद**
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति } क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सिनेमा को गांवों तक पहुंचाने के लिए खुली रंगशालाओं को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट उपाय कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये किन-किन राज्यों में चालू की जा रही हैं;

(घ) क्या फिल्म वित्त निगम और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को कहा गया है कि खुली रंगशालाओं के निर्माण के लिए अधिकतम धन दिया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और कितनी खुली रंगशालाएं स्थापित की जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांवों में खुले सिनेमाघरों सहित सिनेमाघरों की कमी है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सिनेमाघरों के निर्माण को बढ़ावा देने के विचार से, मंत्रालय ने सिनेमाघरों सहित, सिनेमा को एक "उद्योग" के रूप में मानने के प्रस्ताव सहित, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कई वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इसे प्राथमिकता की सूची में शामिल करने के लिए कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं। यह मामला सम्बन्धित मंत्रालयों के विचाराधीन हैं। उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को यह कह दिया गया है कि वह विशेषकर गांवों में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ऋण देने या धन उपलब्ध करने के लिए विशेष उपाय करे।

(ङ) अब तक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने स्थायी सिनेमाघरों के लिए 17 मामलों में कुल 85.76 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए हैं। खुले सिनेमाघरों के लिए ऋण के लिए कोई आवेदन पत्र निगम को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के पारिस्थितिकीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिये समिति

*325. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उवर्रक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने के पारिस्थितिकीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिये डा० एस० वरदराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट जो कि सरकार को दिसम्बर, 1977 में प्रस्तुत की गई थी, संसद के दोनों सदनों में 14.8.1978 को रखी गई थी। सरकार ने मथुरा-आगरा क्षेत्र में प्रदूषण के स्वर को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन को देखने के लिए विज्ञान

तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च समिति की नियुक्ति की है। इन उपायों के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करती है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संथान की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

*326. **श्री मंगल राय प्रेमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी बिलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं के मामले में बिलम्ब हुआ है उनके नाम क्या हैं और उनमें कितना विलम्ब हुआ है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण उनकी लागत में कितनी मूल्य वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) उनके पूर्ण होने में और अधिक विलम्ब न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में यूनिट 2, 3 तथा 4 के लिए नये इलेक्ट्रिोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की प्रतिष्ठापना किए जाने में तथा 66 के० वी० पारेषण लाइनों में कुछ देरी हुई है।

(क) और (ख) इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में हुई देरी तथा इस्पात का उपलब्ध न होना है। 66 के० वी० पारेषण लाइन के सम्बन्ध में देरी, टावर सामग्री की सप्लाई न होने के कारण हुई। पारेषण लाइन के बारे में हुई देरी के कारण, 2.27 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है जबकि इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पारेषण लाइनों के सम्बन्ध में लगभग दो वर्ष की देरी हुई है तथा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों से सम्बन्धित कार्यों के बारे में बहुत ही थोड़ी देरी हुई है।

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सलाह दी गई है कि वह या तो रेल द्वारा या सड़क द्वारा बम्बई से दिल्ली को सामग्री की ढुलाई की व्यवस्था करे तथा इस सम्बन्ध में प्रगति की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग भी करे।

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान, संस्थान बंगलौर में शार्ट सर्किट सुविधाएं

2690. **श्री भीकूराम जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलौर में शार्ट सर्किट परीक्षण सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं जिसके कारण ट्रांसफार्मरों की किस्म में सुधार करने में बाधा पड़ रही है; और

(ख) इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान अपनी परीक्षण सुविधाओं में अभिवृद्धि करने के लिए उपाय कर रहा है ताकि देश में विद्युत प्रणाली के लिए अपेक्षित ट्रांसफार्मरों की परिक्षण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । 2500 एम० वी० ए० की क्षमता का एक और शार्ट सर्किट जेनरेटर प्रतिष्ठापित करने की एक स्कीम हाल ही में स्वीकृत की गई है और प्रस्ताव क्रियान्वित किया जा रहा है ।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

2961. **श्री समर मुखर्जी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'कोमातुस क्रुवलर' ट्रक्टरों के लिए 'स्ट्रीटप्लेटों' की सप्लाई के लिए टेंडरों के मामले में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में 'स्पेयर्स कारपोरेशन', कलकत्ता-16 से शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित प्रकार के आरोप लगाए गए थे :—

(1) किसी विशेष फर्म को, ड्राइंग में निर्दिष्ट की गई सामग्री से पूर्णतया भिन्न प्रकार की सामग्री के लिए आर्डर दिया गया । ऐसा करने से, अन्य टेंडरकर्ताओं को अवसर ही नहीं दिया गया ।

(2) दिए गए आर्डर का, उद्धृत किए गए मूल्य से सम्बन्ध नहीं है ।

(3) आदेश को अत्यधिक आपत्तिजनक भ्रष्ट तरीकों से मंजूर करवाया गया । इस मामले में, संबंधित फर्म और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के एक अधिकारी तथा निरीक्षण नियंत्रण मंत्रालय (वाहन) अहमदनगर के एक अधिकारी तथा संभवत: भेटकर्ता भी इसमें शामिल हैं ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

फर्मों के विलय के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

2962. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में बम्बई में बताया था कि सरकार शीघ्र ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार (सामान का वर्गीकरण) नियमों को घोषणा करेगी और कम्पनी अधिनियम को धारा 72 क के अन्तर्गत फर्मों के विलय तथा समामेलन से सम्बन्धित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रकाशित करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह अब एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार नियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत सामान के वर्गीकरण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) और (ग) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (माल का वर्गीकरण) संशोधन नियम, 1978 को प्रति, परिपूर्ण होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

विलय तथा समामेलन से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के लिए प्रश्न के भाग (क) में किया गया संदर्भ, स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम की धारा 72 क के लिए है, कम्पनी अधिनियम के लिए नहीं । आयकर अधिनियम की धारा 72 क के अन्तर्गत समामेलन के लिए आवेदन-पत्रों के विचारार्थ मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनरीक्षण व उदारीकण तथा उनका प्रकाशन, उक्त धारा के अन्तर्गत गठित निर्दिष्ठ प्राधिकारों के विचारर्थ विषय हैं ।

"हर्डल्स बिसेट पंजाब पावर प्रोजेक्ट्स"
शीर्षक से छपा समाचार

2963. **श्री आर० एल० भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1980 के "द ट्रिब्यून" समाचार पत्र में "हर्डल्स बिसेट पंजाब पावर प्रोजेक्टस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सैक्टर में क्रियान्वित की जा रही परियोजना के शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त कार्रवाई राज्य सरकार को और राज्य बिजली बोर्ड को करनी होगी । तथापि इस मामले में राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड को विभिन्न क्षेत्रों में जिस सहायता की आवश्यकता होगी वह सहायता, जहां तक संभव होगा, केन्द्रीय सरकार देगी । निर्माणाधीन परियोजनाओं को इन समस्याओं पर विभिन्न मंचों पर तथा विद्युत मंत्रियों के सम्मेलनों में भी विचार-विमर्श किया जाता है ताकि संबंधित विभिन्न एजेन्सियों द्वारा उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ।

दिल्ली में कुकिंग गैस के लिये पंजीकृत लोगों की संख्या

2964. **श्री ए० सी० दास** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 अक्तूबर, 1974 से 30 सितम्बर, 1980 के बीच इंडियन आयल के कुकिंग गैस कनैक्शनों के लिये कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किए गये :

(ख) क्या यह सच है कि फरवरी 1981 से उनका मंत्रालय प्रति मास एक लाख कुकिंग गैस कनैक्शन देगा;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में पंजीकृत हर एक आवेदन को अप्रैल 1981 तक कुकिंग गैस के कनैक्शन देना संभव हो सकेगा : और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) भारतीय तेल निगम से खाना पकाने की गैस के कनेक्शन लेने हेतु दिल्ली में अक्तूबर 1974 से 30 सितम्बर, 1980 तक पंजीकृत आवेदकों की कुल संख्या लगभग 2,50,000 है ।

(ख) वर्तमान योजनाओं के अनुसार सम्पूर्ण भारत के लिये फरवरी, 1981 से एक लाख कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) एवं (घ) 1981 के अन्त तक सारी प्रतीक्षा सूची को समाप्त करना संभव नहीं होगा । दिल्ली में प्रतीक्षा सूची बम्बई हाई तथा मथुरा और कोयाली शोधन शालाओं से अरिरिक्त एल० पी० जी० उपलब्ध होने पर धीरे धीरे निपटा दी जायेगी ।

टेलीविजन के लिए फिल्म निर्माण केन्द्र

2965 **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सूचना क्षौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीविजन के लिये और अधिक फ़िल्म निर्माण केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) संभवतया, सदस्य महोदय उन दूरदर्शन स्टूडियों का उल्लेख कर रहे हैं जो वीडियो-टेप और फ़िल्म पर दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं । स्वीकृत "छठी योजना" 1978—83 के अंतर्गत, अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, रायपुर, मुजफ्फरपुर और गुलबर्गा में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना का प्रस्ताव है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोयला खानों से कोयले का गायब होना

2966. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खान से $1\frac{1}{2}$ लाख टन कोयला गायब हो गया है ;

(ख) गुप्त रूप से कोयले को गायब करने में मुख्य रूप से संबंधित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कोयले को गायब करने के लिए जिम्मेदार समूह के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई या भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई क्या है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा

रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स महेन्द्र एंड महेन्द्र लिमिटेड के मामले में उच्चतर न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

2967. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री अपने मंत्रालय के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन के पैरा 110 (3) का अवलोकन करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें बताई गई खामियों को दूर करने के लिये विभाग ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की 1979-80 के वर्ष की रिपोर्ट के पैरा 110 में संदर्भित समस्याओं के प्रसंग में, सुधारात्मक कार्यवाही, जो समुचित हो, केवल एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के संशोधन होने से ही की जा सकती है । इस सम्बन्ध में, उच्च-अधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) की रिपोर्ट सक्रिय विचाराधीन है । कथित रिपोर्ट सदन के पटल पर 30-8-1978 को प्रस्तुत की गई थी । सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में, अन्तिम निर्णय कर लिये जाने के तुरन्त पश्चात्, संसद में आवश्यक विधान पुरः स्थापित किया जायेगा ।

मुआवजे के दावों सम्बन्धी मामलों का निपटान

2980. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री उल्हासनगर, महाराष्ट्र के विस्थापितों के मुआवजे के आवेदन-पत्रों के बारे में 29 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान उल्हासनगर (जिला थाना, महाराष्ट्र) के विस्थापित व्यक्तियों के मुआवजे के दावों संबंधी साठ लंबित मामलों के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं और उनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है; और यदि हां, तो कितने आवेदकों को;

(ग) गत तीन माह में इन मामलों के निपटान में क्या कठिनाइयां सामने आई हैं; और

(घ) उक्त कठिनाईयां दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 60 मामलों में से, गत तीन माह के दौरान, 19 मामले निपटा दिए गए हैं ।

(ख) 19 दावेदारों को 14,589/-रुपये की राशि का समंजन/भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) सामने आई कठिनाईयां थीं :—

(1) दावेदारों से मुआवजे की बकाया राशि के प्रयोग संबंधी ब्योरे/कागजातों के प्राप्त होने में विलम्ब ।

(2) राज्य सरकार से समंजन प्रस्तावों/न वापसी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब ।

(3) प्रतिस्थापन संबंधी कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में लगा समय ।

( ) सिविल न्यायालयों/उच्च न्यायालयों तथा विभागीय अधिकरणों में लम्बित न्यायिक मामले ।

(घ) मामले की दावेदारों/राज्य सरकार के साथ पैरवी की जा रही है । इसके अतिरिक्त, जब कभी आवश्यक होता है, लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु, बंदोबस्त संगठन के अधिकारी उल्हासनगर का दौरा करते हैं ।

सेवा-निवृत होने वाले अधिकारियों द्वारा औद्योगिक गृहों के पास रोजगार लिया जाना

2969. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी सेवा-निवृत्ति के बाद कुछ बड़े औद्योगिक गृहों और संगठनों, जिनके मामलों पर वे अपनी पद की हैसियत से विचार कर रहे थे, में अत्यधिक वेतनों तथा भत्तों पर स्वयं को नियुक्त करा लेते हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों की उनके मंत्रालय के शाखाओं/विभागों में और सरकारी दस्तावेजों तक बेरोक-टोक पहुंच होती है और वे अपने मालिकों से संबंध मामलों का अपने सम्पर्कों से द्रुतगति से और अनुकूल तरीके से निर्णय करा लेते हैं;

(ग) क्या यह ऐसे अधिकारियों के नाम और पदनाम बताएंगे जिन्होंने 1976 के बाद से अब तक ऐसे रोजगार प्राप्त किए हैं और कहां पर; और

(घ) स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित कराने के लिए मंत्रालय में इनके बेरोक-टोक आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगाने और इन कदाचारों को रोकने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) सम्भवतः आदरणीय संसद सदस्य निजी क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घरानों और संगठनों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं । केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 10 के अन्तर्गत केन्द्रीय सेवा के वर्ग ए' (वर्ग-1) के अधिकारियों को अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने से पूर्व वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी होगी । वर्ग-I (ग्रुप-ए) अधिकारियों के सम्बन्ध में ऐसा मामला वर्ष 1978 से इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है । तथापि, वर्ग-II अधिकारियों के सम्बन्ध में, ऐसा पता चला है कि एक श्री बलदेव खन्ना वर्ष 1978 में स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति प्राप्त करने के बाद मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लिमिटेड में रोजगार प्राप्त किया है । क्योंकि वर्ग-II के अधिकारियों को सेवा-निवृत्त केबाद वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार से आज्ञा नहीं प्राप्त करनी होती है, उसके उक्त कम्पनी में वेतन और अनुलाभ के सम्बन्ध में मंत्रालय में सूचना नहीं है । वह उन्मुक्त रूप से मंत्रालय की शाखाओं/अनुभागों में प्रवेश कर सकते हैं अथवा सरकारी कागजातों को देख सकते हैं ।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों में संकट

2970. **श्री के० मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि लाने-ले जाने योग्य (पोर्टेबल) अल्कोहल की लोकप्रियता में वृद्धि, मद्य निषेध और ऊंचे करों में छूट दिये जाने तथा अल्कोहल एवं सीरा के निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की वर्तमान क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार सीरा तथा अल्कोहल के सम्बन्ध में इसकी सप्लाई सम्बन्धी विनियमन तथा कराधान की दृष्टि से कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग ने अभ्यावेदन किया था कि नशाबंदी में शिथिलता और इसके परिणामस्वरूप पेय उद्देश्यों के लिए अल्कोहल की मांग में वृद्धि के कारण उद्योग अल्कोहल को पर्याप्त सप्लाई के अभाव में बुरी तरह प्रभावित है। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा अल्कोहल पर लगाए गए विभिन्न लेवियों और प्रभारों के सुव्यवस्थीकरण और सीरे तथा अल्कोहल के निर्यात पर प्रतिबन्ध को जारी रखने की दलील भी दी है।

(ख) अल्कोहल पर आधारित मुख्य रसायनों के संस्थापित क्षमता से सम्बन्धित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं—

उत्पादन	संस्थापित क्षमता 1979 (टन)
1. एसिटिक एसिड	40.020
2. एसिटिक एनहाइड्राइड	14.770
3. कुड़ाइल एसीटेट	8.730
4. इथाइल एसीटेट	6.390
5. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	8.840
6. पेन्टाइरी थ्रीटोल	1.800
7. डी० डी० टी०	4.200
8. स्टाइरीन	33.000
9. पालीइथाइलीन	13.000
10. एसीटोन	3.000
11. बुटानोल	8.250
12. बुटाडेन	25.200
13. पी० वी० सी०	18,000

(ग) और (घ) दिनांक 11-11-1980 को हुई केन्द्रीय सीरा बोर्ड की बैठक में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि—

(1) अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करें;

(2) चीनी मिलों द्वारा सीरे के लिए पर्याप्त और उचित भंडार सुविधाओं के सृजन में तेजी लाई जाए;

(3) अल्कोहल के उत्पादन के लिए खांडसारी सीरे के प्रयोग को बढ़ावा दें,

(4) पेय उद्देश्यों और औद्योगिक प्रयोग के बिना मांग के बीच उचित संतुलन स्थापित करें जिससे रसायन उद्योग को राजस्व कारणों से भुखमरी का सामना न करना पड़े ।

(5) सीरा और औद्योगिक अल्कोहल के प्रभारों में एक रूपता लाने के लिए जालोन समिति की रिपोर्ट में सुझाये गए मार्ग दर्शनों के अनुरूप लेवियों और प्रभारों को सुव्यवस्थित करना ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की नई कोयला खानें

2971. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खोली जाने वाली नई कोयला खानों के नाम क्या हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में निम्नलिखित कोयला खनन परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :

ओपेनकास्ट परियोजनाएं : मन्दमान, काट्टाडीह, मनोरा वेस्ट ब्लाक, जामाबाद, नकराकोडा सोनेपुर/कुमरखला (फे० II), संग्रामगढ़, बदजना, गोरनडीह, खास कजोरा,

भूमिगत : कालिदासपुर/ कालिकापुर, चोरा ब्लाक, झाजरान I खान, घूसिक, पूरे सियरसोल, डामरा ।

मद्रास फर्टिलाइजर्स में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण

2972. **श्री थाभाइ० एम० करुणानिधि**
श्री के० वी० एस० मणि } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के इन आदेशों की जिनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए प्रारम्भिक नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थायीकरण के समय आरक्षणों का प्रावधान किया गया है, मद्रास फर्टिलाइजर्स में इन आदेशों के जारी होने की तारीख से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्यों और उक्त आदेश कब क्रियान्वित किए जाएगे;

(ग) यदि ये आदेश जारी करने की तारीख से क्रियान्वित हो गई हैं तो तत्सम्बन्धी वर्ष-वार और संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इनमें कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों/जन जातियों के हैं तथा उनका वर्षवार/संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कारखाने में, उनके चालू होने की तारीख से ही नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इनमें अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लोगों का कारखाने-वार तथा संवर्ग-वार संख्या क्या है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें भारत सरकार अमोको (एक अमेरिकी कम्पनी) और नेशनल ईरानियन ऑयल कम्पनी की क्रमः 51 : 24 : 5 :24: 5 के अनुपात में साम्य साझेदारी है। इस कम्पनी को मद्रास में एक उर्वरक प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार और अमोको में हुए एक करार के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है, इस समय कम्पनी की संघ की नियमावली में राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है अतः अन्य सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की भांति इस कम्पनी को अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए पदों के आरक्षण के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

नए उर्वरक संयंत्र

2973. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 के दौरान देश में नए उर्वरक कारखाने स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए किन-किन स्थलों को चुना गया है और संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है तथा संयंत्रों के निर्माण की क्या प्रगति है;

(ग) क्या इस बार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत उर्वरक के क्षेत्र में कब आत्मनिर्भर हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बम्बई हाई और बसीन संरचनाओं से प्राप्त गैस पर आधारित बड़े आकार के चार उर्वरक प्लाट दो थाल वैशेट महाराष्ट्र और दो हाजिरा, गुजरात में स्थापित किए जा रहे हैं। आयल इंडिया

लि० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित एक अन्य उर्वरक प्रायोजना नामरूप-तीन के नाम से नामरूप, असम में स्थापित की जा रही है। इन प्रायोजनाओं की क्षमता और उनमें हुई प्रगति निम्न प्रकार हैं :—

प्रायोजना का नाम	नाइट्रोजन की क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	स्थिति
1. थाल वैशेट	6,83,000	पानी, बिजली, कोयला, रेलवे, इत्यादि जैसी इनफ्रास्ट्रैक्चर सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था कर दी गई है। कारखाने के लिए भूमि का अर्जन कर लिया गया है और सिविल कार्य चल रहा है। स्टीम प्रजनन प्लाट के लिए करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। स्थल-दूर सुविधाओं के लिए कार्य आरम्भ हो गया है।
2. हाजिरा	6,68,000	भूमि का अर्जन हो गया है, और पानी, बिजली, रेलवे और अन्य सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। स्टीम प्रजनन प्लाट के लिए भी करार कर लिया गया है।
3. नामरूप-तीन	1,51,000	भूमि का अर्जन कर लिया गया है और उसे समतल किया जा रहा है। परामर्शी सेवाओं का ठेका दे दिया गया है और डिजाइन तथा इंजीनियरिंग कार्य, उपकरणों की अधिप्राप्ति आदि जैसी अन्य कार्यवाही की जा रही है सिविल कार्य और इनफ्रास्ट्रेक्चर सुविधाओं के प्रावधान के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ) यद्यपि उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके मांग और स्वदेशी उत्पादन के अन्तर को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

बीमा कम्पनियां

2974. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो कुप्रबन्ध, धनराशियों के दुरुपयोग तथा अनियमित उपयोग के कारण विगत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण हो गई हैं;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विभिन्न करों का अपवचन किया; और

(ग) बकाया करों की वसूली तथा उनके कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पो० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) इन कम्पनियों, जो रुग्ण हो गई हैं, किसी भी कारण से, जो कुप्रबन्ध या निधियों के दुरुपयोग या उनका अनियमित उपयोग होता रहा है, के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई यथार्थ सूचना एकत्र नहीं की गई है। सम्पूर्ण विनियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न करों के टाल-मटोल के विषय में ना ही कोई सूचना उपलब्ध है। अगर किसी विशेष कम्पनी के सम्बन्ध में कोई सूचना आवश्यक है, तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) आयकर विभाग बकाया आयकर को लेने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करता है। कम्पनियों के कार्य में सुधार, विनगमित कार्यकरण के निरीक्षण के सम्बन्ध में कम्पनियों के लेखों की उचित लेखा-परीक्षा और कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

पेट्रोलियम, उत्पादन ले जाने वाली पाइप लाइनों से चोरी

2975. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाली पाइप लाइनों से पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उत्पादों की मात्रा और कीमत के सम्बन्ध में राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इस दिशा में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) तथा (ख) 1976 में मद्रास में इंडियन आयल कारपोरेशन की उत्पाद पाइप लाइनों से तेल उत्पादों की चोरी के छुट पुट मामले ध्यान में आए थे। अकेले ल्यूब बेस तेलों की चोरी से वर्ष 1978-79 में 6.31 लाख रुपये तथा 1979-80 में 18.51 लाख रुपये की अनुमानित हानि का अनुमान है।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन की पाइप लाइनों पर इंडियन आयल कारपोरेशन के अपने गश्त लगाने वाले (पेट्रोलमैन) लगातार गश्त लगाते हैं तथा इस बारे में विभिन्न राज्यों तथा दूसरे अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क रखा जाता है। मद्रास में उत्पाद पाइप लाइनों के सम्बन्ध में पुलिस गश्त को और अधिक तेज करने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया है तथा अधिकारी और अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए सहमत हो गए हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन इस पर होने वाले खर्च को वापस करने पर सहमत हो गया है। रेल/सड़क पुलों से गुजरने वाली पाइप-लाइनों की सम्बद्ध रेलवे/राज्य सरकार प्रशाधनों द्वारा नियुक्त गाड़ी द्वारा रक्षा की जाती है।

जहां तक भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की पाइप लाइनों का सम्बन्ध है, जबकि वी०पी०टी० प्रशासन बम्बई में एक ओर लाइन की रक्षा करता है तेल कम्पनियां कोचीन में स्थित पाइप लाइनों पर निगरानी रखती है।

कोचीन शोधनशाला की पाइपलाइन भूमिगत हैं। कम्पनी का सुरक्षा स्टाक एवं परिचालन अमला (आपरेटिंग स्टाक) पाइप लाइनों की निरन्तर जांच करता है।

असम तेल कम्पनी की पाइप लाइनों की कम्पनी की सुरक्षा सेना के सदस्यों द्वारा गश्त लगाई जाती है।

कर्नाटक में रेडियो तथा टेलिविजन

2976. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक राज्य में रेडियो और टेलीविजन संबंधी कार्य के प्रकार तथा विकास के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : स्थायी स्टूडियों के साथ-साथ गुलबर्गा में सहायक केन्द्र का दर्जा बढाना पहले ही छठी योजना (1978-83) की स्वीकृत परियोजना है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य में प्रसारण के विस्तार और विकास के लिए निम्न-लिखित योजनाओं को संशोधित छठी योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है :—

(1) धारवार में ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाना

(2) भद्रावती और गुलवर्गा में स्थायी स्टूडियों के प्रावधान के साथ-साथ सहायक केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

(3) भरकेरा (कुर्ग) और कारवार में क्रमश: कम शक्ति वाले एम० एफ०/वी० एच० एफ० ट्रांसमीटरों के साथ स्थानीय रेडियो केन्द्रों की स्थापना।

इन योजनाओं का कार्यान्वयन संशोधित योजना की स्वीकृति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

2. जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, बंगलौर में पूर्णरुपेण दूरदर्शन केन्द्र और गुलबर्गा में कार्य-क्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना की कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कर लिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

2977. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में जनवरी, 1981 में आयोजित किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए फिल्म समारोह निदेशालय ने कितनी धनराशि मांगी है; और

(ख) मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ?

सूचना और प्रसारण उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 53.58 लाख रुपये।

(ख) 50 लाख रुपये।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

2978. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और उनके मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या-क्या कार्यक्रम हैं;

(ख) राज्य की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किन-किन गांवों का चयन किया गया है; और

(ग) उस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजनाओं का क्रियान्वित करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में 31 मार्च, 1980 तक 4,344 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था। वर्ष 1980-81 के दौरान, आदिवासी उप योजना के क्षेत्र में 585 अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम है जिसमें से 515 गांवों का विद्युतीकर, ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत किए जाने की आशा है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के अपने साधनों से 170 नए गांव आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकृत किए गए थे। बोर्ड के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए 70 गांवों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम है।

(ग) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन में देरी होने के कई कारण हैं। आदिवासी क्षेत्रों में गांव दूर-दूर बसे हैं तथा ये बहुधा थोड़ी सी झोपड़ियों के छोटे-छोटे समूहों में बिखरे हुए हैं तथा इसलिए स्ट्रीट लाइट घरेलू कनेक्शनों की कोई मांग नहीं है। पम्पसेटों की ऊर्जित करने के लिए भी इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की ओर से उदासीनता रही है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य बिजली बोर्ड ग्राम विद्युतीकरण निगम से ऋणों की आगे की किस्तें नहीं ले पा

रहा है। ये किस्तें निर्माण की निर्धारित समय सूची के अनुसार, वास्तविक प्रगति के आधार पर दी जाती हैं।

कुवैत द्वारा खनिक तेल की सप्लाई

2979 **श्री केशवराव पारधी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत भारत को खनिज-तेल की सप्लाई करने को सहमत हो गया है और यदि हां, तो किस आधार पर : और

(ख) कुवैत द्वारा किस मूल्य पर और कितने तेल की सप्लाई की जायेगी और यह सप्लाई कितनी किस्तों से की जायेगी तथा पहली किस्त कब तक प्राप्त होगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी हां। करार का कोई भी ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

राजस्थान में विद्युत उत्पादन और उसकी मांग

2980. **आचार्य भगवान देव** : क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में अब तक कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) वहां बिजली की मांग कितनी है;

(ग) क्या विद्युत उत्पादन के मामले में राजस्थान को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विद्युत केन्द्रों का अप्रैल से नवम्बर 1980 का कुल ऊर्जा उत्पादन 1244 मिलियन यूनिट है।

(ख) फिलहाल राजस्थान की मासिक की ऊर्जा मांग लगभग 400 से 450 विलियन यूनिट होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) राज्य में विद्युत को उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) राज्य में नई उत्पादन क्षमता को चालू करना। राज्य में फिलहाल निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। नीचे दिखाई गई समय-अवधि में इनसे लाभ प्राप्त होंगे—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	लाभ प्राप्ति 1980-85 के दौरान (मेगावाट)	लाभ प्राप्ति 1985-90 के दौरान (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	माही (जल विद्युत)	140	—
2.	कोटा (ताप विद्युत)	220	—
3.	अनपगढ़ नहर (जल विद्युत)		9
4.	कोटा विस्तार (जल विद्युत)		420
5.	देहर विस्तार (जल विद्युत)* (राज्य का हिस्सा)	66	—
6.	पोंग विस्तार (जल विद्युत)* (राज्य का हिस्सा)	70.2	—
	जोड़	496.2	429

*ये अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं हैं जिनमें राजस्थान भी भाग ले रहा है।

इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित की जा रही कुछ परियोजनओं से राजस्थान को विद्युत मिलेगी ।

(2) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में 220 मेगावाट की दूसरी यूनिट के सुस्थिर हो जाने से राज्य में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होगी। विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना विद्युत सप्लाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए निधियों की उपलब्धता, विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन, तथा मांग के प्रबंध के लिए किए गए उपायों पर निर्भर करेगी।

प्रयुक्त तेल की छानने की प्रक्रिया (फिलट्रोशन प्रोसैस) कानून सम्मत बनाना

2981. **श्री आर० एल० पी० वर्मा** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री प्रयुक्त तेल के इधर-उधर ले जाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में दिनांक 29 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रयुक्त तेल को छानने की प्रक्रिया (फिलट्रेशन प्रोसैस) को कानून सम्मत बनाने का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) दिल्ली की कितनी एककों नें अब तक सरकार के पास अपना पंजीकरण करा लिया है; और

(ग) पंजीकरण कार्यालय किस स्थान पर है और पंजीकरण की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री : (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) केवल दिल्ली की एक यूनिट ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था तथा आवेदन पत्र को तकनीकी उप-समिति के पास उनकी अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है।

(ग) पुनः शोधन में लगी हुई यूनिटों को आई० एस० आई० जो कि आवेदन प्राप्त करने तथा संसाधन कार्य में समन्वय करती है, की निर्धारित आवेदन पत्रों में आवेदन करना होता है। पूर्ण आवेदन पत्र इस कार्य के लिए गठित तकनीकी उप-समिति के पास भेज दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच, आई० एस० आई० प्रमाणीकरण इत्यादि और साथ ही तकनीकी उप-समिति द्वारा यूनिटों की प्रयोग किये हुए तेल के उच्च दरजे के पुनः शोधन के लिये सुविधाओं तथा उपलब्ध जानकारी की मौके पर जांच की जाती है। तकनीकी उप-समिति द्वारा सिफारिश किये जाने पर पेट्रोलियम मंत्रालय आवेदन पत्र पर निर्णय लेगा।

फिल्म संस्थान को कच्ची फिल्मों की सप्लाई

2982. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच कैलंडर वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा भारत में राज्य के स्वामित्व वाले फिल्म संस्थान को दी गई फुटमान कच्ची फिल्म का ब्यौरा क्या है; और

(ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इस कोटे का दुरुपयोग न किया जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने गत 5 वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म से निम्न-लिखित लम्बाई में फिल्में प्राप्त कीं —

वर्ष	35 मि० मी० की पाजिटिव फिल्म (फुटों में)	16 मि० मी० की पाजिटिव फिल्म (फुटों में)	35 मि० मी० साउंड नेगेटिव (फुटों में)	16 मि० मी० साउंड नेगेटिव (फुटों में)
1975	8,40,000	65,000	5,36,000	—
1976	2,00,000	2,29,000	—	—
1977	5,56,0 .0	2,60,000	75,000	—
1978	5,68,000	—	1,61, 00	8,000
1979	10,55,000	1,00,000	3,42,000	35,000
	32,19,000	6,54,000	11,14,000	43,000

(ख) कच्ची फिल्म एक नियंत्रित जिन्स नहीं है, अतः हिन्दुस्तान फोटो फिल्म यह सुनिश्चित

करने के लिए कोई कदम नहीं उठता है कि उनके द्वारा जारी किए गए फुटमान का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में कच्ची फिल्म की खपत उनकी शैक्षिक परिषद के मानदंडों द्वारा नियंत्रित होती है।

अध्यादेश

2983 श्री ए० के० राय
श्री अशफाक् हुसैन } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बीस वर्षों में केन्द्र ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं और उनका वर्षवार ब्यौरे सहित विवरण क्या है;

(ख) उक्त अवधि में बिना विचारण निरोध के संबंध में कौन-कौन से अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे और ये कौन-कौन से वर्ष में प्रख्यापित किए गए थे;

(ग) उसी अवधि में वर्षवार कितने अध्यादेशों को व्यपगत हो जाने दिया गया और कितनों को अधिनियम में परिवर्तित किया गया;

(घ) क्या जनवरी, 1980 में वर्तमान सरकार के आने के बाद से अध्यादेशों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों के ब्यौरे क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :

(क) वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1960	1
1961	3
1962	8
1963	कोई नहीं
1964	3
1965	7
1966	13
1967	9
1968	13
1969	10
1970	5
1971	23
1972	9
1973	4

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1974	15
1975	29
1676	16
1977	16
1978	6
1979	12

(ख) (1) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अध्यादेश, 1971 (1971 का 5);

(2) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 11);

(3) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 4);

(4) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 6);

(5) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 7);

(6) आन्तरिक सुरक्षा (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 16);

(7) आन्तरिक सुरक्षा (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 22);

(8) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 29);

(9) आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 5);

(10) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का 6);

(11) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 (1979 का 10);

(ग) उन अध्यादेशों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, विचाराधीन अवधि के दौरान प्रख्यापित सभी अध्यादेशों को अधिनियमों के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अध्यादेशों में से केवल थोड़े से अध्यादेशों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियमों या राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में संपरिवर्तित किया गया। शेष को संसद के अधिनियमों के रूप में संपरिवर्तित किया गया। उन अध्यादेशों का जिन्हें व्यपगत होने दिया गया, ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है :—

वर्ष	अध्यादेशों की संख्या
1976	1 (अध्यादेश सं० 14)
1977	5 (अध्यादेश सं० 1, 5, 6, 7 और 10)
1979	3 (अध्यादेश सं० 4 5 और 9)।

(घ) जी नहीं। 1980 में अभी तक 19 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं। 1971 और 1975 की तत्समान अवधियों में और अधिक आध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में भू-विज्ञान सर्वेक्षण

2984. **श्री के० वी० एस० मणि** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 10 वर्षों के दौरान तमिलनाडु के त्रिची जिले में कोल्ली मलाई हिल्स, अरियालुर, अन्डिमिदाऊ, पैरमबलुर और जयाकन्डम क्षेत्रों में भू विज्ञान सर्वेक्षण सहित कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्टों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कोई कार्यकाही की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण करने का कोई विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग त्रिची जिले के हिस्सों सहित काबेरी बेसिन में 1958 से विस्तृत भू-वैज्ञानिक एवं भू-भौतिकीय सर्वेक्षण कर रहा है।

(ख) इन सर्वेक्षणों से पता चला है कि आधार (बेसमेंट) कई हार्सटों तथा ग्रेबनों में विखंडित है तथा गहरे हिस्से चट्टानों से भरे हुए हैं जिनके ऊपर टरटीयेरी चट्टानें मोटी फान के रूप में अपतटीय क्षेत्र की ओर जमी हुई हैं। इसके अलावा चार संरचनाओं अर्थात् कारायेकल, मदनम, पण्डगालूर तथा कट्टूमअनारकोविल को अंकित किया गया है।

(च) इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या के आधार पर काबेरी बेसिन के तटीय क्षेत्र में कुल 28 कूप खोदे गए हैं। परन्तु हाइड्रोकार्बन के व्यापारिक आधार पर भण्डार नहीं पाए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव

2985. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तेल शोधक क्षमता को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार तेल शोधक क्षमता का ब्यौरा क्या है और तेल शोधक एककों की एकक बार प्रयुक्त क्षमता, प्रतिशतता सहित क्या है; और

(ग) इन एककों की तेल शोधक क्षमता के विस्तार के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। शोधन क्षमता के विस्तार के लिए तथा अतिरिक्त माध्यमिक संसाधन सुविधाओं (सैकेण्डरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज) में वृद्धि के लिए कई योजनाओं का अनुमोदन किया गया है या विभिन्न शोधनशालाओं में खनिज थ्रूपुट तथा मध्य आसुतों में वृद्धि के लिए इनको जांचा जा रहा है।

(ख) शोधन क्षमता, वास्तविक थ्रूपुट तथा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न यूनिटों के क्षमता के उपयोग की प्रतिशतत: का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) विभिन्न शोधनशालाओं में क्रूड थ्रूपुट तथा मध्य आसुतों में वृद्धि के लिए अनुमोदित की गई। जांची जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(1) **बी० पी० सी० एल०** : 0.6 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले दूसरे कैट० क्रैकर को लगाना जिससे क्रूड थ्रूपुट में अधिकतम 6.00 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी (अनुमोदित)।

(2) **सी० आर० एल०** : एक मिलियन मी० टन कैट क्रैकर को लगाना जिससे क्रूड थ्रूपुट में 4.5 मिलियन मी० टन की वृद्धि होगी (कैट० क्रैकर भाग का अनुमोदन कर दिया गया है)।

(3) **एम० आर० एल०** : क्षमता को 2.8 से 5.6 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जा रहा है। विस्तार योजना में 0.6 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता का कैट क्रैकर तथा अन्य आफसाइट सुविधाओं को स्थापित करना शामिल है। (अनुमोदित)

(4) **एच० पी० सी०** (विजाग) : आसवन क्षमता का 1.3 से 4.5 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष तक 0.6 मि० मी० टन प्रतिवर्ष कैट० क्रैकर क्षमता स्थापित कर विस्तार किया जा रहा है। (अनुमोदित)

(5) **बरौनी** : दूसरे डिलेड कोकर को लगाना जिससे मध्य आसुतों का उत्पादन 0.2 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष तक तथा एल० पी० जी० का उत्पादन 24,000 मी० टन बढ़ाया जाएगा। (अनुमोदित)

इन योजनाओं के अलावा एक 6 मि० मी० टन क्षमता वाली शोधनशाला का मथुरा में निर्माण किया जा रहा है। सरकार दो नई ग्रास रूट शोधनशालाओं—एक 6 मि० मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली पश्चिम तट पर मंगलौर के पास तथा दूसरी 3 मि० मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली उत्तर-पश्चिम में करनाल के पास, को स्थापित करने पर विचार कर रही है।

विवरण

शोधनशाला क्षमता उपयोग

1977-78, 1978-79 तथा 1980

शोधनशाला	1977-78			1978-79			1979-80		
	क्षमता***	वास्तविक थ्रूपुट	क्षमता उपयोग	क्षमता***	वास्तविक थ्रूपुट	क्षमता उपयोग	क्षमता***	वास्तविक थ्रूपुट	क्षमता उपयोग
	मि०मी०टन	मि०मी०टन	प्रतिशतता	मि०मी०टन	मि०मी०टन	प्रतिशतता	मि०मी०टन	मि०मी०टन	प्रतिशतता
दिग्बोई	0.5	0.54	108	0.5	0.52	104	0.5	0.41	82
गोहाटी	0.8	0.82	103	0.8	0.83	104	0.8	0 65	81
बरौनी	3.2	3.06	96	3.2	2.66	83	3.2	2.29	72
कोयाली	4.2	4.13	98	5.6*	5.25	94	7.0	6.71	96
वी०पी०सी०	5.0	4.51	90	5.0	4.69	94	5.0	4.82	96
एच० पी० सी०, बम्बई	3.0	2.90	97	3.0	2.80	93	3.0	3.13	104
सी० आर० एल०	3.0	2.93	98	3.0	2.86	95	3.0	2.87	96
एम० आर० एल०	2.7	2.62	97	2.7	2.76	102	2.7	1.82	104
एच० पी० सी०विशाख	1.3	1.31	101	1.3	1.33	102	1.3	1.10	85
हल्दिया	2.5	2 10	84	2.5	2.21	88	2.5	2.49	100
वी० आर० पी० एल०	—	—	—	0.15**	0.06	40	1.0	0.19	19
	26.0	24.92	95	27.75	25.97	94	30.0	27.48	92

*=विस्तार एकक को अक्तूबर, 1978 में चालू किया गया था।

**=फरवरी, 1979 में चालू किया गया था।

***=अनुमानित प्राप्त की जाने वाली क्षमता।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

2986. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए उड़ीसा राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कौन-कौन सी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और इन योजनाओं पर अनुमानित कितना व्यय होगा;

(ख) प्रत्येक मामले का समयावधि लक्ष्य क्या-क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के अधीन कितने गांवों का विद्युतीकरण हो जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 1979-80 और 1980-81 (30-11-1980) के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए ग्राम विद्युतीकरण द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के नाम, उनकी लागत, स्वीकृत की गई ऋणराशि तथा प्रत्येक स्कीम को पूरा किए जाने की सोपानबद्ध अवधि (अर्थात् अनुमानित लक्ष्य अवधि) विवरण-1 और 2 में दी गई हैं।

(ग) 1979-80 और 1980-81 के दौरान स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण निगम को स्कीमों के अन्तर्गत कुल मिलाकर 4,414 नए गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आशा है।

वर्ष 1979-80 के दौरान उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्कीमों के नाम, उनकी लागत, स्वीकृत ऋण, पूरा होने की सोपानबद्ध अवधि तथा प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांवों को दिखाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	जिला	लागत	स्वीकृत ऋण	पूरा होने की सोपानबद्ध	विद्युतीकृत किए जाने वाले नए गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिगपाहांडी	गंजम	49.781	13.080	1983-84	51
2.	असका	गंजम	34.737	9.102	1983-84	7
3.	बेलियापाल	बालासौर	22.870	7.281	1983-84	—
4.	बसुदेवपुर	—वही—	50.581	15.778	1983-84	76
5.	धेनकनाल	धेनकनाल	45.525	11.921	1983-84	11
6.	पुरी	पुरी	49.471	13.667	1983-84	9
7.	जयपुर	कटक	63.429	19.183	1983-84	55
8.	बस्ता	बालासौर	37.951	11.816	1983-84	48

1	2	3	4	5	6	7
9.	नक्तीदुइल	सम्भलपुर	32.775	31.951	1984-85	65
10.	बलियन्ता	पुरी	21.135	19.000	1984-85	70
11.	रैराखुल	सम्भलपुर	50.602	48.000	1984-85	89
12.	कनिहा	धेनकनाल	43.414	36.957	1984-85	93
13.	भुबन	—वही—	22.474	20.640	1984-85	48
14.	बहंगा	बालासौर	55.992	15.688	1983-84	67
15.	कोइंझार	कोइंझार	48.909	12.256	1983-84	—
16.	भुवनेश्वर	पुरी	45.679	12.024	1983-84	30
17.	भुवनेश्वर	पुरी	8.250	4.600	1980-81	—
18.	देराविसी	कटक	17.494	16.557	1984-85	69
19.	तेंतुलीखूंटी	बोलंगिर	26.939	25.341	1984-85	52
20.	बेनपुर	पुरी	34.444	31.299	1984-85	107
21.	जननी	पुरी	13.580	12.535	1984-85	46
22.	अंगुल	धेनकनाल	45.351	11.840	1983-84	17
23.	जयपुर	कटक	47.752	11.768	1983-84	24
24.	जगतपुर	कटक	16.528	16.373	1983-84	—
25.	पिपली	पुरी	20.687	18.257	1983-84	100
26.	पल्लाहार	धेनकनाल	44.678	39.732	1984-85	95
27.	रेयरल	सम्भलपुर	61.536	58.850	1984-85	111
28.	जूनागढ़	कालाहांडी	140.679	138.179	1983-84	—
29.	जालेश्वर	बालासौर	172.910	172.919	1983-84	—
30.	कोइंझार	कोइंझार	147.920	145.220	1983-84	—
31.	फुलबानी	फुलबानी	224.610	150.000	1983-84	—
32.	रेपुना	बालासौर	49.634	15.658	1983-84	162
33.	कटक	कटक	8.122	7.876	1983-84	83
34.	गंजम	गंजम	48.453	13.935	1983-84	11
35.	धेनकनाल	धेनकनाल	29.811	29.676	1983-84	—
36.	जेयपुर	कोरापुट	16.993	4.623	1983-84	34
37.	कालाहांडी	कालाहांडी	1.584	1.584	1980-81	33*
38.	बोलंगिर	बोलंगिर	2.270	2.270	1980-81	36*
39.	गंजम	गंजम	1.968	1.968	1980-81	70*
40.	जोदा	कोइंझार	77.762	76.931	1984-85	110
41.	लांजीगढ़	कोइंझार	66.495	65.348	1984-85	133
42.	बोउध	फुलबनी	82.882	79.964	1984-85	239

1	2	3	4	5	6	7
43.	काउन्टा	मयूरमंज	70.745	69.868	1984-85	194
44.	दरमंगा	फुलबानी	83.645	80.430	1984-85	192
45.	उदाला	मयूरमंज	59.464	58.604	1984-85	137
46.	कल्कागिरि	कोरापुट	39.806	38.884	1984-85	64
47.	मैथिली	कोरापुट	75.101	73.723	1984-85	122
48.	जामनीकेरा	सम्भलपुर	76.126	74.997	1984-85	136
49.	कुसी	मयूरमंज	53.829	52.600	1984-85	103
50.	जोदाझमपुरा	कोइंझार	34.574	33.765	1984-85	58
51.	लाठीकेता	सुन्दरगढ़	15.385	14 971	1984-85	34
52.	कोयरा	—वही—	54 304	53.286	1984-85	85
53.	रायगादा	कोरापुट	81.497	78.708	1984-85	214
54.	सदर	कालाहांडी	57.116	55.503	1984-85	99
55.	बेलिगुदा	फुलबानी	44.755	43.451	1984-85	101
56.	कोरापुट	कोरापुट	42.630	37.992	1984-85	58
57.	एम० रामपुर	कालाहांडी	54.341	53.056	1984-85	105
58.	तुम्डीबन्ध	फुलबानी	45.600	44.559	1984-85	90
59.	जयपुर	कोरापुट	31.654	29.548	1984-85	47
			3005.038	2345.583		4081

टिप्पणी : वर्ष 1979-80 के दौरान 59 स्कीमों के लिए ऊपर लिखे अनुसार 2345.583 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए जाने के अलावा निगम ने 5 निर्माणाधीन विशिष्ट पारेषण (एस टी) स्कीमों के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में 8 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं।

विवरण

1980-81 के दौरान उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के नाम, उनकी लागत, स्वीकृत ऋण, पूरा होने की सोपानबद्ध अवधि तथा प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांवों को दिखाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्र०सं०	स्कोप का नाम	जिला	लागत	स्वीकृत ऋण	नए गांव	अभ्युक्ति
1.	अंगुई	धेनकनाल	55.635	51.962	75	पहली किश्त अभी उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ली जाती है। ये स्कीमें शुरू किए जाने के बाद 4 से 5 वर्ष तक की अवधि में सोपानबद्ध रूप से पूरी की जाती हैं।
2.	जलेश्वर	बालासोर	40.658	12.701	158	
3.	लाहुनीपाड़ा	सुन्दरगढ़	41.566	39.736	100	
			137.858	104.399	333	

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण

2987. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पास फालतू बिजली है और इसके बावजूद इसके सभी गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की केरल में सभी गांवों के विद्युतीकरण में सहायता देने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केरल के पास फालतू बिजली है और मई 1979 तक इसके सभी गांव विद्युतीकृत हो चुके है तथापि प्रायः विद्युतीकरण निगम केरल में विशिष्ट परियोजना पेय जल एस० पी० डी०) कार्यक्रमों और विशेष परियोजना कृषि (एस०पी०ए०) कार्यक्रमों को धन दे रहा है, जो पम्पसेटों को अर्जित करने के लिए होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की क्रय नीति में परिवर्तन

2988. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की क्रय शक्तियां बाद में बढ़ गई हैं और सरकार की नीति भी हाल ही में बदल गई है।

(ख) सरकार द्वारा बनाई गई नीति में हाल ही में क्या परिवर्तन किया गया है; और

(घ) क्या यह उस बारे में अपनाई जाने वाली सही-सही प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी और सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इसका क्या विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास में मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा क्रय शक्तियों को हाल ही में बढ़ा दिया गया है। क्रय सम्बन्धी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अब दस प्रतिशत तक मूल्य-अधिपात का अधिकार दिया गया। जिन आइटमों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र ने 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत से अधिक के लिए योगदान दिया है, उन्हें इस आधार पर आरक्षण के लिए विचार किया जा रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद के लिए बड़ी संख्या में आइटमों को पहले से ही आरक्षित कर दिया गया है।

(ग) खरीद के लिए कार्यविधि पहले से ही निर्धारित की हुई है। यदि खरीद में कोई अनियमितता का मामला हो, तो सतर्कता शाखा द्वारा उसकी जांच की जाती है।

खानों से कोयला निकालने के लिए ब्रिटेन का सहयोग

2989. **श्री सुभाष यादव**
श्री नवल किशोर यादव } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैण्ड के एक उच्च शक्ति प्राप्त औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल ने नवम्बर, 1980 में भारत की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला खनन में सहयोग, लघु और बड़े शक्ति संयंत्र स्थापित करने आदि के सम्बन्ध में उनकी प्रतिनिधि मण्डल से कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो हम बातचीत में किन मुख्य विषयों पर सहमति हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य जम्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रतिनिधि मंडल से कोयला उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, कोयला क्षेत्रों में ग्रहीत बिजली घरों की स्थापना की संभावनाओं पर भी विचार किया गया था। चर्चा का स्वरूप केवल सामान्य ही था।

फजल समिति द्वारा सरकार कोल इंडिया लिमिटेड बन्द करने की सलाह

2960. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
श्री भीकू राम जैन } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि फजल समिति ने "कोल इंडिया लिमटेड" को सदा के लिए बन्द कर देने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, को तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सरकार को फजल समिति की रिपोर्ट अभी हाल ही में मिली है और उस रिपोर्ट की जांच हो रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल पम्प लगाना

2991. **श्री राम लाल राही** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्ववर्ती सरकार के इस निर्णय की जानकारी है कि किसी भी सड़क से 15 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में, जहां पहले से ही एक डीजल पम्प लगा हुआ है, कोई अन्य डीजल लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में, जी० टी० रोड संख्या 24 पर, खैराबाद सीतापुर के निकट अवध फिलिंग स्टेशन से केवल दो किलोमीटर दूर विद्यमान पैट्रोलियम अथवा किसी अन्य कम्पनी द्वारा

एक दूसरा नया डीजल पम्प लगाये जाने के क्या कारण हैं; और क्या पूर्ववर्ती नीति को बदल दिया है तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) विभिन्न क्षेत्रों पर नये खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के आयतन-दूरी के मापदण्डों में, अन्य बातों के साथ यह व्यवस्थित किया गया है कि राष्ट्रीय/राज्य राज्यमार्गों पर वर्तमान बिक्री केन्द्र (केन्द्रों) से 15 किलोमीटर के भीतर कोई एक नया बिक्री केन्द्र नहीं खोला जायेगा जब तक राजमार्ग पर 15 किलोमीटर के भीतर स्थित बिक्री केन्द्र की औसत मिली जुली थ्रुफुट 80 किलोमीटर से अधिक है। यह मानदण्ड वर्तमान बिक्री केन्द्र के पुनः स्थानीयकरण जिसे नया बिक्री केन्द्र नहीं माना गया है, पर लागू नहीं होंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि यह वर्तमान बिक्री केन्द्र का पुनः स्थानीयकरण है।

आकाशवाणी केन्द्र, मद्रास द्वारा नाटक का प्रसारण

2992. **श्री के० राममूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और तिरुनेलवेली के आकाशवाणी केन्द्रों ने ऐसे नाटकों का प्रसारण किया है जिसमें स्वर्णकारों की भावना को चोट पहुंचाई गई है;

(ख) क्या इस बारे में तमिलनाडु के स्वर्णकारों द्वारा शिकायतें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी, तिरूचिरापल्ली ने 26 जुलाई, 1980 को 5-8 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अभिप्रेत अपने कार्यक्रम में 'अनग्रेटफुल मैंन' की पंचतन्त्र कहानी (न कि नाटक) प्रसारित की थी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी, तिरूनेलवली द्वारा भी रिले किया गया था। इस कार्यक्रम को प्रसारित करके किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आकाशवाणी का कोई इरादा नहीं था। मद्रास केन्द्र ने इस प्रकार का कोई नाटक या कहानी प्रसारित नहीं की है।

(ख) जी हां।

(ग) आकाशवाणी, तिरूचिरापल्ली और आकाशवाणी महानिदेशक से भी व्यथित संस्थाओं को पत्र भेजे हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था।

इस घटना के बाद आकाशवाणी के सभी केन्द्रों को ये अनुदेश जारी किए गये थे कि वे ये सुनश्चित करें कि बच्चों और बहुत छोटे बच्चों से इस प्रकार के लेखों और अन्य लेखों को प्रसारित करने से पहले उनकी संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पूरी तरह जांच कर ली जाए।

ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड को कोयला खानों द्वारा अपने भण्डार रिकार्ड को अद्यतन बनाए रखना

2993. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अथोरिटी के अधीन आने वाली कोयला खानें अपने भण्डार के रिकार्ड को अद्यतन बनाए रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि उनके बुक स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में काफी अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लि० के केन्द्रीय भंडार-ग्रह और क्षेत्रीय भंडार-गृह लेखा-एककों का भी काम करते रहे हैं और भंडार सामग्री के खातों का हिसाब रखते रहे हैं। कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह खाते अद्यतन हैं। कोलियरियों में रखी गई भण्डार सामग्री दिन-प्रति-दिन के उपभोग के लिए होती है और इसके लिए केवल संख्यात्मक खाते (न्यूमरिकल लेजर्स) / बिन कार्ड ही रखे जाते हैं। कुल 114 कोलियरियों में से, 104 कोलियरियों में रिकार्ड अद्यतन हैं और शेष 10 कोलियरियों में रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं और उनके दिसम्बर, 1980 के अन्त तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

(ए) ऐसा कोई आरोप नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज सलाहकार स्थिति की सिफारशों पर ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी के विचार

2994. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह अखबारी कागज सलाहकार समिति की सिफारशों पर कार्यवाही न करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

सूचना और प्रसारण उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

बम्बई हाई के नये संकुल से तेल

2995. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई संकुल "एम० ए०" की सेवाओं के कारण बम्बई हाई परियोजना के दक्षिणी भाग से पहली बार तेल निकालना शुरू हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस नये 'संकुल' के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1980 में बम्बई हाई दक्षिण में एस० ए० प्लेटफार्म समूह के चालू होने से खनिज तेल का उत्पादन 1,0',000 बी० ओ० पी० डी० या पांच मिलियन टन प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 1,20,000 बी० ओ० पी० डी० या 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गया है।

विद्युत संयंत्र

2996. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत संयंत्रों को लगाए जाने के संबंध में ऐसी घोषणा करने की एक विशेष प्रवृत्ति चल पड़ी है कि अमुक संयंत्र को अमुक वर्ष के मार्च माह में लगा दिया गया है जबकि सचमुच में संयंत्र को काफी विलम्ब से लगाया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत एकक प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को अपनी क्षमता में 1000 से 1500 मेगावाट की वृद्धि करने की घोषणा करती है जब कि यह वृद्धि वास्तव में हो नहीं पाती है;

(ग) क्या अधिकांश प्रमुख तापीय विद्युत संयंत्रों के मामले में उपरोक्त बातें सही बैठती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया को रोकेगी और इसे अधिक वास्तविक तथा यथार्थ बनाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य (श्री क्रिमव महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) किसी भी विद्युत उत्पादन यूनिट में वास्तविक रूप से कार्यों के पूरा हो जाने के बाद सुस्थिर होने में यूनिट काफी समय लेता है। जब कोई ताप विद्युत यूनिट चालू किया जाता है तब यह कुछ दिन चलाया जाता है और उसके बाद उसे बियरिंग आदि की जांच के लिए बन्द कर दिया जाता है ताकि यूनिट को समुचित रूप से चालू करने के लिए यथा निर्धारित विभिन्न संघटकों की जांच कर ली जाए। रोलिंग (समकालित किए जाने से पहले की स्थिति) करने के बीच का अन्तर, कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक अलग-अलग होता है जो संबंधित यूनिट की प्रारम्भिक कठिनाइयों पर निर्भर करता है।

शोध 'चलचित्र'

2997. **प्रो० निर्मला कुमारी शाक्यावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस आलोचना की जानकारी है कि 'शोध' चलचित्र भारतीय जनता के मस्तिष्क पर देश की गरीबी के बारे में अतिशयोक्ति पूर्ण छाप छोड़ता है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि इस तरह से चलचित्र विदेशों में भारत की गरीबी के बारे में गलत भ्रान्ति पैदा करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि इस चलचित्र में दिखाई गई गरीबी देश के किसी भी भाग में नहीं हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का है जो दर्शकों के दिमाग में भ्रान्ति पैदा करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की जाती हैं। अधिनियम की धारा 5 (ख) में निर्दिष्ट बातों, जो संविधान के अनुछेद 19 (2) पर आधारित है, के आधार पर ही किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उसमें कांटछांट करने का आदेश दिया जा सकता है। फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्म की जांच भारत में प्रदर्शन के लिए उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखकर करता है और उसको निर्बन्धित या अनिर्बन्धित दर्शकों के लिए प्रमाणीकृत करता है। बोर्ड इस बात का ध्यान रखता है कि ऐसी कोई चीज पास न हो जो मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपत्तिजनक हो। तथापि, फिल्में संवेदनशील सामग्री है और उनका प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न-भिन्न होता है जो उनकी शिक्षा, मनोवृत्ति, वातावरण आदि पर निर्भर करता है। इसलिए यह प्रश्न कि फिल्म 'शोध' में गरीबी का बढ़ा-चढ़ा कर चित्रण किया गया है या नहीं, एक ऐसा मामला है जिस पर अपने-अपने मत हो सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि फिल्म 'शोध' की 24वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में 'सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार' दिया गया है।

अलकोहल पर आधारित उद्योगों में संकट

2998. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलकोहल की कमी के कारण इस पर आधारित उद्योग की 60 प्रतिशत क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है।

(ख) क्या यह भी सच है कि देश भर में फैले 250 बड़े एककों में से कोई भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को हल के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) ज्ञात होता है कि प्रश्न अल्कोहल उद्योग में क्षमता उपयोग से सम्बन्धित है। भारत में 666.5 मिलियन लीटर की संयुक्त संस्थापित क्षमता की 120 आसवनियां है अल्कोहल वर्ष 1979- 0 में 355-09 मिलियन लीटर अल्कोहल के उत्पादन का अनुमान है परिणामस्वरूप अल्कोहल उद्योग का कुल क्षमता उपयोग लगभग 53 प्रतिशत है। चीनी के उत्पादन में गिरावट, इसके परिणाम स्वरूप चीनी वर्ष 1979-80 में सीरे के उत्पादन में गिरावट के कारण कम क्षमता उपयोग रहा।

(ग) दिनांक 11-11-80 को हुई सीरा बोर्ड की बैठक में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि :

(1) अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करें।

(2) चीनी मिलों द्वारा सीरे के लिए पर्याप्त और उचित भंडारन सुविधाओं के सृजन में तेजी लाई जाये ;

(3) अल्कोहल के उत्पादन के लिए खांडसारी सीरे के प्रयोग का बढ़ावा दें।

पौलियस्टर का उत्पादन और मांग

3000. **श्री माधवराय सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौलियस्टर कपड़ों की देशीय खपत तथा निर्यात-सम्भावनाओं में वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार पौलिस्टर फिलामेंट धागे की उत्पादन क्षमता में काफी विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो देश में पौलियस्ट रका अनुमानित उत्पादन यथा मांग कितनी है और चालू वर्ष में इसका कितना निर्यात होना है; और

(ग) इस क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है, शामिल किये जाने वाले नये एककों का ब्यौरा क्या है और वर्तमान एककों का कितना विस्तार किया जाना मंजूर हुआ है अथवा करने पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां,।

(ख) 20,000 मीट्रिक टनों से अधिक की अनुमानित मांग की तुलना में इस समय पौलियस्टर फिलामेंट यार्न का वार्षिक उत्पादन 9000 मीट्रिक टन के आस पास है। निर्यात अधिकतर वस्त्रों के रूप में होता है।

(ग) यह मामले विचाराधीन हैं।

सभी कोयला खान श्रमिकों को आवास सुविधाएं

3001. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान श्रमिकों को शत-प्रतिशत आवास सुविधा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयला खान कामगारों के लिए हर साल अतिरिक्त मकान बनाए जा रहे हैं किन्तु आवास समस्या के शत-प्रतिशत संतोष के लिए 4.2 लाख मकान बनाने पड़ेंगे जिसके लिए 674 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। मकान निर्माण की प्रगति इस काम के लिए उपलब्ध धन राशि के ऊपर निर्भर करेगी।

घटिया स्तर की कीटनाशक दवाओं की खरीद

3002. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उल्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीदी हुई और भेजी गई घटिया किस्म की कीटनाशी दवाओं के भण्डारण पर प्रतिमास किराये के रूप में हजारों रुपए खर्च किये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने 6 करोड़ रुपए मूल्य के घटिया किस्म की मलेरिया के सौदे पर प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि घटिया किस्म के वी० एच० सी० 50% डब्लू० डी०पी०और मलेशियन 25% डब्लू०डी०पी० के भण्डार को रखने के लिए जो कि दिसम्बर 1977 से महाराष्ट्र राज्य में रखा हुआ है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिमास किराया दिया जा रहा है। उसके ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को सूचित किया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह सच नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन द्वारा अलकोहल के मूल्य बढ़ाने का अनुरोध

3003. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने अलकोहल के मूल्य में वृद्धि करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है ताकि इस उद्योग के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां। इथाइल अलकोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश में संशोधन करके 25 अगस्त, 1980 से इथाइल अलकोहल के मूल्यों में वृद्धि की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल, ईंधन और परिवहन की लागत में वृद्धि को पूरा करने की दृष्टि से अलकोहल के मूल्य में और वृद्धि की अनुमति देने के लिए आल इंडिया डिसटीलर्स एसोसियेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति

3004. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी को विज्ञापन सेवा में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स की नियुक्ति की जाती है लेकिन केन्द्रों में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विज्ञापन केन्द्रों में भी प्रोड्यूसरों की नियुक्ति करने का है; और

(घ) केन्द्रों में नियुक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तथा स्टेशन डायरेक्टर के कृत्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी, हां।

(ख) विज्ञापन प्रसारण सेवा मूल रूप से कार्यक्रम तैयार करने का कार्य सीमित है और उसमें कार्य मुख्यतया प्रशासनिकता और जन सम्पर्क के स्वरूप का है जिसमें विज्ञापकों के साथ संपर्क रखने और स्पाटों की कार्यक्रम-सूची बनाने आदि का काम शामिल है। इसलिए इन केन्द्रों पर प्रोड्यूसरों को लगाना उचित नहीं समझा जाता हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भावी विज्ञापकों के प्रश्नों का समझदारी से उत्तर देकर, एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करके, एजेंसियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले रिकार्ड किए हुए स्पाटों को सुनकर उन्हें अनुमोदित करके, अग्रिम भुगतान का ठीक होना आदि सुनिश्चित करके विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्रों को सौंपे गए व्यवसाय को प्राप्त करने में मदद करने सहित, सेवा का दक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का कार्य हाथ में लेना है।

(ङ) केन्द्र निदेशक को विज्ञापन यूनिट के लेखा और प्रशासन पर नियन्त्रण रखने के अलावा विज्ञापन समय का एक निश्चित कोटा बेचने का काम भी सौंपा गया है। समय की बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, उसके विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी सभी मामलों पर विज्ञापकों और एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना होता है। वह कर्मचारियों द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों योजना, प्रस्तुतीकरण, समन्वय और नियन्त्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रसायन विभाग के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियां

3005. **श्री तारिक अनवर**
श्री केशवराव पारधी } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन विभाग के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक कम्पनी का मुख्य उत्पाद क्या है;

(ख) उनमें से औषध और भेषज कम्पनियों के नाम आदि का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1974 से 1979 और 1980 के दौरान, वर्ष-वार इन कम्पनियों द्वारा किये गये आयात और निर्यात का कम्पनी-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1974 से 1979 के दौरान वर्ष वार, इन कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजे गये लाभ, लाभांश, रायल्टी, तकनीकी शुल्क, ब्याज आदि की राशि का कम्पनी-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) और (ख) औषधों और भेषजों के निर्माण में लगी हुई फेरा कम्पनियों के ब्यौरे संलग्न **विवरण पत्र में दिए गए हैं (अनुबन्ध—1) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1540/80]।** जिन देशों में इन कम्पनियों की पूरक कम्पनियां स्थित हैं उनके नाम प्रत्येक कम्पनी के सामने दिए गए हैं। औषधों और भेषजों को छोड़कर रसायनों के निर्माण में लगी हुई फेरा कम्पनियों के बारे में इसी प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) मात्रा और मूल्य को दर्शाने वाले मद-वार ब्यौरे महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यकी, कलकत्ता द्वारा अपनी मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ फोरेन ट्रेड, खण्ड I और II (निर्यात और आयात) नामक पुस्तक में प्रकाशित किए जाते हैं।

(घ) औषधों और भेषजो से संबंधित कम्पनियों के बारे में अपेक्षित सूचना को देने वाला एक विवरण-पत्र अनुबन्ध पर संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी —1540/80]**

फार्मलेटेड खरपतवार तथा घास-पात नाशक पदार्थों का आयात

3006. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा चाय के निर्यात में वृद्धि किये जाने की दृष्टि से इस शताब्दी के अन्त तक तैयार की हुई चाय का 15,000 लाख किलोग्राम उत्पादन करने का चाय उद्योग का लक्ष्य सरकार द्वारा चाय के छोटे पौधों और विशेषकर से 5 वर्ष तक के पौधों के लिए अत्यन्त आवश्यक फार्मूलेटेड खरपतवार तथा घास-पात नाशक पदार्थों के आयात तथा साथ ही उनके भारत के सूचीकृत किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण कम हो गया है;

(ख) क्या सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले चाय उत्पादन को हानि पहुंचाने वाला प्रतिबन्ध जारी रहेगा जबकि उर्वरकों तथा अन्य निविष्टों का आयात किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो चाय उद्योग के लिए हानिकारक नीति क्यों जारी रखी जा रही है;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) टी बोर्ड ने इस शताब्दी के अन्त तक 1200-1400 मिलियन किलोग्राम चाय के उत्पादन की सापेक्ष योजना बनाई है। समेत फार्मुलेटड कोटनाशी पर प्रतिबन्ध है, उनके आवश्यकता अनुसार सरकारी क्षेत्रीय एजेन्सियों के माध्यम से आयात की व्यवस्था है और इसलिए चाय-उद्योग के खरपतवार नाशी और हर्बीसाइड्स की अपेक्षित मात्रा का आयात सरकारी क्षेत्रीय एजेन्सियों के माध्यम से किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल/गैस/कोयला पर आधारित उर्वरक परियोजनाएं

3007 **प्रो० मधु दण्डवते** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में तेल, गैस और कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी है;

(ख) पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने के पश्चात इन तीनों प्रकार के उर्वरक संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन पर क्रमशः कितनी-कितनी राशि खर्च हुई; और

(ग) भविष्य में ईंधन के खर्च में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विभिन्न प्रकार के फीड-स्टाक का प्रयोग करने वाले नाइट्रोजन उर्वरक प्लांटों की संख्या निम्न प्रकार है— :

प्रयुक्त फीड स्टाक	प्लांटों की संख्या
नैफथा	14
गैस	5
नैफथा/गैस	1
नैफथा कोक/ओवल गैस	1
कोक	1
इलैक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन	1
ईंधन तेल/ एल० एस० एच० एस०	5
कोयला	2

(ख) हाल ही में जून 1980 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में हुई वृद्धि से उर्वरक उत्पादन के लिये प्रयुक्त केवल नैफथा पर प्रभाव पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप एक टन यूरिया के उत्पादन के लिये प्रयुक्त नैफथा के खर्च में औसतन 285 रुपये की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का गैस पर आधारित अथवा कोयले पर आधारित उर्वरक प्लांटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की आयात लागत में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित उर्वरक प्लांटों के फीडस्टाक के खर्च में बचत करना कठिन है। तथापि प्लांटों द्वारा अपनी खपत क्षमता को अनुकूलतम बनाये रखने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उर्वरक उत्पादन के लिए प्रयोग किये गये पेट्रोलियम उत्पादों का अधिकतम प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा, सरकार इस समय बम्बई हाई/बसीन संरचनाओं से उपलब्ध गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट स्थापित करने पर अधिक जोर दे रही है।

राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

3008 **श्रीमती संयोगिता राणे**
श्री के० राम मूर्ति
डा० ए० यू० आजमी } : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन इस वर्ष नवम्बर में नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) देश में विद्युत उत्पादन में सुधार और वृद्धि करने के लिए क्या कारगर कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन 14.11.1980 को हुआ था तथा अन्य क्षेत्रों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन 15.11.80 को हुआ था।

(ख) यह सम्मेलन मुख्यतः, प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में बिजली सप्लाई की स्थिति पर विचार-विमर्श करने और 1980-81 और 1981-82 के दौरान नई परियोजनाओं को चालू किए जाने के बाबत प्रगति की समीक्षा करने के लिए बुलाया गया था। संक्षेप में, सम्मेलन में निम्नलिखत पर विचार-विमर्श हुआ था :—

(1) अप्रैल से अक्तूबर, 1980 के दौरान विद्युत उत्पादन की समीक्षा।

(2) नवम्बर, 1980 से जून, 1981 की उत्पादन योजना।

(4) परियोजनाओं को चालू किए जाने की समीक्षा।

(4) मांग प्रबंध।

(5) ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सुधार तथा नवीकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा।

(6) कोयले की सप्लाई संबंधी समस्याएं।

(7) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० और इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा द्वारा उपस्करों की सप्लाई संबंधी समस्याएं।

(8) रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई संबंधी समस्याएं।

(ग) देश में ऊर्जा उत्पादन में और सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए तथा किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना।

(2) नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चाल करना।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त यात्रा में तथा उचित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई करना।

(4) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(5) पारेषण तथा वितरण प्रणालियों में हानियों को कम करना।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा तीसरे वेतन आयोग के वेतनमानों की क्रियान्विति

4009. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग के वेतनमानों से चयन करने के लिए 1978 में गठित विभागीय समिति का प्रतिवेदन क्या है;

(ख) यदि उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कितने सही सही समय में समिति द्वारा उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की आशा है; और

(ग) यदि प्रस्तुत कर दिया गया है तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की उस समिति की सिफारिशें क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग के वेतनमानों से चयन करने के लिए कोई विभागीय समिति गठित नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के लिए स्थान

10

30.0 **श्री एन० नन्जे गोडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई तथा दिल्ली दूरदर्शन केन्द्रों के तकनीकी विशेषज्ञों ने बंगलौर शहर में दूरदर्शन केन्द्र के लिये छः वैकल्पिक स्थान इंगित किये हैं; और

(ख) बंगलौर शहर में कब तक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित हो जायेगा और इस प्रयोजन के लिये कौन सा स्थल चुना गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) प्रादेशिक इंजीनियर आकाशवाणी (दक्षिण) ने दिल्ली से दूरदर्शन के इंजीनियरों के साथ स्थान सर्वेक्षण किया था और बंगलौर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए कुछ वैकल्पिक स्थान इंगित किए थे।

(ख) बंगलौर शहर में दूरदर्शन सेवा 1983-84 तक उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। जय-महल रोड का एक स्थान इस समय विचराधीन है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

3011 **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों के विद्युतीकरण सहित दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बहुत सी प्रमुख परियोजनाओं में पर्याप्त विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संथान के पास नए कनेक्शनों के लिए बहुत से आवेदन पत्र लम्बे अर्से से अनिर्णीत पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है और इन्हें पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) नए कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं और वे कितनी अवधि से अनिर्णीत पड़े हुए हैं और इनको न निपटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण इनकी लागत में अनुमानत कितनी वृद्धि हुई है और इन्हें शीघ्रता से पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों के विद्युतीकरण को बहुत महत्व देती है। दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों के सामान्य विद्युतीकरण के कार्य के क्रियान्वयन में कोई देरी नहीं हुई है। तथापि, कुछ अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई है।

(ख) पुनर्वास कालोनियों में नए कनेक्शनों के लिए अप्रैल से नवम्बर, 1980 के अन्त तक लगभग 24000 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 18000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा शेष 6000 कनेक्शन क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में यूनिट 2, 3 तथा 4 के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की तथा 66 के० वी० पारेषण लाइनों की व्यवस्था करने संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में थोड़ी सी देर हुई है। इन्द्रप्रस्थ केन्द में अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में परियोजना में देरी का कारण आयतित सामग्री की बम्बई से दिल्ली तक ढुलाई में हुई देरी तथा इस्पात का उपलब्ध न होना है। 66 के० वी० पारेषण लाइनों में देरी, ठेकेदार द्वारा टावर संबंधी सामग्री की सप्लाई न लिए जाने के कारण हुई।

(घ) पुनर्वास कालोनियों के लिए नवम्बर, 1980 के अन्त तक नए कनेक्शनों के लिए लम्बित कुल आवेदन लगभग 6000 थे। आवेदनों के लम्बित होने की अवधि नीचे दी गई है :—

एक महीने से कम अवधि के लिए लम्बित आवेदन	4,500
एक महीने से अधिक अवधि के लिए लेकिन 3 महीने से कम के लिए लम्बित	1,400
तीन महीने से अधिक	100
कुल	6000

(ङ) इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की व्यवस्था के बारे में लागत में वृद्धि नहीं हुई है। 66 के० वी० पारेषण लाइनों के कार्य की लागत में 2.27 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को लम्बित कार्य को तेजी से पूरा करने की सलाह दी गई है।

पेट्रोल/डीजल स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

3012. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, स्थान-वार, तिथिवार और राज्य-वार किन पार्टियों (व्यक्तियों) को पेट्रोल पम्प स्टेशन और डीजल पम्प स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और इन फिलिंग स्टेशनों के आबंटन में क्या मानदण्ड अपनाया गया ; और

(ख) उन पेट्रोल पम्प अथवा डीजल पम्प स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनके लाइसेंस, इसी अवधि के दौरान उनके मालिकों अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दिए गए थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) डीजल/पेट्रोल पम्प की डीलरशिपें प्रदान की गई पार्टियों (व्यक्तियों) के नाम स्थान नियुक्त तिथि आदि सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। इस विशाल वास्तविक और सांख्यिकीय सूचना को एकत्र/समेकित करना खर्चीला और समय लगाने की प्रक्रिया है इनका रिकार्ड सम्बन्धित तेल कम्पनियों में रखा जाता है। डीलरशिपों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये जाते हैं :

प्रभावी नीति/मार्गदर्शन के अनुसार जून, 1980 तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की सभी प्रकार की 25 प्रतिशत एजेंसियों अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत अपाहिज व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाती थी और शेष 73 प्रतिशत वाणिज्यिक आधारों पर प्रदान की जाती हैं, वास्तवित और कुशल सहकारी समितियों और एग्रो इंडस्ट्रीज निगमों को वरीयता दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को नई एजेंसी नहीं प्रदान की जायेगी यदि उसकी अथवा उसके निकट सम्बन्धी जैसे उसके पति/पत्नि, पिता, भाई अथवा पुत्र के पास किसी भी तेल कम्पनी की एजेंसी है सम्बन्धित क्षेत्र में परिचालन समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र मंगाकर सभी नियुक्तियां की जाती हैं। सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा इस उद्देश्य से विधिवत गठित चयन समिति द्वारा व्यक्तियों का चयन किया जाता है।

(ख) अपेक्षित सूचना सकत्र की जा रही और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मिट्टी तेल के लिए थोक व्यापारियों और ऐजेंटों की नियुक्ति

3013. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल के लिए लाइसेंसिंग आर्डर जारी करने के बाद भी थोक व्यापारियों तथा एजेंटों को नियुक्त करने का अधिकार अभी भी सभी राज्यों की तेल कम्पनियों के पास है जबकि सीमेंट के स्टाकिस्टों की नियुक्ति के लिए कम्पनियों के ऐसे ही अधिकार वापस ले लिए गए हैं और यदि हां, तो मिट्टी तेल के मामले में ऐसी ही वितरण प्रणाली लागू न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मिट्टी तेल के वितरण को 20 सूत्री कार्यक्रमों में शामिल करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जबकि मिट्टी के तेल के लिए वितरक तेल कम्पनियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उपरोक्त वितरकों को थोक बिक्री के लिए लाइसेंस सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं मिट्टी के तेल के वितरकों की नियुक्ति, तेल कम्पनियों जिनमें से अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति तथा प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। चूंकि वर्तमान व्यवस्था सही तरीके से कार्य कर रही है व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

(ख) मिट्टी का तेल आवश्यक वस्तु है तथा नियंत्रित मूल्यों पर उत्पाद के समुचित वितरण के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं ;

ऊर्जा स्रोत बढ़ाने के लिए ज्वलनशील गैस के बारे में अनुसन्धान

3014. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गम्भीर ऊर्जा सर्कट की पृष्ठभूमि में समूचे देश, विशेषकर, डेल्टा सम्बन्धी क्षेत्रों में फैले हुए कुओं, नलकूपों, कीचड़ वाली भूमि और इसी प्रकार के निगम स्थलों में ज्वलनशील गैस मिलते अनेक समाचारों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है ; और

(ख) क्या अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर और फैले हुए क्षेत्र पर सक्षम अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में स्वल्प तथा फिलीन गैस प्रौद्योगिकी का विकास करने के तरीकों के प्रयोग करने के लिए अनुसन्धान और विकास सुविधाओं का विकास करने पर सरकार से विचार किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : समय-समय पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को विभिन्न स्रोतों से देश के विभिन्न भागों से गैस और तेल मिलने के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं और ऐसे मामलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थल पर जांच करता है और साथ ही एकत्र किए नमूनों को प्रयोगशाला में विश्लेषण भी करता है। अपने कार्यकलाप के क्षेत्र में, आयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रो-कावेन्स के किसी प्रकार की विद्यमानता पर बिना ध्यान दिए उसे छोड़ देने की अनुमति नहीं दी यद्यपि यह महत्वपूर्ण नहीं था।

(ख) देश के पेट्रोलियम साधनों के विकास की दिशा में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुसन्धान और विकास प्रयास किये जाते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कितनी घुली गैस (दलदल (गैस) की विकसित करने के तरीकों पर कोई अनुसन्धान और विकास कार्य नहीं कर रहा है।

दिल्ली के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की घड़ियां

3015. **श्री हीरा लाल**
श्री आर० परमार } क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की घड़ियां हमेशा अलग-अलग समय बताती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन के कई दर्शकों ने इस संबंध में शिकायतें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों केन्द्रों के एक ही स्थान पर स्थित होने के बावजूद दोनों केन्द्रों की घड़ियों द्वारा भिन्न-भिन्न समय दिखाये जाने के क्या कारण हैं और क्या इस गलती को दूर किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जहां तक आकाशवाणी का बंध है इन घड़ियों का ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा प्रसारित समय सिगनलों और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा प्रसारित परमाणु सैनिक समय सिगनलों के साथ नियमित रूप से मिलान किया जाता है इस प्रकार, आकावाणी द्वारा घोषित और प्रसारित समय सिगनलों को भारतीय मानक समय के साथ मिलाया जाता है।

दिल्ली दूरदर्शन का डिगीटल घड़ी को प्रतिदिन 17.00 बजे से 17.30 बजे के बीच आकाशवाणी दिल्ली की बड़ी घड़ी के साथ मिलाया जाता है और इसके द्वारा सही समय देने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि यह संभावना है कि कुछ अवसरों पर इन घड़ियों में कुछ सैकेण्डों का अन्तर दिखाई पड़ा हो। यह अन्तर कुछ सैकेण्डों तक ही सीमित हो सकता है। यह सही समय के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए घड़ियों को प्रतिदिन मिलाया जा रहा है।

बरौनी और बोंगई गांव में बन्द पड़े तेलशोधक कारखाने

3016. **श्री जगपाल सिंह** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम आन्दोलन के कारण बरौनी और बोंगईगांव स्थित तेलशोधक कारखाने बन्द पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप नेफथा, मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जैसे पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कितनी हानि हुई है; यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जबकि गोहाटी एवं दिग्बोई शोधनशालाओं में असम आन्दोलन के कारण रुक-रुक कर कार्य हो रहा है, बोंगाईगांव एवं बरौनी शोधनशालाएं दिसम्बर, 1979 के अन्त/जनवरी, 1980 के शुरू से बन्द पड़ी है। जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 के अन्त तक दिग्बोई, गोहाटी, बोंगईगांव तथा बरौनी शोधनशालाओं में असम में आन्दोलन के कारण कुल अनुमानित 3.5 मि० मी० टन क्रूड थ्रूपुट की हानि हुई है। विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में हुई अनुमानित हानि तथा औसत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सन्दर्भ में उनकी कुल कीमत इस प्रकार दी गई है :

उत्पाद	मात्रा (000 मी० टन)	मूल्य (रुपये/करोड़ों में)
एम० एस/नेफथा	601	168.28
ए० टी० एफ०/मिट्टी का तेल	276	77.28
एच० एस० डी०/एल. डी० ओ०	1480	390.72
एफ० ओ०/एल० एस० एच० एस०	542	82.38
अन्य उत्पाद	285	45.60
जोड़ (सभी उत्पाद)	3184	764.26
ईंधन और हानियां	266	—
कुल क्रूड थ्रूपुट	3420	

इसी समय में बरौनी तथा बोंगाईगांव शोधनशालाओं में क्रमश: 2.676 मि० मी० टन तथा 0.45 मि० मी० टन क्रूड थ्रूपुट की हानि हुई है।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के नाम

3017. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले पर आधारित ऐसे कौन-कौन से उर्वरक संयंत्र हैं जो वाणिज्यिक उत्पादन के आधार पर कर रहे हैं; और

(ख) कोयले पर आधारित ऐसे कितने और कौन-कौन से उर्वरक एकक हैं, जिनमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान काम शुरू हो जाने की आशा है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में रामगुण्डम में और उड़ीसा में तालचर के कोयले पर आधारित दो उर्वरक प्लांटों ने दिनांक 1 नवम्बर, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया।

(ख) शून्य।

कोयला खानों में चिकित्सा सुविधायें

3018. **श्री कमल नाथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयला खानों में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए इन अपर्याप्त सुविधाओं को दूर करने लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के बाद,

उस समय उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं में 98 औषधालय और 5 अस्पताल बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा, अस्पतालों में 344 डाक्टर (विशेषज्ञों सहित) और 536 बिस्तर भी बढ़ाए गए हैं और इनके अलावा विभिन्न कोलियरियों में 187 रोगी वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

इन सुविधाओं के अतिरिक्त, कोयला खान कल्याण संगठन कुछ और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है जिनमें 3 केन्द्रीय और 12 प्रादेशिक अस्पताल हैं— इन अस्पतालों में कुल 1136 बिस्तर हैं। कुछ अन्य बिस्तर तपेदिक कुष्ठ और मानसिक रोगों के रोगियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं अथवा उनकी व्यवस्था की गई है। इस संगठन ने 29 आयुर्वेदिक औषधालय तथा मलेरिया उन्मूलन के लिए 7 सब-यूनिट भी स्थापित किए हैं। छिंदवाड़ा और सिदावारी ने दो कृत्रिम अंग केन्द्र भी स्थापित किए हैं।

चिकित्सा सुविधाएं राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-2 के अधीन और भी बढ़ाने का प्रस्ताव है—जैसे :

(1) प्रत्येक कोलियरी में पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारियों और अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के साथ औषधालय उपलब्ध कराना।

(2) रोगी वाहन उपलब्ध कराना ताकि गम्भीर/आपात मामलों में रोगियों को अस्पतालों/औषधालयों तक शीघ्रता से पहुंचाना सुनिश्चित हो जाए।

(3) वर्ष 1082 तक कोयला कम्पनियों और कोयला खान कल्याण संगठन के अस्पतालों में अन्तरंग भर्ती मरीजों के लिए अधिक बिस्तर ताकि अनुपात प्रत्येक 160 कर्मचारियों के लिए एक बिस्तर का हो जाए।

(4) एक प्रादेशिक अस्पताल जिसमें 100 या उससे अधिक बिस्तर हों और विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध हों।

(5) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० इन दोनों कम्पनियों में एक-एक सुसज्जित केन्द्रीय अस्पताल जिसमें विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हों।

यह सुविधाएं कोयला कम्पनियों के ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी उपलब्ध हैं जो आदिवासी इलाकों के हैं।

पैट्रोलियम बचत अनुसन्धान संगठन द्वारा सुझाव

3019. **श्री चतुर्भुज :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम बचत अनुसन्धान संगठन ने कुछ कुशल चालन पद्धतियों तथा वाहनों के अच्छे रखरखाव के सुझाव दिए हैं जिनके कारण भारत तेल की कुल खपत में 6 प्रतिशत बचत कर सकता है; और

(ख) सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं, सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकारी वाहनों के लिए यदि कोई आदेश जारी किए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) पैट्रोलियम संरक्षण अनुसन्धान संगठन के सुझाव की मुख्य बातें हैं, कुशल चालन पद्धतियों जैसे धीरे और स्थिर चालन, उपयुक्त चयन और गेयर्स और क्लचों का संचालन, रुकने के संकेत का पहले पता लगाना अनुरक्षण सुधार जैसे गाड़ी के ईंधन इंजैक्शन उपकरण को धुआं निस्सारण को दूर करने के लिए रख-रखाव, इंजनों की आवधिक ट्युनिंग और टायर प्रेशर को कायम रखना आदि। पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन ने मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करके राज्य परिवहन उपक्रमों में 7 माडल डिपो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय की सलाह पर, जहाज रानी और परिवहन मंत्रालय ने समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को डीजल की बचत करने के लिए गाड़ियों में गति सीमा निर्धारित करने के लिए लिखा था।

बिजली की कमी के कारण उर्वरक कारखानों का बन्द किया जाना

3020. **श्री जैनुल बशर** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली की कमी के कारण कितने उर्वरक कारखाने बन्द किए गए; और

(ख) उत्पादन और मूल्य की दृष्टि से कितनी अनुमानित हानि हुई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जबकि अनेक प्लांटों में विभिन्न स्तरों पर उर्वरकों के उत्पादन में बिजली कटौती और बिजली समस्याओं ने प्रभावित किया, दो चालू प्लांटों को बिजली की कटौती के कारण बन्द करना पड़ा वाराणसी प्लांट सितम्बर, 1979 में 9 दिन के लिए और अक्तूबर, 1979 में 6 दिनों के लिए और मंगलौर प्लांट 10 फरवरी, 1980 से 7 जुलाई, 1980 तक।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1979-80 तक) बिजली कटौती और बिजली समस्याओं के कारण वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर लगभग 130 करोड़ रुपये मूल्य के 3 लाख टन नाइट्रोजन के उत्पादन की हानि हुई है।

न्यायिक सेवाओं में सुधार

3021. **श्री के० लकप्पा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायिक सेवाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस मामले में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जहां तक देश में जिला और सेशन न्यायाधीश की पंक्ति के न्यायिक अधिकारियों और उनके अधीनस्थ न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने का प्रश्न है, राज्य उनमें ऐसे सुधार कर सकते हैं जो वे आवश्यक समझें।

जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, एक विधेयक जिसका नाम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980 है, संसद के दोनों सदनों द्वारा चालू सत्र में पारित किया गया है। इस विधेयक में (i) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को चिकित्सीय आधार पर इस समय मिल सकने वाली 45 दिन की पूरे भत्ते पर छुट्टी की बजाए अधिकतम 120 दिन की अवधि के लिए (जो मासिक वेतन की दर के बराबर होगा) पूरे भत्ते पर छुट्टी का; (2) इन न्यायाधीशों को दिए गए किरायामुक्त सरकारी निवास के या उसके बदले में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को सदेय भत्ते के बारे में तारीख 1-4-1974 से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष 1975-76 से आयकर से छूट देने का; और (3) किसी व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश बनने से पूर्व धारित 'पेन्शन योग्य सिविल पद' तथा 'पेन्शन योग्य सैनिक पद' के बीच अन्तर को दूर करने का उपबन्ध है।

रंगीन टेलीविजन के सम्बन्ध में हिताची के अधिकारी की यात्रा

3022. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के हिताची के वाइस प्रेजिडेन्ट ने इस देश में रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत की यात्रा की है;

(ख) क्या कुछ अन्य देशों ने भी रंगीन टेलीविजन बनाने के लिए सहयोग करने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं, इनके द्वारा की गई पेशकश का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम जोशी) : (क) और (ख) 'हिताची' का एक प्रतिनिधि, जो हाल में भारत में था, शिष्टाचार के नाते सूचना और प्रसारण मंत्री से मिला था। तथापि, भारत में रंगीन दूरदर्शन आरम्भ करने के लिए सहयोग प्रबन्धों के बारे में किसी भी देश के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है।

तेल की खोज के लिए पश्चिमी जर्मनी द्वारा सहायता

3023. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी से आये एक प्रतिनिधि मण्डल ने तेल की खोज तथा कूपों की खुदाई कार्य के लिए सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जर्मन संघीय गणतन्त्र से तेल अन्वेषण, व्यधन आदि के लिए विशिष्ट तकनीकी सहायता का प्रस्ताव इस समय

सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि भारत में तेल अन्वेषण के सम्बन्ध में पूर्व-स्वीकृत बोलियों के मुकाबले में जर्मन संघीय गणतन्त्र की डेमिनेक्स नामक कम्पनी ने आवेदन दिया था। यह कम्पनी ब्लाकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव देने वाली अन्य कम्पनियों की सूची में दर्ज नहीं हुई है।

'आज संसद में' (टू डे इन पार्लियामेंट) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमन्त्रित व्यक्ति

3024. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से अब तक की अवधि में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए गए अंग्रेजी और हिन्दी कार्यक्रम स्पाटलाइट तथा सामयिकी और 'टुडे इन पार्लियामेंट' तथा 'संसद समीक्षा' में भाग लेने के लिए आकाशवाणी, रेडियो तथा दूरदर्शन में काम करने वाले व्यक्तियों के भिन्न दूसरे व्यक्तियों को किस हैसियत से आमन्त्रित किया गया और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के चयन के लिए कोई निर्धारित चयन प्रक्रिया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के 'स्पाटलाइट', 'सामयिकी', 'टु डे इन पार्लियामेंट' और 'संसद समीक्षा' नामक कार्यक्रमों की प्रतिलिपियां', स्क्रिप्ट तैयार करके देने वाले व्यक्ति के नाम सहित, संसद के पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है। सदस्य अपेक्षित सूचना के लिए कृपया उसको देखें। दूरदर्शन के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विशेष कार्यक्रम के लिए उनकी उपयुक्तता, विषय पर उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उनके व्यावसायिक अनुभव और उपलब्धता इत्यादि जैसे अन्य तथ्यों, के आधार पर कामेट्री कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। संसद की दैनिक समीक्षा अर्थात् 'टु डे इन पार्लियामेंट' और 'संसद समीक्षा' के लिए केवल कार्यरत पत्रकारों को ही आमन्त्रित किया जाता है।

विवरण

संसद समीक्षा के लिए दिल्ली दूरदर्शन द्वारा 1-1-80 से 1-11-80 तक की अवधि के लिए आमन्त्रित किए गए पत्रकार

नाम	शीर्षक	बुकिंगों की संख्या
1. श्री एम० के० धर्मराज	वीक इन पार्लियामेंट	7
2. श्री जे० डी० सिंह (टाइम्स आफ इण्डिया)	वीक इन पार्लियामेंट	6
3. श्री भूषण रेना 'नेशनल हैरल्ड'	वीक इन पार्लियामेंट	2

1	2	3
4. श्री सत्य सुमन (समाचार भारती)	संसद समीक्षा	3
5. श्री धर्मवीर गांधी (समाचार भारती)	संसद समीक्षा	2
6. श्री एम० एल० रस्तोगी (नेशनल हैरल्ड)	संसद समीक्षा	4
7. श्री शरद द्विवेदी (समाचार भारती)	संसद समीक्षा	2
8. श्री विश्व बन्ध गुप्ता (तेज)	संसद समीक्षा	2

जम्मू तथा कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना

3025. **श्री पी० नामग्याल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर में सलाल विद्युत जल परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया और इसके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और अब तक कुल कितना खर्च किया जा चुका है;

(ग) परियोजना के पूरा हो जाने पर कुल कितना विद्युत उत्पादन होने की सम्भावना है और प्रति यूनिट बिजली की लागत क्या होगी;

(घ) क्या उक्त परियोजना निर्धारित समय पर पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) परियोजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अब संरचना विकास का कार्य, जिसमें सड़कों का बनाना, कालोनियों का निर्माण-कार्य तथा वर्कशपों की स्थापना आदि, 1770 में प्रारम्भ हुआ था। कंकरीट उमड़मार्ग तथा व्यपर्वन सुरंग के लिए नींव की खुदाई का कार्य 1972 में प्रारम्भ हुआ था। परियोजना के मुख्य संघटकों का कार्य केवल 1975-76 में आरम्भ हुआ था। परियोजना का निर्माण मार्च, 1987 में पूरा होने का कार्यक्रम है।

(ख) 22.15 करोड़ रुपए के स्वीकृत अनुमान (1976) में से सितम्बर 1980 तक 137.75 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

(ग) परियोजना पूरी होने पर ऊर्जा का उत्पादन 2062 मिलियन यूनिट होने की आशा है। स्वीकृति अनुमान (1976) के अनुसार विद्युत की प्रति यूनिक लागत 16.10 पैसे बैठती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूंकि एक परियोजना हिमालय की निचली श्रृंखलाओं में है, जहां भू-रचना विषय है, इसके निर्माण के दौरान गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ा निजके कारण डिजाइन में परिवर्तन करने पड़े। इस कारण कार्य की यात्राओं और कार्य के क्षेत्र में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप इसके निर्माण मूलतः परिकल्पित समय से अधिक समय लग रहा है।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रस्ताव

3026. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की स्थिति में सुधार लाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) कार्यक्रम निर्माण, प्रेषण और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में आकाशवाणी के किसी भी केन्द्र में सुधार करने का काम एक निरन्तर प्रक्रिया है और कलकत्ता केन्द्र इसका अपवाद नहीं है। सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि मानको, प्राथमिकताओं और उपलब्ध ससाधनों के अधीन रहते हुए, आकाशवाणी केन्द्रों में सुविधाओं में सर्वतोमुखी सुधार किया जाए। कलकत्ता केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं को वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

समाचार पत्रों में सम्पादकों का सम्मेलन

3027. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री एन० के० शेजवलकर
डा० बसन्त कुमार पंडित } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के सम्पादकों का एक सम्मेलन हाल ही में बम्बई में हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिनिधियों की यात्रा, ठहरने और योजना की व्यवस्था पर राज्य सरकार ने बहुत बड़ी राशि व्यय की;

(ग) क्या इस सम्मेलन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी; और यदि हां, तो उसकी राशि क्या थी; और

(घ) क्या सरकार का देश में बड़े समाचार पत्रों का सम्मेलन आयोजित करने का भी विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इस सम्मेलन पर लगभग 5.65 लाख रु० की राशि खर्च की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विदेशों में प्रशिक्षण के लिए दूरदर्शन द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाना

3028. **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों ने 'दूरदर्शन' को अपने प्रोग्राम स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए कितनी छात्रवृत्तियों की पेशकश की थी;

(ख) कितनी छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया और किन व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया;

(ग) कितनी छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विदेशों से छात्रवृत्तियों के लिए दूरदर्शन को कोई आमंत्रण नहीं मिला है। तथापि, विभिन्न कार्यशालाओं में उपस्थित होने के लिए या प्रशिक्षण के लिए जब कभी विदेशों/विदेशी संगठनों से इस प्रकार से आमंत्रण प्राप्त होते हैं, दूरदर्शन के कार्यक्रम कर्मचारियों को समय-समय पर, विदेश भेजा जाता रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तेल के लिए आरक्षित भंडारों और पैट्रो रसायन काम्प्लेक्स की स्थापना

3029. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तेल के प्राप्त करने योग्य अधिक आरक्षित भण्डारों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या बड़ौदा में संचालित पैट्रो-रसायन काम्प्लेक्स के अलावा कुछ और काम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके स्थानों का चयन करने के बारे में कोई समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार सिद्धान्त रूप में, दो गैस क्रैकर्स तथा इसके डाउनस्ट्रीम एकक, एक महाराष्ट्र

में तथा दूसरा गुजरात में, स्थापित करने का निश्चय किया है। एक आशय-पत्र भी पश्चिम बंगाल को एक पैट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स हल्दिया में खोलने के लिए जारी किया गया है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए गठित दो स्थल चयन समितियों ने, सर्वसम्मति से दो पेट्रोकेमिकल कमप्लेक्स एक थाल वेशेट के दक्षिण में उसार में तथा दूसरा कावास गुजरात में स्थापित करने की सिफारिश की है।

औद्योगिक एलकोहल की मांग

3030. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य में कच्चे तेल की निराशाजनक स्थिति के कारण औद्योगिक एल्कोहल की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश की अधिकांश चीनी मिलें और खांडसारी एकक अपने सीरे को या तो फेंक देते हैं या उसे पशु-चारे के रूप में बेच देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सीरे के उचित उपयोग के लिए क्या उपाय करने का विचार है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) दिनांक 11-11-1980 को हुई केन्द्रीय सीरा बोर्ड की बैठक में जैसाकि राज्य सरकारों ने सूचित किया कि सीरा वर्ष 1979-80 में 1.04 लाख टन की अधिशेष छोड़ते हुए 20.75 लाख टन की कुल उपलब्धता में से सिर्फ 1971 लाख टन का उपयोग हुआ। 1971 लाख टन प्रयुक्त सीरे में से 17.54 लाख टन एल्कोहल उत्पादन के लिए प्रयोग मे लाया गया, शेष का पशु आहार समेत अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हुआ।

(ग) सीरा के उत्पादन और निपटान का विनियमन सीरा नियन्त्रण आदेश, 1961 द्वारा किया जाता है जो बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। इन बाद वाले राज्य सरकारों के अपने ऐसे ही सीरा नियन्त्रण आदेश हैं। सीरा नियन्त्रण आदेश में चीनी मिलों द्वारा सीरा की बिक्री के $\frac{1}{3}$ के बराबर सीरा के उचित और पर्याप्त भंडार सुविधाओं के निर्माण के लिए एक अलग निधि की व्यवस्था है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि चीनी मिलों द्वारा पर्याप्त और उचित भंडारन सुविधाओं के निर्माण करने में तेजी लाई जाए जिससे सीरा बर्बाद न हो सकें। हाल ही में दिनांक 11-11-1980 को हुई केन्द्रीय सीरा बोर्ड की बैठक में इस सलाह की पुनः पुनरावृत्ति की गई थी।

भारत में ताप विद्युत एककों की स्थापना के स्थल और उनका कार्य निष्पादन

3031. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में ताप विद्युत एककों के नाम क्या हैं, वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और गत एक वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक संयंत्र के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संयंत्रों के विद्युत उत्पादन में विशेष गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में 20 मेगावाट तथा उससे अधिक क्षमता के प्रमुख ताप विद्युत केन्द्रों के नाम, स्थान, क्षमता और वर्ष 1979-80 के दौरान उनका कार्य निष्पादन दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) नवम्बर 1980 के दौरान ताप विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष को इसी अवधि के दौरान हुए ताप विद्युत उत्पादन की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसे कुछ इक्के-दुक्के विद्युत केन्द्र हो सकते हैं जिनमें पिछले वर्ष के इसी अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में कम उत्पादन हुआ हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

***प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों तथा 1979-80 के दौरान उनकी क्षमता समुपयोजन को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण**

राज्य	विद्युत केन्द्र	केन्द्र की क्षमता (मेगावाट)	1979-80 के दौरान संयंत्र भार अनुपात (%)
1	2	3	4
दिल्ली	बदरपुर 1-3	300	48
	बदरपुर-4	210	14
	इन्द्रप्रस्थ	282.5	68
	राजघाट	28	54
हरियाणा	फरीदाबाद विस्तार 1-2	120	35
	पानीपत-1	110	15
	पानीपत-2	110	—
जम्मू व कश्मीर	कालाकोट	22·5	6.1
पंजाब	भटिंडा 1-4	440	29.6
उत्तर प्रदेश	ओबरा (ताप विद्युत) 1-5	250	44
	ओबरा विस्तार 1 (6)	100	59
	ओबरा विस्तार 2 (7)	100	62
	3(8)	100	—
	ओबरा विस्तार 1-3		
	(6-8)	300	40
	(11)	200	38
	(10)	200	42

1	2	3	5
	ओबरा विस्तार 4-5 (11 और 10)	400	40
	ओबरा विस्तार 6(9)	200	2
	हरदुआगंज (बी)	220	43
	हरदुआगंज (ए)	90	43
	हरदुआगंज सी-1	60	21
	हरदुआगंज विस्तार 5	110	55
	रेणुसागर	125	100
	पनकी विस्तार 1	110	31
	पनकी विस्तार 2	110	45
	पनकी विस्तार 1-2	220	38
	पनकी	61	66
	आर० पी० एच० (कानपुर)	65	37
गुजरात	दुवारण (ताप विद्युत)	534	63
	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी	192.5	60
	उकई 1-2	240	47
	उकई 3-4	400	27
	गांधी नगर 1-2	240	52
	साबरमती विस्तार	110	46
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा 1-5	312.5	62
	6	200	5
	कोरबा-2	200	52
	कोरबा-3	120	76
	कोरबा-1	100	50
	अमरकंटक विस्तार-2	240	61
	अपरकंटक	60	76
महाराष्ट्र	ट्राम्बे	330	74
	नासिक 1-2	280	69
	3	210	16
	कोरबा 1-5	680	60
	खापरखेड़ा	90	52
	पारस	92.5	59
	मुसावल 1	62.5	65
	मुसावल 1-2	210	2
	पारली	60	85
	चोला	40	72

1	2	4	4
आन्ध्र प्रदेश	कोठागुंडम 'ए'	240	49
	कोठागुंडम 'बी'	220	26
	कोठागुंडम 'सी' 1-2	220	48
	रामागुंडम 'बी'	62.5	74
	रामागुंडम (ए)	20	53
	नेल्लोर	30	28
	विजयवाड़ा	210	26
तमिलनाडु	नेवेली	600	45
	एन्नोर 1-5	450	39
	बेसिन ब्रिज	90	41
	तूतीकोरिन	210	13
बिहार	पतरातु 1-8	620	39
	बरौनी	145	31
दामोदर घाटी	चन्द्रपुरा 1-6	780	38
निगम	दुर्गापुर	250	40
	बोकारो	227.5	48
उड़ीसा	तलचेर	250	31.8
पश्चिम बंगाल	सी० ई० एस० सी०	328	56
	बन्डेल	320	55
	डी० पी० एल०	280	32
	सन्थालडीह 1-3	360	36
	गौरीपुर	28	15
असम	नामरूप	111.5	41
	चन्द्रपुर	30.0	43

* 20 मेगाबाट तथा इससे अधिक क्षमता वाले ताप विद्युत केन्द्र

औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग को नियमित करने के लिए नीति

3032. **श्री एम० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये छह सूत्रीय नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन दोनों नीतियों को कार्यान्वित किया है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विक्रम महाजन : (क) से (ग) बिजली की कमी की अवधियों में बिजली की सप्लाई का नियमन, क्रमबद्ध, प्राथमिकताओं की एक स्कीम के अनुसार करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं। इस स्कीम के अनुसार अनिवार्य उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। कृषि को और उर्वरकों और औषधि निर्माण उद्योगों जैसे प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को अनिवार्य उपभोक्ताओं की सूची में शामिल किया गया है।

जब विद्युत कटौतियां/प्रतिबंध लगाए जाते हैं तब राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा 1974 में जारी किए गए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को समग्र तौर पर ध्यान में रखती है। साथ ही राज्य म उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखती है।

विधि विभाग के शाखा सचिवालय

3033. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विधि विभाग के कितने शाखा सचिवालय हैं;

(ख) वे कहां-कहां पर हैं; और

(ग) उनके कार्य क्या हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) देश में विधि कार्य विभाग के तीन शाखा सचिवालय हैं।

(ख) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक-एक शाखा सचिवालय है।

(ग) उनका कार्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को विधिक सलाह देना, केन्द्रीय सरकार के हस्तांतर लेखन और मुकद्दमा कार्य की देखभाल करना और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकद्दमों का संचालन करना है।

दरभंगा आकाशवाणी केन्द्र के लिए कर्मचारी

3034. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, दरभंगा किस तारीख से कार्य कर रहा है ;

(ख) उसमें विभिन्न श्रेणियों के कितने पद थे;

(ग) उनमें से कितने पद भरे गये हैं और कितने अभी तक खाली पड़े हुए हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि उक्त आकाशवाणी के चालू होने के समय से ही, वर्ष 1979 में कुछ मास के सिवाय, उसमें कोई निदेशक नहीं रहा है ; और यदि हां, तो इसके कारण तथा औचित्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : आकाशवाणी दरभंगा ने 2 फरवरी, 1976 से कार्य करना प्रारम्भ किया था।

(ख) और (ग) स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों की संख्या विवरण में दी गई है। कुछ पद मुख्यत: इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि कर्मचारियों को भर्ती करने की कार्यवाई अभी पूरी नहीं हुई है। इन खाली पदों को भरने के सभी प्रयत्न किए जा रहे है।

(घ) जी, नहीं। एक केन्द्र निदेशक, जिन्होंने 29-3-1979 को कार्यभार संभाला था, 3-4-1980 को सेवा निवृत्त हो गए थे। इस ग्रेड में अधिकारियों की कमी के कारण इस पद को नहीं भरा जा सका। केन्द्र निदेशक की तैनाती के आदेश दे दिए हैं और उनके शीघ्र ही कार्य भार संभालने की संभावना है।

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृति संख्या	पदों की संख्या रिक्त	भरे हुए
1.	केन्द्र निदेशक	1	1	—
2.	केन्द्र इंजीनियर	1	—	1
3.	सहायक केन्द्र इन्जीनियर	—	—	1
4.	सहायक इंजीनियर	1	—	1
5.	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	3	—	3
6.	फार्म रेडियो अधिकारी	1	—	1
7.	वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक	4	—	4
8.	इंजीनियरिंग सहायक	11	—	11
9.	डीजल तकनीशियन	1	—	1
10.	वरिष्ठ तकनीशियन	3	—	3
11.	तकनीशियन	4	1	3
12.	लायब्रेरियन	1	—	1
13.	ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव	4	1	3
14.	कार्यक्रम सचिव	1	—	1
15.	टेलीफोन अटेंडेंट	2	1	1
16.	मोटर ड्राइवर	3	—	3
17.	एकाउटेंट	1	—	1
18.	स्टोर कीपर	1	—	1
19.	लिपिग ग्रेड-1	3	—	3
20.	लिपिक ग्रेड-3	8	3	5
21.	हैल्पर	2	—	2
22.	स्टूडियो गार्ड	2	1	1
23.	दफ्तरी	2	—	2
24.	चपरासी	5	1	4

1	2	3	4	5
25.	सिक्योरटी गार्ड	7	1	6
26.	फराश	2	—	2
27.	सफाईवाला	2	—	2
28.	माली	1	—	1
29.	आशुलिपिक	2	1	1
30.	उद्घोषक	3	—	3
31.	उद्घोषक/कम्पजोर (कनिष्ठ)	1	—	1
32.	तबला वादक	1	—	1
33.	बांसुरी वादक	1	—	1
34.	संगीत कम्पोज़र (कनिष्ठ)	2	1	1
35.	पखावज वादक	1	—	1
36.	सरोद वादक	2	—	2
37.	ढोलक वादक	1	—	1
38.	प्रोड्यूसर (शैक्षणिक प्रसारण)	1	—	1
39.	सहायक सम्पादक स्क्रिप्ट (शैक्षणिक प्रसारण)	1	1	—
40.	प्रोड्क्शन असिस्टेंट	1	—	1
41.	फार्म रेडियो रिपोर्टर	1	—	1
42.	असिस्टेंट एडिटर (स्क्रिप्ट) (फार्म एंड होमो)	1	—	1
43.	सितार वादक	2	2	—
44.	वायलिन वादक	1	1	—
45.	तानपुरा वादक	1	1	—
		101	18	83

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना

3035. **श्री नंद किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के अन्तर्गत विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इस समय मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले में कोरबा में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित कर रहा है। मध्य प्रदेश में छिन्दवाड़ा जिले में पेंच में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के

लिए यह व्यवहार्यता रिपोर्ट भी उसने केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं। इस समय इस व्यवहार्यता रिपोर्ट का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सीधी जिले में वैधान में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए वह एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करे।

संबंधित क्षेत्रों में विद्युत विकास में राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के प्रयासों की, संगठनात्मक और वित्तीय-दोनों ही प्रकार से, अनुपूर्ति के लिए भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर में क्षेत्रीय आधार पर पिट हैडों पर वृहत् प्रतिष्ठापित क्षमता वाले सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित कर रही है। तदनुसार कोयला पिट हैडों पर केन्द्रीय सेक्टर में वृहत् ताप विद्युत केन्द्रों का विकास करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना की गई थी, ताकि इन केन्द्रों से क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली के अन्दर सभी राज्यों में विद्युत का वितरण किया जा सके।

स्थलों का चयन कोयला क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से उनकी अवस्थिति तथा वृहत् विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

दिल्ली में पाइप लाइन से खाना पकाने की गैस की पूर्ति

3036. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का दिल्ली में उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की पूर्ति लाइन से करने का विचार है; और

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विवरण क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) दिल्ली में पाइपलाइनों द्वारा खाना पकाने की गैस सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

मैसर्स इन्टरनैशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन की व्यापार गतिविधियां

3037 **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-राष्ट्रिक कम्पनी, मैसर्स इन्टरनैशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन की भारत में व्यापार गतिविधियों का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसकी विभिन्न सहायक कम्पनियों की व्यापार गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) तथा (ख) यू० एस० ए० की मैसर्स इन्टरनेशनल टेलिफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन (आई० टी० टी०) की भारत में कोई सहायक या शाखा नहीं है। तथापि, इसकी यू० एस० ए० में एक सहायक, आई० टी० टी० एशिया पेसीफिक, विनिगमित है, जो भारत में एक शाखा का संचालन कर रही है।

इस शाखा के सम्बन्ध में सूचना मिली है कि यह सामान्यतः अपनी पैतृक कम्पनी को सतर्क गतिविधियों का कार्य कर रही है। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने क्रास-बार उपस्कर के विनिर्माण के लिये एक फैक्टरी की स्थापना के लिये डाकतार विभाग को दर के सम्बन्ध पत्र दिया है तथा इसकी प्रस्तुत करने से पूर्व इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने मैसर्स इन्टरनेशनल स्टेन्डर्ड इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, न्यू यार्क के साथ प्रतिहस्ताक्षरी करार किया था, जो मैसर्स इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन की मशीनों, उपस्करों पुर्जों और तकनीकी सहायता को संभरणकर्ता उप ठेकेदार के रूप में सहायक हैं।

मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों में मत्स्य पोतों को ईंधन की पूर्ति

3038. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों में मत्स्य पोतों को ईंधन की पूर्ति में देरी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मत्स्य पोतों को ईंधन की पूर्ति सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों में सीधे वंकर की सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलपोतों को, विशेषकर विशाखापतनम में विलम्ब से डीजल तेल की सप्लाई करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) मछली पकड़ने के जलपोतों को डीजल की सप्लाई राज्य सरकारों के आबंटन के अनुसार मछियारों के संगठनों द्वारा स्थापित उपभोक्ता पम्पों तथा तेल कंपनियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों द्वारा सीधा टैंक ट्रकों से व्यवस्था की जाती है। इस सम्बन्ध में प्राप्त संदर्भ को तेल कंपनियों के ध्यान में लाया गया है जिससे संभावित विलम्ब को दूर किया जा सके।

(ग) और (घ) बम्बई, विशाखापतनम और कोचीन में मछली पकड़ने के जलपोतों को ईंधन सप्लाई करने की सीधी सुविधायें तेल कंपनियों के पास हैं। तेल कंपनियों अथवा उपभोक्ता पम्पों द्वारा आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए, मछली पकड़ने वाले जलपोतों के लिए बंकरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

डीलरशिप के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा आमंत्रित किये गये आवेदन पत्र

3039. **श्री जयनारायण रौत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंडीगढ़ के विपणन प्रबंधक ने किसान

खाद और किसान यूरिया के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डीलरशिप के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं और उन पर क्या निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन पार्टियों ने आवेदन-पत्र दिए हैं, और

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डीलरशिप के लिए नेशलन फर्टिलाइजर्स लि० के प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर लगभग 1000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आवेदन पत्र फिलहाल जांचाधीन हैं जिन्हें विधिवत नियुक्त चयन समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त पाये जाने पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है। बहुत से आवेदन पत्रों के नाम दर्शाने वाले विवरण पत्र में काफी समय और श्रम लगेगा और इससे कोई लाभ नहीं निकलेगा।

कोयले की कमी के कारण गुजरात में ताप बिजलीघरों को नुकसान

3040. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की असंतोषजनक पूर्ति के कारण 1980 के दौरान गुजरात में कई ताप बिजलीघरों को बिजली की बड़ी मात्रा का नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में ताप बिजली घरों को बिजली उत्पादन में कुल कितनी हानि उठानी पड़ी, उन ताप बिजली घरों की संख्या कितनी थी जिन्हें बन्द करना पड़ा (अवधि बताते हुए सूचना दें), उन बिजली घरों की संख्या कितनी थी जो अपनी स्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे थे; और ऐसे बिजली घरों की असंतोषजनक कोयला पूर्ति के क्या कारण थे; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980 के दौरान कोयले की कमी के कारण गुजरात में केवल उकई ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन में कुछ हानि होने की सूचना है।

(ख) केवल कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में हुई हानि का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि जब कोयले की कमी भी रही हो तब यूनिट अन्य कारणों से भी बंद हो सकती है। तथापि उकई ताप विद्युत केन्द्र में कोयले की कमी के कारण यूनिटें बंद रहने के कारण विद्युत उत्पादन में हुई जो कुल संभाव्य हानि बताई गई है वह लगभग 75.84 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। यह, इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि प्रति 100 मेगावाट क्षमता से प्रतिदिन 2.4 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाना था।

1980 में कोयले की कमी के कारण उकई ताप विद्युत केन्द्र में यूनिटों के बंद होने की बताई गई अवधि नीचे दी गई है

ताप विद्युत केंद्र का नाम	क्षमता तथा जनवरी, 1980 के दौरान यूनिटों के बंद होने की अवधि
उकई	1×120 (3 दिन)
	1×200 (4 दिन)

कोयले की कमी के कारण किसी अन्य विद्युत केन्द्र के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

गुजरात में विद्युत केन्द्रों को कोयले की कम सप्लाई का प्रमुख कारण है पर्याप्त मात्रा में कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे द्वारा अतिरिक्त बैगन उपलब्ध कराने में रेलवे की कठिनाइयां,

(ग) कोयले की सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) कोयला कम्पनियों तथा रेलवे से कहा गया है कि विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें। ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की ढुलाई के लिए बैगनों की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए अक्तूबर, 80 में ऊर्जा मंत्री ने रेल मंत्री के साथ भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया था।

(2) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए कोयला विभाग, रेल मंत्रालय, विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के बीच घनिष्ट सम्पर्क रखा जा रहा है। विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्त: मंत्रालय बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

(3) मंत्रिमण्डल की औद्योगिक अवसंरचना समिति भी कोयले के उत्पादन तथा ढुलाई को, विशेष रूप से विद्युत केन्द्रों की ढुलाई की समीक्षा करती हैं।

(4) बैगनों को रोके रखने की अवधि को कम करने के लिए विद्युत केन्द्रों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोयले की वैगनें शीघ्रता से खाली की जाएं तथा बैगनें जल्दी ही छोड़ दी जाएं।

ऊर्जा मंत्रालय में राजभाषा नीति का क्रियान्वयन

3041. **श्री आर० पी० यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ की राजभाषा नीति के उचित क्रियान्वयन के लिए उनके मंत्रालय तथा उसके संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी हैं;

(ख) किन मानदण्डों के आधार पर हिन्दी के विभिन्न पद बनाए जा रहे हैं; क्या अब तक बनाए गए पद इस बारे में निर्धारित मानदण्डों की अपेक्षा बहुत कम हैं;

(ग) क्या संघ के राजभाषा नीति को हिन्दी कर्मचारियों के अभाव के कारण उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और उनके बहुत से ऐसे कार्यालयों को अधिसूचित नहीं किया है जहां 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और कार्यरत कर्मचारियों को नियत तिथि पर लाभ नहीं दिया जाता है; और

(घ) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हिन्दी के अतिरिक्त पद बनाकर, उक्त कार्य में लगाए गए तंत्र को सुचारु बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) ऊर्जा मंत्रालय के सम्बद्ध

अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही सूचना एकत्र हो जाएगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीजल पेट्रोल पम्पों तथा उर्वरक और एल० पी० गैस के लिये एजेंसियों की संख्या

3042. **श्री सूरज भान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डीजल/पेट्रोल पम्प और मिट्टी के तेल के डिपो/एजेंसियों तथा उर्वरक और एल० पी० गैस एजेन्सियों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व में पृथक-पृथक कुल कितने डीजल/पेट्रोल पम्प और मिट्टी के तेल के डिपो/एजेन्सियां और उर्वरक तथा एल० पी० गैस एजेन्सियां हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इन पम्पों, डिपो/एजेन्सियों और उर्वरक तथा एल० पी० गैस एजेन्सियों के आवंटन के लिए कोई आरक्षण है, यदि हां, तो उनकी कितनी प्रतिशतता है और यह कब से लागू किया गया है;

(घ) इनके आवंटन में आरक्षण की तारीख के बाद अन्य लोगों और अनुसूचित जाति तथा अनुचित जन जाति को, पृथक-पृथक ऐसे कुल कितने पम्प, एजेन्सियों ओर डिपों आदि आवंटित किये गये; और

(ङ) उनको उनका उचित अंश देने के लिये सरकार का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सलादीपुरा में परियोजनायें

3043. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सलादीपुरा (सीकर-राजस्थान) में पाइरायट्स परियोजना बहुत अच्छी चली है और खानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है,

(ख) क्या सलादीपुरा में पाइरायट्स के भण्डारों को देखते हुए वहां एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना पर विचार किया जायेगा, और

(ग) यदि हां, तो यह मामला इस समय विचार के किस चरण में है और कब तक निर्णय हो जाने की आशा है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया गया है कि सलादीपुर पाइराइट्स सल्फ्यू-

रिक एसिड और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। पाइराइट्स के परीक्षण ने यह दर्शाया है कि इन सुविधाओं को लगाना तकनीकी रूप से संभव होगा जिसके लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट फिलहाल पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० द्वारा तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के तैयार होते ही निवेश निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रोसेस करेगी।

चलचित्र अधिनियम को संशोधित करने में प्रस्ताव

3044. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार निकट भविष्य में वर्तमान चलचित्र अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन करने की कार्यवाई की जा रही है।

रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्स जल को नियन्त्रित करने लिये शक्तियां

3045. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्स जल को नियन्त्रित करने के लिए शक्तियां पुर्नगठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत पंजाब सरकार अथवा भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में निहित हैं;

(ख) यदि जल नियन्त्रण की शक्तियां भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड में निहित हैं, तो पंजाब सरकार के अधिकारियों द्वारा जल नियन्त्रित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान और पंजाब को इस वर्ष मार्च से अक्तूबर तक कितना क्यूसेक जल सप्लाई किया गया और यह कितने समय तक सप्लाई किया गया; और

(ग) राजस्थान नहर, भाखड़ा और गंग नहर को सप्लाई किया गया जल गत छह महीने के दौरान उनके भाग से कितना कम था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अर्न्तगत रोपड़, हरिके और फिरोजपुर में सिंचाई हैडवर्क्स का प्रशाधन, अनुरक्षण और प्रचालन सम्बन्धी कार्य भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपे गए हैं।

(ख) पंजाब सरकार ने हैडवर्क्स का नियंत्रण अभी तक भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को नहीं सौंपा है। मामले पर पंजाब सरकार के साथ कार्यवाही की जा रही है।

(ग) : 1-3-1980 से 31-10-1980 तक की अवधि के दौरान राजस्थान को रावी व्यास के जल से 1810301 क्यूसेक दिन तथा भाखड़ा जल से 396400 क्यूसेक दिन सप्लाई किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान पंजाब को भाखड़ा जल से 2386574 क्यूसेक दिन प्राप्त हुए हैं। तथापि, रावी

ब्यास के जल से पोषित विभिन्न नहरों का पंजाब के द्वारा उपयोग के बारे में उन्होंने सूचना नहीं दी है।

(घ) भाखड़ा नहर के नाम से जानी जाने वाली कोई नहर नहीं है। राजस्थान नहर तथा गंगा नहर (बीकानेर नहर) को, जो रावी ब्यास के जल से पोषित की जाती हैं, 1-5-1980 से 20-5 1980 तक की पिछली खाली होने वाली अवधि के दौरान 51799 क्यूसेक दिन की, 21-5-1980 से पिछली भरने वाली अवधि के दौरान 157891 क्यूसेक दिन की तथा 21-9-1980 से 31-10-1980 तक की चालू खाली करने की अवधि के दौरान 68253 क्यूसेक दिन की कम सप्लाई की गई है। तथापि, दक्षिणी घाघरा नहर, बारुवाली वितरण नहर, जन्ड वाला वितरण नहर, किशनगढ़ लिंक नहर, सदूल ब्रांच तथा कणीसिंह ब्रांच के माध्यम से भाखड़ा के जल से राजस्थान को नीचे दिए गए अनुसार अधिक सप्लाई दी गई है।

1-5-1980 से 20-5-1980	—	3451 क्यूसेक दिन
21-5-1980 से 29-5-1980 तक	—	19028 क्यूसेक दिन
21-9-1980 से 31-10-1980 तक	—	3793 क्यूसेक दिन

गुजरात के बनासकंठा जिले में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों का आवंटन

3046. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात के बनासकण्ठा जिले के डीसा तथा राधानपुर नगरों को, इस दृष्टि से कि उनकी जनसंख्या बहुत है और ये तालुक मुख्यालय भी है गैस एजेन्सियों का आवंटन किया जायेगा।

पेट्रोलियम, रसासन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : वर्तमान कम संभावनाओं के कारण गुजरात में दिसा में अथवा राधानपुर में इस समय खाना पकाने की गैस की एजेंसियां खोलना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा।

आवश्यक औषधियों की मूल्य सम्बन्धी स्थिति

3047. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक औषधियों के मूल्यों की वर्तमान स्थिति क्या है जिससे जनता उनको उचित दरों पर खरीद सके,

(ख) क्या विदेशों में आने वाली उत्पादन लागत की तुलना में आयातित औषधियों के मूल्य बहुत अधिक हैं जिससे उन पर अत्यधिक लाभ कमाया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो ऐसी कुछ औषधियों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) मूल्यों को कम कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार का एक उद्देश्य यह है कि जनता को जीवन रक्षक दवाइयां उचित मूल्य पर मिलें। अतः ऐसे औषधों

के मूल्यों पर औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत नियन्त्रण लगाया जाता है और मार्च 1978 से एक वर्ष के लिए बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों को स्थिर रखा गया था। तथापि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है। अतः सरकार ने अगस्त 1980 में यह निर्णय किया है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए लागत अध्ययन के आधार पर मूल्य नियन्त्रित बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में समायोजन की अनुमति दी जाए। कुछ फार्मूलेशनों विशेषकर स्ट्रैप्टोमाइसीन, क्लोराफैनीकल पावडर, पेथीडाइन, पेथोलाइन सल्फाथियाजोल, सल्फाडिसीडाइन, सल्फाडिसीडासनइन, इन. पी. ए. एस. और इसके लवण पर आधारित फार्मुलेशनों के मूल्यों में सरकार ने पहले समायोजन की घोषणा कर दी है।

(ख) और (ग) विदेशों से निर्मित बल्क औषधों की उत्पादन लागत और निर्माता का लाभ इन बल्क औषद्यों के निर्माताओं/सप्लायरों के पास गोपनीय है। उत्पादन लागत, लाभ और आयात मूल्य के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। सरकार द्वारा स्टेट कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कोरपोशन आफ इण्डिया लि० के माध्यय से खरीदे गए सारणीवद्ध बल्क औषधों के मासले में ले टेन्डरों के मूल्यों की प्रतियोगिता और औचित्य को सुनिश्चित किया जाता है। तथापि कुछ बल्क औषधों के भारित औसत सी० आइ० एफ० आयात मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

औषध का नाम	वर्ष 1979-80 के दौरान आयात का भारित औसत सी. आई. एफ. मूल्य
पैथीडाइन हाइड्रोक्लोराइड	806.38
क्लोरम फैमीकल पावडर	357.73
ट्रैट्रासाइक्लीन	256.82
स्ट्रैप्टोमाइसीन	376.50
डैप्सोन	128.66
पाइराजिनामाइड	544.14

(घ) सरकार द्वारा वी० आई० सी० पी० के अध्यवनों के आधार पर बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में किए जाने वाले समायोजन के परिणाम स्वरूप कुछ औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि होगी और कुछ के मूल्यों में कमी होगी।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने की बिक्री

3048. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने सिन्दरी उर्वरक कारखाने के खरीदरार को संयंत्र को विघटित करने सम्बन्धी अपने आदेश में संशोधन किया है,

(ख) क्या उर्वरक निगम कामगार संघ, ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है,

(ग) क्या सरकार ने सिन्दरी उर्वरक कारखाने को बेचने के अपने निर्णय पर पुनः विचार किया है,

(घ) क्या सरकार ने कारखाने को चलाने के लिए उसे संघ को सौंपने का कोई प्रयास किया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13-11-1980 को फरटिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन और अन्य के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया और सिन्दरी के पुराने और बेकार प्लांटों की बिक्री भी सही करार दिया।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) चूंकि पुराने प्लांट अपनी आयु पूरी कर चुके थे और संचालन के लिए असुरक्षित थे, इसलिए उनके चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्डों की कार्य कुशलता

3049. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की कार्य कुशलता का कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) देश में विद्युत सप्लाई उद्योग के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति दिसम्बर, 1978 में नियुक्त की गई थी। समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसने अपनी रिपोर्ट 4 सितम्बर, 1980 को ऊर्जा मंत्री को प्रस्तुत की थी।

इस रिपोर्ट में विद्युत सप्लाई उद्योग के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया है :—

1. विकास के लिए आयोजना
2. विद्युत परियोजना बनाना और इनका कार्यान्वयन करना
3. प्रचालन अनुरक्षण
4. वित्त, वित्त प्रबन्ध और टैरिफ
5. ग्राम विद्युतीकरण

6. संगठन और प्रबन्ध

7. अनुसंधान और विकास

रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तथा उनके पूर्ण सहयोग से करना होगा। रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री तथा विद्युत मंत्री को तथा राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को भेजी जा चुकी हैं। भारत सरकार उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के कार्य में लगी है। राज्य सरकारों और जहां आवश्यक होगा वहां अन्य एजेन्सियों के साथ परामर्श करके और विचार-विमर्श करके यह कार्यान्वयन किया जाएगा।

गुजरात में नए कुकिंग गैस कनेक्शन

3050. **श्री नवीन रवाणी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 से गुजरात में, जिलावार कितने नए कुकिंग गैस कनेक्शन दिए जाएंगे; और

(ख) क्या यह सच है कि कुल नए कनेक्शनों में से 60 प्रतिशत पंजाब-हरियाणा और चण्डीगढ़ को दिए जाएंगे, और यदि हां, तो यह वितरण किस आधार पर किया गया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1 जनवरी, 1981 से राज्य में गैस कनेक्शन देने के लिए अभी तक कोई जिलावार अबंटन नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

बरौनी में पेट्रो-रसायन कारखाना स्थापित करने की मांग

3051. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से बरौनी (वेगुसराय) में पेट्रो-रसायन कारखाना स्थापित करने की मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र का एक अध्ययन दल अगस्त, 1980 में बरौनी गया था और उस दल ने पेट्रो-रसायन कारखाना स्थापित करने के बारे में राज्य सरकार तथा जनता के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब बरौनी में देश का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जा रहा था तब लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वहां पर एक पेट्रो-रसायन कारखाना भी स्थापित किया जाएगा; और

(घ) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बरौनी में पेट्रो-रसायन कारखाना स्थापित करेगी;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) जी हां। पेट्रो रसायन उद्योग समूहों की स्थापना के लिए भारत सरकार ने स्थल चयन समिति का गठन किया है। यह समिति तकनीकी आर्थिक धाराओं के आधार पर विभिन्न स्थलों की सिफारिश करेगी। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कोयला उत्पादन

3052. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में 30 सितम्बर, 1980 तक कोयले का कुल उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है और यदि हां, तो कितना कम हुआ है;

(ख) कम उत्पादन के क्या कारण हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित करते समय इन तथ्यों की परिकल्पना नहीं की गई थी तथा इन पर विचार नहीं किया गया था; और

(ग) क्या इस वर्ष होने वाले कुल वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंच जाने की सम्भावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 1980 की अवधि में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि से अधिक हुआ है। परन्तु अप्रैल-सितम्बर, 1980 की अवधि के लिए नियत लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 2.84 मि० टन कम हुआ था। किन्तु यहां उल्लेखनीय है कि लक्ष्य सामान्यतया जो वास्तविक उत्पादन होता है उससे अधिक ही निश्चित किए जाते हैं।

(ख) लक्ष्य से कम उत्पादन होने के मुख्य कारण यह थे—बिजली की अपर्याप्त सप्लाई विशेषकर बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में और कानून और व्यवस्था की अनिश्चित स्थिति। कोयला उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करते समय उत्पादन के मार्ग में आने वाली सम्भावित बाधाओं को ध्यान में रखा जाता है। परन्तु बिजली की कमी अनुमान से कहीं अधिक हो गई।

(ग) यदि वर्ष शेष के भाग में कोयले के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन सामग्री सामान्य रूप से मिलती रही तो 1980-81 के उत्पादन लक्ष्य पूरे हो जाने की आशा है।

बेलग्रेड में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन सम्मेलन

3053. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलग्रेड में 23 अक्तूबर, 1980 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी सम्मेलन में भाग लिया था;

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था;

(घ) क्या सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णयों में एक निर्णय संचार व्यवस्था को विकसित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना करने के लिए था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से भारत को कोई लाभ होगा; और

(च) यदि हां, तो भारत में संचार व्यवस्था का विकास किस हद तक किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) यूनेस्कों के वृहत सम्मेलन का 21 वां अधिवेशन 23 सितम्बर से 28 अक्तूबर, 1980 तक बेलग्रेड में हुआ था।

(ख) जी हां।

(ग) इस सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए मुख्य विषय, 1981-83 के तीन वर्षों की अवधि के लिए यूनेस्कों के कार्यक्रमों और बजट का प्रारूप जिसमें शिक्षा, प्राथमिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और संचार शामिल थे; 1984-1989 के लिए यूनेस्कों के मध्यावधि योजना पर प्राथमिक विचार-विमर्श, शान्ति, मानव अधिकार और उपनिवेशवाद तथा रंगभेद इत्यादि को खत्म करना, नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की स्थापना के लिए यूनेस्कों के योगदान जैसे सामान्य नीति के प्रश्न शामिल थे।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) आई० पी० डी० सी० की स्थापना के प्रस्ताव को भारत सहित 77 देशों के ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच वर्तमान खाई को कम करने के उद्देश्य से विकासशील देशों में संचार अवस्थापनाओं और विकासशील सुविधाओं का विकास करना है। आई० पी० डी० सी० की गतिविधियों में विकासशील देशों में संचार सुविधाओं के सर्वेक्षण, मूल्यांकन और नियोजित विकास शामिल होगा। यह सूचना के व्यापक और सन्तुलित आदान-प्रदान को लाने के उद्देश्य से विकासशील देशों में उन संसाधनों, जिनकी उनको संचार अवस्थापनाओं और कार्मिकों के प्रशिक्षण में सृजन या सुधार लाने के लिए आवश्यकता है, को प्रदान करने के अर्थोपायों का पता लगाने में भी संलग्न रहेगा। यूनेस्कों के तत्वाधान में इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना विश्व संचार और सूचना के ढांचे में वर्तमान असन्तुलनों को कम करने में विकासशील देशों द्वारा किए प्रयासों की दिशा में यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में, भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लाभ, कार्यक्रम के लिए उपलब्ध संसाधनों, विकासशील देशों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन और उनकी परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेंगे। भारत 35 सदस्यीय अन्त: सरकारी परिषद, का सदस्य चुना गया है जो इन कार्यक्रम के कार्यकरण पर देखरेख करेगी। हम विकासशील देशों में संचार विकास के लिए अनुभव, प्रशिक्षण सुविधाओं इत्यदि में अपनी सहायता देकर ठोस आधार पर इस कार्यक्रम की स्थापना में दूसरे देशों के साथ सहयोग के लिए कोशिश करेंगे।

मवाना, मेरठ में पेट्रोल पम्पों को डीजल का आबंटन

3054. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले की मवाना तहसील के प्रत्येक पेट्रोल पम्प को गत वर्ष के दौरान तथा इस वर्ष जनवरी से 20 अक्तूबर तक कितनी मात्रा में डीजल आबंटित किया ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मवाना, मेरठ के तेल कम्पनियों द्वारा प्रत्येक खुदरा पेट्रोल पम्पों का वर्ष 1979 तथा जनवरी से 20 अक्तूबर, 1980 के दौरान एच० एस० डी० की पूर्ति की गयी, जो दर्शायी गयी है।

	(आंकड़े कि० लिटर में)	
	1979 (जनवरी-दिसम्बर)	जनवरी-अक्तूबर 20, 1980
मवाना फिलिंग स्टेशन, मवाना	537	505
राम राज सर्विस स्टेशन, राम राज	739	344
अरुण फिलिंग स्टेशन, येशुमा	378	260
मिलन फिलिंग स्टेशन, किला परिक्षतगढ़	508	483
फार्म फ्यूल सेन्टर, किथोड़	535	518
मवाना आडटो स्टोर्स, मवाना	1031	828*
करनवाल आटोमोवाइल्स, मवाना	305	397*

* अक्तूबर, 1980 तक।

चित्रांकन के अधिकारों का निर्यात

3055. **श्री के० प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म निर्माता यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें चित्रांकन के अधिकारों को निर्यात करने के बारे में विदेशी क्रेताओं के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) क्या इस बारे में उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यदल नियुक्त किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्य मंत्रालय ने मई, 1980 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री ए० के० दत्त की अध्यक्षता में मनोरंजन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में एक कार्य दल गठित किया था। कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों में से एक यह थी कि फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों के निर्यात की अनुमति केनेलाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से दी जानी चाहिए। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और 1980-81 की आयात नीति में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

टेलीविजन कार्यक्रमों में वाणिज्यिक कार्यक्रमों का अंश

3056. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन कार्यक्रम में वाणिज्यिक कार्यक्रमों के अंश को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) टेलीविजन की वाणिज्यिक सेवा से गत तीन वर्षों में राज्य-वार कितनी आय हुई;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त भाग (क) के बारे में विज्ञापन कम्पनियों के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और विज्ञापन कम्पनियों के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दूरदर्शन कार्यक्रमों में वाणिज्यिक विज्ञापनों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय दूरदर्शन केन्द्र कुल प्रेषण समय के 10% भाग वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए बेच सकते हैं किन्तु वास्तविक बेचा गया समय बहुत कम होता है। बेचे गए समय को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं :

(ख) ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र०सं०	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान कमाई गई कुल अर्जित आय		
		1977-78	1978-79	1979-80
1.	संघ शासित प्रदेश दिल्ली (दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र)	94,05,400	1,43,78500	1,81,42,875.50
2.	महाराष्ट्र (बम्बई दूरदर्शन केन्द्र)	87,19280	1,53,49,125	1,89,90,900
3.	पंजाब (जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र)	11,64,250	28,64,50	58,85,850
4.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र)	20,77,500	50,72,200	83,35,79,045
5.	तमिलनाडु (मद्रास दूरदर्शन केन्द्र)	11,47,250	31,71,250	56,46,400
6.	उत्तर प्रदेश (लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र)	8,22,00	20,80,00	32,18,850
7.	जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र)	3,75,500	9,52,250	14,23,174

(ग) और (घ) जी, हां। विज्ञापनों ने प्रचलित कार्यक्रमों के टेलीकास्ट की संख्या और आवृत्ति तथा प्रायोजित कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सुविधाओं के प्रावधानों को बढ़ाकर दूरदर्शन पर विज्ञापन समय में बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया है। वाणिज्यिक प्रेषणों के लिए उपलब्ध प्रेषण समय के 10% की सीमा के भीतर वाणिज्यिक विज्ञापन अंशों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रो-रसायन संयंत्र की स्थापना

3057. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तीन और पेट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक यंकुल पर कितनी लागत आयेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप में दो पैट्रो-रसायन गैस क्रेकर उद्योग समूहों की, एक तो महाराष्ट्र राज्य के उसार और दूसरा गुजरात राज्य के क्वास नामक स्थानों में, स्थापना करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को हाल्दिया में एक नैफ्था क्रेकर पैट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र भी जारी किया है। लागत अनुमानों सहित ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों को नूतन स्टोव की सप्लाई

3058. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र तथा देश के अनेक अन्य राज्यों को 'नूतन' स्टोव सप्लाई नहीं किये गये हैं; और

(ख) ये स्टोव प्रतिवर्ष कितनी संख्या में बनाये जा रहे हैं और गत पांच वर्षों में, राज्यवार, इसका वितरण क्या रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 10.3.1977 से नूतन स्टोव की बिक्री बाजार में आरंभ हुई। तब से इसकी वर्षवार उत्पादन तथा बिक्री नीचे दिखलाई गई है।

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
1977-78	3,00,492	2,73,831
1978-79	5,22,459	5,38,908
1979-80	4,93,695	4,73,824
1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक)	1,22,048	90,785

सीमित उपलब्धता के कारण इस समय नूतन स्टोव कुछ राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशो में ही बेचा जाता है राज्यवार बिक्री के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

हिन्दुस्तान लीवर तथा लिपटन्स के विलय का प्रस्ताव

3059, **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री सुशील भट्टाचार्य } क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर को मूल कम्पनी यूनि लीवर और लिपटन्स ने सरकार से अपने विलय के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में चरचा कोयला खान में दुर्घटना

3060. **श्री समर मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 सितम्बर, 1980 को चरचा कोयला खान (मध्य प्रदेश) में हुई दुर्घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में मारे गये, लापता हुए और घायल हुए खनिजों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या दुर्घटना के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच की गई थी; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दो गम्भीर रूप से घायल हुए, 22 को मामूली चोटें लगीं और किसी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं है।

(ग) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि सरगुजा जिले के जिलाधीश ने सम्बद्ध उप प्रभावी मैजिस्ट्रेट से मामले की जांच करने के लिए कहा है।

(घ) कोयला खानों में सुरक्षा के लिए गठित समिति ने अगस्त, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें समिति ने कोयला खानों में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक और विस्तृत सिफारशें की हैं। यह सिफारशें स्वीकार कर ली गई हैं और लागू की जा रही हैं। कोयला खानों में सुरक्षा की दशाओं में सुधार के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप दुर्घटनाओं की दर में कमी हो गई है।

दण्डकारण्य परियोजना के फालतू कर्मचारियों को खपाना

3061. **श्री समर मुखर्जी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के उन 37 फालतू कर्मचारियों को, जो इस समय कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के केन्द्रीय अतिरिक्त कर्मचारी सैल में प्रतीक्षा कर रहे हैं, खपाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों को खपाने में कितना समय लगेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) और (ख) दण्डकारण्य परियोजना के फालतू घोषित किए गए 34 कर्मचारी, अन्यत्र रोजगार पर लगाए जाने हेतु कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के केन्द्रीय (फालतू स्टाफ) सैल को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इनमें से 19 को विभिन्न सरकारी विभागों में, उपयुक्त रिक्तियों में खपाने हेतु, पहले ही उक्त विभाग द्वारा नामिक किया जा चुका है और चालू माह के दौरान शेष कर्मचारियों को नामित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

वर्ष 1980-81 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण

3062. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कितने गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य नियत किया गया है ;

(ख) उड़ीसा के कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) ग्रामीण विद्युती करण के मामले में अब तक इस राज्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वित्त वर्ष 1980-81 के दौरान योजना आयोग ने 25,000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 16,500 गांवों का विद्युतीकरण ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कमों के अन्तर्गत किए जाने की सम्भावना है।

(ख) उड़ीसा के लिए 1980-81 में 1600 नए गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 31-8-1980 तक 17,439 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं।

(घ) उड़ीसा में अब तक विद्युतीकृत 17,437 गांवों में से 208 गांव 1-4-1980 से 31-8-80 तक की अवधि के दौरान विद्युतीकृत किए गए थे। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले 166 गांव इनमें शामिल हैं।

जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

3063. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के बारे में 22 जुलाई, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5191 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियों से सम्बन्धित प्रश्न के

भाग (ख) और (ग) में पूछी गई सूचना एकत्रित कर ली गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ख) यदि नहीं, तो एकत्रित करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषध नियंत्रण (भारत) और मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात से अनुरोध किया गया था कि वे दिनांक 22-7-1980 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-5191 के क्रमशः भाग (ख) और (ग) के बारे में सूचना भेजें। औषध नियंत्रक (भारत) ने सूचित किया है कि उनको अभी तक केवल महाराष्ट्र गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक के राज्य औषध नियंत्रकों से सूचना प्राप्त हुई है और आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य औषध नियंत्रकों ने अभी सूचना नहीं भेजी है। उन्होंने आगे बताया है कि—(1) अब तक प्राप्त सूचना से यह पता लगा है कि किसी भी फर्म ने नकली औषधों का निर्माण नहीं किया है। तथापि परीक्षण करने से उनके कुछ उत्पादों को मानक स्तर का नहीं पाया गया है। जितनी बार इन कम्पनियों के उत्पादों को घटिया किस्म का पाया गया है उसके ब्यौरे संलग्न वितरण में दिये गए हैं। प्राप्त उत्तरों से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी के उत्पादों को उपयुक्त स्तर का नहीं पाया जाता है उस कम्पनी को राज्य औषध नियंत्रक द्वारा चेतावनी दी जाती है और उसको बाजार से घटिया किस्म का माल वापस लेने को कहा जाता है। जिन मामलों में घटिया किस्म के नमूनों में अधिक खराबी पायी जाती है उन मामलों में संबंधित निर्माता से उस औषध के निर्माण की अनुमति वापस ले ली जाती है। अनुमति वापस लेने के बारे में की गई कार्यवाही के ब्यौरे संलग्न वितरण में कम्पनियों के नामों के सामने दिए गए हैं। इन मामलों में भी निर्माताओं को घटिया माल बाजार से वापस लेने को कहा जाता है।

आयात लाइसेंसों के बारे में मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात के कार्यालय ने वही दोहराया है कि :—

"आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन द्वारा जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों के ब्यौरे जैसे पार्टी का नाम और पता लाइसेंस का मूल्य आदि आयात लाइसेंसों निर्यात लाइससों और औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से सप्लाई की जाती हैं।"

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	जितनी बार औषधों को घटिया किस्म का पाया गया है।
1	2	3
1.	मेसर्स बैयर (इंडिया) लि०, बम्बई	13
2.	मैसर्स भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन, पुणे	—

1	2	3
3.	मैसर्स वूट्स कम्पनी (इंडिया) बम्बई	9
4.	मैसर्स-बूरोज वैल्कम एण्ड क० (इंडिया) लि०, बम्बई	8
5.	मैसर्स बोहरिंगर नांल लि०, बम्बई	1
6.	मैसर्स सिपला, बम्बई	22 जिन मामलों में निर्माण की अनुमति वापस ली गई
7.	मैसर्स फर्मा लैब० लि०, बम्बई	3 (वही)
8	मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी हिन्दुस्तान) प्रा० लि०, बम्बई	4
9.	मैसर्स सीवा गेगी इंडिया लि०, बम्बई	4
10.	मैसर्स डफर इन्टरफ्रेन लि०, बम्बई	9
11.	मैसर्स ई मर्क (इंडिया) प्रा०, लि०, बम्बई	2
12.	मैसर्स ज्योफरी मैनर्स एण्ड क० लि०, बम्बई	4
13.	मैसर्स जर्मन रिमेडीज लि०, बम्बई	3
14.	मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज लि०, बम्बई	10
15.	मैसर्स हांफकिन इनस्ट्रीट्यूट, बम्बई	15
16.	मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, पुणे	6
17.	मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल लि०, बम्बई	7
18.	मैसर्स जोनशन एण्ड जौनशन आफ इंडिया	3
19.	मैसर्स पैक लेबोरेटरीज, बम्बई	4
20.	मैसर्स मे एण्ड बेकर लि०, लम्बई	4
21.	मैसर्स मर्क शर्प एण्ड होहमे (इंडिया) लि०, बम्बई	11
22.	मैसर्स पार्क डैविस (इंडिया) लि०, बम्बई	14
23.	मैसर्स सर्ले (इंडिया) लि०, बम्बई	1
24.	मैसर्स फाइजर लि०, बम्बई	9
25.	मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स, बम्बई	5
26.	मैसर्स सैन्डोज इंडिया लि०, बम्बई	3
27.	मैसर्स सुनीता लैबोरेटीरीज लि०,	शून्य

1	2	3
28.	मैसर्स यूनी कैम लेबोरेटरीज लि०, बम्बई	एक मामले में निर्माण की अनुमति वापस ली गई
29.	मैसर्स वान्डर लि० बम्बई	शून्य
30.	मैसर्स वैयथ लैबोरेटरीज	1
31.	मैसर्स यूनीक कैमिकल्स, बम्बई	1
32.	मैसर्स फैयर डील कारपोरेशन लि०, बम्बई	2
33.	मैसर्स थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई	4 दो मामलों में निर्माण की अनुमति वापस ली गई
34.	मैसर्स व्हिफेन (इंडिया) लि०, बम्बई	3
35.	मैसर्स इथनोर लि०, बम्बई	2 (एक मामले में निर्माण की अनुमति वापस ली गई)
36.	मैसर्स एलैम्बिक कैमिकल वर्क्स क० लि०, बरोदा	2
37.	मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स, गुजरात	शून्य
38.	मैसर्स सुहरिद गेगी लि० बरोदा	शून्य
39.	मैसर्स सैन बायोटिक्स लि०, बड़ोदा	1
40.	मैसर्स थेमिस कैमिकल्स लि०, गुजरात	3
41.	मैसर्स कादिला लैबोरेटरीज लि०, अहमदाबाद	3
42.	मैसर्स साइनामाइड (इंडिया) लि०, बलसारा	1
43.	मैसर्स इंडियन प्रोसेस कैमिकल लेबोरेटरीज बंगलौर	1
44.	मैसर्स जे० एल० मोरिसन सन एण्ड जोन्स (इंडिया) लि० बंगलौर	10
45.	मैसर्स क्योर वैल (इंडिया) लि०, हरियाणा	शून्य
46.	मैसर्स रैनबक्सी लैबोरेटरीज लि०, नई दिल्ली	1

पेपो-फिल्मस को आपरेटिव लिमिटेड द्वारा पालिस्टर फिलामेन्ट यानी उत्पादन

3064. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रो-फिल्म्स को-आपरेटिव लिमिटेड का गठन कब किया गया था और उसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं तथा उसमें पालिस्टर फिलामेन्ट यार्न का वार्षिक उत्पादन कितना होता है तथा उस उत्पादन की लागत क्या है तथा इसे किस दर पर बेचा जा रहा है; और

(ख) प्रतिवर्ष किन विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी मिलों तथा बुनकर सरकारी समितियों को कितने-कितने यार्न की सप्लाई की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) अनुमानत: यह प्रश्न पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमि० से सम्बन्धित है। इसको दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत 10 सितम्बर, 1974 को पंजीकृत किया गया था।

31-10-1980 की यथा स्थिति में इसमें 987 नियमित कर्मचारी थे इस समिति ने वर्ष 1979-80 (जुलाई-जून) के दौरान 2332 मीट्रिक टन पालिएस्टर फिलामेंट तन्तु का उत्पादन किया था।

उत्पादन लागत को बतलाना समिति के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

वर्तमान बिक्री मूल्य जिसमें उत्पादन शुल्क, विक्रेता कमीशन, बिक्री कर आदि शामिल नहीं किया गया निम्न रूप में है :—

	(रुपये प्रति किलो ग्राम)
76 डेनियर (प्रथम किस्म)	57.60 रुपये
150 डेनियर	53.60 रुपये

(ख) विभिन्न संगठनों को गत तीन वर्षों के दौरान बेचे गए धागे की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	सरकारी मिलें	सहकारी समितियां	अन्य	योग
			(मैट्रिक टनों में)	
(जुलाई-जून)				
1977-78	—	3	334	337
1978-79	11	326	3186	3523
1979-80	31	375	2846	3252

देश में कोयले के भण्डार

3065. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वर्तमान धातु-कर्म और गैर-धातु कर्म कोयले के आरक्षित भंडारों से कब तक कोयला मिलते रहने की आशा है; और

(ख) देश में मांग की पूर्ति करते रहने के साथ-साथ उन्हें अधिक समय तक चलने योग्य बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री(श्री विक्रम महाजन) :(क)ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल (1979) की रिपोर्ट के अनुसार, यह मानकर कि कोयले का वार्षिक उत्पादन सन् 2000 तक 400 मि० टन हो जाएगा और उसके बाद उसी स्तर पर बना रहेगा, कोयले के उपलब्ध भण्डार सन् 2000 के बाद 90 वर्ष तक चलते रहेंगे। धातुकर्मी कोयला और प्राइम कोककर कोयला, जो कि वर्तमान उपलब्ध प्रोद्योगिकी के अनुसार कोककर कोयले का कम से कम 50 प्रतिशत होगा लगभग सन् 2025 ई० तक समाप्त हो सकता है।

(ख) कोयला भण्डारों को अधिक समय तक चलाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) माल निालने की स्थिति में सुधार के लिए जहां साध्य हो वहां ओपेनकास्ट खनन अपनाना।

(2) भूमिगत खानों में नई खनन प्रौद्योगिकी अपनाना ताकि कोयला भण्डारों से अधिक कोयला निकल सके।

(3) घटिया ग्रेट के कोयले का परिष्करण ताकि उसका औद्योगिक इस्तेमाल हो सके।

(4) कोककर कोयले के संरक्षण की दृष्टि से धमन भट्टियों में कोककर कोयले का प्रयोग।

(5) ऐसी उपयुक्त खनन तकनीकें खोजने के लिए अनुसंधान और विकास के प्रयास जिनसे वह गहरी और पतली कोयला सीमें भी खोदी जा सकें जिन्हें खोदना अभी आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं समझा जा रहा है।

(6) कोयले का उपभोग कम करने के लिए कोयले को जलाने की पद्धति/उपभोग की दक्षता में सुधार।

ऋण की वसूली छोड़ने के लिए आवेदन-पत्र

3066. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या विधि, न्याय और कम्पनीकार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 309 (5 ख) और 314 (2) (ख) के अन्तर्गत ऋण की वसूली छोड़ने के लिए कोई आवेदन-पत्र मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के नाम क्या हैं, निदेशकों के नाम क्या हैं, और कितनी राशि छोड़ने के लिए मांग की गई हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) ऐसी परिकल्पना है कि मानवीय सदस्य प्रबन्धककीय कर्मिकों को दिये गये अधिक पारिश्रमिक को त्याग देने के आवेदन-पत्रों को संदर्भित कर रहे हैं। ऋणों की वसूली, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 309 (5ख) तथा 314 (2) (ख) के विषयान्तर्गत नहीं आती।

अपेक्षित सूचना देते हुये एक विवरण संलग्न है। सूचना, 1-1-1-1980 से 30-11-1980 तक की अवधि में प्राप्त आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	कम्पनी अधिनियम 1956 को धारा 309 (5ख)/314 (2)(ख) के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों की तारीख	उन निदेशकों के नाम, पदनाम सहित, जिनसे राशि सम्बन्धित है।	कुल ग्रस्त राशि
1	2	3	4	5
1.	दक्षिण भारत हिन्द प्रचार सभा प्रिन्टिंग कम्पनी प्रा० लि०	3-6-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	1. श्री के० एस० रमन मेनन निदेशक	16507 रु०
			2. श्री एम०के० थंकाप्पन, निदेशक	14307 रु०
2.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	20-5-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	1. श्री जे० बी० मलिक पूर्णकालिक निदेशक	17982 रु०
			2. श्री एम० एच० विजवेकाते (प्रबन्ध निदेशक)	13000 रु०
3.	ब्रिटिशपेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड	14-3-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	श्री डी० मधुकर (प्रबन्ध निदेशक)	44855 रु०
4.	वैनेविल डाईज एन्ड कैमीकल्स लि०	8-9-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	श्री जी० दौराई (प्रबन्ध निदेशक)	17733/-रु०
5.	मै० मंगलम सीमैन्ट्स लि०	15-1-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	श्री डी० पी० मालू (प्रबन्ध निदेशक)	36480/-रु०
6.	मै० नीलगिरी डेरी फार्म लि०	24-1-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	1. श्री एम० चेनी अप्पान (प्रबन्ध निदेशक)	77,500/-रु०

1	2	3	4	5
			2. श्री एम० एस० मनी (पूर्णकालिक निदेशक)	77,750/-रु०
			3. श्री एम० चेलायन (पूर्णकालिक निदेशक)	77,750/-रु०
			4. श्री सी० रामचन्द्रन (पूर्णकालिक निदेशक)	75,500/-रु०
7.	मै० मैसूर टोबाकू कम्पनी लि०	20-2-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	श्री के० एस० शिवाप्पा (प्रबन्ध निदेशक)	2356/-रु०
8.	मै० मैथोना टी कम्पनी लि०	17-9-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	श्री एम० पी० गोयनका (प्रबन्ध निदेशक)	24,976/-रु०
9.	मै० महिन्द्रा स्पाईसर लि०	13-10-1980 धारा 309 (5ख) के अन्तर्गत	श्री पी० के० पाटिल (प्रबन्ध निदेशक)	33,468/-रु०
10.	मै० नामको रबड़ एण्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड	14-1-1980 धारा 314 (2) (ख)	श्री आर० कल्याणारमन (कार्यालय अधीक्षक)	50,909/-रु०

चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मुकद्दमे

3067. **श्री डी० एम० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चलचित्र अधिनियम की धारा 7 (1) (ख) (ग) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के विरुद्ध कोई मुकदमे चलाए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों और कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं और उन मुकदमों के क्या परिणाम रहे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल के पोर्ट केनिंग पत्तन क्षेत्र में तेल के लिए छिद्रण

3068. **श्री संतोष कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल के केनिंग पत्तन क्षेत्र में तेल का पता लगाने के लिए छिद्रण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा और इसका परित्याग कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या थे; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां । 1959-60 में इन्डो-स्टेन्वेक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट द्वारा एक कुआं खोदा गया था ।

(ख) और (ग) 4041.3 मीटरों की गहराई तक कुएं की खुदाई की गई थी परन्तु दो क्षितिजों का परीक्षण करने के पश्चात तकनीकी कारणों से उसे बन्द कर दिया गया ।

(घ) खुदाई कार्य का पुनः शुरू किया जाना इस क्षेत्र में और इसके आस-पास किये जाने वाले प्रस्तावित भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

दण्डकारण्य परियोजना के छंटनी किये गये कार्य प्रभारित कर्मचारियों को खपाना

3069. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजन (मध्य प्रदेश) के मेकेनीकल डिवीजन के कार्य प्रभारित 14 छंटनी किये कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियों में खपाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस वर्ष के अन्त तक इन्हें वैकल्पिक नौकरियों से खपा दिए जाने की संभावना है।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) फालतू स्टाक को पुनः लगाए जाने की योजना के अन्तर्गत छंटनी किए गए कार्य प्रभारित कर्मचारी वैकल्पिक रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, अनुकम्पा के आधार पर पुनर्वास विभाग द्वारा किये गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, पहली फरवरी, 1980 से छंटनी किए गए 84 कार्य प्रभारित कर्मचारियों में में से अधिकांश को वैकल्पिक नौकरियों में लगा दिया गया है। इस विभाग द्वारा किए गए भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी, 14 कर्मचारी खपाए नहीं गए हैं। उन्हें अधिसूचित की गई रिक्तयों के विरुद्ध फिर से रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालयों की सहायता लेनी चाहिए।

उड़ीसा के सभी नगरों में की गई बिजली की कटौती

3070. **श्री केo प्रधानी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के सभी नगरों में एक समान बिजली की कटौती की जाती है अथवा उक्त कटौती नगर-प्रति-नगर भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घंटे बिजली सप्लाई की जाती है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सूखे की स्थिति में बिजली की भारी कटौती के कारण लोगों को कितनी भारी परेशानी हो रही है; और

(घ) सरकार उड़ीसा राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय लोगों की बिजली की पूरी मांग कब पूरा कर पायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। इस समय उड़ीसा में विद्युत की कोई कटौती नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत की मौजूदा मांग पूरी तरह से पूरी की जा रही है।

गुजरात के छोटा उदयपुर तालुका में ग्रामीण विद्युतीकरण

3071. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर तालुका में ऐसे कुल कितने-कितने कस्बे और गांव हैं जिनमें 31 दिसम्बर, 1980 तक बिजली पहुंच जायेगी;

(ख) कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(ग) क्या इस वर्ष गांवों का विद्युतीकरण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया और ऐसे गांवों की संख्या क्या है; और

(घ) गुजरात राज्य में छोटा उदयपुर तालुका के सभी गांवों को कब तक बिजली दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विकम महाजन) : (क) 31-3-80 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर तालुका के 279 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। इनमें, 1971 की जनगणना के अनुसार इस तालुक के सभी कस्बे शामिल हैं।

(ख) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार 197 गांवों का विद्युतीकरण बाकी रह गया था। इनमें से कुछ गांव हिरन बांध परियोजना में जलमग्न हो जाएंगे।

(ग) सामान्यतः गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य सारे राज्य के लिए निर्धारित किया जाता है और इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जो गांव हिरन बांध परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न हो जाएंगे उन गांवों को छोड़कर सभी गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है तथा 1980-85 तक इनका विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम है।

फिल्मों के निर्माताओं के लिये वित्तीय सहायता

3072. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि प्रतिभावान छोटे फिल्म निर्माता पर्याप्त धन की कमी के कारण अच्छी कलात्मक फिल्मों का निर्माण करने में दिक्कत अनुभव कर रहे है; और

(ख) ऐसे छोटे फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी, हां।

(ख) सोद्देश्य विषयों पर अच्छी कोटि की फिल्मों के निर्माण के लिये आर्थिक तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने 1960 में फिल्म वित्त निगम की स्थापना की थी। इस निगम का 11-4-80 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ समामेलन कर दिया गया था। अब अच्छी कलात्मक फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म प्रोड्यूसरों को ऋण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दिए जाते हैं।

शाहजहांपुर में खाना पकाने की गैस के सप्लाई केन्द्र की मांग

3073. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर शहर में खाना पकाने की गैस के एक सप्लाई केन्द्र को खोले जाने की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) और (ख) तेल उद्योग द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान शाहजहांपुर नगर में एक पेट्रोलियम गैस एजेंसी खोलने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय राष्ट्र मण्डलीय सम्मेलन के बारे में आकाशवाणी समाचार

3074. **श्री रामविलास पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन के सम्बन्ध में समाचारों का प्रसारण इस ढंग से किया था कि उसमें पक्षपात किए जाने की झलक आती थी;

(ख) क्या विभिन्न राज्याध्यक्षों के विचारों को सही रूप में प्रसारित नहीं किया गया था; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर "हां" में है तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निचलेन्यायालयों में लोगों को कथित परेशान किया जाना

3075. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री विलास मुत्तेमवार } क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या गत सितम्बर में उन्होंने पटना में कहा था कि निचले न्यायालयों में जाने वाले गरीब लोगों को इन न्यायालयों के कर्मचारियों द्वारा इतना ज्यादा परेशान किया जाता है। जिससे न्यायपालिका के प्रति इनमें निराशा की भावना व्याप्त हो रही है; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पटना में तारीख 14 सितम्बर, 1980 को बिहार न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मैंने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास समाप्त होता जा रहा है क्योंकि न्यायलयों में गरीब लोगों को वहां के निम्नतर कर्मचारियों के हाथों काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसी भाषण में न्यायिक अधिकारियों से यह अपील की गई थी कि वे न्याय प्रणाली की गरिमा को पुनःस्थापित करने के लिए भरसक प्रयास करें।

(ख) समुचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्यों, उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की है।

बिहार के गिरिडिह जिले की सवांग कोयला खानों में दुर्घटना

3076. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गिरिडिह जिले की सवांग कोयला खानों में 18-1-79 को

एक घातक दुर्घटना में तीन व्यक्ति मारे गये और गोली चलाने वाला एक व्यक्ति तथा एक नेता, जो बुरी तरह घायल थे, बच निकले और इस दुर्घटना के लिये गोली चलाने वाले को जिम्मेदार ठहराया गया है, धारा 41 और 42 के अन्तर्गत उसे दण्ड का दोसी पाया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंजीनियरों की पदोन्नति कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की छानबीन के लिये संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सवांग कोलियरी में 12-11979 को हुई दुर्घटना के फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, खनन सरदार (जो शाटफायरर का काम कर रहा था) को गम्भीर चोट लगी और एक कोयला लोडर को मामूली चोट लगी। खान सुरक्षा महानिदेशक के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना खनन सरदार द्वारा निर्णय करने में गलती के कारण हुई और खनन सरदार स्वयं भी गम्भीर रूप से घायल हो गया। इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि किसी अधिकारी या इंजीनियर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था इसलिए उनकी पदोन्नति रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्र में ज्वार भाटों से बिजली का उत्पादन

3077. **श्री एस० एम० कृष्ण**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री के० ए० स्वामी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या समुद्र में ज्वार भाटों से बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई अध्ययन किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये ज्वार भाटों का प्रयोग करने के कोई प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) कब और कहां तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) समुद्र में ज्वार भाटों से ऊर्जा का उत्पादन करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में गुजरात में कच्छ की खाड़ी में अन्वेषण और अध्ययन शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसकी अनुमानित लागत 2.13 करोड़ रुपये है। इन अध्ययनों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अल्पकालिक क्षेत्रीय अन्वेषण;

(2) प्रयोगशाला अध्ययन; तथा

(3) दीर्घकालिक अन्वेषण।

इन अध्ययनों से एकत्रित आधार सामग्री से कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत के विकास हेतु प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना सम्भव हो जाएगा तथा यह सुनिश्चित हो जाएगा कि क्या परियोजना का क्रियान्वयन तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है।

पश्चिमी बंगाल को कोयले का आवंटन

3078. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 134 पार्टियों को, जिनमें से 119 पार्टियां पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले की हैं, कोयले के आवंटन के बारे में कोई जांच के आदेश दिये हैं अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले और वह रिपोर्ट किस प्रकार की है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने कोल इंडिया द्वारा 133 पार्टियों को कोयले के आवंटन की बात सरकार के ध्यान में लाई थी—इन पार्टियों में से 119 मालूदा जिले में थीं। चूंकि इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं की गई थी और अकोककर कोयले की बिक्री और वितरण पर कोई सांविधिक नियन्त्रण भी नहीं है, इसलिए इस मामले में जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रेस आयोग

3079. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) प्रेस आयोग के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या प्रेस आयोग की अवधि को, जो दिसम्बर, 1980 में समाप्त हो रही है, बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) श्री एम० वी० देसाई के सेवानिवृत्त होने पर प्रेस आयोग के सचिव की नियुक्ति में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार आयोग के अध्यक्ष को बदलने अथवा आयोग का पुनर्गठन करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) पुनर्गठित प्रेस आयोग ने पहले हुए कार्य का जायजा लिया है। इसने अब तक 6 बैठकें की हैं और इसने उन क्षेत्रों का भी पता किया है जिनके बारे में नया कार्य करने की जरूरत है। संशोधित विचारणीय विषयों में शामिल कुछ नए मुद्दों के बारे में एक नई प्रश्नावली जारी किए जाने की सम्भावना है पुनर्गठित प्रेस आयोग ने संशोधित विचारणीय विषयों के बारे में लोगों और एसोसिएशनों से ज्ञापन भी आमन्त्रित किए हैं। अब तक 225 ज्ञापन प्राप्त हो चुके हैं जिनमें 79 ज्ञापन संशोधित विचारणीय विषयों के बारे में जारी की गई अधिसूचना के उत्तर में हैं।

(ख) पुनर्गठित प्रेस आयोग के संशोधित और विस्तृत विचारणीय विषयों को देखते हुए, सरकार का प्रेस आयोग के दिसम्बर, 1980 के बाद अपना कार्यकाल बढ़ाने के अनुरोध पर अनुकूल विचार करने का विचार है ।

(ग) अब प्रेस आयोग के नए सचिव की आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद नियुक्ति कर दी गई है। इस प्रकार, इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में दर्ज फर्में

3080. **श्री निहाल सिंह** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने अक्तूबर, 1980 तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अपने नाम दर्ज करवाये थे तथा उनमें से भारतीय और विदेशी फर्में कितनी हैं; और

(ख) जिन फर्मों ने अपने नाम दर्ज करवा रखे हैं, उनके द्वारा किन-किन जिन्सों की सप्लाई की जायेगी तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक फर्म ने कितने मूल्य का सामान सप्ल किया ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथा (ख) 31-1-80 को, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में 2759 भारतीय वर्ष तथा 90 विदेशी फर्मों के नाम पंजीकृत थे। अद्यतन सूची एकत्रित की जा रही है और अनुमान है कि 31-3-81 तक यह तैयार हो जाएगी। केवल पंजीकृत सप्लाईकर्त्ताओं से प्राप्त होने वाले सामान के मूल्य के बारे में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पंजीकृत फर्म द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं तथा सप्लाई किए गए सामान के मूल्य के बारे में सूचना एकत्रित करने पर होने वाला व्यय तथा श्रम, प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

"कोल फैमिन हिट्स शिमला" शीर्षक से समाचार

3081. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "कोल फैमिन हिट्स शिमला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो शिमला को कोयले की सप्लाई करने में जो ठण्ड से बचने के लिए सर्दी के मौसम में एक आवश्यक पदार्थ है, सरकार के मुक्त रवैये के कारण हैं; और

(ग) शिमला के प्रत्येक परिवार को कोयले की युद्ध-स्तर पर पर्याप्त सप्लाई की, विशेष रूप से आगामी सर्दी और हिमपात के मौसम में, सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश को कोयले और साफ्ट कोक की सप्लाई में कुछ कमी हुई है जिसका मुख्य कारण परिवहन के अपर्याप्त साधन थे। सरकार ने इस समस्या को सुलझाने में कोई उदासीनता नहीं दिखाई है। कोयला कम्पनियां सभी स्तरों पर रेल प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि रेल द्वारा कोयले और साफ्ट कोक की अधिकतम ढुलाई हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं

सहित सभी उपभोक्ताओं के लाभ के लिए की जा सके। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई की निगरानी एक "औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति" भी उच्चतम स्तर पर कर रही है। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए साफ्ट कोक की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि० इस राज्य में दो कोयला टाल खोलेगी।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के लिए धन

3082. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव को धन का कमी होने के कारण स्थगित किए जाने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में लघु उद्योगों को कोयले की सप्लाई

3083. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को निम्नांकित कच्चे माल की सप्लाई हेतु महाराष्ट्र के लिये कितना कोटा नियत किया गया था :

(एक) भाप का कोयला (स्टीम कोल)

(दो) (एक्स) बाई प्रोडक्ट हार्ड कोक और (बाई) वी हाइव हार्ड कोक

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी वास्तविक सप्लाई की गई ; और

(ग) सरकार का विचार इस कच्चे माल की मांग और सप्लाई में समन्वय के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) स्टीम कोयले का उपभोग मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तन, वस्त्र/रेयन उद्योग और लघु उद्योगों में औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रों में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ही महाराष्ट्र के औद्योगिक यूनिटों को मुख्य रूप से कोयला सप्लाई करता है। इन क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों में कोयले की सप्लाई का कार्यक्रम और वास्तविक प्रेक्षण तथा इस वर्ष के भी सम्बन्धित आंकड़े दिए गये हैं :—

वर्ष	सप्लाई का कार्यक्रम	वास्तविक प्रेषण
1977-78	1.20 मि० टन	1.12 मि० टन
1978-79	1.23 मि० टन	0.97 मि० टन
1979-80	1.13 मि० टन	1.14 मि० टन
1980-81 (अप्रैल-सितम्बर अन्तिम आंकड़े)	0.75 मि० टन	0.63 मि० टन

किसी भी राज्य के लिए हार्ड कोक की सप्लाई का कोई कोटा नहीं निश्चित किया गया है। परन्तु 1979 के प्रारम्भिक दिनों में उपउत्पाद और बीहाईव कोक की उपलब्धि और परिवहन साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए 12,000 टन उप-उत्पाद और 36,000 टन बीहाइव कोक प्रतिवर्ष महाराष्ट्र को आवंटित किया गया था। हार्ड कोक की वास्तविक प्रेषण इस प्रकार रहा है :—

महाराष्ट्र को हार्ड कोक का प्रेषण (000 टनों में)

वर्ष	उप-उत्पाद कोक	बीहाइव कोक	कुल
		(अनुमानित)	
1977-78	18	61	79
1978-79	14	50	64
1979-80	12	42	54
1980-81 (अप्रैल-सितम्बर)	5	23	28

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड उपभोक्ताओं को अधिकतम कोयला और कोक पहुंचाने की दृष्टि से रेलवे के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखता है। प्रायोजित मात्रा में रेल द्वारा कोयले और कोक के संचलन में जो कमी रह जाती है वह सड़क द्वारा ले जाने के लिये भी दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट खानों का कोयला और बीहाइव कोक बिना किसी प्रतिबन्ध के खुली बिक्री के लिए भी अलग कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के उपभोक्ताओं को सितम्बर नवम्बर 1980 में लगभग 15,000 टन कोयला बेचा गया है। रेल द्वारा कोयले के संचलन और कोयले के उत्पादन पर "औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी मन्त्रीमण्डलीय समिति" भी उच्चतम स्तर पर निगरानी रख रही है।

विधि आयोग का पुनर्गठन

3084. डा० वसन्त कुमार पंडित
श्री पी० एम० सईद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री एन० के० शेजवलकर
श्री सतीश अग्रवाल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के पुनर्गठन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या सरकार आयोग के विचारार्थ विषयों में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ग) नये विधि आयोग और इसके कार्मिकों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) आयोग के विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में विनिश्चय उस समय किया जाएगा जब उसका पुनर्गठन किया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के प्रसारणों का जाम किया जाना

3085. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 8 महीनों के दौरान आकाशवाणी के अनेक प्रसारणों को किन्हीं विदेशी एजेन्सियों द्वारा जाम किया गया है, यदि हां, तो कितनी बार तथा किन विशेष कार्यक्रमों को चीन, पाकिस्तान और अथवा अन्य किसी देश द्वारा जाम किया गया, रिकार्ड किया गया है; और

(ख) आकाशवाणी के कार्यक्रमों के विशेष रूप से विदेशों के लिये प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को, जाम न होने देने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी के किसी भी प्रसारण को "जाम" (इस शब्द का उपयोग जाम किए गए सिगनल को सुने न जा सकने योग्य बनाने के विचार से जानबूझकर किए गए हस्तक्षेप को सूचित करने के लिए किया जाता है) करने का.....हाल ही में कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। कुछ मामलों में, जाम होने के प्रभाव कतिपय आवृत्तियों पर देखे गए हैं किन्तु इस बात का प्रमाण नहीं है कि इन मामलों में इरादा आकाशवाणी के प्रेषणों को प्रभावित करने का था। इसके अलावा, प्रसारण सेवा के लिए आबंटित किए गए आवृत्ति बैंडों में संकुलन के कारण आकाशवाणी के कुछ प्रेषण अन्य देशों के प्रसारण केन्द्रों के प्रचालन से प्रभावित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक रसायनों की काले बाजार में बिक्री

3086. **के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं कि आवश्यक रसायनों को उनकी उत्पादन-लागत में कई गुना ऊंचे मूल्यों पर काला बाजार में बेचा जाता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो माह के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस कदाचार को तत्काल बन्द करने के लिए क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :—(क) और (ख) आम-तौर पर बेसिक रसायनों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान सोडा ऐश के निर्माता मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हो गई है । यद्यपि सोडा ऐश के मूल्य और उसके वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी उसकी उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नांकित उपाय किये हैं :—

(1) सोडा ऐश के सभी निर्माताओं को मार्गदर्शन जारी किये गये हैं ताकि औद्योगिक उप भोक्ताओं को वर्ष 1977 में सप्लाई की गई मात्रा के बराबर सप्लाई की जा सके ।

(2) लघु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रतिमाह 1000 टन सोडा एश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फैडरेशन को सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है जिसका विवरण उनके खुदरा केन्द्रों के माध्यम से देश भर में किया जायेगा ।

(3) वर्ष 1979-80 में स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) के माध्यम से 19,100 टन हल्के सोडा ऐश का आयात किया गया था, और उसे राज्य सरकार की ऐजेन्सियों के माध्यम से लघु उद्योग को वितरित किया गया था । इस वर्ष भी स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकलस कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से 20,000 टन सोडा ऐश को आयात करने का निर्णय किया गया है ।

(4) वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये सोडा ऐश के आयात को खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत रखा गया है और सोडा ऐश के आयात पर से सीमा शुल्क को हल्के और ठोस सोडा ऐश केमामले में 75 प्रतिशत से घटा कर क्रमश: 35 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(5) निर्माताओं द्वारा की जाने वाली सप्लाई पर सरकार द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है । सिविल सरकारी विभागों, सोडा ऐश के प्रमुख उपभोक्ताओं और उसके निर्माताओं के प्रतिनिधियों को मिलाकर सोडा ऐश की एक स्थायी समिति नियुक्त की गई है जो सोडा ऐश के उत्पादन उपलब्धता और उसके विवरण की समय-समय पर समीक्षा करती है ।

देश में सोडा ऐश के उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्मित मूल्य पर सीधे ही बेचा जाता है। शेष मात्रा को व्यापारियों के माध्यम से बाजार में बेचा जा रहा है।

सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणाम स्वरूप सोडा ऐश की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है।

उड़ीसा में कुकिंग गैस कनेक्शन

3087. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार जून, 1980 तक कुल कितने कुकिंग गैस कनेक्शन थे;

(ख) उड़ीसा के प्रत्येक जिले में कुल कितने कुकिंग कनेक्शन हैं; और

(ग) जिन क्षेत्रों में अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं वहां गैस-कनेक्शन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जून, 1980 तक देश भर में दिये गये गैस कनेक्शनों की राज्य वार सं० इस प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य/संघीय क्षेत्र का नाम	दिये गये गैस कनेक्शनों की कुल सं
1	जे०एण्ड के०	19,650
2	असम	25,107
3	आन्ध्र प्रदेश	1,98,595
4	बिहार	1,02,173
5	गुजरात	3,37,665
6	हरियाणा	53,993
7	कर्नाटक	1,23,270
8	हिमाचल प्रदेश	5,323
9	केरल	58,425
10	मणीपुर	1,239
11	मेघालय	3,032
12	मिजोरम	1,057
13	मध्य प्रदेश	1,60,726
14	नागालैंड	2,267
15	उड़ीसा	36,284
16	पंजाब	55,484

१	२	३
17	राजस्थान	51,627
18	सिक्कम	1,170
19	त्रिपुरा	1,110
20	उत्तर प्रदेश	2,70,976
21	तमिलनाडु	2,13,540
22	दिल्ली	3,03,844
23	चंडीगढ	26,893
24	पांडीचेरी	5,614
25	पश्चिम बंगाल	1,73,074
26	गोआ	12,228
27	महाराष्ट्र	8,96,599
	योग	31,50,964

(ख) उड़ीसा के प्रत्येक जिले में दिये गये गैस कनेक्शनों की कुल सं० इस प्रकार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	गैस कनेक्शनों की कुल सं०
1	पुरी	9,464
2	कोरापुर	2,071
3	सम्मबल पुर	3,630
4	गंजम	4,596
5	बालासोर	738
6	कट्टक	8,675
7	सुन्दर गढ़	6,007
	कुल:	35,181

(ग) उन सभी जिला मुख्यालयों में जहाँ अभी तक गैस नहीं दी गई है, और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में, अगले वर्ष अतिरिक्त एल० पी० जी० मिलना आरम्भ हो जाने पर खाना पकाने की गैस का विवरण आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

"पार्टिसिपैन्ट्स इन फिल्म फैस्टीवल" शीर्षक समाचार

3088. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पार्टिसिपेन्ट्स इन फिल्म फेस्टीवल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो फिल्म समारोह कहां पर होगा, कब होगा तथा कितने देशों ने इसमें भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है और कितने देश अपनी इच्छा प्रकट करने वाले हैं ; और

(ग) सर्वोत्तम फिल्मों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है और क्या इन फिल्मों को देश में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रिलीज किया जायेगा ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार ने 12.11.80 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली "पार्टिसिपैंट्स इन फिल्म फेस्टीवल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार को देखा है ।

(ख) भारत का 8 वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नई दिल्ली में 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1981 तक होगा । 61 देशों ने इस समारोह में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है ; सम्भवतया कुछ और देश समारोह के शुरू होने से पहले अपनी इच्छा भेजें ।

(ग) निम्नलिखित पुरस्कार देने का प्रस्ताव है :—

फीचर फिल्में :

सर्वोत्तम फिल्म	—	स्वर्ण मयूर
सर्वोत्तम निर्देशक	—	रजत मयूर
सर्वोत्तम अभिनेता	—	रजत मयूर
सर्वोत्तम अभिनेत्री	—	रजत मयूर
विशेष जूरी पुरस्कार	—	रजत मयूर

लघु फिल्में

सर्वोत्तम फिल्म	—	स्वर्ण मयूर
विशेष जूरी पुरस्कार	—	रजत मयूर (वैकल्पिक)

समारोह में प्रविष्ट होने वाली फिल्मों को देश में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रिलीज नहीं किया जायेगा, क्योंकि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों के अन्तर्गत किया जाता है जिसमें यह निर्धारित है कि फिल्म को तीन बार से अधिक नहीं दिखाया जा सकता और यह कि किसी भी फिल्म को उस शहर, जिसमें समारोह होता है, से बाहर नहीं दिखाया जायेगा ।

डीजल वितरण सम्बन्धी नीति

3089. **श्री शिव कुमार मिश्र** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "लैक आफ यूनिफार्म पालिसी क्रिएट्स क्यास" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को डीजल के उचित वितरण के बारे में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक सामान्य नीति जारी न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) डीजल और अन्य तेलों की कमी का जिन राज्यों पर अधिक असर पड़ा है और स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को डीजल के वितरण के लिए अपनी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) यह मन्त्रालय राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी० (का कुल मासिक आवटन करता है। राज्य सरकारें इस आवंटन को एच० एस० डी० उपभोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन, उद्योग आदि को राज्य सरकार द्वारा डीजल के विभिन्न प्रयोगों के लिए आवश्यकता के आधार पर, जो प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं, तैयार की गई प्राथमिकताओं के आधार पर बांटती हैं। इस मन्त्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को सलाह दी है कि वह डीजल के विक्रय एवं वितरण को इस ढंग से नियंत्रित करें कि विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उत्पाद का उपयुक्त एवं उचित विवरण सुनिश्चित किया जा सके। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों को डीजल का दिया जाना राज्य सरकार द्वारा इसके लिए तैयार नियमों एवं आदेशों द्वारा नियत्रित किया जाता है। राज्य के आकार के आधार पर तथा एवं राज्य से गुजरने वाले वाहनों की संख्या के आधार पर वाहनों को डीजल के दिए जाने की मात्रा अलग-अलग होती है।

(ग) हाल के महीनों में सभी राज्यों में, केवल उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर, डीजल की मांग को आम तौर पर पूरी तरह पूरा किया गया है। दूसरे जनता के उपयोग के पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता आमतौर पर सन्तोषजनक रही है।

(घ) चूंकि डीजल के वितरण की वर्तमान नीति सही प्रकार से कार्य कर रही है इस कारण इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है।

विदर्भ में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

3090. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के सांसदों तथा विधायकों ने, जैसा कि दिनांक 14 अक्तूबर, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित था, विदर्भ में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के सम्बन्ध में हाल ही में प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किये जाने वाले उद्योग समूह की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी, इसमें कौन-कौन से पेट्रो-रसायनों का उत्पादन होगा, कितनी धनराशि खर्च होगी और इसमें

उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की आशा है, की जानकारी सहित इसका अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश में भी उद्योग-समूह की स्थापना करने सम्बन्धी किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने महाराष्ट्र में थाल वेशिष्ट के दक्षिण में उसार में एक पेट्रो-रसायन समूह अर्थात एक गैस क्रेकर तथा उसकी डाउन स्ट्रीम यूनिटों की स्थापना करने के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय किया है। समूह के बारे में ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक एरोमेटिक्स समूह की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं जिस पर सरकार द्वारा एरोमेटिकस परियोजनाओं की स्थापना के लिये उचित स्थल की अनुशसा के लिये गठित स्थल चयन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रेस सूचना ब्यूरो की आलोचना वाला लेख

3091. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सत्यनारायण जटिया } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1980 के 'दि स्टेटमेन' में छपे लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें प्रेस सूचना ब्यूरो के बारे में यह आलोचना की गई है कि प्रेस सूचना ब्यूरो ऐसे ढंग और ऐसे रूप में देता है जिससे न केवल उसकी अपनी साख गिरती है बल्कि सरकार में विश्वास भी कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस लेख में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख है और उनमें से प्रत्येक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। 'दि स्टेट्समेन' ने 2 अक्तूबर, 1980 के अपने संस्करण में पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण पर एक लेख छापा था।

(ख) उक्त लेख में लगाए गए मुख्य आरोप ये हैं (1) दो अध्यादेशों अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के पूरे पाठों को, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी किए गए हेड-आऊटों के साथ-साथ समाचार पत्रों को जारी नहीं किया गया था, (2) इन रिलीजों में उक्त अध्यादेशों के प्रख्यापन को उचित ठहराने का प्रयास किया गया था, (3) पत्र सूचना कार्यालय ने 'संजय समाधि' पर एक गैर-सरकारी स्पष्टीकरण रिलीज किया था, (4) पत्र सूचना कार्यालय मंत्रियों की राजनितिक गतिविधियों को भी कवर करता है और पत्र सूचना

कार्यालय के अधिकारी मंत्रियों के जन-संम्पर्क अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं, (5) यह निगम कि पत्रकार संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारियों से सूचना प्राप्त करें, समाचार पत्रों के मुक्त प्रवाह में बाधक है; और (6) पत्र सूचना कार्यालय प्रेस सम्मेलनों का अक्सर आयोजन नहीं करता। इन सभी बातों की सरकार द्वारा जांच की गई है और इनमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई है।

प्रोड्यूसरों तथा प्रोडक्शन असिस्टेंटों के लिए स्थानान्तरण नीति

3092. **श्री रसीद मसूद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति प्रोडयूसरों तथा प्रोडक्शन असिस्टेंटों पर लागू नहीं होती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली स्थित आकाशवाणी की केन्द्रीय प्रसारण सेवा के कुछ कर्मचारी यहां पर गत लगभग सात वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उनका कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ है; और यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमरी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों और प्रोड्क्शन असिस्टेंटों, जो स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में जाने जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से संबंधित हैं, को विधा, भाषा और आकाशवाणी के केन्द्र विशेष में कार्य करने की उपयुक्तता के विशेष संदर्भ में संविदाओं पर लगाया जाना है। इस कारण, आकाशवाणी के सिविल कर्मचारियों के विपरीत, उनका स्थानान्तरण निर्दिष्ट अवधि के बीत जाने के बाद सामान्य क्रम में नहीं किया जाता। तथापि, उनके साथ की गई संविदाओं में यह व्यवस्था होती है कि जब भी आवश्यक हो उनको यथास्थिति स्थानान्तरण/दौरे या काम पर देश के किसी भी भाग में जाना होगा और ऐसे कार्य करने होंगे जो उनको सौंपे जाएं।

(ख) जी, हां। जैसाकि उपयुक्त (क) में बताया गया है, आकाशवाणी के सिविल कर्मचारियों के विपरीत, स्टाफ आर्टिस्टों के स्थानांतरण को सामान्य क्रम में आवश्यक नहीं समझा जाता।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

3093. **श्री अशोक गहलोत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्मों का देश से निर्यात होता है;

(ख) यदि हां, तो 1979-80 के दौरान तथा अक्तूबर, 1980 तक देश में कितनी और कौन-सी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या भारत सरकार को इन फिल्मों से कोई विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(घ) यदि हां, तो किस फिल्म से और किस देश में से कितनी-कितनी आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

भारत पेट्रोलियम निगम का कैटेलिटक रिफार्मर यूनिट

3094. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पैट्रोलियम निगम लि० का 3,00,000 टी/ए क्षमता का एक कैटेलिटिक रिफार्मर यूनिट कई वर्षों से बेकार पड़ा है क्योंकि मोगस ओक्टैव सुधार के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी जिसके लिए यह मूलतः अभिप्रेत था या किसी अन्य कारण से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी;

(ख) क्या इस एकक की एरोमेटिक निर्माण के लिए लाभदायक ढ़ग से लगाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस यूनिट का एरोमेटिक निर्माण अथवा अन्य काम के लिए उपयोग में लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बम्बई में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० को शोधनशाला में सितम्बर, 1957 में लगभग 300,' 00 मिट्रिक टन/प्रतिवर्ष क्षमता का एक कैटेलिटिक रिफ़ार्मर यूनिट सितम्बर, 1957 से आरम्भ किया गया था। इस यूनिट को मूल रूप से मैसोलीन ओक्टैन सुधार के लिए अभिप्रेय किया गया था और उसको इस प्रकार प्रयोग 167 के आरम्भ तक किया गया था जब तक और अन्य शोधन शालाएं भारत में स्थापित हुईं और मेसोलीन नियति क्षमता भी क्षीण हो गई थी। इसको तब तक आंशिक समय के लिए ए. वी. गैस घटकों के उत्पादन के लिए अर्द्ध केटेलिस्ट्र चार्ज के साथ इस्तेमाल किया गया परन्तु इसके सुधारक खंड को अंतिम रूप से मार्च 1972 में बंद कर दिया गया था।

(ख) और (ग) अब यह प्रस्ताव है कि सुधारक यूनिट को बम्बई हाई से प्राप्त नेपथा से बेंजीन उत्पादन परियोजना जो कि इस समय कार्यान्वित की जा रही है के लिए लगभग उसकी अर्द्ध क्षमता को अन्य एरोमैटिक उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग में लाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई हाई से बेंजीन तथा टोलुइन के निर्माण की परियोजना

3095. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बम्बई हाई के नेपथा से बेन्जीन तथा टोलुइन का निर्माण करने की लघु परियोजना पर स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना को लागू करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और क्या उपलब्धि हुई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) अप्रैल 1980 में सरकार ने बम्बई हाई नेफ्था पर आधारित बेंजीन और टोलुइन के उत्पादन के लिए भारत

पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी० पी० सी० एल०) के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया हैं। बी० पी० सी० एल० एक प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

विदेशी औषध कम्पनियों की आय, आस्तियां, लाभ, लाभांश, विदेशी इक्विटी शेयर आदि

3098. **श्री तारिक अनवर**
श्री हीरा लाल आर०परमार } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में वर्ष 1974-79 के दौरान कार्यरत विदेशी औषध कम्पनियों की वर्ष-वार, कम्पनी-वार तथा देश-वार आय, आस्तियों, लाभ, लाभांशों, कुल इक्विटी शेयरों, विदेशी इक्विटी शेयरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1974 में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम में संशोधन के पांच वर्ष पूर्व की अवधि में विदेशी औषध कम्पनियों की आय, आस्तियों, लाभ, लाभांश, कुल इक्विटी शेयरों तथा विदेशी शेयरों आदि का वर्ष-वार, कम्पनी वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उपलब्ध अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 5141/80]।

(ख) वर्ष 1973-74 के पूर्व की अवधि के उस समय भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की बिक्री, परिसम्पत्ति, लाभ, लाभांश, कुल साम्यपूंजी, विदेशी साम्यपूंजी आदि के उपलब्ध आंकड़े औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति की रिपोर्ट के अध्याय 5 में अनुबन्ध 1, 4 और 5 में दिए गए हैं जिसकी प्रति दिनांक 8-5-1975 सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

शिमला में एल० पी० गैस की कमी

3099. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला शहर में 'एल० पी० गैस' की भारी कमी है और उपभोक्ताओं को एक महीने से अधिक अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसर्स हिमालय गैस कम्पनी के मालिक द्वारा उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए इसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि 1 अक्टूबर 1980 से एक दूसरा डिपो खोला गया है और एक शर्त यह लगाई गई है कि पुराने उपभोक्ता अपने कनैक्शन को इस नये डिपो में स्थानान्तरित नहीं करा सकते हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) शिमला बाजार में सप्लाई में कुछ बाधाएं आई थीं परन्तु इस समय स्थिति सामान्य है।

(ख) और (ग) देरी से रिफिल की पूर्ति तथा वितरक द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतों पर उसे चेतावनी दे दी गई है कि वह अपने ग्राहकों के प्रति नम्रता तथा सेवा में कुशलता को सुनिश्चित करे।

(घ) जी हां। एक दूसरी वितरक एजेंसी स्थापित की गई है। किन्तु ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि पुराने ग्राहक नये वितरक के पास अपना कनेक्शन स्थानान्तरित नहीं करा सकते तथा कुछ ऐसे स्थानान्तरणों के आने जाने की पहले ही खबरें मिली हैं।

दक्षिणी बंगाल में बिजली की अभूतपूर्व असफलता

3100. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी बंगाल में 13 नवम्बर, 1980 को अभूतपूर्व रूप से बिजली फेल हो गयी थी जिसके कारण, रेल, रेडियो, नलों से पानी की सप्लाई तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में दक्षिणी बंगाल में इस प्रकार का बिजली संकट रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 14-11-1980 को लगभग 05.28 बजे पश्चिम बंगाल में बिजली फेल हो गई जिसके परिणाम स्वरूप लोकोपयोगी सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयी।

(ख) नम्बरों के जल जाने तथा बाद में ग्राउण्ड फाल्ट होने के कारण एक पारेषण लाईन फेल हो जाने के फलस्वरूप प्रणाली में ब्रेकडाउन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दुर्गापुर परियोना लिमिटेड दुर्गापुर 132 पारेषण लाइन में ट्रिपिंग हो गई और पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की पारेषण प्रणाली दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड-दामोदर घाटी निगम प्रणाली से अलग-थलग हो गई। पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड से लगभग 60 मेगावाट विद्युत ले रहा था। 60 मेगावाट की साह्यता बन्द हो जाने से पश्चिमी बंगाल की प्रणाली में आवर्तिता कम होकर लगभग 45 साइकिल तक रह गई तथा प्रणाली की आवर्तिता में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर लोड शैडिंग की गई थी तथापि आवर्तिता का कम होना रोका नहीं जा सका और अब आवर्तिता कम होकर 42 साइकिल रह गई तो निम्न आवर्तिता की परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव के मशीन को बचाने के संयालडोल की मशीनों को हाथ से ट्रिप करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप आवर्तिता और कम हो गई तथा 05.34 बजे बंदेल की यूनिटें भी ट्रिप की गई। यह भी सूचित किया गया है कि इसी समय कुछ उप-केन्द्रों में 132 के. वी. ट्रांसफार्मरों के 132 के. वी. के सड़िस निरोधकों के फेल हो जाने के कुछ मामले हो गये थे।

(ग) पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है और

भविष्य में इस किस्म की खराबी हो जाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक समझी जाएगी वह कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी। पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने यह जो सूचित किया है कि वे पारेषण लाइनों के अनुरक्षण को तथा लाइन की गश्त को तेज कर रहे हैं तथा खड़ित निरोधकों की जांच कर रहे हैं। निम्न आवर्तिता की स्थितियों में भारों की शैडिंग अपने आप किए जाने के लिए वे निम्न आवर्तिता रिलेज की प्रतिष्ठापना करने पर तथा ट्रांसफार्मरों को ओवर क्लाकिंसग को रोकने के लिए ओवर क्लाकिंसग रिलेज प्रतिष्ठापित किए जाने पर विचार कर रहे हैं।

बिजली उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता का बनाया जाना

3101. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में बिजली उत्पादन की (प्रति वर्ष) कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जानी है ;

(ख) बिजली उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा उत्पादित बिजली का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में विगत पांच वर्षों में वर्ष-वार बिजली की सप्लाई तथा मांग की स्थिति का राज्य-वार विवरण क्या है;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना अवधि 1980-85 में विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि के लक्ष्यों की सही जानकारी छठी योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही मिल सकेगी। यद्यपि छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में शामिल किए जाने के लिए विद्युत कार्यक्रम की सिफारिशें करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित किए गए विद्युत पर कार्यकारी दल के अनन्तिम रूप से उन परियोजनाओं का पता लगाया है जिनसे 1980-85 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होंगे। कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन और स्वीकृत की गई परियोजनाओं से 1980-85 को पांच वर्ष की अवधि के दौरान (वर्षवार) सृजित होने वाली संभावित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता राज्यवार संलग्न विवरण-1 में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-1542/80] ।

(ख) 1975-76 से 1979-80 के वर्षों के दौरान राज्यवार प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण-2 में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०-1542/80] । 1975-76 से 1979-80 के वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य (केवल यूटीलिटीज) का सकल विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण-3 में दिया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-1542/80] ।

(ग) 1975-76 से 1979-80(वर्षवार) वर्षों के लिए प्रत्याशित विद्युत आवश्यकता की तुलना में प्रत्येक राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति संलग्न विवरण-4 में दिखाई गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-1542/80]।

कोयला उद्योग के कार्यकरण की जांच करने वाली समितियों के नाम

3102. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान कोयला उद्योग के कार्यकरण की जांच करने वाली समितियों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : सरकारी उद्यम कार्यालय के महानिदेशक श्री जी. सी. बवेजा की अध्यक्षता में एक समिति कोयले की उत्पादन लागत में किफायत करने और कोयला खानों में खनन कार्य अधिक कुशलता के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई थी। इस समिति ने जून 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कोयले की उत्पादन लागत में किफायत के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। इस रिपोर्ट की पांच प्रतियां मार्च 1979 में संसद के पुस्तकालय में रखी गई थीं। फिर भी, समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं :

1. उत्पादन जहां तक संभव हो पूरे वर्ष एक रूप गति से किया जाय।
2. बिक्री की धनराशि शीघ्रता से वसूल की जाए।
3. बिजली का बिल्कुल सही लोड बनाए रखा जाए।
4. वर्तमान और नयी खानों में उत्पादन में वृद्धि के कारण मजदूरों की जो अतिरिक्त जरूरत महसूस हो उसे अभी फालतू मजदूरों को लगाकर पूरा किया जाए।
5. जो काम उत्पादन से संबन्धित नहीं है उनमें कामगारों की और भर्ती रोक दी जाए।
6. जहां कहीं खान के कार्यकारी फेस खान मुहानों से दूर हों वहां एक दूसरे के अन्तिम घण्टों में ही शुरू हो जाने वाली ओवरलेपिंग चार पालियां प्रारम्भ की जाएं।
7. प्रत्येक कामगार के काम के ब्यौरे को व्यापक बनाया जाए।
8. न्यूनतम उपस्थिति और उपस्थिति बोनस के बीच सम्बन्ध फिर स्थापित करना।
9. मजदूरी के महाबारी भुगतान की प्रणाली शुरू करना।
10. पहले की 75 प्रतिशत फाल बैक मजदूरी प्रणाली फिर शुरू करना।
11. जहां काम पर आधारित प्रणाली है वहां ट्रामरों के कार्यभार को यथार्थवादी दृष्टि से निश्चित करना।
12. जहां कहीं दशाएं उपयुक्त हों वहां तरल आक्सीजन जैसे सस्ते विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग
13. सामग्री सूची में जो सामान है उसका तुरन्त पुनरीक्षण और बेकार सामानों को बेच देना।
14. मुख्य खनन उपकरणों के उपयोग में सुधार।
15. कोल फेसों पर टोकरी द्वारा लदान को बन्द करके उसके स्थान पर कन्वेयर लगाकर और अन्य यन्त्रों के द्वारा यन्त्रीकृत लदान शुरू करना।

16. प्रबन्ध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कोयले के टब भलीभांति कम से कम प्रत्येक टब में 1-10 टन की दर से भरे जाएं।

17. गैर-योजना ऋणों को अनुदानों में बदलना।

18. नई परियोजनाओं के लिए धनराशि पहले ईक्विटी द्वारा और फिर ऋणों द्वारा उपलब्ध कराना।

19. विपणन में लगे फालतू कर्मचारियों को उत्पादन सम्बन्धी काम में लगाना।

20. ऊपरी खर्चों में किफायत करने की दृष्टि से सब एरिया प्रणाली समाप्त करना।

21. मुख्यालयों में कर्मचारियों की संख्या घटाना।

हरिका-रोपड़ बांध के प्रबन्ध कार्य को अपने हाथ में लेना

3103. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री हरिका-रोपड़ बांध के प्रबन्ध कार्य को अपने हाथ में लेने के बारे में 29 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिका-रोपड़ बांध के प्रबन्ध कार्य को पंजाब सरकार से अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हरिका और रोपड़ हैडवर्क्स को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को हस्तान्तरित करने का मामला पंजाब सरकार के साथ उठाया गया है। पंजाब के मुख्य मंत्री ने सूचित किया है कि वे इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे। इस मामले पर हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन रक्षक औषधियों की मांग और उत्पाद

3104. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जीवन रक्षक औषधियों की कुल मांग और उत्पादन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऐसी औषधियों का उत्पादन मांग से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1979-80 के लिए जीवन रक्षक औषधों से सम्बन्धित अनुमानित मांग (जैसा कि औषधों और भेषजों पर कार्य-

कारी दल द्वारा तैयार किया गया है) और संगठित क्षेत्र में उत्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-1543/80]।

(ख) कुछ एन्टीबायोटिक, विटामिन, क्लोरोक्वीन, डिक्सोजिन, पिपराजाइन और इसके लवण तथा डैप्सोन का उत्पादन मांग अनुमान से कम था।

(ग) नई औषध नीति के वृहत उद्देश्यों में से एक है—आयात की मात्रा को कम करने की दृष्टि से औषध के उत्पादन में तेजी से स्वावलम्बन का लक्ष्य बनाना। नई औषध नीति के मानदण्डों को औषधों और भेषजों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते समय ध्यान में रखा जाता है। बिजली, कटौती, श्रमिक अशान्ति, कच्चे मालों की उपलब्धता आदि जैसे उत्पादन में रुकावटों को दूर करने में मदद की जाती है।

असम में सेना द्वारा तेल क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में लिया जाना

3105. श्री पी० एम० सईद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में सेना ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो सेना ने किस तारीख से इन्हें अपने नियन्त्रण में लिया था;

(ग) क्या सभी तेल शोधक कारखानों की क्षमता प्राप्त कर ली गई है अथवा वे अभी तक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं;

(घ) बरौनी तेल शोधक कारखाने का, जो गत वर्ष दिसम्बर से कम उत्पादन कर रहा था, कुल उत्पादन कितना है; और

(ङ) क्या बरौनी तेल शोधक एकक में संशोधित तेल का प्रवाह 40 सेंटीमीटर की क्षमता की तुलना में चार सेंटीमीटर प्रति घंटा की कम दर पर था?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) 6 नवम्बर, 1980 से 1 दिसम्बर, 1980 तक के सीमित समय में सेना के सैनिकों को तेल क्षेत्रों तथा पम्पिंग स्थापनाओं में लगाया गया था।

(ग) और (घ) जबकि दिग्बोई शोधनशाला ने आयल इंडिया के खनिज तेल को प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया है। शोधनशाला बन्द होने के कारण गोहाटी शोधनशाला को खनिज तेल की सप्लाई 4-11-1980 से बन्द रही। बरौनी शोधनशाला बन्द है क्योंकि इसको खनिज तेल की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं की जा सकी हैं। बोंगाईगांव शोधनशाला की खनिज आसवन यूनिट 26 दिसम्बर, 1979 से बन्द पड़ी है।

(ङ) 4 से 23 नवम्बर, 1980 तक आयल इंडिया की खनिज तेल पाइप लाइन में रुके हुए

खनिज तेल को निकालने के भाग के रूप में बरौनी शोधनशाला के टैंक में खनिज तेल डाला गया था तथा इस समय के दौरान बहाव दर 100 से 230 के एल० एस० प्रति घंटा के बीच रही।

असम में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही

3106. **श्री पी० एम० सईद :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों को, जो अभी तक असम में तेल निकालने का कार्य नहीं कर रहे हैं, नौकरी से बर्खास्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय यह कार्य सेना द्वारा किया जा रहा है;

(ग) क्या कर्मचारियों से सहयोग न मिलने के कारण सेना असम के तेलशोधक कारखानों से तेल निकालने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना घाटा हो रहा है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 6 नवम्बर, 1980 से 1 दिसम्बर, 1980 तक की सीमित अवधि के दौरान तेल क्षेत्रों और पम्पिंग प्रतिष्ठानों में सेना-कार्मिक लगाये गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) असम आन्दोलन के कारण सितम्बर, 1980 के अन्त तक हुई उत्पादों की हानि समग्र रूप से लगभग 626 करोड़ रुपए थी।

माना शिविर के छंटनी किए गए निर्माण-प्रभारित कर्मचारियों को खपाना

3107. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माना शिविर के ग्रुप 'सी' के छंटनी किए गए कितने निर्माण प्रभारित कर्मचारियों को अभी भी वैकल्पिक नौकरियों में खपाया जाना है;

(ख) यदि उनको नहीं खपाया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या छंटनी किए गए इन शेष कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियों में खपाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सात।

(ख) वे कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं। छंटनी किए कार्यप्रभारित कर्मचारी फालतू स्टाफ को पुनः रोजगार दिए जाने की योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक नौकरियों के पात्र नहीं हैं। उन्हें, अधिसूचित की गई रिक्तियों के विरुद्ध फिर से रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय की सहायता लेनी होगी।

(ग) इन कर्मचारियों के विवरण, अनुकम्पा के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के कुछ संगठनों को विचारार्थ भेज दिए गए हैं ।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० द्वारा तीसरे उत्पादन संगणक की स्थापना

3108. **श्री समर मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर, आसनसोल द्वारा एक तीसरा उत्पादन संगणक लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आटोमेशन सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार किया गया है;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त संगणक की स्थापना का ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की वर्तमान और भावी कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं । केवल एक मिनी कम्प्यूटर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने खरीदा है किन्तु वह अभी तक लगाया नहीं गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चूंकि इस कम्प्यूटर का प्रयोग प्रबन्ध सूचना प्रणाली के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों को रखने और उनका संसाधन आदि करने के लिए किया जाएगा, अत: इसके द्वारा नौकरियों की वर्तमान अथवा भावी सम्भावनाओं पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

उड़ीसा में गांवों का विद्युतीकण

3109. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गांवों को विद्युतीकरण के लिए कोई खण्डवार प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(न) चालू वित्त वर्ष के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों का खण्डवार ब्यौरा क्या है और इसको कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) उड़ीसा सरकार क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा योजनाओं के निष्पादन में विलम्ब रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 31-10-1980 की स्थिति केअनुसार उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त 6 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की इस समय ग्राम विद्युतीकरण

निगम में जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त 48 स्कीमें, जो ग्राम विद्युतीकरण निगम में प्राप्त हुई थीं, संशोधन/स्पष्टीकरणों के लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी गई थीं और बोर्ड के पास लम्बित पड़ी हैं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का ब्लाक/तालुका-वार ब्यौरा उपबन्ध 1 और 2 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1544/80]

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान (1980-81) उड़ीसा राज्य में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का अन्तर्गत 1,351 नए गांव विद्युतीकृत किए जाने की सम्भावना है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, जिनके लिए वित्तीय सहायता निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की परस्पर प्राथमिकता राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। अत: 1980-81 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों के नामों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

31-3-1980 की स्थिति के अनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण की किस्तों के रूप में संवितरित की गई 14.67 करोड़ रुपए की राशि बिजली बोर्ड द्वारा उपयोग में लाई जानी शेष थी इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में स्वीकृत की जा चुकी/स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के लिए चालू वित्त वर्ष (1980-81) के दौरान उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को निगम द्वारा संवितरित किए जाने के लिए 12.70 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का क्रियान्वयन शीघ्र करने की दृष्टि से निगम के अधिकारी नियमित रूप से मानीटरिंग करते हैं तथा राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हैं। प्रत्येक स्कीम के बारे में स्वीकृत ऋण की दूसरी और परवर्ती किश्तें विमोचित करने से पूर्व स्कीम की प्रगति की समीक्षा की जाती है। स्कीमों के क्रियान्वयन में प्रगति पर निगरानी रखने तथा जहां आवश्यक हो अलग-अलग मामले में विशिष्ट उपाय शुरू करने के लिए निगम ने निष्पत्ति बजट की एक प्रणाली भी प्रारम्भ की है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सम्बन्ध में उच्चशक्ति प्राप्त समिति

3110. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्ध पर पुनर्विचार करने और उसमें आवश्यक संशोधन के बारे में सुझाव देने के लिए 23 जून, 1977 की एक उच्च-शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ख) क्या सरकार ने समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हाँ, तो इस अधिनियम को कब तक संशोधित किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान जी। समिति से सन्दर्भित शर्तें, सरकार के संकल्प दिनांक 23-6-1977, 'जो उसकी रिपोर्ट' के परिशिष्ट-1 में पुन: प्रस्तुत किया गया था, में प्रदर्शित की गई हैं और जिसकी प्रतियां सदन के पटल पर दिनांक 30-8-1978 को रख दी गई थीं।

(ख) समिति की रिपोर्ट, सरकार के विचाराधीन है और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में उसके सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए जो स्वीकार किए जाते हैं, उनमें संशोधन करने का विधेयक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर जैसे ही निर्णय किया जाता है उनको यथाशीघ्र संसद में पुन: स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्माताओं को दिया गया ऋण

3111. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कितनी राशि का ऋण दिया गया तथा जिन व्यक्तियों को ये ऋण दिये गये उनका ब्यौरा क्या है और फिल्म बनाने अथवा सिनेमा घर बनाने के लिए ऋण मन्जूर करने की तारीखें क्या हैं और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम द्वारा मंजूर किये गये ऋण वसूली योग्य नहीं रहे और सरकार उन्हें वसूल न कर सकी अथवा उन्हें बट्टे-खाते में डालना पड़ा; यदि हां, तो उन लोगों के नाम क्या हैं जिन्हें ऋण दिये गये तथा कितनी ऋण राशि बट्टे खाते डाली गयी तथा उसकी तारीख क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है जिनसे वसूली नहीं की जा सकी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी):(क)और (ख) फिल्में बनाने या सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ऋण 10-4-1980 तक फिल्म वित्त निगम द्वारा दिए जाते थे। फिल्म वित्त निगम का राष्ट्रीय फिल्म विकास निमम के साथ 11-4-1980 से समामेलन के बाद इस प्रकार के ऋण अब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दिए जाते हैं। एक विवरण (विवरण संख्या 1) जिसमें उन व्यक्तियों का ब्यौरा जिनको अब तक फिल्म वित्त निगम/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म बनाने के लिए ये ऋण दिए गए हैं और उसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है तथा दूसरा विवरण, जिसमें सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ऋणों का ब्यौरा दर्शाया गया है, भी (विवरण संख्या-2) संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1545/80]।

यह सच है कि भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये कुछ ऋण वसूली योग्य नहीं रहे और उनको बट्टे खाते में डाल देना पड़ा था। एक विवरण (विवरण संख्या 3) जिसमें बट्टे खाते डाले गए ऋणों का ब्यौरा दिया गया है संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1545/5)

(ग) ऋणों को बट्टे खाते डालना एक लेखा प्रक्रिया है जो निगम को इस अधिकार से वंचित

नहीं करती कि वह बट्टे खाते डाले ऋणों को वसूल नहीं कर सकती । दोषी निर्माताओं से ऋण की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाई अब विभिन्न चरणों में चल रही है ।

तेल की सम्भवना वाले तट पर तेल की खोज करने की अवहेलना

3112. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट दूर तेल की खोज पर अधिक जोर देने के कारण देश के प्रमाणित पेट्रोलीफैरस क्षेत्रों के आस-पास तेल और प्राकृतिक गैस के लिए तट-पर सम्भावनापूर्ण और कम खर्चीले खोज की घोर उपेक्षा हुई है;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य की इस बात पर विचार किया है कि तट-पर तेल की खोज करने पर लागत कम आती है और इसे विदेशी प्रौद्योगिकी तथा सहायता पर अपेक्षाकृत कम निर्भर रहना पड़ता है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि तेल की तट-दूर और तट-पर खोज के विवेकपूर्ण सम्मिश्रण से राष्ट्र के प्राकृतिक स्रोतों पर बेहतर वितरणात्मक प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का योजना में इस प्रकार का सन्तुलन रखने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) जी, नहीं ।

(ख) अन्वेषण योजनाओं की भूगर्भीय प्राथमिकताओं और तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों की विभिन्न संभावनाओं के सापेक्षिक गुणों के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) तटीय तथा अपतटीय अन्वेषण के लिये एक विवेकपूर्ण योजना को तटीय तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों से तेल तथा गैस की अनुकूलतम मात्राएं प्राप्त करने तथा अनुकूलतम भण्डार खोजने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ।

पश्चिमी बंगाल में अन्वेषी कुएं

3113. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि डायमण्ड हार्बर, पश्चिम बंगाल में अन्वेषी कुएं तथा छिद्रण कार्य फरवरी, 1980 में पूरा हो गया था तथापि क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन की उपलब्धता का तत्कालिक परवर्ती परीक्षण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की विभिन्न उपशाखाओं के बीच ताल मेल का सर्वथा अभाव होने और योजना तथा कार्य निष्पादन के क्षेत्र में प्रशासन की गलती के कारण यह विलम्ब हुआ है;

(ग) क्या यह देरी तथा गलती देश के लिए बहुत अधिक मंहगी प्रमाणित हो रही है और इससे हमारे सीमित विदेशी मुद्रा संसाधनों पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या यह सच है कि बोदरा, बकुनतला, रानाघाट और पोर्ट केनिंग के आसपास पश्चिम बंगाल में खोदे गये अन्वेषी कुओं से हाईड्रो-कार्बन की परिस्थिति के ठोस संकेत मिले हैं ; यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्षेत्र में सभी अनुवर्ती गतिविधियों को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) जी, नहीं । खुदाई पूरी करने के शीघ्र बाद अधिष्ठित दिगन्त (इन्ट्रेस्टिंग हॉरिजन) के परीक्षण का कार्य हाथ में लिया था तथा उत्पादन परीक्षण मई, 1980 में प्रारम्भ किया गया था। एक हॉरिजन का पहले ही सम्पूर्ण परीक्षण किया जा चुका है तथा दूसरे दिगन्त (हॉरिजन) का औपचारिक रूप से परीक्षण किया गया है। विदेशी एजेन्सियों की सहायता से और परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) बोदरा, रानाघाट तथा पोर्ट केनिंग में खुदाई के समय गैस की थोड़ी मात्रा का पता चला है। उपयुक्त संरचनाओं का पता लगाने के लिए इन क्षेत्रों के नजदीक भूकम्पीय सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, ई० एस० बी० बी० और डी० पी० एल के तापीय बिजली गृहों के पास कोयले के भण्डार की स्थिति

3114. **श्रीमति गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, बी० एस० ई० बी० और डी० पी० एल० के प्रत्येक तापीय बिजलीघर में भंडार करने की वास्तविक नीति क्या है और क्या वास्तविक भंडार इससे भिन्न हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड तथा डी० पी० एल० के प्रत्येक तापीय बिजली घर में कोयले का पर्याप्त भंडार सुनिश्चत करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या कार्यवाही की है तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों ने क्या निगरानी प्रबन्ध किए हैं; और

(ग) कोल इण्डिया लि० द्वारा विद्युत सप्लाई एजेन्सियों के बजाय सड़क परिवहिन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व लेते हुए तथा विद्युत प्रजनन पर से ध्यान को केन्द्रित करने से हटाते बिजली घर के स्थल पर आवश्यक कोयले की सप्लाई करने का उत्तरदायित्व न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मानदण्डों के अनुसार, कोयला खानों से 350 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सभी विद्युत केन्द्रों को लगभग 4-6 सप्ताह के लिए 350 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित केन्द्रों को लगभग 3 सप्ताह के लिए और पिट हैडों पर

स्थित विद्युत केन्द्रों को लगभग 2 सप्ताह के लिए कोयले का भण्डार रखना चाहिए। समय-समय पर कोयले की प्राप्ति और उपयोग पर निर्भर करते हुए दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, बी० एस० ई० बी० और डी० पी० एल9 ताप विद्युत केन्द्र के कोयले के भण्डार की स्थिति बदलती रहती हैं। डी० वी० सी० और डी० पी०एल० के चन्द्रपुरा और बोकारा विद्युत केन्द्रों के पास कोयले के भंडार निर्धारित मानदण्डों से अधिक रहे हैं, अन्य विद्युत केन्द्रों के पास कोयले के भंडार निर्धारित मानदण्डों से कम रहे हैं। इन विद्युत केन्द्रों में कोयले के भण्डार कम होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं—

आवंटित कोयले की तुलना में कोयले की कम सप्लाई और विद्युत केन्द्रों की ओर से वैगनें छोड़े जाने में देरी।

(ख) और (ग) कोल इण्डिया लिमिटेड उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत केन्द्रों को लदान और ढुलाई के लिए कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। ढुलाई करके कोयला विद्युत केन्द्रों के स्थल पर पहुंचाना कोल इंडिया लिमिटेड का कार्य नहीं है। ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

1. कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के तथा था यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की ढुलाई किए जाने के लिए अधिक संख्या में वेंगन सप्लाई करने के लिए उपाय किये जांय। ऊर्जा मंत्री ने अक्तूबर 1980 में रेल मंत्री के साथ विचार विमर्श किया था तथा कोयले की सप्लाई और ढुलाई में समुचित समन्वय सुनिश्चित करने की व्यवस्था की समीक्षा 14 और 15 नवम्बर 1980 को हुए विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में की गई थी।

2. विद्युत केन्द्रों की कोयले की मानीटरिंग करने के लिए कोयला विभाग, रेल मंत्रालय, विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है। विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय अन्त: मंत्रालयपीय बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

3. मंत्रिमण्डल की औद्योगिक अवसंरचना समिति भी कोयले के उत्पादन तथा ढुलाई की, विशेष रूप से विद्युत केन्द्रों को ढुलाई की समीक्षा करती है।

4. वैगनों को रोके रखने की अवधि को कम करने के लिए विद्युत केन्द्रों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोयले की वैगनें शीघ्रता से खाली की जाएं तथा वैगनें जल्दी ही छोड़ दी जांय।

रुग्ण एककों को बृहत एककों में मिलाना

3115. **श्री के० राममूर्ति** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण एककों को वृहत एककों में समाहित करने की वे 11 योजनायें क्या हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) इन वृहत कम्पनियों में से कितनी विदेशी कम्पनियां हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) यह धारणा की जाती है कि माननीय सदस्य का वृहत शब्द का अभिप्राय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की कम्पनियों से है। इस विभाग के विचाराधीन, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की कम्पनियों के साथ रुग्ण एककों के विलयन के लिए निम्नलिखित 7 योजनाएं हैं :—

1. मैसर्स मेक्डोवेल एण्ड कम्पनी लिमटेड के साथ मैसर्स हिन्दुस्तान पोलिमर्स लिमटेड का विलयन
2. मैसर्स पोलियोलेफिन्स इण्डस्ट्रीज लिमटेड के साथ मैसर्स मिन्डिया केमिकल्स लिमिटेड का विलयन
3. मैसर्स ब्रुक बोन्ड इण्डिया लिमिटेड के साथ मैसर्स सेन्ट्रोन इण्डस्ट्रीयल एलाइन्स लिमिटेड का विलयन
4. मैसर्स इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लिमिटेड के साथ मैसर्स नेशनल राइफल्स लिमिटेड का विलयन
5. मैसर्स कोठारी (मद्रास) लिमिटेड के साथ मैसर्स कोठारी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का विलयन
6. मैसर्स इण्डो-स्विस सिन्थेटिक्स जैम मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड के साथ मैसर्स इन्ट्रेक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का विलयन
7. मैसर्स रेमन्ड वूलन मिल्स लिमिटेड के साथ मैसर्स जे० के० आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का विलयन

(ख) इन कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के शर्तानुसार विदेशी कम्पनी नहीं है।

बिना चेयरमैन चल रहे सरकारी उपक्रम

3116. **श्री के० राममूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन निम्नलिलित सरकारी उपक्रम उनके सामने लिखे महीने से विना चैरमैन काम कर रहे हैं;

बोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड-सितम्बर 1978
मद्रास फर्टीलाइजर्स-दिसम्बर, 1978
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स-सितम्बर, 1979

पाइपलाइसस फासफेटस एण्ड केमिकल्स लिमटेड-जुलाई, 1980
मद्रास रिफाइनरीज-फरवरी, 1980
नेशनल फर्टीलाइजर्स-गत वर्ष से कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं
हिन्दुस्तान लेटेक्स-गत वर्ष से कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. **वोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रो-केमीकल्स लिमिटेड**

वोंगाईगांव रिफानरी और पेट्रो-केमीकल्स लिमि० के अध्यक्ष का पद सितम्बर, 1978 से रिक्त पड़ा है। मंत्रीमण्डल की नियुक्ति समिति ने कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के पद के लिए श्री एस० के० एन० एस० दीक्षित के नाम का अनुमोदन कर दिया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेशों को शीघ्र ही जारी करने की आशा है।

2. **मद्रास फर्टीलाइजर लिमि०**

अंश कालिक अध्यक्ष का पद दिसम्बर 1978 से रिक्त पड़ा है। पद के नए पदधारी का अभी चयन किया जाना है। प्रस्ताव सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के विचाराधीन है।

3. **हिन्दुस्तान एंटी बायेटिक्स लिमि० (एच० ए० एल०)**

अंश-कालिक अध्यक्ष का पद 6 जुलाई, 1979 से रिक्त पड़ा है। अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति सार्वजनिक उपक्रम चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होनी है, यह मामला कार्मिक विभाग को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।

4. **पाइराइटस फास्फेट और केमीकल्स लिमि०**

अंश कालिक अध्यक्ष का पद 31-5-80 से रिक्त पड़ा है। यह प्रस्ताव किया गया है कि अंश कालिक अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के पद को एक पद बना दिया जाए और वर्तमान अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री टी० एन० जग्गी को 2500-3000 रुपए के बढ़ाए गए ग्रेड के वेतनमान में नियुक्त कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

5. **मद्रास रिफाइनरी लिमि०**

प्रबन्ध निदेशक का पद दिनांक 17 नवम्बर 1978 से रिक्त पड़ा है। पद को अब भर दिया गया है और श्री ए० जे० ए० नोरो ने कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का पद 21-11-1980 से ग्रहण कर लिया है।

6. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमि०

अध्यक्ष कम-प्रबन्ध निदेशक का यह पद दिनांक 19-10-1979 से रिक्त पड़ा है। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड से पुनः कहा गया है कि वह इस पद के लिए किसी अन्य पदाधिकारी का चयन करें क्योंकि हिन्दुस्तान अर्गेनिक केमीकल्स लिमि० के प्रबन्ध निदेशक श्री पी० एन० देवराजन जिनको इस पद के लिए चुना गया था अपने वर्तमान कार्य से बदला नहीं जा सका और इसलिए इस पद के लिए उपलब्ध नहीं हो सके थे। मामला सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के विचाराधीन है।

7. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमि०

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त नहीं पड़ा है। डा० आर० रवीन्द्रनाथ मेनन, आई० ए० एस०, हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमि० के अध्यक्ष-कम-प्रबन्ध निदेशक के पद पर दिनांक 21-4-1978 से कार्य कर रहे है। यहां उपक्रम स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

उर्वरकों में कुल पूंजी निवेश

3117. **श्री ज्योतिर्मय बसु** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक क्षेत्र में 1968-1976 तथा 1979 के अन्त तक कुल कितनी पूंजी लगी थी;

(ख) इस कुल पूंजी में (1) गैर-सरकारी क्षेत्र (2) गैर-सरकारी विदेशी क्षेत्र (3) सरकारी क्षेत्र का कितना-कितना अंश है;

(ग) उन विदेशी कम्पनियों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जिनके (1) सरकारी क्षेत्र और (2) गैर-सरकारी उर्वरक परियोजनाओं के तथा तकनीकी सहयोग समझौते हैं;

(घ) तकनीकी सहयोग समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग समझौतों से हमारे राष्ट्रीय उर्वरक उद्योग को कोई बल नहीं मिला है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

पारादीप में पत्तन पर आधारित उर्वरक संयंत्र

3118. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री पारादीप स्थित उर्वरक संयंत्र के बारे में 10 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप में पतन पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टायरों के मूल्य में कमी

3119. **श्री आर० के० महालगो** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माता ट्रक कार और स्कूटर टायरों के मूल्य में तीन प्रतिशत तक कम करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ट्रक, कार और स्कूटर का क्रमशः नया मूल्य कितना होगा और यह मूल्य कब से लागू किए जाएंगे; और

(ग) 1 अप्रैल, 1980 को इन टायरों के मूल्य क्या थे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जिन 9 फर्मों के साथ पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने दर ठेका किया हुआ है, उनमें से 3 फर्मों ने अपने मूल्यों में विभिन्न कमियां करने का संकेत दिया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1-4-1980/5-5-1980 को लागू दरें (2) फर्मों द्वारा प्रस्तावित कटौती से तत्काल पहले प्रचलित दरें तथा (3) बढ़ौती के बाद पुनरीक्षित चालू दरें लिख दी गई है। मूल्यों में कमी के बारे में, फर्मों द्वारा विभिन्न तारीखों को अधिसूचित किया गया था और लिए गए मूल्य उस तारीख से लागू हुए हैं जिस तारीख को वे फर्म द्वारा अधिक रेट किए गए थे।

विवरण

दो फर्मों—मैसर्स डनलप और मैसर्स अपोलो टायर्स के मामले में जिन आइटमों के लिए इन फर्मों द्वारा बाद में मूल्य में कमी करने के बारे में सूचित किया गया था, उन्हें केवल 5-5-1980 से ही उनके दर ठेकों में शामिल किया गया था और, इसलिए, 1-4-1980 को ये आइटों इन दो फर्मों के दर-ठेके में शामिल नहीं थी। इसलिए 5-5-1980 को इन दो फर्मों की दरों का नीचे स्तम्भ 1 से उल्लेख किया गया है। जहां तक तीसरी फर्म मैसर्स प्रीमियर टायर का सम्बन्ध है, 1-4-1980 को दर ठेके में प्रचलित, प्रशासनिक आइटमों के दर नीचे लिए गए हैं :

मैसर्स डनलप

(अ) ट्रक टायर (ओ. टी. आर.) साइज	5-5-80 को दर	11-9-80 को दर	प्रचलित परिशोधित कर दर
	रुपए	रुपए	रुपए
(1) 900-20 पी. जी. एस. एच. -12 पी०आर०	2360-35	2449.38	2388.79
(2) 9.00-20 पी. जी. एस. एस. -14 पी०आर०	2389.74	2645.33	2547.35

1	2	3	4
(3) 9.00-20-पावर 12 आर. आर.	2360.35	2400.39	2331.81
(4) 9.00-20-पावर -14 पी. आर.	2389.74	2396.34	2498.36
(आ) स्कूटर टायर			
(1) 3.50-8 के. 99पी०. आर.	87.68	95.50	93.55
(2) 3.50-10 के. 99+पी. आर.	93.53	102.32	100.37
(इ) कार टायर साइज			
(1) 5.20-14 सुपर एच. आई-पी. बी. एस. डब्ल्यू 6 पी. आर. (लायलौन)	367.29	782.10	374.24
(2) 5.90-15 सुपर स्टार एच. आई. पी. बी. एस. डब्ल्यू. 6 पी. आर (नायलौन)	426.04	450.69	441.87
(3) 5.60-13 सी. 49 एच. आई-पी एच. एस. डब्ल्यू. 6 पी. आर. (नायलौन)	367.29	421.29	412.48
(4) 5.29-14 सुपर स्टार एच. आई. पी. डब्ल्यू. एस. डब्ल्यू. 3 पी. आर. (नायलौन)	377.07	412.48	404.64
(5) 5.90-15 सुपर स्टार एच. आई. पी. डब्ल्यू. एस. डब्ल्यू. 6 पी. आर. (नायलौन)	435.83	480.08	478.28
2. मैसर्स प्रीमियर्स स्टार साइज	1-4-80 को दर (रुपये)	3-10-80 को दर (रुपये)	
(अ) ट्रक टायर			
(1) 9.00-20-12 पी. आर.	1860.70	2050.00	2001 06
(आ) कार टायर		1-10-80 को दर रुपये	
(1) 5.60-13-6 पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. (रेयन)	275.39	339.00	333.00
(2) 5.20-14-6 पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. (रेयन)	263.09	331.00	325.00

1	2	3	4
(3) 5.90-15-पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. (रेयन)	304.62	391.00	383.00
(4) 6.40-15-8 पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. (रेयन)	384.59	513.50	503.00
(5) 6.70-15-6 पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. (रेयन)	281.55	503.00	492.00
(6) 5.60-13-6 पी. आर. डब्ल्यू. एस. ड़ब्ल्यू (रेयन)	304.62	375.00	369.00
(7) 5.20-14.6 पी. आर. डब्ल्यू. एस. डब्ल्यू. (रेयन)	281.55	347.00	34.00
(8) 5 90-15-6 पी. आर. डब्ल्यू. एस. डब्ल्यू. (रेयन)	333.85	413.0	405.00
(ई) स्कूटर टायर साइज			
(1) 3.50-8-4 पी. आर.	82.08	100.00	98.00
(2) 4.00-8-4 पी. आर.	136.20	166.00	163.00
(3) 4.00-8-6 पी. आर.	143.89	180.00	176.00
3. मैसर्स अपोलो टायर साइज कार टायर	5-5-80 को दर रुपये	30-7-80 को दर (रुपये)	
(1) 5.20-14-6 पी. आर. पी. एस. डब्ल्यू. एस. ई. (रेयन)	269.95	305.18	302.27
(2) 5.20-14-6 पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. ए.सी.ई (नायलौन)	323.59	349.53	345.39
(3) 5.90.15-6 पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. ए.सी.ई. (रेयन)	328.50	417.02	413.00
(4) 3.90-15-6 पी. आर. बी. एस. डब्ल्यू. ए सी.ई (नायलौन)	387.32	353.24	349.33

जहां तक कम किए गए मूल्यों की प्रभावी तारीख का सम्बन्ध है, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर ठेके की शर्तों के अनुसार जब भी कोई फर्म मूल्यों में कमी को अधिसूचित करती है, तब उस कमी को उस तारीख से ही लागू कर दिया जाता है, जिस तारीख को कम किए गए मूल्य अधिसूचित किए गए थे। जब भी कोई फर्म अपने मूल्यों में संशोधन करने उनमें वृद्धि करती है तो संशोधित मूल्यों के बारे में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को सूचित करने की तारीख से, 30 दिनों के बाद उन बढ़ाए गए मूल्यों को लागू किया जाएगा। तदनुसार, फर्मों द्वारा सूचित किए गए मूल्यों में कमी (ऊपर के स्तम्भ (3) के अनुसार) को उन तारीखों से समायोजित कर दिया गया है, जिन तारीखों को विभिन्न प्रकार के टायरों के मूल्यों में कमी को अधिसूचित किया गया था।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, महाराष्ट्र द्वारा विटामिन "सी" का उत्पादन

3120. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे (महाराष्ट्र) ने 1970 में दस करोड़ रुपये की लागत से बनाए गये अपने 125 टन क्षमता के विटामिन "सी" संयन्त्र से वस्तुत: कोई विटामिन "सी" का उत्पादन नहीं किया।

(ख) उक्त संयन्त्र को स्थापित करने के लिये परामर्शदाता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था और कितने वेतन पर;

(ग) क्या परामर्शदाता एजेंसी ने अपना कार्य पूरा किया और उसे पूरा भुगतान किया गया लेकिन उक्त सयन्त्र से अभी भी विटामिन "सी" का कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र का उपक्रम विटायिन "सी" संयन्त्र की पुन: स्थापना के लिये नये परामर्शदाता की तलाश में है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी अन्य परामर्शदाता से कोई बातचीत हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी का विटामिन "सी" प्लांट 1973 में चालू हुआ था। इस प्लांट ने वर्ष 1979-80 में 17.56 टन का उत्पादन किया। 160 टन की क्षमता वाले प्लांट के लिये सरकार द्वारा 2.33 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत की मंजूरी दी गई थी। वर्तमान निर्धारित क्षमता 175 टन है। इस प्लांट को नेशनल कैमिकल लेबोरेटरीज पुणे द्वारा विकसित प्रक्रिया पर आधारित किया गया था, जिनके दायित्व को प्रक्रिया पैकेज की सप्लाई तक ही सीमित रखा गया था और प्लांट को यान्त्रिक रूप से कम्पनी द्वारा स्वयं पूरा किया गया था।

चूंकि प्लांट के चालू होने के बाद से उसका उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं हुआ था, अत: सरकार ने 1976 में एक कार्य-दल नियुक्त किया। कार्यदल की सिफारशों के आधार पर रोश प्रोडक्ट्स लि० से सहायता ली गई थी जो इस प्लांट को प्रौद्योगिकी और सहायता प्रदान करने के लिये सहमत हो गये थे।

यद्यपि वर्ष 1979-80 के दौरान अधिक उत्पादन हुआ लेकिन दक्षता और परिणामों का निर्धारित क्षमता तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

अत: कम्पनी विटामिन "सी" प्लांट के लिये अन्य प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाती रही है उसे एक परामर्शदाता से एक प्रस्ताव प्राप्त किया है जिसको प्लांट के पुन:संचालन के लिए एक डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने के बारे में अनुभव प्राप्त है। जिसके आधार पर वर्तमान प्लांट की कमियों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा

सकता है। यद्यपि वे 1.70 लाख रुपये के शुल्क पर सहायता प्रदान करने को तैयार हो गये फिर भी उन्होंने अभी अन्तिम रूप से निर्णय करना है।

हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा उत्पादन का फार्मूलेशन

3121. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी पुणे (महाराष्ट्र) ने पिछले एक वर्ष से जेन्टामाइसिन के फार्मूलेशन को प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) उसके विभिन्न फार्मूलेशन क्या हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न फार्मूलेशन के विक्रय से कुल कितना (लाख रुपयों में) धन अर्जित हुआ है; और

(घ) हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा सूचीकरण के विनिर्माण के लिए आयातित सभी औषधियों को प्राप्त करने पर कितना धन लगाया गया है और क्या यह धन विदेशी मुद्रा में दिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा जेन्टामाइसिन फार्मूलेशनों का निर्माण इन्जैक्शन और आंख/कान की दवाई के रूप में किया जाता है।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान इन तीन फार्मूलेशनों की बिक्री निम्न प्रकार हुई :

	रुपये लाखों में
इन्जैक्शन	26.30
कान/आंख की दवाई	0.95

इसके अलावा 21.85 लाख रुपये के जेन्टामाइसिन बल्क की भी बिक्री की गई।

(घ) वर्ष 1979-80 के दौरान बल्क जेन्टामाइसिन का आयात नहीं किया गया था। बल्क जेन्टामाइसिन में बदलने के लिए केवल मध्यवर्ती पदार्थों का आयात किया गया था जिस पर 33.81 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा लगी।

कम्पनियों के निदेशकों की नियुक्तियों के लिये अनुमति देने में विलम्ब

3122 : **श्री एम० एस० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की कम्पनी पंजीयक, पश्चिमी बंगाल के पास पंजीकृत विभिन्न कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों/कार्यपालकों अथवा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्तियों/पुनर्नियुक्तियों के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार अनुमति देने के बारे में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) क्या अनुमति देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; कम्पनी पंजीयक, पश्चिम बंगाल के पास पंजीकृत किन-किन कम्पनियों ने अनुमति के लिए आवेदन किया और उनके गत तीन अथवा चार वर्षों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रत्येक कम्पनी को कितना लाभ हुआ; और

(घ) उनके मामलों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों यथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पारिश्रमिक की अदायगी के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 369 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र, विभाग में सभी कम्पनियों के बारे में प्राप्त होते हैं, तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल के पास पंजीकृत कम्पनियों से आवेदन पत्रों के आंकड़े विभाग द्वारा अलग से रक्खे जाते हैं। इन आंकड़ों के संग्रह में अत्याधिक समय व श्रम लगेगा, जो प्राप्त किये जाने वाले सम्भावित परिणामों के विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में रखते हुये समानुरूप नहीं होगे, क्योंकि माननीय सदस्य ने भी इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी के नाम, गत तीन वर्षों में कमाये गये लाभ से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है।

विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक की अदायगी की बाबत कम्पनियों से प्राप्त आवेदन-पत्र, 60 दिन की अवधि के अन्दर निपटाये जाते हैं। आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर, यह पता लगाने के लिये आरम्भिक संवीक्षा की जाती है कि क्या सभी अपेक्षित सूचना तथा हिस्सेधारियों की साधारण बैठक में कम्पनी का संकल्प, भेजे गये हैं। आवेदन पत्र में दृष्टिगोचर हुई किन्हीं अपूर्णताओं का कम्पनियों को तुरन्त परामर्श दिया जाता है। कम्पनियों के प्रस्तावों की कम्पनी रजिस्ट्रारों की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा की जाती है, जिसमें प्रबन्ध के विरुद्ध यदि कोई हों, तो शिकायतों तथा कोई निरीक्षण/जांच जो लेखा वहियों की, की गई हों, एवं की गई अनुवर्ती कार्यवाही का वर्णन होता है। ये आधार सामग्री यह विचारार्थ सुसंगत है कि क्या नियुक्ति के लिये प्रस्तावित व्यक्ति प्रश्नाश्पद पद धारण करने के लिये एक 'योग्य एवं उचित' व्यक्ति है तथा इस व्यक्ति की नियुक्ति, जनहित के विरुद्ध होने की सम्भावना तो नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर 1678 कार्यकारी मार्गदर्शक नियमों, को गैर-कानूनी तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के शक्ति-अतीत के रूप में, उच्छिन कर दिया है। इस मामले पर सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अन्त:कालीन रोकादेश प्रदान करते समय, निदेश दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार, उन कम्पनियों जिन्होंने अपने आवेदन-पत्र नवम्बर 1978 के मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत विधामित होने से आपत्ति की है, के प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक की स्वीकृति प्रदान करने के लिये विधायित नहीं करेंगी। इस दृष्टि से कम्पनियों से 1978 के मार्गदर्शक नियमों के अनुसार आवेदन-पत्रों के विधायन के लिये स्वीकृत या अन्यथा बताने के निवेदन किये गये हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ सीमा तक आवेदन पत्रों के निपटान में कुछ देरी होती है।

सस्ती किस्म की फिल्मों का निर्माण

3124. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सस्ती मनोरंजक फिल्मों का निर्माण कर रहे फिल्म निर्माताओं में हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने वाली और अधिक फिल्मों को बनाने की भावना व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार फिल्म निर्माताओं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से परिपूर्ण ग्रंथों के आधार पर उन फिल्मों को बनाने की सलाह देने का है जो हमारे देश के लोगों का जीवन चित्रित करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं। फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में है और सरकार का इस रूप में फिल्मों के निर्माण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। तथापि, प्रमाणीकरण से पहले सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की जाती हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करता है कि हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाए जाएं और अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानसिक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए। सिनेमा की सांस्कृतिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने भारतीय फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए हुए हैं। ये पुरस्कार कलात्मक उत्कृष्ट फिल्मों को प्रोत्साहन देते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है अच्छी फिल्मों के निर्माताओं के लिए ऋण प्रदान करता है और उनके वितरण और प्रदर्शन में भी सहायता करता है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

3125. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत 3 जनवरी, 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समरोह आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत के इस अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कितने और कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं; और

(ग) इस समारोह के लिए चुनी गई भारतीय फिल्मों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित 61 देशों ने समारोह में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है :

(1) आस्ट्रेलिया
(2) आस्ट्रिया
(3) बहराइन
(4) बांग्लादेश
(5) बेल्जियम
(6) बोलीविया
(7) ब्राजील
(8) बुल्गारिया
(9) कनाडा
(10) चिली
(11) चीन
(12) कोलम्बिया
(13) क्यूबा
(14) चैकोस्लोवाकिया
(15) डेनमार्क
(16) मिस्र
(17) फिनलैंड
(18) फ्रांस
(19) जर्मन संघीय गणराज्य
(20) जर्मन जनवादी गणराज्य
(21) घाना
(22) ग्रीस
(23) हांग कांग
(24) हंगरी
(25) इन्डोनेशिया
(26) इराक
(27) इटली
(28) जमायका
(29) जापान
(30) कीनिया
(31) कुवैत
(32) लाओस
(33) मैक्सिको
(34) मंगोलिया
(35) नेपाल
(36) नीदरलैंड
(37) न्यूजीलैंड
(38) नाईजीरिया
(39) नार्वे
(40) पाकिस्तान
(41) पेरू
(42) फिलीपाइन्स
(43) पोलैंड
(44) पुर्तगाल
(45) रुमानिया
(46) स्पेन
(47) श्रीलंका
(48) स्वीडन
(49) स्विटजरलैंड
(50) सीरिया
(51) ट्यूनीशिया
(52) टर्की
(53) संयुक्त अरब इमीरात
(54) इंग्लैंड
(55) अमरीका
(56) सोवियत संघ
(57) उरुग्वे
(58) वेनेज्वेला
(59) वियतनाम
(60) युगोस्लाविया
(61) जाम्बिया

(ग) अब तक 2 फिल्में, जिनकी सूची विवरण के रूप में है, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पेनोरमा अनुभाग के लिये चुनी गई हैं।

विवरण

भारतीय पैनोरमा के लिए चुनी गई फिल्मों की सूची

फिल्म का नाम	भाषा	निर्देशित की गई।
1. आक्रोश	हिन्दी	गोविंद निहालनी
2. आकलेन संधानी	बांग्ला	मृणाल सेन
3. अलबर्ड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है	हिन्दी	सईद मिर्ज़ा
4. भवानी भवाई	गुजराती	केतन मेहता
5. दादर कीर्ति	बांगला	तरुण मजूदार
6. दूरथू इदी मुझक्कम	तमिल	के० विजयन
7. इस्तअप्पन	मलयालम	जी० अर्रविदो
8. ग्रीष्मम्	मलयालम	वी० आर० गोपीनाथ
9. हीरक राजार देशे	बांग्ला	लत्यजित रे
10. कादिज होदावारु	कन्नड़	वी० जगन्नाथ
11. कोलंगल	मलयालम	के० जी० जार्ज
12. दोरी	मलयालम	भारतन
13. निज्ञालकल	तमिल	भारती राजा
14. शंकरभारणन	तेलुगु	के० विश्वनाथ
15. सतह से उठता आदमी	हिन्दी	मणि कौल
16. शोध	हिन्दी	बिप्लब राव चौधरी
17. सिम्हासन	मराठी	जब्बर पटेल
18. स्पर्श	हिन्दी	साई पारांजपे
19. दि ग्रेट इंडियन फिल्म बाजार)	अंग्रेजी	श्रीधर क्षीरोसागर
20. बंछरामर बगन	बांग्ला	तपन सिन्हा
21. चक्र	हिन्दी	रवीन्द्र धर्मराज

खाना पकाने की गैस के लिए प्रतीक्षा सूची में नाम

3126. **श्री चतुर्भुज :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर में अलग-अलग घरेलू गैस सिलिण्डरों के लिए प्रतीक्षा सूची में नामों की संख्या कितनी है;

(ख) कथित महानगरों के अतिरिक्त गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल समेकित प्रतीक्षा सूची क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के अनुसार गैस देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; उसके परिणाम क्या रहे और इस सम्बन्ध में क्या भावी योजना हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर में खाना पकाने की गैस के कनक्शनों के आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूचियों में आवेदन-कर्त्ताओं की संख्या नीचे दी गई है :

	इंडियन आयल कार्पोरेशन (30.9180 को यथास्थिति)	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० (1.10.80 को यथास्थिति)	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (1.10.80 को यथास्थिति)	कुल जोड़
दिल्ली	273325	25131	78028	376484
बम्बई	—	104660	164064	268724
मदास	136262	—		
कलकत्ता	45174	—		
कानपुर	3949	—		

(ख) भाग (क) के उत्तर में दिये गये शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों के संबंध में गत तीन वर्षों के लिये समेकित प्रतीक्षा सूची में कुल आवेदन-कर्त्ताओं की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

	1977	1978	1979	1980
इंडियन आयल कार्पोरेशन	—	— (आंकड़े उपलब्ध नहीं है)	—	102916 (30-9.80 को यथास्थिति)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	142432 (1.4.77 को यथास्थिति)	218186 (1.4.78 को यथास्थिति)	223873 (1.4.79 को यथास्थिति)	317063 (1.4.80 को यथास्थिति)
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो०	—	233116 (31.3.78 को यथास्थिति)	558396 (31.3.79 को यथास्थिति)	1066182 (10.10.80 को यथास्थिति)

(ग) उत्पाद की सीमित उपलब्धता के कारण गैस कनेक्शनों को अधिक संख्या में स्वीकृत करना संभव नहीं हुआ है। तथापि, तरल पेट्रोलियम गैस को बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से निकालने की सुविधाओं के आरंभ होने पर और उसके साथ ही मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध होने पर वर्ष 1981 के आरंभ से पर्याप्त मात्रा में नये गैस कनेक्शन जारी किये जाने की आशा की जाती है।

चालू योजनाओं के अनुसार, नये नामांकन मुख्य रूप से ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची में से किये जायेंगे। वर्तमान अनुमान के अनुसार, वर्ष 1981 की पहली तिमाही से मार्च 1982 तक लगभग 12 लाख नये घरेलू उपभोक्ताओं को तरल पेट्रोलियम गैस कनेक्शन दिये जाने की आशा की जाती है। ऐसी अशा है कि बाद के दो वर्षों में नये ग्राहकों को कम से कम 8 लाख प्रतिवर्ष की दर से कनेक्शन जारी किये जायेंगे। इन सुविधाओं के आरम्भ होने के परिणामस्वरूप वर्ष 1983-84 तक लगभग 30 लाख नये ग्राहकों को नामांकित किया जाता है।

कम्पनियों में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

3127. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा उन कम्पनियों, जिनमें सरकार के पहली जनवरी, और 31 अक्तूबर, 1980 के दौरान धारा 408 लगाई है, के निदेशक मण्डलों में निदेशक नियुक्त किया है; और

(ख) उनकी योग्यताएं और अनुभव क्या हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	निदेशक का नाम	योग्यता/अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मैसर्स साउथ इण्डिया विस्कोस लिमिटेड कोयम्बतूर (तमिलनाडु)	1. श्री जे० वी० राव	एम० ए०, एल० एल० बी०, रिटायर्ड निदेशक, जहाजरानी और परिवहिन मन्त्रालय, भारत सरकार
		2. श्री पी० वी० कतनम	आई० ए० एस० (रिटायर्ड) भूतपूर्व गृह सचिव (आन्ध्र प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष मै० आन्ध्र प्रदेश डेरी डिवलपमेंट कार्पोरेशन लिमटेड,
2.	मैसर्स सन्दूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओरेस लिमिटेड (बैलारी) कर्नाटक	1. श्री एस० एम० युसुफ	बी० एस० सी०, ए० सी० ए०, रिटायर्ड, प्रादेशिक—निदेशक कम्पनी विधि बोर्ड, मद्रास
		2. श्री टी० वाई० नायडू	उद्योगपति, स्वामित्वी, मैसर्स उमा, लेमिनेटेड प्रोडेक्ट्स, हैदराबाद
3.	मैसर्स त्रिसूर इंडिया लि० बम्बई	1. श्री एच० भाया,	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता
		2. श्री एच० नन्जूदियाह	आई० ए० एस० (रिटायर्ड) अतिरिक्त मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार
		3, श्री सत्यनारायण पैटी	दो दशाब्दी से अधिक चार्टर्ड लेखपाल अनुभवी
4.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता	1. श्री जे०जी० कुमारमंगलम्	भूतपूर्व अध्यक्ष, कोल माइन्स प्राधिकरण
		2. कुमारी रोमा मजमदार	आई० ए० एस० आयुक्त वाणिज्य और उद्योग तथा सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार
		3. बी० सी० रे०	रिटायर्ड, प्रबन्ध निदेशक, लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।

1	2	3	4
		4, श्री सुबीर नदधी	बी० ई० (सिविल/स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) मुख्य प्रबन्धक (इंजीनियरिंग) मैसर्स जैसफ एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता
5.	मैसर्स नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	11-7-1980 से 10-9-1980 की अवधि के लिए	
		1. श्री बी०आर० पटेल	आई० एस० (रिटायर्ड)
		2. श्री बी० डी० दत्ता	रिटायर्ड प्रबन्धकीय निदेशक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता
		3. श्री जी० के० अभंयकर	रिटायर्ड अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार
		4. श्री के० सी० रमण	उद्योगपति
		5. श्री बी० बी० हरिभक्ति	चार्टर्ड लेखपाल द्वारा मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, बम्बई
		6. श्री आर० एम० मेहता	भूतपूर्व प्रबन्धकीय निदेशक, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड आफ इण्डिया
		7. श्री बी० सी० रणदेरिया	भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (निवेश), लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इन्डिया
		11-9-1980 से 10-7-1983 तक की अवधि के लिए	
		1. श्री पी० जे० सेठ	वर्तमान में सोलिड कन्टेनर्स लिमिटेड बम्बई के प्रबन्ध निदेशक
		2. श्री राजेश्वर प्रसाद	आई० ए० एस० (अवकाश प्राप्त) भूतपूर्व सचिव, स्वस्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार
		3. श्री के० एस० राजन	आई० ए० एस० सचिव (तकनीकी विकास) तथा महा-निदेशक (तकनीकी विकास) उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

1	2	3	4
		4. श्री एस० डी० वर्मा,	भूतपूर्व अध्ययक्ष, इलाहाबाद बैंक
		5. डा० इन्द्रजीत सिंह	अध्यक्ष, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक लि० अब अभिरक्षक पंजाब एण्ड सिंध बैंक
		6. ए० सी० जैन	व्यापारी, मै० हिन्दुस्तान मोनार्क प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्ध निदेशक
		7. श्री रणजीत सिंह	व्यापारी, अध्यक्ष, शाह मौलियेविल्स कास्टिंग्स लिमिटेड, बम्बई
		8. श्री रमेश सी० जैन	व्यापारी, अध्यक्ष, यूनीवर्सल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

बिहार के गिरिडीह जिले में कोयले के भंडार

3128. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गिरिडीह जिले विशेष रूप से गिरिडीह के संदर्भ में कोककर तथा गैर-कोककर कोयले के कुल कितने भंडार हैं;

(ख) कितनी कोयला खानों में कार्य चल रहा है, उनके नाम क्या हैं और गिरिडीह सब-डिवीजन में उनके द्वारा कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया है;

(ग) इसी क्षेत्र में कौन सी और कितनी कोयला खानें बन्द पड़ी हैं और उसके कारण कितने कर्मचारी बेकार हो गये हैं;

(घ) क्या अभी कोयला निकाले जाने की गुंजाइश वाली कोयला खानों के बड़ी संख्या में बन्द होने से गिरिडीह नगर में गैर-कानूनी रूप से खुले रूप में खनन द्वारा कोयले की चोरी हो रही है; जब कि सरकार की ओर से इस तथ्य के विपरीत दावा किया जा रहा है; और

(ङ) गिरिडीह सब डिवीजन में बन्द पड़ी कोयला खानों को चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधनों के लिए सुझाव

3129. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कठोर संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(क) यदि हां, तो उन्होंने इनके लिए क्या कारण बताए हैं;

(ग) किन परिवर्तनों की सिफारिश की गई है; और

(घ) सरकार इन संशोधनों पर कहां तक सहमत हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) 'व्यापार और उद्योग' प्रतिनिधियों से सरकार को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कड़े परिवर्तनों के लिए कोइ ज्ञापन या अभिवेदन अभी विगत में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अन्यों के साथ-साथ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की सीमा में मुक्तिकरण को बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। काफी संख्या में संस्थाओं में उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) की कम्पनी अधिनियम तथा साथ में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधनों के लिये बहुत से सुझावों सहित अगणित ज्ञापन भी प्रस्तुत किये थे। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

अधिनियम में संशोधन करने के लिये, सच्चर समिति के सुझाव, उनकी रिपोर्ट के अध्याय 19 से 22 में उल्लिखित हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट की प्रतियां 30 अगस्त, 1978 को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई थी।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन के लिये सच्चर समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सुझावों को सम्मिलित करते हुए, इन सभी सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उर्वरक उद्योग के लिए मूल्य

3130. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरक उद्योग के लिए धारण मूल्य की गणना करने हेतु उक्त मंत्रालय की कार्यपद्धति में परिवर्तन करने की योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए नियंत्रित मूल्य में कोई संशोधन नहीं करना पड़ेगा;

(ग) इस परिवर्तन के फलस्वरूप कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) उक्त निर्णय से उचित प्राप्ति के मानदण्ड की किस सीमा तक सन्तुष्टि होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने दिनांक 1-9-1979 की अवधि से कुल लागत पर प्रतिधारण मूल्य की संगणना के लिए नई प्रक्रिया निकाली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुल लागत पर लाभ की संगणना के लिए प्रक्रिया बदलने के कारण वर्तमान उत्पादन स्तर पर वर्ष 1979-80 के लिए 25-34 करोड़ रुपये और वर्ष 1980-81 के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।

(घ) उर्वरक उद्योग को कुल लागत पर उचित लाभ के लिए बदली हुई प्रक्रिया पूरी तरह उपयुक्त है।

कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कम्पनियों का पुनर्गठन

3131. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कोल इंडिया के गठन तथा उनकी सहायक कम्पनियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव का विभिन्न पक्षों द्वारा विरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) मंत्रालय के प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि० के पुन: गठन और सहायक कोयला कम्पनियों के ढांचे में परिवर्तन का पूरा प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है इसलिए इस सम्बन्ध में मंत्रालय को विभिन्न क्षेत्रों से आपत्तियां प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य आरम्भ करने वाले बिजली संयंत्र

3132. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बिजली संयंत्रों ने अब पूर्ण क्षमता से उत्पादन आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली संकट कब तक दूर हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता समुपयोजन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है । इन पहलुओं में ये शामिल हैं—संयंत्र की आयु, उपस्कर की हालत, ईंधन की गुणवत्ता, यूनिट के सुस्थिर होने की अवधि, प्रणाली की प्रचालन परिस्थितियां, प्रणाली में विद्युत के किस्मों का मेल-जोल तथा भार अनुपात आदि । नवम्बर 1980 के दौरान देश में ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन 45.4% था । जल विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन मुख्यत: जल की उपलब्धता पर तथा डिजाइन की शक्यता पर निर्भर करता है ।

(ग) प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत को भार मांग को बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था करना ।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में रोगों से वृद्धि करना । 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है । परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निमर्णाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है ।

(3) विद्वान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता करना,

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कणों का पता लगाना तथा उन्हें सुधारों और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों को समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना;

(ध) उचित गुणवत्ता वाले कोयले को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ के उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हों। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कर्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत जांच

3133. **श्री के० ए० राजन**
श्री सुशील भट्टाचार्य
श्री आर० एल० भाटिया } : क्या **विधि, न्याय और कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1978 से एक जांच लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा/तथा प्रगति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेट और मैसर्स टाटा आइल मिल्स कम्पनी लिमिटेड को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (4) और 37 के अन्तर्गत 17 मई, 1978 की जांच का नोटिस जारी किया था। उक्त कम्पनियों के विरुद्ध आरोप हैं कि उन्होंने उनके द्वारा विनिर्मित टायलेट साबुन को कतिपय ब्रान्डों के मूल्यों को उसी तारीख से संशोधन करके संविधा से कार्य किया है। जांच प्रवर्तमान है।

हिन्दुस्तान लीवर के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का बंद करने और इनसे बचने संबंधी आदेश

3134. **श्री के० ए० राजन**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में हेरा-फेरी और क्षेत्र प्रतिबंधों के बारे में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी द्वारा की गई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के इनको बंद करने और इनसे बचने संबंधी पूर्वआदेश का उक्त कम्पनी ने व्यवहारियत: पालन किया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के दिनांक 17-3-1976 के "बंद करो बाज आओ" आदेश के पालनार्थ मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने दिनांक 5-10-1977 को एक पालन का शपथ-पत्र तथा दिनांक 5-12-1977 को एक अनुपूरक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध उसके विरुद्ध यह आरोप होने से, एक जांच संस्थापित की कि वे पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण, सतत रेखा थोपना, तथा क्षेत्रीय बंटन के अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में निरत थे। जब एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने दिनांक 17-3-1976 को "बंद करो और बाज आओ" आदेश पारित किया, तो कम्पनी ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 55 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग के आदेश का समर्थन किया और कम्पनी की अपील खारिज कर दी। चूंकि कम्पनी ने आदेश के पालन का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, अत: आयोग के आदेश के उल्लघन का कोई साक्ष्य नहीं है।

राजस्थान के लिये मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

3135. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों के लिए कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं मंजूर की हैं और उनके लिए मंजूर किए गए ऋण का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्ड इन योजनाओं को बहुत ही धीमी गति से क्रियान्वित कर रहा है; और

(ग) बोर्ड के काम को शीघ्रता से करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम क्या ठोस कार्यवाही कर रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान के विभिन्न जिलों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1979-80 के दौरान 20.78 करोड़ की कुल ऋण राशि को 95 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तथा 1980-81 (30-11-80 तक) के दौरान 8.83 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 18 स्कीमें स्वीकृत की हैं। जिलेवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ग्राय विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमें सामान्यत: 5 वर्ष तक की अवधि में सोपानबद्ध रूप में पूरी की जानी होती हैं तथा ऋण की राशि निर्माण के कार्यक्रम तथा वास्तविक

प्रगति के आधार पर किस्तों में दी जाती है। 1979-80 में स्वीकृत की गई स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बड़ी धीमी गति से किया जा रहा है इस समय ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। जहां तक 1980-81 में स्वीकृत की गई स्कीमों का संबंध है, इन स्कीमों का क्रियान्वयन अभी शुरू किया जाना है।

पिछले वर्षों में स्वीकृत की गई स्कीमों के बारे में 30-6-1980 तक की उपलब्धियों की समीक्षा वास्तविक लक्ष्यों के साथ में करने पर यह देखा जा सकता है कि इन स्कीमों की प्रगति अच्छी रही है क्योंकि ग्राम विद्युतीकरण से संबंधित सोपानबद्ध लक्ष्यों की उपलब्धियां 94% बनाई गई हैं तथा पम्प सेट ऊर्जित करने के संबंध में उपलब्धियां 102% बनाई गई हैं।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों का शीघ्रता से क्रियान्वयन किए जाने के लिए निगम के अधिकारी नियमित रूप से मानीटरिंग करते हैं तथा राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी करते हैं। साथ ही ऋण की दूसरी तथा बाद की किस्तें देने से पहले हमेशा ही वास्तविक प्रगति की समीक्षा की जाती है। स्कीमों के क्रियान्वयन में प्रगति पर निगरानी रखने के लिए निगम ने कार्य निष्पादन बजट की प्रणाली भी लागू की है।

विवरण

1979-80 और 1980-81 (30-11-80 तक) के दौरान राजस्थान में स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का जिलावार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिले का नाम	1979-80 के दौरान स्वीकृत की गई		1980-81 (30-11-80 तक) के दौरान स्वीकृत की गई	
		सं०	ऋण (लाख रुपये में)	संख्या	ऋण (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	3	41.839	—	—
2.	अलवर	6	58.765	4	162.818
3.	बांसवाड़ा	4	239.257	—	—
4.	बाड़मेर	8	469.143	2	130.978
5.	भरतपुर	3	17.356	—	—
6.	भलवाड़ा	2	8.931	—	—
7.	बिकानेर	4	256.197	—	—
8.	बूंदी	4	96.779	—	—
9.	चितौड़गढ़	7	41.526	5	338.671
10.	चुरु	1	0.537	—	—
11.	जयपुर	12	119.383	—	—
12.	जालौर	5	200.851	1	15.984

1	2	3	4	5	6
13.	झुंझनू	5	33.949	—	—
14.	झालावाड़	4	9.646	—	—
15.	जोधपुर	2	91.074	1	93.180
16.	कोटा	4	159.469	—	—
17.	नागौर	3	41.362	1	74.928
18.	पाली	4	7.148	1	7.433
19.	सवाई माधोपुर	4	125.977	1	9.678
20.	सीकर	4	40.321	1	3.622
21.	सिरोही	2	17.143	1	45.339
22.	उदयपुर	4	1.234	—	—
	जोड़	95	2077.887	18	882.631

हिन्दी में विधिक प्रारूपण का प्रशिक्षण

3136.**श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायी विभाग हिन्दी में विधिक प्रारूपण का प्रशिक्षण देता है;

(ख) यदि हां, तो उसमें 1978-79 के दौरान कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या उक्त विभाग अंग्रेजी और हिन्दी को छोड़कर किसी अन्य भाषा में विधिक प्रारूप का प्रशिक्षण देता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) सामान्यतया प्रशिक्षण 1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। प्रशिक्षण वर्ष 1977-78 के दौरान राजस्थान से आए एक अधिकारी ने प्रशिक्षश प्राप्त किया था। विशेष मामले के रूप में जनवरी, 1979 से एक वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान से आए एक अन्य अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण वर्ष 1979-80 के दौरान दो अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जिनमें से एक अधिकारी राजस्थान से और दूसरा मध्य प्रदेश से आया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में ही प्रशिक्षण किसी औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं होता है। प्रशिक्षणार्थियों को विभाग के उन अनुभवी अधिकारियों के साथ जो विधिक प्रारूपण के कार्य में लगे हुए हैं, कार्य करने का अवसर दिया जाता है जिससे कि वे उस कार्य में आवश्यक विशेष योग्यता प्राप्त कर सकें। विभाग विधिक प्रारूपण में प्रशिक्षण की ऐसी ही सुविधाएं अन्य भाषाओं में

उपलब्ध नहीं कर सकता है क्योंकि इन भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद संबंधित राज्य सरकारों के अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है।

कोयले की रायल्टी में वृद्धि करना

3137. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उत्पादक राज्य कोयले पर रायल्टी में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयले पर स्वामित्व की दरों में संशोधन के प्रश्न पर इस समय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

आकाशवाणी दरभंगा

3138. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी दरभंगा के प्रसारणों को कितनी दूरी के अन्तर्गत सुना जा सकता है;

(ख) क्या यह सच है कि नेपाल के पड़ोसी तराई क्षेत्र में मातृ-भाषा मैथिली है जिसे नेपाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी, दरभंगा द्वारा किए गए प्रसारणों को नेपाल के तराई क्षेत्र में नहीं सुना जा सकता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि आकाशवाणी दरभंगा की स्थापना का एक उद्देश्य इसकी मातृ-भाषा के जरिए नेपाल के तराई क्षेत्र को शामिल करना था, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह प्रयोजन किस प्रकार पूरा किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दरभंगा केन्द्र की सम्भावित कवरेज रेंज 75 से 90 किलोमीटर के बीच है।

(ख) तराई क्षेत्र में आबादी का काफी भाग मैथिली भाषा है। लेकिन मैथिली को नेपाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई हैं।

(ग) से (ङ) आकाशवाणी का दरभंगा केन्द्र मुख्यतः बिहार राज्य में मैथिलि भाषी क्षेत्रों को कवर करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका नेपाल के तराई क्षेत्र को कवर करने का इरादा नहीं था। अतः दरभंगा को कवरेज का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि दरभंगा स्टेशन नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भागों को कवर कर रहा है।

आकाशवाणी दरभंगा के लिये जेनरेटर

3159. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र के पास अपना कोई जेनरेटर नहीं हैं और यह बिजली की सप्लाई के लिये बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता है;

(ख) पिछली जनवरी से बिजली की उक्त सप्लाई औसत रूप से कितने समय के लिए उपलब्ध रही; और

(ग) क्या आकाशवाणी दरभंगा का अपना स्वयं का जेनरेटर लेने का विचार है यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) : (क) आकाशवाणी, दरभंगा के स्टूडियों में एक डीजल जेनेरेटर है जिसका प्रयोग बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने पर किया जाता है। लेकिन, ट्रांसमीटर के लिए फिलहाल कोई जेनरेटर नहीं है और जिसको बिजली की सप्लाई के लिए राज्य विद्युत बोर्ड पर निर्भर रहना पड़ता है।

(ख) औसतन, आकाशवाणी, दरभंगा प्रति मास लगभग 326 घण्टे के कार्यक्रम प्रसारित करता है। प्रेषण केन्द्र की बिजली की सप्लाई की गैर-उपलब्धता के कारण प्रसारण समय में औसतन प्रति मास लगभग 24 घण्टे की कटौती होती रही है। शेष अवधि के लिए, बिजली की सप्लाई उपलब्ध रही हैं।

(ग) ट्रांसमीटर के लिए 62.5 के० वी० ए० का डीजल जेनेरेटर खरीदने के प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है।

दरभंगा आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारी के लिए आवास

3140. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, दरभंगा के कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा के सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों को आवास प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी दरभंगा के 18 कर्मचारियों को सरकारी आवास दे दिये गए हैं।

(ख) छठी योजना (1980-85) के संशोधिन प्रस्तावों, जो इस समय विचराधीन हैं, में 'वर्तमान केन्द्र में अतिरिक्त स्टाफ क्वाटरों के निर्माण' की योजना के लिए 500 लाख रु० के बढ़ा हुआ प्रावधान है। अगर यह प्रावधान स्वीकृत हो जायेगा तो अन्य केन्द्रों के साथ-साथ दरभंगा में भी

अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण को उचित प्राथमिकता दी जायेगी जो सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

मध्य प्रदेश की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

3141. **श्री अरविंद नेताम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों को लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम बिजली बोर्डों द्वारा तैयार किये जाते हैं और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। इनके लिए वित्तीय ग्राम विद्युतिकरण निगम के माध्यम से राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। 31-10-80 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की 76 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें निगम की जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अतिरिक्त 31-10-80 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई 12 स्कीमें आवश्यक संशोधन/स्पष्टीकरणों के लिए वापस भेज दी गई थीं और बोर्ड के पास लम्बित पड़ी हुई हैं।

(ख) निगम में जांच की जा रही स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र तथा राज्य बिजली बोर्ड के पास संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए लम्बित स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र विवरण 1 और 2 में दिए गये हैं।

विवरण

31-10-80 की स्थिति के अनुसार) ग्राम विद्युतीकरण निगम में वित्तीय सहायता के लिए लम्बित मध्य प्रदेश की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम/उसके अन्तर्गत आने वाला ब्लाक	जिला
1	2	3
1.	बछिया ब्लाक	मण्डला
2.	डिंडोरी ब्लाक	मण्डला
3.	ओडगी और भाईथान	सरगुजा
4.	उद्राफनगर	सरगुजा
5.	लुन्द्रा ब्लाक	सरगुजा
6.	नटेरुआ ब्लाक	विदिशा
7.	धमतरी ब्लाक	रायपुर
8.	अंरहल ब्लाक	मुरैना

1	2	3
9.	करकेली-11	शहडोल
10.	मानपुर-1	शहडोल
11.	मानपुर-11	शहडोल
12.	शीमपुर ब्लाक	बैतुल
13.	तुमेरन ब्लाक	होशंगाबाद
14.	दतिया ब्लाक	दतिया
15.	सीनधा ब्लाक	दतिया
16.	विजयपुर ब्लाक	मुरेना
17.	शिवपुर ब्लाक	मुरेना
18.	छिंदवाड़ा और सौसर	छिंदवाड़ा
19.	खाटेगांव	देवास
20.	कन्नोद	देवास
21.	एस० टी० स्कीम	दतिया
22.	शिवपुर और विजयपुर की एस० टी० स्कीमें	मोरेना
23.	मोरेना, जावरा तथा पाथरगढ़	मोरेना
24.	कुराई ब्लाक	रायपुर
25.	तिल्दा ब्लाक	रायपुर
26.	मोरार, घाटीगांव और भिटारवाड़	ग्वालियर
27.	चितरंगी	सीधी
28.	झंबुआ, रामा तथा रानापुर	झाबुआ
29.	वैधान	सीधी
30.	सीधी और सिसवाल ब्लाक	सीधी
31.	लेहर ब्लाक	भिंड
32.	गोहाद ब्लाक	भिंड
33.	भिंड और अतेर	भिंड
34.	विजयडण्डी ब्लाक	मण्डला
35.	पुरसेरे ब्लाक	रायगढ़
36.	भानुप्रतापपुर	बस्तर
37.	सारंगगढ़	रायगढ़
38.	मलकरधा	बिलासपुर
39.	नारायणपुर	बस्तर
40.	बिहार ब्लाक	बालाघाट
41.	शक्ती तहसील	बिलासपुर
42.	बरेराकेला ब्लाक	रायगढ़

1	2	3
43.	बौदा मल्हारा	छतरपुर
44.	बैदवाड़ा	जबलपुर
45.	टीकमगढ़ और बल्देवगढ़	टीकमगढ़
46.	हरदा और बतुनियारनी	होशंगाबाद
47.	सुहागपुर, पिपारिया तथा बनखेडी	होशंगाबाद
48.	रायगढ़ ब्लाक	रायगढ़
49.	नवागढ़	दुर्ग
50.	दामोह तथा झाबुआ	दमोह
51.	अनूपपुर तथा कोतपा	शहडोल
52.	बुसार ब्लाक	शहडोल
53.	खेलवा ब्लाक	खण्डवा
54.	कटनी ब्लाक	जबलपुर
55.	बैरागढ़ ब्लाक	जबलपुर
56.	पन्ना, पावई तथा गुन्नौर ब्लाक	पन्ना
57.	पारसवाड़ा ब्लाक	बालाघाट
58.	धबरा ब्लाक	बिलासपुर
59.	मुंगावली तथा लोरमी	बिलासपुर
60.	चापड़ा तथा धरोना	सिवनी
61.	लाखनादोर	सिवनी
62.	बेतूल, चिचोली तथा घोरादेंगरी	बेतूल
63.	पोटलावाद	झावुआ
64.	मंडला, नैनपुर और बिछिया	पण्डला
65.	जतारा और पटेरा	टीकमगढ़
66.	बारोद ब्लाक	शाजापुर
67.	नालखेड़ा	शाजापुर
68.	फान्दा और बेरासिया	भोपाल
69.	पाटन	जबलपुर
70.	सिओंधा और दतिया	दतिया
71.	मोरार और घाटियागांव	ग्वालियर
72.	बुढिनी	सीहोर
73.	विदिशा और गयाराव	विदिशा
74.	पनागर	जबलपुर
75,	महोव ब्लाक	इंदौर
76,	अम्बाह, पोरसा	मोरेना

विवरण-2

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड में (31-10-80 की स्थिति के अनुसार) शंशोधन/स्पष्टीकरण के लिए भेजी गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तथा उनके पास लम्बित स्कीमें तथा उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को दिखाने वाले विवरण

क्रम सं०	स्कीम का याम/उसके अन्तर्गत आने वाला ब्लाक	जिला
1.	कुन्दम ब्लाक	जबलपुर
2.	बावेला ब्लाक	छतरपुर
3.	बोदला ब्लाक	राजनन्दन गांव
4.	देवास ब्लाक	देवास
5.	बागली ब्लाक	देवास
6.	सीहोर ब्लाक	सीहोर
7.	खेरखिया	होशंगाबाद
8.	कुवशी ब्लाक	धार
9.	शक्ती तहसील	बिलासपुर
10.	खातेगांव	देवास
11.	भान्दा और दुलोगे	ग्वालियर
12.	होशंगाबाद इलेक्ट्रिकल डिवीजन	होशंगाबाद

कास्टिक सोडा का उत्पादन

3142. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि कास्टिक सोडे के बहुत से औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है अथवा उनमें कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता किस सीमा तक अप्रयुक्त रही, 1979-80 में तथा सितम्बर, 1980 को समाप्त छिमाही के दौरान कुल लाइसेंस क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना था।

(ग) लाइसेंसों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण थे; और

(घ) कास्टिक सोडे की पूरी क्षमता के उत्पादन के लिए क्या उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) : 1.41.100 टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाले कास्टिक सोडा के सभी छः औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(2) बिजली की कमी के कारण वर्ष 1979-80 के दौरान 72 प्रतिशत और अप्रैल-सितम्बर, 1980-81 के दौरान 74 प्रतिशत कुल संस्थापित क्षमता का उपयोग हुआ।

(ख) 7,65,994 टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाले 33 यूनिट कास्टिक सोडा के उत्पादन में लगे हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान 5,49,662 टन और अप्रैल से सितम्बर, 1980 के आधे वर्ष में 2,82,841 टन कास्टिक सोडा का वास्तविक उत्पादन हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के उपाय कर रही है जिससे क्षमता उपयोग में सुधार होगा। आगे सरकार ग्रेफाइट एनोड के स्थान पर धान के एनोड के प्रयोग को भी बढ़ावा दे रही है जिससे बिजली की खपत में किफायत होगी और क्षमता उपयोग बढ़ेगा।

मध्य प्रदेश में मांड कोयला खानों से कोयले का खनन

3143. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायगढ़ (मध्य प्रदेश) के निकट एक बिजलीघर की स्थापना के प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के बाद, जिसे बाद में मांड कोयला क्षेत्र से जोड़ दिया जायगा। मांड कोयला क्षेत्र में कोयले के खनन-कार्य को तेज करने हेतु सरकार अथवा कोयला विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा अब तक की गई है ; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या रवैया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) रायगढ़ के निकट एक बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव अभी तक मन्जूर नहीं किया गया है। मांड रायगढ़ क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रादेशिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कोयले के भंडारों की मात्रा का पता लगने में लगभग तीन वर्ष का समय लग जाएगा। इसके बाद कोल इंडिया लि० को अथवा उसकी एजेंसी अर्थात खनिज गवेषण निगम को विस्तृत समन्वेषण कार्य करना पड़ेगा। वहां पूंजी निवेश का कोई विचार समन्वेषण की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं पूरी हो जाने पर ही किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश स्थित आई० बी० कोल माइन्स से तथा गुजरात के बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

3440. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायगढ़ स्थित आई० बी० कोलमाइन्स से बम्बई तथा गुजरात राज्य के बिजली घरों को, जिनकी कुल विद्युत प्रजनन क्षमता अ लगभग 1600 मेगावाट है अस्थाई रूप से कोयले की सप्लाई सुनिश्चित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयला उपलब्ध होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कोयले की सप्लाई

करने से इन्कार कर दिया गया है और इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इब कोयला खानें मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में नहीं बल्कि पड़ोस में ही उड़ीसा के सम्बल पुर जिले में हैं।

पिछले एक वर्ष की इन खानों से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड या गुजरात बिजली बोर्ड को किसी बिजलीघर के लिए कोई कोयला नहीं भेजा गया।

परन्तु रेलवे ने संचालन सुविधा की दृष्टि से 4,000 से 5,000 टन कोयला जो अन्य ग्राहकों को भेजा गया था उसे महाराष्ट्र के बिजलीघरों को भेज दिया।

(ग) मध्य प्रदेश से चलने वाले किसी भी बिजली बोर्ड को कोयला देने से इन्कार नहीं किया गया है।

आई० बी० कोयला खानों से रायगढ़ तापीय विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई

3145. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के रायगढ़ तापीय विद्युत केन्द्र को कहां से तथा कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की जा रही है ;

(ख) रायगढ़ स्थित आई० बी० कोयला खानों के पास 50 भाड़े टन से भी अधिक कोयले के भण्डार हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस खान से उपरोक्त बिजली घर को कोयले की सप्लाई करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस खान से उक्त केन्द्र को कोयला उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) चूंकि रायगढ़ ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुई है अत: रायगढ़ ताप विद्युत संयंत्र का कोयला लिकेज का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए प्रारम्भिक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि आई० बी० घाटी में 500 मिलियन टन कोयले के भण्डार हैं। विस्तृत भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों द्वारा ये भण्डार अभी तक 'प्रमाणित' श्रेणी में नहीं लाए गए हैं। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक आई० बी० घाटी कोयला क्षेत्र से किसी प्रकार के और लिकेज के बारे में बचनबद्धता नहीं की जा सकती।

(घ) जो स्थिति (क), (ख) और (ग) में बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए, इस खान से कोयला उपलब्ध कराने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

उड़ीसा में चिलका झील के समीप तेल के भण्डार का पता चलना

3146. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य की सरकार को यह सूचित किया है कि उड़ीसा में चिलका झील के समीप तेल के भण्डार का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण अथवा छिद्रण किया गया है ;

(ग) क्या भण्डार की मात्रा का अनुमान भी लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी नहीं। ओ. एन. जी. सी द्वारा की गई जांच से पता चला कि जिला पुरी के स्थाल गांव में प्राकृतिक तेल वहां नहीं आ रहा था बल्कि वहां तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का समिश्रण ही था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में हिंडन कट के पार नया अशोक नगर का विद्युतीकरण

3147. **श्री कमला मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हिन्डन कट के पार गांव चिल्ला विस्तार में नया अशोक नगर और इसके आस पास की कालोनियों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है जबकि ये कालोनियां 1972 से पूर्व बनी थी ;

(ख) इन कालोनियों के निवासियों को स्ट्रीट लाइट और घरेलू बिजली के कनेक्शन देने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है विशेषकर जबकि कालोनियों तक रोड लाइड उपलब्ध करा दी गई ;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) बिजली की सम्पूर्ण व्यवस्था कब तक हो जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : किसी कालोनी का विद्युतीकरण हाथ में लिए जाने से पूर्व, यह आवश्यक है कि प्रत्येक कालोनी के कम से कम 20 प्रतिशत प्लाटधरित बनाने को राशि का भुगतान कर दें और समुचित विकास प्रभार वहन करने का वचन औपचारिक रूप से दें। न्यू अशोक विहार कालोनी के सम्बन्ध में, जिसे विद्युतीकृत नहीं किया गया है, कार्य हाथ में नहीं लिया गया है क्योंकि प्लाटों की संख्या के बारे में सूचना उप केन्द्र के लिए स्थान दिए जाने का वचन और अन्य विवरण नहीं दिया गया है।

(ख) दिल्ली नगर निगम अथवा सड़कों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी एजेंसी से विशिष्ट रूप से अनुरोध किए जाने पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कालोनियों के विद्युतीकरण का कार्य तभी हाथ में लिया जा सकता है जब सभी सूचना इस प्रश्न के भाग (क) से बताए अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दे दी जाए।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ली जा रही गैस की कीमत

3140. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र तथा असम राज्यों में विभिन्न उपभोक्ताओं से गैस के लिए अलग-अलग कीमत ली जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कोयले/तेल की प्रतिस्थापना के आधार पर गैस की कीमत निर्धारित करना अनुचित है तथा गुजरात में गैस की कीमत नियत करने के बारे में डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा दिये गये पंचाट में दिये गये 'लागत जमा' सिद्धांत प्रतिकूल हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गुजरात में गैस की कीमत में 1966 से 1980 के बीच 800 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार डा० वी० के० आर० वी०राव द्वारा गुजरात के मामले में गैस की कीमत सम्बन्धी पंचाट में, जो सिद्धांत स्वीकार किये गये हैं और जिसकी सिफारिश की गई है, उनको ध्यान में रखते हुए गुजरात में गैस की कीमत नियत करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त करना जरूरी समझती है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न प्रयोजना के लिए गैस के अलग-अलग मूल्य वसूल किए जाते हैं।

(ख) डा० वी० आर० वी० राव के पंचाट में वस्तुतः गुजरात में गैस के मूल्य नियत करते समय पश्चिम बंगाल और बिहार के उष्मीय समता के कोयले के गढ़े शीर्ष मूल्यों को ध्यान में रखा गया था तथापि, उन्होंने भविष्य में गैस के मूल्यों को तय करने में वैकल्पिक ईंधनों के उष्मीय समता सिद्धांत को अपनाने से नकारा नहीं है।

(ग) 1966 से 1980 की अवधि के दौरान मध्यस्था पंचाट अथवा उपभोक्ताओं के साथ बिक्री कर की दरों में वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप की गई बातचीत से गुजरात के उद्योगों को दी जाने वाली गैस के मूल्य छः बार संशोधित किये। गैस की 74.91 रुपये प्रति 1,000 घन मीटर मूल्य की तुलना में वर्ष 1967 की रायल्टी, बिक्री कर और परिवहन लागत को शामिल करके, विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान मूल्य नीचे दिये गये हैं।

(1,000 प्रति घन मीटर की दर से)

जी० ई० वी०	350/-रुपये
जी० एम० एफ० सी०	350/रुपये
निजी उद्योग	504/रुपये

(घ) विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वसूल किये जा रहे मूल्य अनुचित नहीं समझे जा रहे हैं।

विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाएं

3149. **श्री राम विलास पासवान :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि उन 301 विदेशी कम्पनियों की जिन्होंने अपने वार्षिक तुलन-पत्र और हानि-लाभ के विवरण कम्पनी कार्य विभाग को प्रस्तुत किये हैं; भारतीय शाखाओं और सहायक कम्पनियों के वर्ष 1973 से वर्ष 1979 तक की अवधि का उत्पादन, बिक्री, लाभ, आयात-निर्यात कुल आस्तियां, देयताएं आदि के सम्बन्ध में कम्पनी-वार, देशवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : प्रश्न में संदर्भित 301 विदेशी कम्पनियां, उन विदेशी कम्पनियों की शाखाओं से सम्बद्ध हैं जिन्होंने वर्ष 1973-74 के तुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि लेखाओं को प्रस्तुत किया था। वर्ष 1978-79 में, 358 कार्यरत विदेशी कम्पनियों में से 141 शाखाओं ने अपने तुलन-पत्रों और लाभ तथा लेखाओं को प्रस्तुत किया था। 2 दिसम्बर, 1980 को उत्तरित प्रश्न संख्या 2054 के उत्तर में जैसा स्पष्ट किया गया था, शेष 217 शाखाओं में; 25 नौपरिवहन और विमान चालन व्यापार में लगी हुई थीं तथा उनको अलग से भारतीय लेखाओं को प्रस्तुत करने से मुक्त कर दिया था, 24 अन्य भारतीय कम्पनियों में समामेलित हो गई थीं इस प्रकार से उनको अलग से लेखाओं को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं था, जबकि अन्य निष्क्रिय हो गई थी या बन्द होने की प्रक्रिया के अन्तर्गत थीं। विदेशी कम्पनियों की 141 शाखाओं और 113 सहायकों के कम्पनी अनुसार और देशानुसार परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त (अर्थात् बिक्री), कर से पूर्व लाभ, आयातों और निर्यातों के ब्यौरे, जिनके सम्बन्ध में वर्ष 1978-79 की सूचना उपलब्ध है, कथित अतराकित प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में प्रस्तुत कर दी गई है (वर्ष 1978-79 की अवधि में विदेशी कम्पनियों की 125 सहायकें कार्यरन्त थीं और तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखा उनमें 113 के उपलब्ध है)। उत्पादन का मूल्य कम्पनियों के लाभ तथा हानि लेखाओं में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दर्शाया गया है किन्तु यह बिक्री के मूल्य में व्यापक रूप से प्रतिबिम्बित होता है। वर्ष 1978-79 की अवधि में विदेशी कम्पनियों की 141 शाखाओं और 113 सहायकों की देयताओं के आंकड़े कमशः संलग्न अनलग्नक-I और II में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1545/80]।

पूर्व वर्षों की समरूपक सूचना तैयार नहीं की गई है क्योंकि इस सूचना के संकलन में काफी समय और श्रम लगेगा जो सम्भवतः उपलब्ध होने वाले परिणामों के समानुपातिक नहीं होगा।

फिल्म संस्थान

3150. **श्री एन० डेनिस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) केन्द्रीय सरकार (दो) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये फिल्म संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनके कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित फिल्म संस्थान स्थापित किए हुये हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार—भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे ।

(2) राज्य सरकारें—तमिल नाडु सरकार द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट आफ फिल्म टेक्नोलाजी आडियार, मद्रास ।

कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एस० जे० पालोटेक्नीक संस्थान, बंगलौर । यह चलचित्रिकी और ध्वनि इंजीनियरी में भी प्रशिक्षण देता है ।

(ख) **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे** : इस संस्थान को 1980 में फिल्म निर्माण की कला और तकनीकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । इसमें दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद इसका नाम भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कर दिया गया था । यह संस्थान 1 अक्तूबर, 1974 से सोसायटी के रूप में काम कर रहा है । यह संस्थान इस समय निम्नलिखित विधाओं में डिप्लोमा प्रदान करता है :—

(1) चलचित्रिकी
(2) सम्पादन
(3) निर्देशन
(4) ध्वनि रिकार्डिग और इंजीनियरी ।

संस्थान में दाखला एक लिखित प्रवेश परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है । पहले तीन विधाओं के लिये 20 छात्रों को और ध्वनि रिकार्डिग और ध्वनि इंजीनियरी के पाठ्यक्रम के लिए 12 छात्रों को दाखला दिया जाता है । 7 स्थान अफ्रीका-एशियाई देशों के विदेशी छात्रों के लिए सुरिक्षित हैं । संस्थान के फिल्म विंग में प्रशिक्षण सैद्धान्तिक और व्यावहारिकता दोनों प्रकार का है ।

इंस्ट्रीट्यूट आफ फिल्म टैक्नोलाजी, आडियार : सेंट्रल पालीटैक्नीक, मद्रास में शुरू में चलचित्रिकी और ध्वनि रिकार्डिग में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए 1945 में एक अनुभाग खोला गया था । बाद में 1950 में इस अनुभाग का दर्जा एक अलग इंस्टीट्यूट आफ फिल्म टैक्नोलाजी के रूप में बढ़ा दिया गया था । इस समय यह संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है :—

(ह) निर्देशन और स्क्रीन प्ले लेखन
(2) चलचित्रिकी
(3) ध्वनि रिकार्डिग और ध्वनि इंजीनियरी
(4) फिल्म प्रोसेसिंग
(5) सम्पादन
(6) अभिनय

छात्रों का चयन तमिलनाडु और भारत के अन्य राज्यों से और विदेशों से भी योग्यता के आधार पर किया गया है।

पश्चिमी बंगाल में कम्पनियों के निदेशकों की नियुक्ति के लिये अनुमति

3151. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी पंजीयक, पश्चिम बंगाल के पास पंजीकृत बहुत सी कम्पनियों से वर्ष 1980 के दौरान प्रबन्ध निदेशकों/पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उक्त आवेदन पत्रों, नियुक्तियों, पारिलब्धियों सहित परिश्रमिक नियत करने आदि पर सरकारी निर्णय अभी किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; ऐसी प्रत्येक कम्पनी के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक को कितना लाभ हुआ तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम क्या है; और

(घ) आवेदन पत्रों की और अधिक बिलम्ब किये बिना निपटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को सहायक हों, के प्रबन्ध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, तथा पारिश्रमिक को अदायगी के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र, विभाग में सभी कम्पनियों के बारे में प्राप्त होते हैं, तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल के पास पंजीकृत कम्पनियों से आवेदन-पत्रों के आंकड़े विभाग द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं। इन आंकड़ों के संग्रह में अत्याधिक समय व श्रम लगेगा, जो प्राप्त किये जाने वाले सभावित परिणामों के विशेषतः इस तथ्य की दृष्टि में रखते हुए समनुरूप नहीं होंगे, क्योंकि माननीय सदस्य ने भी इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी के नाम, गत तीनों वर्षों में कमाये गये लाभ तथा पदधारियों के नामों, से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है।

विद्यवान प्रक्रिया के अनुसार, प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक की अदायगी की बाबत कम्पनियों से प्राप्त आवेदन-पत्र, 60 दिन की अवधि के अन्दर निपटाये जाते हैं। आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर, यह पता लगाने के लिये आरंभिक संवीक्षा की जाती है कि क्या सभी अपेक्षित सूचना तथा हिस्सेधारियों की साधारण बैठक में कम्पनी का संकल्प, भेजे गये हैं। आवेदन-पत्र में दृष्टिगोचर हुई किन्ही अपूर्णताओं का कम्पनियों को तुरन्त परामर्श दिया जाता है। कम्पनियों के प्रस्तावों को कम्पनी रजिस्ट्रारों की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा की जाती है, जिसमें प्रबन्ध के विरुद्ध यदि कोई हो, तो शिकायतों तथा कोई निरीक्षण/जांच जो लेखा वहियों की, की गई हों, एवं की गई अनुवर्ती कार्यवाही का वर्णन होता है। ये आधार सामग्री यह विचारार्थ सुसंगत हैं कि नियुक्ति के

लिये प्रस्तावित व्यक्ति, प्रश्नाधीन पद धारण करने के लिये एक 'योग्य एवं उचित' व्यक्ति है तथा इस व्यक्ति की नियुक्ति जनहित के विरुद्ध होने की संभावना तो नहीं है।

दिल्ली उच्च-न्यायालय ने प्रबन्धकीय परिश्रमिक पर 1978 कार्यकारी मार्गदर्शक नियमों को, गैर-कानूनी तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के शक्ति-अतीत के रूप में, उच्छिन्न कर दिया है। इस मामले पर सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अन्तःकालीन रोकादेश प्रदान करते समय, निदेश दिया था कि केन्द्रीय सरकार, उन कम्पनियों जिन्होंने अपने आवेदन-पत्र नवम्बर 1978 के मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत विधायित होने से आपत्ति की है, के प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक को स्वीकृति प्रदान करने के लिये विधामित नहीं करेगी। इस दृष्टि से कम्पनियों से 1978 के मार्गदर्शक नियमों के अनुसार आवेदन-पत्रों के विधायन के लिये स्वीकृति या अन्यथा बताने के निवेदन किये गये हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ सीमा तक आवेदन पत्रों के निपटान में कुछ देरी होती है।

गोन्टरमान पाइपर्स (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता

3152. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोन्टरमान पाइपर्स (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का गठन क्या है, विवरण और तथ्यों सहित बताएं और निदेशक मण्डल का गठन क्या है, उक्त निदेशकों में कम्पनी के शेयरों का आवंटन और वितरण क्या है, और विदेशियों के पास यूनिटों की कुल संख्या कितनी है और शेयरों की कीमत क्या है;

(ख) क्या विदेशी शेयरधारिता के सम्बन्ध में गम्भीर विवाद उठा है और क्या कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कोई रोधक आदेश जारी किया था जिसे विदेशी शेयरधारियों ने नहीं माना;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और विवरण क्या है;

(घ) क्या उन सभी के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करने का प्रस्ताव है जिन्होंने इस सम्बन्ध में बोर्ड के निदेशों का पालन नहीं किया; और

(ङ) गत तीन वर्ष के कुल उत्पाद क्रय-विक्रय का क्या ब्यौरा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस कम्पनी में विदेश सहयोगकर्ताओं, वित्तीय संस्थानो, निदेशकों और अन्यों द्वारा धारित शेयर निम्न प्रकार हैं :

क्रम संख्या	नाम	10 रु० प्रत्येक के शेयरों की संख्या
1.	गोन्टरमनपाइपर्स जी० एम० बी० एच (विदेशी सहयोगकर्ता)	3,60,000 (40 प्रतिशत का गठन करते हुए)
2.	डेस्च सेल चैपट फर विरचैट लिचे जैसमैन चिस्ट, एन विफेलजांगचेफट	1,80,000 (20 प्रतिशत का गठन करते हुए)

1	2	3
3.	इन्डस्ट्रीयल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया	29,178
4.	इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वैस्टमैंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	41,071
5.	इन्डस्ट्रीयल डिवलपमैंट बैंक आफ इण्डिया	47,481
6.	भारतीय जीवन बीमा निगम	30,650
7.	यूनाइटेड इण्डिया एण्ड जनरल इंशोरेन्स कम्पनी लि०	30,000
8.	यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया	37,250
9.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	100
10.	श्री एच० के० नाथानी, (प्रबन्ध निदेशक)	19,057
11.	श्री एच० एन० गुहा (निदेशक)	1,600
12.	श्री जी० बसु (अध्यक्ष)	100
13.	अन्य	1,23,513
	योग	9,00,000

दिनांक 5-5-1980 तक कम्पनी के निदेशक मंडल की संख्या निम्न प्रकार थी :

1. श्री जी० बासु, अध्यक्ष
2. श्री डब्ल्यू० लोज, निदेशक (मि० एच० लुडविग, वैकल्पिक निदेशक)
3. श्री एच० गुवेनहोर्स्ट, निदेशक (श्री एच० एन० पैनका वैकल्पिक निदेशक)
4. श्री एच० एल० हुस्केन, निदेशक
5. श्री एच० एन० पीटजोन्ट, निदेशक (श्री एल० एस० दावार-वैकल्पिक निदेशक)
6. श्री एच० के० नाथानी, प्रबन्ध निदेशक
7. श्री एच० एन० गुहा, निदेशक
8. श्री ए० आर० घोष, निदेशक (भा० खा० नि० द्वारा नामित)

(ख), से(घ) मई 1980 में, कम्पनी के निदेशक श्री हरी नारायण गुहा ने कम्पनी विधि बोर्ड की यह लिखते हुए एक अभिवेदन दिया कि उन्होंने महसूस किया है कि मैसर्स गोन्टरमेन पीपर्स जी० एम० बी० एच० (विदेशी सहयोगकर्ता) और मैसर्स डेस्चसेल चैफट फर विर चैटलिचे, जेसमन चिस्ट एन विफेलजांग चेफट द्वारा धारित शेयरों के स्वामित्व के लिए जो एक गैर-आवासीय भारतीय कम्पनी को कपने अंश हस्तान्तरण की अनुमति मांग रहे थे, और जिसकी अगर अनुमति दे दी गई तो वह कम्पनी के हितों के विपरीत होगा। कम्पनी विधि बोर्ड ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करके दिनांक 21-5-1980 को अधिनियम की धारा 409(2) के अन्तर्गत अन्तरिम आदेश इस पर बल देते हुए पारित किया कि निदेशक मण्डल में कोई परिवर्तन केन्द्रीय सरकार की पुष्टि के बिना नहीं किया जाना चाहिए तथा अधिनियम की धारा 409(1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि इस पर क्यों नहीं आदेश अन्तिम पारित किया जाना

चाहिए । कम्पनी विधि बोर्ड मामले की सुनवाई कर रहा है और अधिनियम की धारा 409(1) के अन्तर्गत जांच के पूर्ण हो जाने के बाद उसके द्वारा उचित आदेश पारित किए जाएगे ।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के अवधि में कम्पनी के कुल व्यापारावर्त के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

30-4-78 की समाप्त वर्ष	2,96,09,622 रु०
30-4-79 की समाप्त वर्ष	3,88,07,590 रु०
30-4-80 की समाप्त वर्ष	4,59,10,455 रु०

राजस्थान पत्रिका को विज्ञापनों में कमी करने सम्बन्धी समाचार

3153. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गत 28 सितम्बर के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान सरकार ने स्थानीय हिन्दी दैनिक राचस्थान पत्रिका को दिए जाने वाले विज्ञापनों में इसलिए बहुत कमी कर दी है कि इस पत्रिका ने राजस्थान सरकार की आलोचना की थी;

(ख) क्या आलोचनात्मक विचारों वाले समाचार पत्रों को विज्ञापनों में राज्य सरकारों द्वारा कमी किए जाने के ऐसे ही समाचार उत्तर प्रदेश कर्नाटक तथा अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुए है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रेस परिषद ने हाल ही में इसके विरोध में कहा है कि आलोचना करने वाले ऐसे समाचार-पत्रों के प्रति सरकार की ऐसी कार्यवाही अनुचित थी;

(घ) इस बारे में प्रत्येक मामले के तथ्य क्या हैं; उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्रवाही की गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में राज्यों को क्या मार्ग निर्देश दिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(क) ऐसी कुछ शिकायतें/रिपोर्टें, जिनमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा विज्ञापनों को देने के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया गया था, सरकार के ध्यान में आई है ।

(ग) और (घ) प्रेस परिषद ने 'चरित्र विकास' की शिकायत पर यह न्याय निर्णय दिया कि विज्ञापनों को केवल इस कारण से ही बन्द नहीं किया जा सकता कि, सरकारी विभागों या सम्बन्धित अधिकारियों की राय में, किसी समाचार पत्र में कतिपय लेख अरुचिकर है या उनकी पसन्द के नहीं हैं या उनमें सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारियों के कार्य की आलोचना है । प्रेस परिषद का उस मामले में यह विचार बना था कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा उक्त साप्ताहिक को विज्ञापतों का देना बन्द कर दिया जाना राजनैतिक, वैयक्तिक और असंगत कारणों से प्रेरित था । परिषद का यह भी विचार था कि कोई भी सरकार या प्राधिकारी विज्ञापन देना केवल इस कारण नहीं रोक सकता कि समाचारपत्र उसकी नीतियों का आलोचक है और यदि ऐसे कोई लेख हैं जिनको वे

अश्लील या अपमानजनक समझते हैं तो अधिकारी प्रेस परिषद को लिख सकते हैं या न्यायालय में उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।

(ङ) राज्य सरकारें अपनी विज्ञापन नीतियों का अनुसरण करने के लिए स्वतन्त्र हैं कोई केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए जाते।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से लघु उद्योग के उत्पादों को लोकप्रिय बनाना

3154. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा 28 सितम्बर, 1980 को, लघु उद्योगों के बारे में हुई गोष्ठी में दिए गए आश्वासन के अनुसरण में, श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से लघु उद्योगों के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और इस सम्बन्ध में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े बड़े व्यापार-गृहों को प्राप्त एकाधिकार को कम करने के प्रयोजन से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : दिए गए आश्वासन के अनुसरण में, सरकार का अपने नियन्त्रणाधीन माध्यमों के जरिए लघु उद्योगों के उत्पादों का प्रचार करने के तौर-तरीकों पर विचार करने का प्रस्ताव है। मामले की जांच की जा रही है और लघु उद्योग के लिए विज्ञापनों की रियायती दरें जैसे कतिपय कदम पहले ही व्यवहार में हैं।

अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम

3155. **श्री टी० एस०नेगी** : **सूचना और प्रसारण** मंत्री अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमों के बारे में 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7765 के उत्तर से सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन महानगरों के केन्द्रों पर इस वर्षों से भी अधिक सभा से कार्यरत अधिकारियों की विशेष अर्हताएं क्या हैं और नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं;

(ख) आकाशवाणी के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित विभिन्न केन्द्रों में कितने राजपत्रित अधिकारी प्रोग्राम एग्जी क्यूटिव के रूप में छः वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं और उनके नाम तथा अर्हताएं क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जल्दी जल्दी स्थानान्तरण किए जाने से कार्यक्रमों के स्तर पर बुरा असर पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विवाह अपनी वर्तमान स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन करने का है ताकि कार्यक्रमो के स्तर में सुधार हो सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भाषायी

और कार्यक्रम की आवश्यकताओं, प्रशासनिक मजबूरियों, निजी समस्याओं, आयु और कुछ अन्य बातों के कारण कार्यक्रम अधिकारियों को उनके सामान्य कार्यकाल से अधिक समय के लिए केन्द्र पर रखना जरूरी हो जाता है। इस रूप में कोई विशेष अर्हताएं नहीं हैं।

प्रशासनिक सुविधा के लिए, कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। ये साविधिक नियम नहीं हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, कार्यक्रम अधिकारियों को उनके सामान्य कार्यकाल के बाद रखने से किन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं होता।

(ख) एक विवरण संलग्न है। जैसाकि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, किसी अधिकारी को केन्द्र पर उसके सामान्य कार्यकाल के बाद रखने के लिए विशेष अर्हताओं का होना कसौटी नहीं है।

(ग) जी, हां। स्थानान्तरण सामान्य क्रम में नहीं किए जाते तथा सेवा के हित को सदा ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी, नहीं। वर्तमान नीति को पर्याप्त समझा जाता है।

विवरण

नाम

1. श्रीमती एस० बी० चन्दोला, आकाशवाणी, बम्बई।
2. श्रीमती राजरानी भाटिया, तथैव
3. श्रीमती के० बी० मंजरेकर, तथैव
4. श्री वाई० एच० मनाके, तथैव
5. श्री एस० के० कामरा, विज्ञापन प्रसारण सेवा, बम्बई।
6. श्री जे० पी० शर्मा, केन्द्रीय विक्रय यूनिट, बम्बई।
7. श्री एस० ठाकर, विविध भारती सेवा, बम्बई।
8. श्री एस० के० सरकार, आकाशवाणी, कलकत्ता।
9. श्री एस० के० घोष, तथैव
10. कु० रीटा मुखर्जी, आकाशवाणी, दिल्ली।
11. श्री एच० के० देवासरे, तथैव
12. श्रीमती वेद क्वात्रा, तथैव
13. श्री पी० एन० वर्मा, तथैव
14. कु० मंजुला भटनागर, तथैव
15. श्री बी० के० चोपड़ा, तथैव
16. श्री नारायण परवानी, विदेश सेवा प्रभाग, दिल्ली।
17. श्री मेहर सिंह, तथैव
18. श्री विचित्र सेनगुप्त, तथैव

19. श्रीमती वी० वेंकटरामन, आकाशवाणी, मद्रास।
20. कु० एस० लीला, तथैव
21. श्री एम० एस० सदाशिवम, तथैव
22. श्री डी० अरूमुगम, तथैव
23. श्री एम० कृष्णमूर्ति, विज्ञापन प्रसारण सेवा, मद्रास।

'टूडे इन लेजिस्लेचर' (विधान मण्डल में आज) कार्यक्रम

3156. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को 'टू डे इन पार्लियामेंट' (संसद में आज) के जैसे ही बम्बई दूरदर्शन से 'टूडे इन लेजिस्लेचर' (विधान मण्डल में आज) नामक कार्यक्रम शुरू करने के बारे में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को विधायक समिति की ओर से 30 जुलाई, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) उक्त अभ्यावेदन में की गई मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कार्यवाही कब की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की विधायी समिति से 30 जुलाई, 1980 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उसने यह सुझाव दिया था कि बम्बई दूरदर्शन से 'टूडे इन दि लेजिस्लेचर' कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि लोगों को उनसे सम्बन्धित समस्याओं की तथा विधान मण्डल में उन पर जो चर्चा होती है उसकी जानकारी दी जा सके।

(ग) और (घ) उस अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि लेजिस्लेटिव हालों के अन्दर फिल्म की शूटिंग पर प्रतिबन्ध होने के कारण उपयुक्त दृश्यों के अभाव में 'टूडे इन दि लेजिस्लेचर' जैसा कार्यक्रम टेलीकास्ट करना काफी उपयुक्त नहीं होगा। इस बात को देखते हुए कि यह रूप रेडियो प्रसारणों के लिए बहुत उपयुक्त है, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विधान मण्डल की कार्यवाहियों का रेडियो पर प्रसारण जारी रखा जाए।

इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्युफैक्चरर्स (इण्डिया) लिमिटेड कलकत्ता

3157. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्युफैक्चरर्स (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक मंडल में कौन-कौन व्यक्ति हैं तथा प्रत्येक निदेशक के कम्पनी में कितने कितने शेयर हैं;

(ख) कम्पनी की कुल शेयर पूंजी कितनी है तथा प्रत्येक शेयर की कीमत क्या है और उक्त कम्पनी को अधिकृत एवं कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है तथा किस किस व्यक्ति के नाम 500 से अधिक शेयर हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी शेयर अभी भी विदेशियों के बहुराष्ट्रिक समूहों के नाम पर हैं तथा विकीर्णन के माध्यम को अपनाये बिना शेयरधारिता के अन्तरण के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारतीय जनता द्वारा पूंजी न लगाई जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और विदेशी शेयरधारिता के गैर-कानूनी अन्तरण को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) 30 जून, 1979 तक के इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्युफैक्चरर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशक निम्न प्रकार थे :

1. श्री डब्ल्यू० मेकलेन पीन्ट, निदेशक
2. डा० आर० एस० मामक
3. श्री एस० जी० पाधे

निदेशकों के व्यक्तिगत कोई शेयर नहीं है।

30 जून, 1979 तक कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 60 लाख रु० थी और उसकी अभिदत्त पूंजी 10 रु० प्रत्येक के 5,50,000 शेयर से 55 लाख रु० हो गई थी। कम्पनी की सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी, इस समय निम्नलिखित 4 विदेशी कम्पनियों द्वारा धारित है

	धारित शेयरों की संख्या	धारित प्रतिशत
1. जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, यू० के०	116,453	21.1%
2. क्राम्पटन पारकिन्सन लिमिटेड, यू० के०	75,680	13.8%
3. मेजदा लैम्प कम्पनी लि०, यू० के०	163,432	29.7%
4. एन० बी० फिलिप्स ग्लोइलाम्पेन फब्रीयकेन, हालैंड	194,425	35.4%
	5,00050	100%

(ग) तथा (घ) इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्युफैक्चरर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता (इ० एल० एम० आई०) की कम्पनी की साम्य पूंजी में गैर-आवासीय हित की 40 प्रतिशत अनधिक के स्तर तक कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत जारी निर्देश के अनुसरण में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार ई० एल० एम० आई० ने

पीयकों इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स (भूतपूर्व फिलिप्स इंडिया लिमिटेड) को सम्पूर्ण शेयर धारण की बिक्री का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के कम्पनी अधिनियम में सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई

3158. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई की रुग्ण घोषित कर दिया गया है और यह अब सरकारी प्रबन्ध के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसे सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत लिए जाने की पृष्ठभूमि क्या है;

(ग) कम्पनी की परिसम्पत्तियों और देयताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके प्रमुख शेयरधारी कौन-कौन हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितने शेयर हैं और कितने मूल्य के हैं;

(ङ) क्या बम्बई का एक रसायन व्यापारी, जिसका नाम श्री गुरदियाल बलिया है, इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) मै० नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, केन्द्रीय सरकार द्वारा रुग्ण घोषित नहीं किया है। तथापि, कम्पनी के कार्यकलायों को या तो इस प्रकार से संचालित करने, जो कम्पनी के किन्हीं सदस्यों के लिए उत्पीड़न-कारी हों, अथवा इस प्रकार से, जो कम्पनी के हित या जनहित के विरुद्ध हों, को रोकने के लिए, मै० नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 11 जुलाई 1980 से 3 वर्ष की अवधि के लिए, सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कम्पनी के निदेशक मण्डल में वर्तमान में 15 निदेशक हैं, जिनमें से 8 निदेशक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार सरकारी निदेशक बहुमत में हैं। यह भी बताया जाय कि औद्योगिक एककों का 'प्रभार लेना' ऐसा मामला है, जो उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 की सीमान्तर्गत आता है।

(ग) कम्पनी को परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के ब्यौरे, प्रकाशित तुलन-पत्रों में उपलब्ध हैं। तथापि, 31-12-1980 की वर्ष समाप्ति के नवीनतम प्रकाशित तुलन-पत्र से 2994 लाख रु० की वर्तमान परिसम्पत्तियों, 1121 लाख रु० की वर्तमान देयताओं तथा 1873 लाख रु० की शुद्ध कार्यरत पूंजी का पता चलता है। कम्पनी का आरक्षित तथा अतिरेक धन 1288 लाख रु० है।

(घ) 30 जून 1980 तक कम्पनी को प्रदत्त हिस्सा पूंजी निम्न प्रकार है :

1,74,246	5.55 प्रतिशत 100 रु० की दर के अधिमान हिस्से	1,74,24,600 रु०
5,94,097	100 रु० की दर के साधारण हिस्से	5,94,09,700 रु०

कम्पनी को वर्तमान हिस्सा पूंजी में, 30-6-80 तक मुख्य हिस्सेधारिता निम्न प्रकार हैं :

	विद्यमान हिस्सों की संख्या	कुल साम्य पूंजी का प्रतिशत
1 राष्ट्रीयकृत बैंक	12,253	2.06
2. राष्ट्रीय बीमा कम्पनियां	89,133	15.00
3. सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान	1,06,954	18.01
	2,08,340	35.07
4. बर्लिया की धारिताएं	85,044	14.31
5. बर्लियाओं द्वारा अवाप्त हिस्से (परन्तु हस्तान्तरण सम्यत: पंजीकृत नहीं)	27,139	4.53
	1,12,183	18.88
6. अन्य हिस्सेधारी	2,73,574	46.05
	5,94,097	100.00

(ङ) तथा (च) बर्लिया समूह वर्तमान में कम्पनी की साम्य पूंजी का 18.84 प्रतिशत धारण कर रहा है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, धारा 408 के अन्तर्गत नियुक्त सरकारी निदेशालय बहुमत में हैं। जबकि, उपरोक्त वर्णनानुसार, बर्लिया समूह ने कुछ हिस्से खरीदे हैं, जो अभी कम्पनी के पास पंजीकृत कराए जाने हैं, विभाग के पास स्पष्टत: बताने के लिए यह सूचना नहीं है कि बर्लिया कम्पनी का प्रभार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं।

आकाशवाणी के एक कर्मचारी द्वारा एक विज्ञापन एजेंसी चलाया जाना

3159. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का कोई भी कर्मचारी अपने नाम में विज्ञापन एजेंसी खोल सकता है और उसके पंजीकरण के लिए आकाशवाणी से अनुरोध कर सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति पर क्या पेनल्टी लगाई जाती है; और

(ग) क्या यह सच है कि यदि विभाग को यह जानकारी मिले कि किसी कर्मचारी ने सेवा में रहते हुए अपनी एजेंसी का पंजीकरण कराया है, तो उसके पंजीकरण की मान्यता वापिस ले ली जाती है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) नियमित सरकारी कर्मचारियों और स्टाफ आर्टिस्टों के लिए निर्धारित सेवा शर्तों में चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की व्यवस्था है।

(ग) आकाशवाणी द्वारा किसी कर्मचारी के नाम पर किसी एजेंसी को पंजीकृत नहीं किया जाता और न ही मान्यता दी जाती है। अतः पंजीकरण या मान्यता को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, पिछले सत्र से आपको लिखकर के देता आ रहा हूं कि 5 हजार हरिजन मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डाक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी रखने के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसके लिए जेल गए हैं, इस सम्बन्ध में मैं नोटिस दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मोशन दीजिए, मैं देख लूंगा।

श्री रामविलास पासवान : एडजर्नमेंट मोशन दिया है, कालिंग अटेंशन दिया है, मैं आपसे मिला भी था, आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में मंत्री जी को कहा है, मंत्री जी इस सम्बन्ध में जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप आज आ जाइए, बात कर लेंगे।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : मैंने अफगान विद्यार्थियों पर निर्मम लाठी चार्ज के बारे में नियम 197 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मैं अनुमति नहीं देता।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कृपया राजस्थान में अध्यापकों पर निर्मम लाठी चार्ज, जिससे कई अध्यापक जख्मी हुए, सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चूंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उपाध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में कहा···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूचित करूंगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मनाली मद्रास की वर्ष 1979-80 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन, लिमिटेड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1529/80]

(2) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली (मद्रास) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली (मद्रास) का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1530/80]

ध्यनाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटेंशन दिया था, जिसमें एक हरिजन विधायका पर एक सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल तानी थी, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने दिया था तो वह विचाराधीन है।

श्री धनिकलाल मण्डल (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों को छोड़कर शिक्षकों पर लाठी का प्रहार शुरू हो गया है। सरकार किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं कर पा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री धनिकलाल मण्डल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ओवर रूल, मैंने रोक दिया है।

श्री धनिकलाल मण्डल : हमारी बात सुन लीजिए, आपको रोकने का पूरा अधिकार है; लेकिन आप इस तरह नहीं सुनेंगे तो हमारा यहां रहना और काम करना मुश्किल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इतना लिबरल कोई नहीं है।

श्री घनिकलाल मण्डल : यह सरकार हिंसा पर उतारू हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो गृह मन्त्री रहे हैं, ऐसा क्या कह रहे हैं।

श्री घनिकलाल मण्डल : हिंसा का बढ़ता हुआ जो हाथ है इसको कहां जाकर थामा जाएगा? अब तक विद्यार्थियों पर लाठी गोली चलती थी लेकिन अब टीचर्ज पर भी लाठी गोली चल रही है। यह सरकार खुद हिंसा बढ़ा रही है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरा कालिंग स्टेशन दो बजे क्यों रखा गया है?

अध्यक्ष महोदय : आप तो खुद समझदार आदमी हैं। कुछ सोचकर ही किया होगा।

लोकलेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रक्षा सेवाओं से सम्बन्धित 106 वें प्रतिवेदन (छठी लोकसभा) के अध्याय 1 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय 1 के संबंध में अन्तिम उत्तरों का विवरण।

(2) नई लाइनें बिछाने और लाइनों की भार वाहन क्षमता कार्य से सम्बन्धित 120 वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय 1 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।

आन्ध्र प्रदेश के कोठागुडम नामक स्थान में डिमांस्ट्रेशन स्पंज आयरन प्लांट' को पूरा किये जाने के बारे में कर्तव्य

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : महोदय मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि स्पंज लोहे का प्रदर्शन संयंत्र, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सहायता से आन्ध्र-प्रदेश में कोयला कोतगुडेम के स्थान पर लगाया जा रहा था, तैयार हो गया था, और इसको परीक्षण के तौर चलाने से जो परिणाम सामने आये हैं वे अत्यन्त संतोषजनक हैं। इस संयंत्र की वार्षिक क्षमता 30,000 टन है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस्पात तैयार करने के दो तरीके हैं—(1) धमन-भट्टियों से इस्पात तैयार करना, और (2) विद्युत चाप भट्टियों से इस्पात तैयार करना। धमन भट्टियों से इस्पात तैयार

करने में कोककर कोयला इस्तेमाल किया जाता है जबकि विद्युत चाप भट्टियों से इस्पात तैयार करने में स्टील मेल्टिंग स्क्रेप इस्तेमाल किया जाता है।

माननीय सदस्यों को इस बात की भी जानकारी है कि देश में कोककर कोयले के भंडार समिति हैं, इसलिए इस्पात तैयार करने में अकोकर कोयले का इस्तेमाल करने के तरीके मालूम करने होंगे। देश में स्टील मेल्टिंग स्क्रेप की उपलब्धि भी सीमित हैं, जो केवल 17 लाख टन द्रव इस्पात तैयार करने के लिए पर्याप्त है, जबकि देश में विद्युत चाप भट्टियों की स्थापित क्षमता 30 लाख टन से भी अधिक है।

यह सर्व विदित है कि विद्युत चाप भट्टियों में इस्पात बनाने के काम में आने वाली सामग्री अर्थात स्टील मेल्टिंग स्क्रेप के स्थान पर 20 से 40 प्रतिशत तक स्पंज लोहा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल और भी अधिक मात्रा में किया जा सकता है। स्पंज लोहा गैस अथवा अकोककर कोयले का अपचायक के रूप में इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है। चूंकि भारत में में गैस की उपलब्धि सीमित है, इसलिए यह देश के हित में है कि स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी का पता लगाया जाए जिसमें अकोककर कोयला इस्तेमाल किया जा सकता हो।

इसके लिए दो प्रकार की प्रौद्योगिकी ही उपलब्ध थी—

(1) जर्मनी के मैसर्स लुर्गी षेमी द्वारा पेश की प्रौद्योगिकी और

(2) अमरीका के मैसर्स एलिस चमर्स द्वारा पेश की गई प्रौद्योगिकी। मेसर्स एलिस चमर्स द्वार पेश की गई प्रौद्योगिकी में कुछ हद तक तेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैसर्स लुर्गी षेमी द्वारा पेष की गई प्रौद्योगिकी, जिसमें 100/-प्रतिशत अकोककर कोयला इस्तेमाल किया जाता है, अपनाई गई।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि 12 नवम्बर, 1980 से यह कारखाना बिना तेल के उपयोग के चल रहा है। करार के अनुसार इस कारखाने में 92 प्रतिशत धातु तैयार होनीं चाहिए लेकिन इसमें तैयार हो रही धातु का प्रतिशत 92 से से 96 के बीच है। यद्यपि कारखाने में इस प्रकार का लौह-अयस्क इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें लोहे की मात्रा केवल 60.61 प्रतिशत है तथापि इससे उत्पादित स्पंज में लोहे में लोहे की मात्रा लगभग 88 प्रतिशत है। सदन को यह जानकर भी हर्ष होगा कि उत्पादन आरम्भ होने के कुछ ही दिनों में कारखाने का दैनिक उत्पादन 300 टन तक पहुंच गया है जो इसकी निर्धारित क्षमता है विभिन्न भट्टियों में इस स्पंज लोहे से तैयार किए गए इस्पात से पता चला है कि यह इस्पात सम्पूर्ण स्क्रेप का इस्तेमाल करके बनाए गए इस्पात से बहेतर किस्म का है। बेलन मिलों से प्राप्त रिपोर्टों से भी पता चला है कि इस स्पंज लोहे से उत्पादित इस्पात का बेलन करना भी आसान है। 31 दिसम्बर, 1980 को भारत के उपराष्ट्रपति इस कारखाने का उदघाटन करेंगे।

मैं इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को

उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं तथा स्पंज आयरन इंडिया लि० और मैसर्स लुर्गी प्रेमी के अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने यह कारखाना लगाया है, बधाई देता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट

श्री रणवीर सिंह (केशरगंज) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के व्हराइच, गोंडा, बलरामपुर एवं बाराबंकी जनपदों में डीजल में किरोसिन आयल की मिलावट के कारण अनेक ट्रेक्टर्स के पम्प डाउन हो गये हैं, जिनसे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है पंजाब ट्रेडर्स द्वारा निर्मित स्वराज ट्रेक्टर्स के अभियन्ता ने जांच के पश्चात उक्त पुष्टि की है। क्षतिग्रस्त ट्रेक्टर्स की संख्या उस क्षेत्र में 70 से ऊपर पहुंच रही है किरोसिन के मूल्य डीजल से कम होने के कारण अनधिकृत मिलावट से मुनाफा कमाने की दृष्टि से यह घातक कदम उठाये गये हैं आपूर्ति हेतु उपलब्ध डीजल की जांच के अभाव में भी इस प्रकार का अनर्गल कार्य करने को प्रोत्साहित किया गया है। अविलम्ब जांच कराकर इसकी पुनरावृत्ति रोकी जाये तथा उत्तरदायित्व निर्णीत कर क्षतिग्रस्त कृषकों की क्षति पूर्ति कराई जाये।

(दो) उडीसा के कालाहांडी जिले में अनाज की वसूली करने वाली एजेंसियां

***श्री रास बिहारी बहेरा** (कालाहांडी) : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की एजेन्सियों के धान की वसूली सम्बन्धी असंतोषजनक कार्य ने कालाहांडी के किसानों के लिये एक दयनीय स्थिति पैदा कर दी है। उनमें से अधिकांश लोगों की जीविका कृषि पर ही निर्भर करती है। उनका दैनिक जीवन फसलों की बिक्री पर निर्भर करता है और जब तक उन्हें अपनी फसलों के लाभप्रद मूल्य न मिल जायें तब तक उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ेगा।

सरकारी एजेन्सियों द्वारा सक्रिय रूप से वसूली न किये जाने के फलस्वरूप बिचौलिये बहुत लाभ उठा रहे हैं और किसान उनके हथकंडों के शिकार बनते जा रहे हैं। किसान जिंदा रहने के लिये अपनी फसल को बहुत सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। व्यापारियों तथा बिचौलियों के किसानों के शोषण करने का खेद नहीं है जिन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है और अगले मौसम के लिये कृषि कार्य भी शुरू करने पड़ते हैं। उनके पास बीज खरीदने के लिये भी पैसा नहीं होता। कृषि ऋण संस्थाओं को भी इनकी आवश्यकताओं की जानकारी नहीं रहती। वे ऋण स्वीकृति से पहले किसी न किसी रूप में जमानत चाहते हैं। धूप और वर्षा में परिश्रम करने वाले किसान के लिये जमानत देना कठिन हो जाता है।

---

*उड़ीसा में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

 ✗ उड़िया

भारत सरकार को खाद्यान्न वसूली एजेंसियों को सक्रिय बनाना चाहिए ताकि कालाहांडी जैसे पिछड़े जिलों के किसानों को कुरबानी के बकरे न बनना पड़े ।

(तीन) उत्तर प्रदेश में सहजनवा से दोहरी घाट तक रेल लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण

श्री महावीर प्रसाद (बीसगांव) : अध्यक्ष महोदय, सहजनवा से दोहरी घाट तक रेलवे लाइन को पुन: सर्वेक्षण कराकर निर्माण कराने के सम्बन्ध में रेलवे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उक्त रेलवे लाइन जिसकी दूरी लगभग 67.35 किलोमीटर है और उस पर लगभग 14.25 करोड़ रुपये व्यय होने की बात है, किन्तु जनता पार्टी की सरकार ने यह कहकर उक्त रेलवे लाइन को निरस्त कर दिया था कि आर्थिक दृष्टिकोण से उक्त लाइन लाभप्रद नहीं है । उक्त रेलवे लाइन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है, जिसकी महत्ता काफी है । बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है । यदि यही नियम बना लिया जाए, तो जो क्षेत्र सदियों से पिछड़े हैं, वे सदैव पिछड़े ही रह जायेंगे ।

अभी हाल ही में मैंने उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से जब उक्त क्षेत्र में उद्योग लगाने के विषय में बात की तो उन्होंने यही कहा कि चूंकि उक्त क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है, इसलिए उद्योग नहीं लगाया जा सकता ।

अत: रेलवे मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से अन्य क्षेत्रों के समानान्तर लाने के लिए पुन: उक्त रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराकर उसे बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

(चार) फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजना बस्ती का निर्माण स्थल

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य दे रही हूं ।

पश्चिम बंगाल के समाचार पत्र (बासुमती में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि फरक्का सुपर थर्मल बिजली परियोजना, के लिए टाउनशिप मालदा जिला में बनाया जाएगा । फरक्का मुर्शिदाबाद जिले में हैं और यह गंगा के एक किनारे पर है और मालदा दूसरे किनारे पर है । इसके यहां रहने से वे सभी समस्याएं सामने आयेंगी जो एक बिजली संयत्र में आती हैं । ऊर्जा मंत्री को सभा को बताना चाहिए कि क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो क्यों इसे अस्वीकार किया जाएगा ताकि टाउनशिप तथा सुपर थर्मल परियोजना दोनों ही फरक्का में रहें विशेषकर जबकि फरक्का में जगह की कोई कमी नहीं है ।

(पांच) केरल को चावल की सप्लाई

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य दे रहा हूं:—

केरल में चावल वितरण कार्य ठप्प हो गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कम से कम जनवरी तक राशन दुकानों द्वारा चावल का वितरण नहीं हो सकेगा। यह बात खेदजनक है कि केरल को चावल न देने सम्बन्धी प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब हम विदेशों को चावल का निर्यात कर रहे हैं।

केरल के लिए प्रति मास 1,35,000 टन चावल चाहिए। लेकिन नवम्बर के महीने में भारतीय खाद्य निगम के पास एक सप्ताह का स्टाक भी नहीं था। समझा जाता है कि भारतीय खाद्य निगम ने चावल का स्टाक बनाने के लिए कोई भी कार्यवाही समय पर नहीं की।

नियमों के अनुसार चावल के वैगनों के लिए एक मास पहले आवेदन पत्र दिया जाना चाहिये। जांच के बाद पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम ने वैगनों के लिए समय पर आवंटन पत्र नहीं दिया। जब तक आवेदन पत्र दिया जायेगा, वैगन उपलब्ध होंगे और चावल परचून की दुकानों तक पहुंचेगा तो जनवरी का महीना आ जायेगा। जनवरी में चावल का भाव 15 पैसे प्रति किलो बढ़ जायेगा।

केरल में चावल वितरण में बाधा के कारण राज्य सरकार को पड़ोसी राज्यों से सीधी खरीद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे राज्य को भारी हानि होगी। कार्ड होल्डरों को चावल के लिए अधिक मूल्य देने पड़ेंगे।

अतः मैं सरकार से केरल को चावल भेजने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने और राशन की दुकानों द्वारा चावल वितरित करने सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने का अनुरोध करता हूं।

(छः) जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य दे रहा हूं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम 1976 को पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय में और बाद में उच्चतम न्यायालय में आल इंडिया बीमा कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा चुनौती दी गयी और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे भारतीय संविधान के लिए उल्लंघनकारी घोषित किया गया।

उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के निर्णय का पालन करते हुए जनता सरकार ने जीवन बीमा निगम को गैर कानूनी तरीके से रोके गये बोनस को जारी करने के लिए कहा। लेकिन 1978 में जीवन बीमा निगम ने साथ-साथ आई० डी० एक्ट की धारा 19(2) के अन्तर्गत एक नोटिस जारी किया, जिसमें समझौते के रद्द करने की इच्छा प्रकट की गयी। आई० डी० एक्ट की धारा 9क को लागू करते हुए भी जीवन बीमा निगम ने बोनस सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन किया और कर्मचारियों को इसके अधिकार से वंचित किया। भारत सरकार इससे

संतुष्ट नहीं हुई और जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की जिसके अन्तर्गत एल० आई० सी० स्टाफ रेगुलेशन के रेगुलेशन 58 का संशोधन किया गया जो बोनस से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बोनस के अधिकार से वंचित करना था। भारत सरकार ने बड़ी सावधानी के साथ एल० आई० सी० एक्ट की धारा 11(2) के अन्तर्गत पुनः एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की जिससे वास्तव में कर्मचारी अपने बोनस के अधिकार से वंचित होते थे।

आई० डी० एक्ट की धारा 19(2) तथा 9क के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा की गयी कार्यवाही को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बैंच में चुनौती दी गयी। जीवन बीमा निगम की इसी कार्यवाही तथा एल० आई० सी० एक्ट की धारा 49 तथा 11(2) के अधीन केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही को कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गयी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला हारने के बाद एल० आई० सी० ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि एल० आई० सी० अपील के स्वीकार न होने की दशा में, कर्मचारियों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बोनस दिया जाये।

10 नवम्बर, 1980 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि एल० आई० सी० तथा भारत सरकार की सारी कार्यवाही गैर कानूनी और असंवैधानिक है और कर्मचारियों को बोनस से वंचित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया।

लेकिन अब समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि सम्बन्धित मंत्रालयों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को टालने तथा 1978-79 तथा 1979-80 के वर्षों में कमाया गया बोनस न देने के बारे में गुप्त वार्तायें चल रही हैं। 11 नवम्बर 1980 को एल० आई० सी० के चेयरमेन ने आल इंडिया बीमा कर्मचारी एसोसियेशन के प्रतिनिधि मंडल को कहा कि वित्त मंत्रालय के टेलीफोन निर्देश को ध्यान में रखते हुए, वे बोनस नहीं दे सकते।

सरकार को इस प्रकार के तरीके नहीं अपनाने चाहिए। प्रश्न 43,000 कर्मचारियों को बोनस देने का नहीं, प्रश्न यह भी है कि क्या सरकार संसद द्वारा पारित कानून के न्यायिक कानून का पालन करेगी अथवा देश की उच्चतम न्यायपालिका के निर्णयों की व्याख्याओं के होते हुए भी सरकार स्वयं ही इसकी व्याख्या करेगी।

(सात) बम्बई के कुछ भागों में गुण्डागर्दी बढ़ने के समाचार

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : 7 दिसम्बर 1980 को बम्बई में एक ऐसी घटना है जो प्रेस आजादी के लिए एक बड़ा खतरा है।

बम्बई से प्रकाशित 'मुम्बई सकल' नामक एक मराठी दैनिक बम्बई के वूर्ली तथा प्रभादेवी क्षेत्रों में व्याप्त गुण्डागर्दी का पर्दाफास करता आ रहा है। इन क्षेत्रों में गुण्डे लोगों को आतंकित करने के लिए तलवारों के साथ घूमते हैं। इस बारे में बम्बई के पुलिस आयुक्त को जो पत्र मैंने लिखा, उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ।

[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

कुछ लोगों ने 'मुम्बई सकल' में गुंडागर्दी सम्बन्धी प्रकाशित समाचार से क्रोधित होकर 7 दिसम्बर 1980 को इस मराठी दैनिक को ले जाने वाले टैम्पो में आग लगा दी। ड्राइवर बच निकला और जलने से बच गया। यह प्रेस की आजादी पर एक हमला है।

मैं गृहमंत्री से अनुरोध करती हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चत करने के बारे में निर्देश जारी करें कि इस प्रकार की गुंडागर्दी का निरीक्षण किया जाए तथा प्रेस की आजादी की रक्षा की जाए।

तमिलनाडु को मैदा की सप्लाई

*श्री सी० पलानी अप्पन(सलेम) : अध्यक्ष महोदय नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं। तमिलनाडु में सहस्रों कुटीर-एकक पापड़, बन्द (मीठी रोटी) बिस्कुट आदि बनाते हैं जो कि आम आदमी के स्वादिष्ट खाद्य हैं। एक उदाहरण लें तो अकेले सलेम जिले में, पापड़ बनाने वाले 120 कुटीर-एकक हैं, जिनमें 3000 से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं जिनमें से 2800 तो स्त्रियां ही हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अनुसूचित जातियों की स्त्रियां, विकलांग स्त्रियां इन एककों में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त बन्द (मीठी रोटी) बनाने वाली सहस्रों कुटीर इकाइयां हैं जो कि गरीब लोगों की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

पापड़, बन्द और बिस्कुट आदि तैयार करने के लिए मुख्य कच्चा माल मैदा और स्टार्च (मांडी) आदि होता है। स्टार्च जड़ वाली सब्जियों से तैयार किया जाता है। इस स्टार्च की सप्लाई अकेले धर्मापुरी जिले के स्टार्च तैयार करने वाले 800 एकक करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से मैदा एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। खुले बाज़ार से मैदा खरीदना इन कुटीर-इकाइयों के लिए असम्भव है क्योंकि खुले बाजार में लिए जाने वाले भाव और सरकारी उचित दर की दुकानों से लिए जाने वाले दाम में प्रति बोरी 140 रुपये से लेकर 170 रुपये तक का अन्तर है। मैदा न मिलने के कारण, पापड़, बन्द बिस्कुट आदि बनाने वाली बहुत-सी इकाइयों के बन्द होने का खतरा है। एक उदाहरण के अनुसार सलेम जिले में 9 ऐसी इकाइयां बन्द हो गई हैं। भारत सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इन कुटीर-इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में मैदा सप्लाई करनी चाहिए जिसे उन्हें ऐसी कुटीर-इकाइयों की देखभाल के उत्तरदायित्वस्वरूप सौंपा जाना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधानिक संकल्प तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्प पर और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। श्री अटलबिहारी वाजपेयी—यहां नहीं हैं, श्री एन० के० शेजवलकर—उपस्थित नहीं हैं। श्री सतीश अग्रवाल।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तरण।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1980 को प्रख्यापित दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सांविधिक संकल्प को उस अध्यादेश के निरनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है, जिसे राष्ट्रपति महोदय ने इस सभा द्वारा 1973 में अधिनियमित किए गये और अप्रैल, 1974 से लागू होने वाली दण्ड प्रक्रिया संहिता के कुछ उपबन्धों को संशोधित करते हुए 23 सितम्बर, 1980 को प्रख्यापित किया है।

पहली बात तो यह है कि मैं अध्यादेशों के जारी करने और अध्यादेशों के माध्यम से विधान बनाये जाने के सख्त खिलाफ हूं, विशेषकर जबकि संसद की बैठकें वर्ष में लगभग छः से सात महीने तक होती हैं। 23 सितम्बर को इस अध्यादेश को जारी करने का पूर्णतया न तो कोई अवसर था और न ही कोई औचित्य। परन्तु दुर्भाग्य से जैसा कि सभा भलीभांति परिचित है, यह सरकार इस देश के प्रशासन को अध्यादेशों द्वारा ही चला रही है तथा संसद द्वारा बनाये गये विधानों द्वारा नहीं। अध्यादेश जारी करने की यह असाधारण शक्ति संविधान प्रदत्त है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, परन्तु इस शक्ति पर कम से कम निर्भर करना चाहिये और विशेष रूप से बहुत कम महत्वपूर्ण मामलों पर अध्यादेश जारी नहीं करने चाहिए। अतः अध्यादेशों द्वारा विधान तैयार करने तथा प्रशासन चलाने के सरकार के रवैये की मैं निंदा करता हूं। अध्यादेश जारी करने के सरकार के रवैये के विरुद्ध मैं अपना कड़ा विरोध प्रकट करता हूं। जैसा कि सरकार भली-भांति जानती है एक यही अकेला अध्यादेश जारी नहीं किया गया है बल्कि इस अन्तराल में सरकार ने लगभग एक दर्जन अध्यादेश जारी किए हैं। इस अध्यादेश को जारी करने के लिए सरकार ने और सम्बद्ध मन्त्री महोदय ने औचित्य के जो कारण सभा पटल पर रखे हैं वे कतई भी विश्वासोत्पादक या युक्तियुक्त नहीं हैं।

जहां तक अध्यादेश के अन्य उपबन्धों का सम्बन्ध है, वे हानिकर नहीं हैं। मैं उसके बारे में कोई अधिक चिन्तित नहीं हूं। जमानत पर छोड़ने या सुरक्षा से सम्बद्ध कुछ उपबन्धों को आपने कड़ा कर दिया है और उनकी भी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। परन्तु मेरी कड़ी आलोचना तो खण्ड के बारे में है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों से दण्ड प्रक्रिया संहिता की 108, 109 और 110 धाराओं के अधीन सुनवाई की शक्तियां छीन लेता है और उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंप देता है। माननीय सदस्य यह भलीभांति जानते हैं कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को इस संहिता के अधीन शक्ति प्रयोग से वंचित करने पर जोर देती रही है और अभियान चलाती रही है। और राष्ट्रीय आन्दोलन में यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में दशकों तक चलती रही। मैं यह तो नहीं जानता कि वे उसके बारे में सब कुछ कैसे भूल गये। यह केवल स्वतन्त्रता आंदोलन का एक अंग ही नहीं था कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध एक संघर्ष छेड़ा गया, परन्तु बाद में विधि आयोग ने इस प्रश्न की जांच-परख भी की और विधि आयोग ने प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने बाद अपना सुविचारित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया और उसके आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त

[श्री सतीश अग्रवाल]

संशोधन किये गये तथा 1973 में नया अधिनियम बनाया गया। मन्त्री महोदय और इस सभा के माननीय सदस्यों की याद ताजा करने के लिए, मैं विधि आयोग के प्रतिवेदन से यहां उद्धरण देना चाहूंगा—विधि-आयोग का इक्तालीसवां प्रतिवेदन, पृष्ठ 51, पैरा 8 : 11 में कहा गया है :

"हमारा मत है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन कार्यवाहियों में जो अन्तिमआदेश दिया जाता है वह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की जाती है और चूंकि सुरक्षा की मांग करने वाले आदेश को न्यायसंगत ढंग से पास करने से पूर्व, न्यायिक ढग से साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक होता है तो ये शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपना वांछनीय है। इन तीनों धाराओं में से किसी के भी अन्तर्गत जांच विचारण का स्वरूप धारण कर लेती है, यद्यपि तकनीकी रूप से जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है वह कोई दोषी व्यक्ति नहीं होता, जिसमें किसी अपराध की जांच-पड़ताल या परीक्षण नहीं होता और साक्ष्य के आम नियमों में कुछ सीमा तक छूट दे दी जाती है....."

"...हमारे विचार से तो इन तीनों धाराओं के अन्तर्गत सभी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। इसी के साथ ही साथ हम यह नहीं सोचते कि इन तीनों धाराओं के अन्तर्गत शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों दोनों को ही एक साथ देने की आवश्यकता है, यद्यपि कुछ राज्यों में आज ऐसी ही स्थिति है। शक्ति विभाजन की किसी सांविधिक योजना के अधीन इस प्रकार की प्रणाली से भ्रम पैदा हो सकता है और इसके अलावा इसे अच्छा भी नहीं समझा जा सकता है।"

इन टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय सरकार ने प्रतिवेदन को स्वीकार किया था और दण्ड प्रक्रिया की संहिता बद्ध किया गया था और 1973 में इस संसद ने एक नया अधिनियम बनाया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधित उपबन्धों के अन्तर्गत हमें 7 वर्ष का दीर्घ अनुभव हो चुका है और पूर्णतया मुझे ऐसी कोई बात दृष्टिगोचर नही होती जो विधि आयोग के प्रतिवेदन में दिए गये विधि-विशेषज्ञों के सुविचारित मत से अथवा 1973 में इस सम्माननीय सभा द्वारा लिए गये निर्णय से दूर जाने को उचित ठहराती हो। यहां तक कि उस विशिष्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी एक उपबन्ध है कि यदि कोई राज्य-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को यह शक्तियां प्रदत्त करना चाहे तो वे ऐसा उच्च न्यायालय से सलाह-मशविरा करके कर सकते हैं। अब आपने उस प्रक्रिया को उलटा कर दिया है। आप आमतौर से ये शक्तियां कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दे रहे हैं और राज्य विधान सभाओं को दे रहे हैं तथा राज्य सरकारों को दे रहे हैं कि यदि वे ऐसा करना चाहते हैं ता वे ये शक्तियां उच्च न्यायालय से सलाह-मशविरा करके न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? राज्य सरकारों के पास तो अभी भी वह शक्ति है और यदि वे ऐसा चाहते हैं और कोई राज्य-विशेष विशिष्ट और कुछ कारणों से अपने राज्य में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को ये शक्तियां प्रदत्त करना चाहता है तो ऐसा तो वे अभी भी विद्यमान विधि के अधीन कर सकते हैं। परन्तु कोई रूप में या पूर्णरूपेण पद्धति-विशेष को बदलने हेतु तथा धारा 108 109 और 110 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अखिल भारतीय आधार पर शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित करने के लिए और अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को ये शक्तियां देना मेरे विचार से न्यायसंगत नहीं है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपकी अनुमति लेकर, मैं अपनी इस विचारधारा को उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया जिसने विधि आयोग को भी इस निर्णय पर पहुंचने को बाध्य किया तथा विधायकों को भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य किया कि इन शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा न किया जाए। मैं 1858 में घटित जयपुर के कुछ मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। सैकड़ों वकीलों पर अभियोग चलाया गया, धारा 108, 109 और 110 के अधीन उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गये तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने इन सभी धाराओं के अन्तर्गत सभी वकीलों को दोषी पाया तथा उच्च न्यायालय के आंदोलन के दौरान, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्य उपबन्धों के अधीन और उन सब व्यक्तियों से जिनके विरुद्ध मुकदमे शुरू किए गए थे उनसे जमानतें मांगी गईं और जब जमानतें नहीं दी गईं तो उन्हें जेल भेज दिया गया। परन्तु बिना अपवाद के उच्च न्यायालय ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के आदेशों को रद्द कर दिया, यहां मैं इन शब्दों पर जोर देना चाहूंगा कि ऐसे सैकड़ों ही आदेशों को रद्द किया गया और जिन लोगों के विरुद्ध अदालती सुनवाई शुरू की गई थी वे जयपुर बार के सदस्य थे जिनमें से कुछ बाद में मुख्य न्यायाधीश तथा राजस्थान उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश बने, यथा श्री वेदपाल त्यागी और स्व० न्यायमूर्ति एम० पी० जैन।

इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ, दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ की गयी थी, जमानतें मांगी गई थीं और बिना किसी अपवाद के उच्च न्यायालय द्वारा की गई छानबीन के समय एक भी निर्णय कसौटी पर खरा नहीं उतरा—सभी आदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए थे। ऐसा अनुभव न्यायालय में हुआ था। यह न्यायपालिका का अनुभव था। यह राज्य सरकार का निर्णय था। यह विधि आयोग का अनुभव, सुविचारित निर्णय और निष्कर्ष था और विधि आयोग ने केन्द्रीय सरकार को कुछ सिफारिशें की और केन्द्र सरकार ने अपनी बुद्धिमता में विधि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और विधि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और 1973 में एक नया कानून लागू किया। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया। केन्द्र सरकार का यही खास दृष्टिकोण संविधान में प्रदत्त उन निदेशक सिद्धान्तों के बारे में भी हैं जिनके बारे में मौजूदा सरकार तथा विधि आयोग दिन-रात कहते रहते हैं कि वे इन निदेशक सिद्धान्तों के लिए प्रतिबद्ध हैं और कभी-कभी मूल अधिकारों से ऊपर निदेशक सिद्धान्तों की सर्वोच्चता की दलील देते हैं। मैं विधि मंत्री से पूछूंगा — क्या संविधान के अनुच्छेद 50 में यह अन्तर्विष्ट नहीं है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका से अलग होगी और उसी तरह मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाएगी ? किस तरह वे उस सभी का औचित्य प्रतिपादित करते हैं ? मैं कहूंगा कि यह विशेष अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति या केन्द्रीय सरकार को अध्यादेश जारी करने की दी गई शक्तियों का उल्लंघन अथवा घोर दुरुपयोग है। यह संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा के भी प्रतिकूल है। यह एक असामान्य बात है। यह पूरी तरह अनुचित है। यह विधि आयोग की सिफारिशों के प्रतिकूल है; यह 1973 में लिए गए इस सम्माननीय सदन के निर्णय के विपरीत है; यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 का भी उल्लंघन है। यह एक निदेशक सिद्धान्त है जिसे प्रस्तुत किया गया है। मैं संविधान के अनुच्छेद 50 को उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

"राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा।"

मैं कहना चाहूंगा, किस कसौटी पर इस अध्यादेश के प्रचालन को एकदम उचित ठहराया गया है ? इससे कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को राज्य के कार्यपालिका अधिकारियों, जो है—सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी, के कहे अनुसार कार्य करने के लिए अधिक शक्तियां मिल जाएंगी। मैं नहीं समझता कि उस तरह के तरीके में, इन धाराओं के अन्तर्गत ये कार्यवाहियां एकदम शतप्रतिशत न्यायिक होंगी। मान लीजिए, कोई कार्यपालिका मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जेल भेजना चाहता है अथवा कुछ मंत्री किसी व्यक्ति को जेल भेज चाहते हैं। तब क्या उपाय है ? वह मजिस्ट्रेट को दो लाख रुपए की जमानत मांगने की कह सकते हैं। मैं एक ऐसे मामले से वाकिफ हूं जिसमें कार्यवाही के अन्तर्गत कार्यपालिका मजिस्ट्रेट ने दो साल की जमानत की मांग की थी जिसे वह व्यक्ति नहीं दे सका और अन्ततः उस आदमी को जेल जाना पड़ा। इसलिए इन प्रावधानों का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। मेरा मतलब है कि इनमें इस सरकार का कोई विश्वास नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपालिका में इस सरकार को कोई आस्था नहीं है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये शक्तियां कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों के पास रहें। मैं नहीं समझता कि न्यायपालिका ने अपने को दी गई जिम्मेदारियों को अच्छी तरह नहीं निभाया है। जहां कहीं भी न्यायपालिका असफल रही, जहां कहीं उसमें खामियां रहीं और जहां कहीं भी गलतियां रहीं, उस मामले में मैंने न्यायपालिका की आलोचना की और मैं कहता हूं कि वर्तमान स्थिति में न्यायिक सुधार अपरिहार्य है। हम सभी न्यायपालिका में, न्यायिक पद्धति में सुधार लाने के लिए हैं। मैं इस बात की जोरदार वकालत करता हूं कि न्यायिक प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि यह प्रणाली असफल नहीं हो रही है, अपितु उच्च स्तर पर मौजूद व्यक्ति ही सारी प्रणाली को असफल बनाते रहे है। चाहे जो कोई प्रणाली हम अपना लें—हम कोई दूसरी प्रणाली अपना सकते हैं—वे व्यक्ति जो सारे मामले का संचालन करते हैं, वे ही समूची प्रणाली को असफल बना रहे हैं। लोग प्रणाली को असफल नहीं बना रहें हैं, संसदीय लोकतंत्र असफल नहीं हो रहा है, परन्तु वे व्यक्ति इस समूची प्रणाली को असफल बना रहे हैं जिनके हाथों में सारे मामले के संचालन का प्रभार है। इसलिए मैं कहूंगा कि किसी भी साधन की सफलता उस साधन का प्रयोग करने वाले पर निर्भर करती है।···(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया ?

श्री सतीश अग्रवाल : जब हम सत्ता में थे तो हमने यह अध्यादेश जारी नहीं किया; जब हम सत्ता में थे तो हमने न्यायपालिका को न्यायिक स्वतंत्रता बहाल की। हमने प्रेस की स्वतंत्रता को न्यायिक स्वतंत्रता बहाल की और हमने न्यायपालिका की उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जिसे आपातस्थिति के काले दिनों के उन्नीस महीनों में श्री लकप्पा और उनके दल के लोगों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। वे अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं। मैं केवल अपनी पूर्णतः सोद्देश्य भावनाओं की ओर इस मान्य सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने केवल इस अध्यादेश के उस खण्ड 2 की आलोचना की थी जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों से शक्तियां छीनता है और उन शक्तियों को कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को सौंप देता है।

इसलिए मैं कहता हूं कि यह अनुच्छेद 50, जो संविधान में प्रदत्त निदेशक सिद्धान्तों के बारे में है, का उल्लंघन है। यह विधि आयोग की उस सुस्पष्ट रिपोर्ट के प्रतिकूल है जिसे इस सरकार द्वारा 1973 में स्वीकार किया गया था और 1973 में विधान मंडलों द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। श्रीमान जी अतीत के अनुभव से भी मेरे इस दृष्टिकोण को वल मिला है कि इस बात का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में, स्वयं कार्यपालिका के प्रति सरकार का कम विश्वास है। संभवतः आप अनुभव करते हैं कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों को समझ नहीं सकते लेकिन आप न्यायिक मजिस्ट्रेटों के माध्यम से इन धाराओं के तहत शक्तियों के प्रयोग द्वारा उनका दमन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इन शक्तियों का उन कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रयोग किया जाये जो आपके दवाव में आ सकेंगे और उन प्रावधानों का पूरी तरह दुरुपयोग किया जाएगा और मात्र एक मामला नहीं अपितु सैकड़ों मामले और उदाहरण ऐसे हैं जब आपात स्थिति के दौरान विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पुलिस द्वारा किस तरह झूठे मामले रजिस्टर किए गये थे (व्यवधान)

अधिकारियों तथा नौकरशाहों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग होता रहा है और तब तक होता रहेगा जब तक कि वे लोग, जिनके हाथों सत्ता संचालन है। सतर्क नहीं होते। तब आप दुरुपयोग को रोक सकते है। परन्तु यहां पद्धति को उलटने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इस सरकार का न्यायिक मजिस्ट्रेटों में क्यों विश्वास नहीं है और क्यों न्यायपालिका तथा न्याय-प्रणाली में उसका विश्वास नहीं है। यह तथ्य इस बात का सूचक है कि वर्तमान सरकार का न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है, वह न्याय प्रणाली को मजवूत नहीं बनाना चाहती और इन शक्तियों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों से छीनकर कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को देना चाहती है।

महोदय, मैंने किसी अन्य प्रावधान पर आघात नहीं किया है। मैंने विशेष तौर पर खण्ड 2 का उल्लेख किया है जो इस अध्यादेश विशेष का आधार है। आप शेष प्रावधानों को बनाए रख सकते हैं। मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता। परन्तु जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, यह आधारभूत प्रश्न है और इसमें भी आपने राज्य सरकारों के लिए उपबंध किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 50 के परिप्रेक्ष्य में, विधि आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में और 1973 में इस सदन द्वारा लिए गए सुस्पष्ट निर्णय के परिप्रेक्ष्य में और पिछले सात वर्षों के अनुभव को देखते हुए और देश में न्याय प्रणाली को मजवूत बनाने की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदला जाना चाहिए। यह शक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बजाय कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मैं पूरी तरह इस अध्यादेश के खण्ड 2 में शामिल उपबंधों की निंदा करता हूं। महोदय, यदि बाद में सदन इस खण्ड को निकालने का निर्णय कर लेता है तो मैं अपने संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं, परन्तु सरकार को उस निर्णय की पहल करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि सरकार वैसा करने जा रही है। क्योंकि इस सरकार का न्यायपालिका के प्रति आदरभाव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सांविधानिक संकल्प पेश हुआ :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1980 को प्रख्यापित दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन), अध्यादेश 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): महोदय, निःसंदेह श्री सतीश अग्रवाल, एक प्रसिद्ध वकील ने अपनी बात के लिए तर्क दिये हैं यद्यपि वे ठीक बात नहीं हैं। उन्होंने अपने इस संकल्प के पक्ष में कुछ मुद्दे रखे हैं जो पेश किया गया है। इस संकल्प के उस भाग पर मैं बाद में बात करूंगा। अब मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, देश में विद्यमान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और विधि प्रवर्तन सम्बन्धी ऐजेन्सियों को समाज विरोधी तत्वों, विभिन्न गुटों और समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने वाले तत्वों के बारे में कड़ी कार्यवाही करने का अधिकार देने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि कानून को अविलम्ब सख्त बनाया जाना चाहिए। तदनुसार एक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधनों को स्थायी रूप देने के लिए यह विधेयक इस सभा के समक्ष लाया गया है।

इस विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि अभ्यस्त अपराधियों के लिए जमानत मिलना कठिन कर दिया जाए। इस विधेयक में यह उपबंध किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जो पहले ही किसी प्रज्ञेय तथा गैर-जमानतीय अपराध के लिए दो बार दोषी ठहराया जा चुका है, या जो मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या सात वर्ष अथवा इससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए एक बार दोषी ठहराया जा चुका है, गिरफ्तार किया जाता है और उस पर किसी प्रज्ञेय व गैस जमानतीय अपराध करने का अभियोग चलाया जाता है या सदेह किया जाता है तो उसे साधारणतया न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी जाएगी। गम्भीर अपराधों के लिए दोषी अभ्यस्त अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। अध्यादेश की उद्घोषणा से पहले बहुत से ऐसे अपराधी जमानत पर अपनी रिहाई करा लेंगे और जमानत की अवधि में वे और अधिक अपराध करेंगे। इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन नियत श्रेणियों में आने वाले अपराधी साधारणतया जमानत नहीं ले सकेंगे तथापि न्यायालयों को स्व-निर्णय से एकदम वंचित कर देना वांछनीय नहीं समझा गया है और न्यायालय ऐसे मामलों में अभी भी जमानत मंजूर कर सकेगा परन्तु इसके लिए इसे विशेष कारण बताने होंगे।

इन परिवर्तनों से महिलाओं या 16 वर्ष की आयु से कम वाले या बीमार व्यक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जमानती के दायित्व के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की स्थिति भी असंतोषप्रद है क्योंकि इसमें ऐसा कोई उपबंध नहीं कि यदि जमानती का बंध पत्र जब्त हो जाता है और वह जुर्माने की रकम अदा नहीं कर सकता है तो उससे वह रकम कैसे वसूल की जाए। एक ऐसा उपबंध इस विधेयक में शामिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जमानती को जेल हो सकती है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह भी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108, 109 और 110 के अधीन सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियां कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को सौंपी जाएं और यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि राज्य चाहे तो वे उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंप सकते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाहिया न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई थी और राज्यों को धारा 478 के अधीन अधिकार दिया गया था कि राज्य विधान सभा में एक संकल्प पारित कराकर तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालयों से परामर्श लेकर वे इन्हें कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को सौंप सकती हैं। वर्तमान विधेयक द्वारा यह स्थिति बदल दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि 1898 की निरसित संहिता में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को ये कार्यवाहियां सौंपना अनिवार्य नहीं था। ये कार्यवाहियां पूर्णतः मुकदमें नहीं थे और न दण्डनीय थे : वे अपराध को रोकने में भूमिका अदा करने के लिए तैयार की गई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियां हैं और जिनसे विधि और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता मिलती है। इसलिए सिद्धान्त रूप में कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को इन कार्यवाहियों को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती जो विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी राज्य के लिए गुंजाइश छोड़ दी गई है कि यदि राज्य चाहे तो वह इन कार्यवाहियों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों को धारा 478 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके सौंप सकता है।

इस विधेयक द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को यह शक्ति दी गयी है कि वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (ख) और 505 की उपधारा (2) और (3) के अधीन मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकते हैं। 1898 की निरसित संहिता में केवल राज्य सरकार के जिला मजिस्ट्रेटों या राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत अधिकारी के आदेश से या प्राधिकार के अधीन शिकायत किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(ख) और 505 के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है। विधि आयोग ने अपने 41वें प्रतिवेदन में इस उपबन्ध को अनावश्यक रूप से जटिल माना जिससे अधिक समय लेने वाले विवाद खड़े हो जाते हैं कि क्या किसी अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से शक्ति दी गई थी कि क्या उस अधिकारी से या सरकार से शिकायत दर्ज करने की शक्ति मिली थी और आदि-आदि। इसलिए विधि आयोग ने सिफारिश की कि शक्ति केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए और तदनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में यह उपबन्ध किया गया था। राज्य सरकार की मंजूरी लेने में समय लग सकता है और मंजूरी लेने में विलम्ब से ऐसे अपराधों पर मुकदमा चलाने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तदनुसार इन शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेटों को भी समवर्ती रूप से देने का विचार है। अब प्रस्तावित उपबन्ध से विधि आयोग द्वारा अपने 41वें प्रतिवेदन में परिकल्पित किस्म की कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

श्रीमान, इस विधेयक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ उपयोगी संशोधन करने का विचार है। ये परिवर्तन अन्तर्राज्यीय सम्मेलनों या अन्यथा राज्यों से परामर्श करने के बाद लाए गए हैं जिनसे निस्संदेह अपराधों को रोकने तथा अपराधिक तत्वों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि सदस्य इस विधेयक के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावित परिवर्तनों से तत्परता के साथ सहमत हो जाएंगे। श्री सतीश अग्रवाल द्वारा पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं उनका उत्तर उस समय दूंगा जब मैं अन्त में इस विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर दूंगा।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : श्रीमान, वह अभी ही क्यों नहीं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमान वह नहीं चाहते हैं कि हम विशेष रूप से श्री सतीश अग्रवाल द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर सुनें ।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973का में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अब, श्री मूलचन्द डागा, क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जी, हां । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति जिसमें निम्न लिखित 12 सदस्य हैं, को 31 जनवरी, 1981 तक प्रतिवेदन देने के अनुदेशों के साथ सौंप दिया जाए :—

1. श्री बनवारी लाल
2. प्रो० मधु दण्डवते
3. श्री हरीश कुमार गंगवार
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री निहाल सिंह जैन
6. डा० कर्ण सिंह
7. श्री वाई० एस० महाजन
8. श्री टी० नागरत्नम
9. श्री अर्जुन सेठी
10. श्री धर्मदास शास्त्री
11. श्री पी० वेंकटासुब्बैया, तथा
12. श्री मूलचन्द डागा ।"

श्री ए० के० राय (धनवाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति जिसमें निम्नलिखित 12 सदस्य हैं, को 26 जनवरी 1981 तक प्रतिवेदन देने के अनुदेशों के साथ सौंप दिया जाए :—

1. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
2. श्री मुकुन्द मंडल
3. श्री संत कुमार मंडल
4. श्री मन्नीलाल
5. श्री राम स्वरूप राम
6. श्री भोला राउत
7. श्री अमर राय प्रधान
8. श्री अजीत कुमार साहा
9. श्री गदाधर साहा
10. श्री बाबूलाल सोलंकी
11. श्री सुन्दर सिंह, तथा
12. श्री पी० वेंकटासुब्बैया ।"

*श्री सैयद मसुदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यदि इस विधेयक का उद्देश्य इतना साधारण है जितना माननीय मन्त्री महोदय ने अनुमान लगाने का प्रयास किया है तो निस्संदेह इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं था। परन्तु सरकार यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों से लाई है। यदि हम सारे विधेयक को पढ़ते हैं तो दो बातें मुख्य नजर आती हैं। एक तो यह है कि कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। दूसरे, इन व्यक्तियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जो कुछ अपराधों के संबंध में जेल जा चुके हैं। यह क्यों किया जा रहा है? हमें मालूम है कि जब ब्रिटिश शासन के दौरान यह दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई थी तो कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को बड़ी शक्तियां दी गई थीं और उन्होंने साधारण रूप से पुलिस की सलाह पर कार्य किया था जिसके परिणामस्वरूप लोगों को न्यायालयों में बड़ी यातनायें दी गई थीं। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को भी बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा। कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की। हमारे सामने वह अनुभव है और उस अनुभव के कारण बाद में न्यायपालिका को अलग कर दिया गया और कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों से शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे दी गयी। जब 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी तो हमें मालूम हुआ कि सारे देश में 'मीसा' तथा भारतीय रक्षा नियम का शासन था। उस बुरे समय में भी हमें मालूम हुआ कि कुछ मामलों में लोग जमानत पर रिहा हो जाये जो भारतीय रक्षा नियम के अधीन नजरबन्द कर दिये गए थे क्योंकि शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथों में थी। वर्तमान सरकार का स्वतन्त्र न्यायपालिका में विश्वास नहीं हो सकता है इसलिए कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को शक्तियां वापस दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उस प्रयोजन के प्रति यह पहला कदम है। आज वही दल उसी नेता के नेतृत्व में केन्द्र में सत्ता में वापस आ गया है। परन्तु हमें मालूम है कि वे किसी भी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, खेतीहर मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग के लिए आन्दोलन करने को बाध्य हो गए हैं। कुछ दिनों पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्वयं स्वीकार किया था कि देश में किए जा रहे आन्दोलन देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जैसे विधान की उद्घोषणा मुख्य रूप से ऐसे भारी आन्दोलन को दबाने के लिए की जा रही है। श्रीमान्, आपको मालूम है कि उन सभी राज्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का विरोध किया है जहां पर वामपंथी दलों की सरकार या वामपंथी व लोकतांत्रिक मोर्चे वाली सरकारें हैं। उन्होंने अपने राज्यों में इस अध्यादेश को लागू करने से मना कर दिया है। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्तमान संशोधन से वहां कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को अब अधिक शक्तियां देने के लिए प्रयास किए जा रहे है। उदाहरणार्थ, जिला मजिस्ट्रेटों को मंजूरी करने की शक्ति देने के लिए धारा 196 को संशोधित कर दिया गया है। मूल संहिता में यह शक्ति नहीं थी। केवल राज्य सरकार ही मंजूरी दे सकती थी। हमें मालूम है कि जिला मजिस्ट्रेट तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी केन्द्रीय संवर्ग के

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री सैयद मसुदल हुसैन]

हैं और उनके निदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे अधिकारियों को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं।

श्रीमान् धारा 108, 109 तथा 110 निवारक धारायें हैं। पुलिस इन धाराओं के अन्तर्गत व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगी और कई दिनों तक उनके बारे में रिपोर्ट नहीं देगी। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट बन्दियों को बेहद तंग करेंगे और उन्हें दन्ध-पत्र देने के लिए बाध्य करेंगे। इन हालातों को देखते हुए हमारी यह धारणा है कि यदि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथों से ये शक्तियां लेकर कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को दे दी गई तो बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

संशोधनकारी विधेयक की धारा 5, जिसके द्वारा मूल अधिनियम की धारा 437 का संशोधन किया जा रहा है, बहुत खतरनाक है। धारा 5 की उपधारा (दो) में इस प्रकार कहा गया है :

> "यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और वह मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया हो, या वह किसी अजमानतीय और संज्ञेय अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह न छोड़ा जाएगा।"

यह बहुत खतरनाक उपबंध है। श्रीमान आपको मालूम है कि सत्तारूढ़ दल में तथा विरोधी पक्ष में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें गलत तथा गढ़े हुए आरोपों पर जेल भेज दिया गया था। यदि पुलिस आज उनके विरुद्ध गलत मामले दर्ज करती है और उन्हें निरुद्ध करती है तो वे न्यायालयों से जमानत लेकर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। श्रीमान् हम लोग बड़े खतरे में हैं जो विशाल आन्दोलनों तथा लोकप्रिय आन्दोलनों में भाग लेते हैं। यह एक बहुत विचित्र बात है। वह व्यक्ति न्यायालयों में नहीं जा सकता है और जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है जिसे पहले एक बार गलत आरोप पर दोषसिद्ध किया जा चुका है। यह बात अजमानतीय मामलों के बारे में है। परन्तु जमानतीय मामलों में भी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कि लोग कम से कम सरलता से जमानत नहीं ले सकें। धारा 6 में, जो मूल अधिनियम की धारा 446 का संशोधन करती है, पेशेवर जमानतियों को डराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी कारण से उनकी जमानत जब्त हो जाती है, यदि अपराधी किन्हीं कारणों से न्यायालय में पेश नहीं हो पाता है तो जमानती को छः महीने की अवधि की जेल दी जानी है। यह बहुत विचित्र बात है।

अदालत में कोई भी साधारण व्यक्ति जमानत दे सकता है। जमानत देने के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के आचरण, उसका अता-पता या उसका पूर्ववृत्त मालूम करना हमेशा सक्षम नहीं होता। अगर ऐसा व्यक्ति किसी तारीख विशेष को उपस्थित नहीं होता तो जमानती को छः मास की कैद

की सजा दी जा सकती है। अत: लोग जमानत करने से डरेंगे और अन्तत: जमानत नहीं होगी। यह स्पष्टत: कहा गया है कि यह कदम उन जमानतियों को रोकने के लिए उठाया गया है जिन्होंने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। सरकार कहती है कि वह समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती है। यह बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि समाज-विरोधी तत्वों को सजा मिले। हम यह भी चाहते हैं कि सरकार सुचारू रूप से कार्य करे। पर हम यह भी चाहते हैं कि सबको न्याय मिले। किसी भी व्यक्ति को विचारण के बिना नजरबन्द न किया जाए। अगर किसी के विरुद्ध कोई अभियोग है तो उसे पुलिस अवश्य गिरफ्तार करे। पर अपराधी का जमानत पर रिहा किया जाना भी उसका मूलभूत अधिकार है। अदालत में अपना बचाव पेश करना भी उसका अधिकार है। यहां उसे अपने बचाव के अधिकार से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि अपना बचाव करने का बुनियादी अधिकार सबको दिया जाना चाहिए।

अत: मैं सरकार से इस काले विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं जिसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर पेश किया है। यदि आप कुशलता और कानूनी तौर से शासन चलाना चाहते हैं तो आप दो काम करें। सर्वप्रथम आप शीघ्र विचारण की व्यवस्था करें। लोगों को अदालतों में बार-बार आने में कठिनाई होती है। उन्हें न्याय नहीं मिलता। पुलिस लोगों को तंग करती है। अगर कोई शिकायत की जाती है तो पुलिस शीघ्र कार्यवाही और जांच आरम्भ नहीं करती। आप बहुत लोगों का अनुभव होगा कि पुलिस कई मामलों में मौके पर जाकर जांच नहीं करती और बयान रिकार्ड नहीं करती जैसा कि धारा 161 के अधीन अपेक्षित है। पुलिस इस धारा के अधीन अपने-अपने थानों में बयान दर्ज करती है। वह मामले को सालों लटकाए रखती है और इससे ऐसे व्यक्तियों के विचारण में देरी होती है। अगर इसके लिए अदालतों की संख्या बढ़ानी पड़े तो आप और अदालतें खोलें। हम सरकार के ऐसे किसी भी उपाय का समर्थन करेंगे। पर हम इस काले विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते जिसे राजनीतिक उद्देश्य से पेश किया गया है। मैं सरकार से इस काले विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 8 मिनट पर पुन. समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बरौनी के निकट सिमरिया स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के

[श्री रामावतार शास्त्री]

निम्नलिखित विषय की ओर रेल मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"बरौनी के निकट सिमरिया स्टेशन पर 5 दिसम्बर 1980 को हुई रेल दुर्घटना जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।"

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे): श्रीमन्, 5-12-1980 को लगभग 20.45 बजे जब 311 अप फास्ट पैसेंजर गाड़ी पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में सिमरिया स्टेशन के होम सिगनल के बाहर खड़ी थी, तब 46 डाउन दानापुर-समस्तीपुर एक्सप्रेस गाड़ी पीछे से आयी और उपर्युक्त गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गयी। इसके परिणामस्वरूप 311 अप पैसेंजर गाड़ी के सबसे पिछले दो सवारी डिब्बे अर्थात् दूसरे दर्जे का एक डिब्बा-एवं-सामान यान और ब्रेकयान एवं पार्सल यान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और पटरी से उतर गए। 46 डाउन एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन भी पटरी से उतर गया।

इस दुर्घटना में 4 व्यक्ति मारे गए, 4 को गम्भीर चोटें आयीं और 15 को साधारण चोटें आयीं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दानापुर से चिकित्सा सहायता यान के साथ चिकित्सा अधीक्षक सहित रेलवे डाक्टरों का एक दल और अन्य मंडल अधिकारी तत्काल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। झांझा से एक अन्य चिकित्सा सहायता यान भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया। मण्डल चिकित्सा अधिकारी, गड़हरा, भी तुरन्त दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायलों को आगे इलाज के लिए अस्पतालों में भेज दिया गया।

महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे, जो दिल्ली में थे, 6-12-1980 को हवाई जहाज द्वारा पटना के लिए रवाना हो गए ताकि वह जल्दी से जल्दी सिमरिया पहुंच सकें और दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए सभी सम्भव सहायता सुनिश्चित कर सकें। सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और अस्पताल में घायलों से मिले।

मैंने मृतकों के निकट सम्बन्धियों और घायलों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने का आदेश दे दिया था और इसकी व्यवस्था कर दी गयी है। मैंने दुःखी परिवारों और घायलों को सहानुभूति संदेश भेजा है। आशा है, सदन भी इस संवेदना में मेरे साथ है।

रेल संरक्षा आयुक्त, जो पर्यटन और सिविल विमानन मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कार्यरत एक स्वतन्त्र प्राधिकारी हैं, 10-12-80 को इस दुर्घटना की जांच शुरू करेंगे। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है और मेरा खयाल है कि आप मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे।

उपध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : चूंकि यह एक व्यापक विषय है, अगर आप दे सकें तो मुझे कम से कम दस मिनट और दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति है।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने यहां पर प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में मंत्री जी की तरफ से एक वक्तव्य पढ़ा गया वह स्थिति को ठीक से दर्शाने वाला वक्तव्य नहीं है। इसकी चर्चा तो मैं करूंगा ही लेकिन साथ ही साथ इसके पहले, जो तीन बड़े-बड़े एक्सीडेन्ट्स हुए हैं उनकी चर्चा करना भी मैं अप्रासंगिक नहीं मानता हूं। इसी-लिए मैंने आप से निवेदन किया कि अगर जरूरत हो तो ज्यादा समय भी आप देने की कृपा करें।

सिमिरिया में 5 दिसम्बर को दुर्घटना हुई, पौने नौ बजे रात्रि में, यह सिमिरिया स्टेशन पूर्व रेलवे का स्टेशन है जहां पर 46 डाउन दानापुर समस्तीपुर एक्सप्रेस और 311 अप सियालदा मुज़फ्फरपुर पसेंजर गाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इनका कहना है कि दो डिब्बे बर्बाद हुए जबकि मेरी खबर है कि तीन डिब्बे बिल्कुल बर्बाद हो गए। इनका कहना है कि चार व्यक्ति मरे और 14-15 से अधिक घायल हुए लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना है कि कम से कम 11 आदमियों की मृत्यु हुई है और सौ व्यक्ति घायल हुए हैं। तो यह स्थिति वहां के बारे में है। इन्होंने जो सहायता की चर्चा की है वह तो ठीक है लेकिन दुर्घटना की गम्भीरता को आपने कम करके आंकने की कोशिश की है जो उचित नहीं है। ऐसा करने से आपका ध्यान भी उसके सिलसिले में कम जायेगा। तो मैं पहले इसके बारे में यह कहना चाहता हूं।

फिर 20 अक्तूबर को इटारसी के निकट बाम्बे जाने वाली पंजाब मेल दुर्घटना हो गई। अखबारों की खबर मैं आपको बता रहा हूं। अखबारों में छपे आपके सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीस लोग मरे और दर्जनों घायल हुए। 27 अक्तूबर को बड़ौदा के निकट जो दुर्घटना हुई उसमें 9 व्यक्तियों के मरने और अनेकों के घायल होने का समाचार है। फिर 30 अक्तूबर को कानपुर से 51 किलोमीटर दूर संगम एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें सबसे ज्यादा—34 यात्री मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए। इन चारों दुर्घटनाओं को अगर मिलाकर देखें तो मरने वालों की संख्या करीब 75 होगी और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस तरह से इतनी जल्दी-जल्दी 20 अक्तूबर से 5 दिसम्बर तक चार बड़ी रेल दुर्घटनायें हुई हैं जिसका दुःख इस देश को बर्दाश्त करना पड़ा।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के किसी न किसी कोने में रोज दुर्घटना होती

[श्री रामावतार शास्त्री]

हैं। माल गाड़ियां ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होती हैं लेकिन पेसेंजर गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। इसकी एक मिसाल मैं दे दूं। 30 नवम्बर और 1 दिसम्बर को, जिसकी चर्चा हम यहां कर चुके हैं, हरिनाथ मिश्र जी और मैं तिनसुकिया मेल से आ रहे थे तो एक पाटा स्टेशन है, फफूंद से थोड़ी दूर पश्चिम में, वहां एक माल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके तीन-चार डिब्बों को उठाने में 21 घटे लग गए और गाड़ी साढ़े 14 घंटे लेट पहुंची। गाड़ियों के लेट होने का मसला अलग है। और गाड़ियां ही लेट चल रही हों, ऐसी बात नहीं है, आपकी जो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं वह भी लेट हो रही हैं। चार-पांच घंटे तो लेट हो ही जाती हैं। कल ही में डिलक्स से आ रहा था, वह भी अढाई घण्टे लेट आई। लेकिन हम दुर्घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल 1980 में अप्रैल से अक्टूबर तक सात महिनों के अन्दर 342 डिब्बे पटरी से उतरे यानि दुर्घटनाग्रस्त हुए और 1979, एक साल पहले इन्हीं सात महीनों में, 303 दुर्घटनायें हुई। फिर 1978-79 में सवारी और मालगाड़ी को मिलाकर 931 दुर्घटनायें हुईं। इनमें से 778 डिरेलमेंट हैं,। फिर 1979-80 में 900 दुर्घटनायें हुईं, जिनमें 792 डिरेलमेंट हैं। अगर हम मोटे-मोटे तौर पर देखें तो एक हजार दुर्घटनायें कम से कम प्रत्येक वर्ष हो रही हैं। ये दुर्घटनायें कम होने के बजाय रफता-रफता बढ़ती जा रही हैं। हमारे मुल्क में 1100 ग्यारह हजार ट्रेनें रोज चलती हैं और एक करोड़ लोग रोजाना यात्रा करते हैं तथा 91 हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जिस रफतार से गाड़ियां चलती हैं, उनके रख-रखाव का बन्दोबस्त उचित नहीं है। ट्रैक पुराने पड़े हुए हैं, जिनको बरसों पहले ठीक हो जाना चाहिए था। नई पटरियां, नए ट्रेक बिछाने चाहिए थे, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। नट-बोल्ट्स, कलपुर्जे जो आप लेते हैं, वे सब घिसे-पिटे लेते हैं, उनको भी आप प्राइवेट सैक्टर के लोगों से लेते हैं, क्या वे आपको ठीक ढंग से मिल सकते हैं ? उनसे आप वैगन्स भी लेते हैं, पुर्जे भी लेते हैं—पता नहीं उनसे आपको क्यों मोहब्बत है, जो आप उनसे लेते हैं। इसलिए जाहिर बात है कि घटनायें होंगी और मृतकों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती जाएगी।

मैं आपको मृतकों के बारे में बताना चाहता हूं। 1978-79 में 74 लोग दुर्घटना में मरे और 390 घायल हुए। फिर 1979-80 में मृतकों की संख्या बढ़कर 113 हो गई और 477 घायल हुए। इस साल अप्रैल से अक्तूबर तक, अभी जिसको मैं पहले बता चुका हूं, उस के अलावा 86 व्यक्ति मर चुके हैं और 330 घायल हुए हैं।

उपाध्यक्ष जी, हर साल पांच करोड़ रु० के रोलिंग स्टाक की बर्बादी हो जाती है। इस साल भी 2 करोड़ 39 लाख रु० की बर्बादी हो चुकी है। यदि इतने बड़े पैमाने पर धन-जन की हानि इस देश में होगी, इस गरीब मुल्क में होगी, तो जाहिर बात है कि इस देश में चिन्ता का होना स्वाभाविक है। यह इसीलिए होता है, क्योंकि आप सब-स्टेंडर्ड मैटीरियल लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आठ मिनट बीत चुके हैं। आप अभी विषय पर नहीं आए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं आ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सभी रेल लाइनें ले ली हैं । आप सभी रेलगाड़ियों में बैठ चुके हैं । कृपया अब पांच दिसम्बर की बात करो ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो मैंने आपको थोड़ी भूमिका के बारे में बताया है····· **(व्यवधान)**·····इसलिए, उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि इतनी गम्भीर स्थिति है और धन-जन की इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी हो रही है । आपका जो रेलवे बोर्ड है, जिसको हम लोग सफेद-हाथी का समूह कहते हैं । आप लोगों को बदलते ज़रूर हैं, मंत्री भी बदल गए हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं है, एक्सीडेंट्स में भी सुधार नहीं है और समय पर गाड़ियों के चलने में भी सुधार नहीं है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि :

क—इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या लोकेट किया है ?

ख— सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाये हैं ?

ग—जो सवाल अब पूछने जा रहा हूं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है—लेबर लीडर लोग ध्यान से सुनें । क्या सरकार ने कभी रेलों में काम करने वाली मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त रेल कर्मचारियों की फैडरेशन्ज़, यूनियन्ज़, एसोसियेशन्ज़, से रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई वार्ता की है ? यदि हां, तो उस वार्ता का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करती है ? हम लोग महसूस करते हैं कि उनके कोआपरेशन के बिना न गाड़ियां समय पर चला सकेंगे और न दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे ।

घ—क्या यह सच है कि सरकार पटरियों के कारखानों के लिए सामानों की सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं करती, इसमें कल-पुर्जे भी शामिल हैं ?

ङ—क्या यह सच है कि पटरियों को ठीक करने वाले गैंगमैनों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता, जिसका असर पटरियों के रख-रखाव पर पड़ता है ?

च —हवाई जहाज़ से यदि कोई मरे तो मुआवज़ा 1 लाख रुपये है, रेल की दुर्घटना से मरे तो 50 हज़ार रुपए है, लेकिन मैं समझता हूं यह सब कागज़ पर है । बहुतों को नहीं मिलता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक आपने कितने लोगों को मुआवज़ा दिया है ? कितने रुपए फ़ी मरने वाले परिवार को दिए हैं ? इसके उत्तर से पता लग जायगा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या कानून का पालन कर रहे हैं ।

छ—क्या सरकार ने जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में रेल्वे एक्सीडेन्ट्स एन्कवायरी कमेटी का गठन किया था ? यदि हां, तो क्या यह बात सच है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट

[श्री रामावतार शास्त्री]

सरकार के सम्मुख पेश कर दी है। यदि हां, तो उसे संसद के सामने पेश न करने का क्या कारण है ? सरकार उस रिपोर्ट को सदन के सामने कब तक पेश करने का इरादा रखती है ? मंत्री महोदय इन प्रश्नों का जवाब बहुत सफाई से दें।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई हैं। वे घटी हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं। 1963-64 में 1,635 दुर्घटनाएं हुई। 197 -80 में इनकी संख्या घट कर 900 रह गई। हमारे पास प्रत्येक वर्ष का रिकार्ड है। **(व्यवधान)** मेरे पास लगभग 15 वर्षों के आंकड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मंत्री जी आप उत्तर न दें **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण में व्यवधानों का उत्तर नहीं दिया जाता। वह केवल श्री रामावतार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमें सभा नियमों के मुताबिक चलानी है। आप केवल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दें।

श्री मल्लिकार्जुन : पहले प्रश्न का उत्तर ···**(व्यवधान)** दुर्घटना के कारण क्या थे ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए।

श्री मल्लिकार्जुन : इस दुर्घटना के कई कारण हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम पढ़िए।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में पूछा। दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं। मानवीय असफलताएं और कभी कभी मशीनों की असफलताओं के कारण से दुर्घटनाएं होती हैं : **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सुनिए।

एक माननीय सदस्य : 60 प्रतिशत से अधिक **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आंखों देखा हाल।

श्री मल्लिकार्जुन : दूसरा प्रश्न हम जो उपचारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं उसके बारे में है। हम समय-समय पर निरोधक उपाय करते रहे हैं। हाल की घटनाओं और अक्टूबर की

दुर्घटना के बाद हमने एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित किया है । इसके अलावा हमने यातायात, सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, सिगनलिंग, दूर संचार, विद्युति इंजीनियरिंग आदि सभी विभागों को सुरक्षा उपायों से सहयोजित करने और उनका सहयोग लेने के आदेश भी जारी किए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम से कम हों क्योंकि दुर्घटनाएं आकस्मिक होती हैं । लेकिन हम भविष्य के लिए पूरी गारण्टी नहीं दे सकते । हमने महाप्रबन्धकों को सहयोग के सम्बन्ध में मासिक समीक्षा करने के लिए कहा है । हमने टैक्नोलाजी के क्षेत्र में भी प्रगति की है । अब हमने दुर्घटनाओ से बचने की एक विधि भी निकाली है । उदाहरणार्थ, पहियों, एक्सलों और ब्रेकों में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए अल्टरासोनिक विधि का विकास किया है । हमारे पास स्वत: चेतावनी देने की प्रक्रिया भी उपलब्ध है । हमारे पास ट्रैक सर्किटिंग व्यवस्था भी है । गाड़ी चला रहे ड्राइवरों को सचेत करने के लिए हमारे पास सतर्कता नियंत्रण व्यवस्था भी है । दूसरी गाड़ी के पिछले भाग को देखने हेतु हमने एक प्रणाली विकसित की है । सरकार सभी प्रकार के सम्भव और प्रभावी उपाय कर रही है ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं न घटें ।

एक और प्रश्न रेल-पथ के लिए घटिया किस्म का माल सप्लाई किए जाने के बारे में था । हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार का माल सप्लाई न किया जाए । रेल विभाग इस तरह के माल को स्वीकार नहीं करेगा । यदि इस प्रकार की बातें सदस्य के ध्यान में आएं तो वह कृपया हमें लिखें । हम इसकी जांच करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे ।

जहां तक दुर्घटनाओं सम्बन्धी जस्टिस सीकरी समिति का सम्बन्ध है उसका प्रतिवेदन हमें मिल चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है । उसकी जांच समाप्त होते ही इसे सभा पटल पर रखा जाएगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : श्रमिकों के सहयोग और मुआवजे के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जब कभी मंत्री महोदय मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों से मिलते हैं उनसे सहयोग लेने की बात पर बल देते हैं । सबसे महत्वपूर्ण बात सभी क्षेत्रों में कार्यचालन में सहयोग करने की है जो देश की एकता और देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है । हम सदैव ही सहयोग का आग्रह करते रहे हैं और मान्यता प्राप्त तथा गैर-मान्यता प्राप्त दोनों ही यूनियनें सहयोग देती रही हैं । पर कभी-कभी वे अपनी भूमिका निभाती हैं जिसका हम यहां समाधान नहीं कर सकते ।

जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, हम मृत्यु होने पर 50,000 रु० देंगे । इसकी एक प्रक्रिया है । एक दावा आयुक्त है । मृतक के परिवार का सदस्य या जो उसका कानूनी वारिस है वह, दावा आयुक्त को आवेदन कर सकता है । कागजात पेश करने और उसकी शिनाख्त के पश्चात 50,000 रु० की राशि दी जाती है कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है, यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है । मैं इसे भेज दूंगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, आज रेल मंत्रालय को यदि रेल दुर्घटनाओं का मंत्रालय कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। आप यदि देखें तो इस साल में किसी भी पहले सालों की अपेक्षा अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। इसको मंत्री जी मानें या न मानें लेकिन यह ठीक है।

ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं इसको इस सदन को, रेल प्रशासन को और मंत्री जी को भी देखना होगा। इन दुर्घटनाओं के पीछे में दो मुख्य कारण मानता हूं। एक तो मेन और दूसरे मैटर। मेन जो रेल चलाता है। उसमें ड्राइवर आयेगा, गार्ड आयेगा जो कि ट्रेन का इंचार्ज होता है, एस० एम० और ए० एस० एम० भी आयेंगे जो कि सिगनल देते हैं। फिर प्वाएंट मेन, गेंग मेन और केबिन मेन भी आयेंगे जो कि लाइन बनाते हैं। जिन पर गाड़ियां आती हैं। किसी भी विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें काम करने वाले कर्मचारी संतुष्ट होने चाहिएं और अपने काम में रुचि लेने वाले होने चाहिएं। जब कर्मचारी काम करते हुए संतुष्ट होगा तभी वह काम में रुचि ले सकता है। अगर उसे घर की समस्या सताती हो तो वह रुचि नहीं ले सकता है। जैसी कि आज देश की हालत है और रेलवे कर्मचारियों को जो कुछ मिलता है उसमें उसे अपने घर में अपने बीवी-बच्चों के राशन की समस्या सताती है, इससे वह चिन्तित रहता है कि वह राशन समय पर उन्हें दे पाएगा और राशन उसे मिल भी पायेगा या नहीं। दूसरे उसे अपनी जान की रक्षा की चिंता सताती है। यह कारण मैं मुख्य मानता हूं जिससे कि रेल दुर्घटनाएं होती हैं।

उपाध्यक्ष जी, यही नहीं, रेलवे कर्मचारियों को उच्चाधिकारी भी परेशान करते हैं। उनकी बातों को वे सुनने को तैयार हों इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, उनकी वाजिब बातों को भी नहीं सुना जाता है। इन कारणों से उनमें अनुशासन रह ही नहीं सकता। अतः इस विषय में रेलवे मंत्रालय को सोचने की जरूरत है। वास्तव में उन्हें किस तरह से अनुशासित करें, किस तरह से ऐसी हालत पैदा करें जिसमें वे काम में रुचि लें, किस तरह से उनकी जरूरत की चीजों की पूर्ति करें इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि जब रेल मंत्री जी जवाब दें तो इस बारे में अपना रिएक्शन जाहिर करें।

उपाध्यक्ष जी आप जानते हैं कि बहुत सी गाड़ियां कोयले के इंजन से चलती हैं। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका भी कोयले का इंजिन था। आजकल कोयले के इंजिनों की हालत को मैं जानता हू क्योंकि मैं रेल कर्मचारियों से सम्बन्ध रखता हूं। वे मुझ से बराबर कहा करते हैं कि इन इंजिनों के स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते हैं और उनके बारे में वे बराबर कहा करते है लेकिन उनके अधिकारी उन्हें उसी अवस्था में इंजिनों को ले जाने के लिए फोर्स करते हैं। वे उनसे कहते हैं कि गाड़ी ले जाओ और चलाओ। सेफ्टी की, सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्हें इंजिन ले जाना पड़ता है। एक तरफ तो आप सेफ्टी रूल बनाते हैं और दूसरी तरफ आपके अधिकारी उन्हें इस तरह से गाड़ी चलाने पर मजबूर करते हैं। सुरक्षा के रूल हम इसलिए बनाते हैं कि जिससे यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे।

इन सुरक्षा नियमों की उपेक्षा कर के गाड़ी चलाने के मैं उदाहरण देना चाहता हूं। रेलवे बोर्ड के जो नये अध्यक्ष आये हैं, वे पहले पश्चिमी रेलवे के महाप्रबन्धक थे। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि इन्होंने दर्जनों नहीं सैकड़ों केसिज में लिख कर आदेश दिये हैं कि सुरक्षा के नियमों का उल्लघन करके भी गाड़ी चलाओ। फिर आप कैसे उम्मींद कर सकते हैं कि दुर्घटना नहीं होगी। मैं जानना चाहूंगा कि गाड़ियां चलाने पर ही क्यों जोर दिया जाता है, क्या सुरक्षा आवश्यक नहीं है, क्या सुरक्षा पर जोर देना आवश्यक नहीं है ?

उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले तक रेलवे में यह व्यवस्था थी कि पांच सौ किलोमीटर तक जो गाड़ी चल जाती थी उसका मेन्टीनेंस होता था। अब इन्डेफिनिट पीरियड तक गाड़ियां चलने पर मेन्टीनेंस नहीं होता है। कहते हैं कि मेन्टीनेंस स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। इससे हम रेलों में इकोनौमी बरतते हैं। क्या इस तरह से ये इकोनौमी बरतते हैं या यात्रियों की जानों से खेलते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में मंत्री जी कुछ करना चाहते हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष जी, रेलवे प्रशासन की आज जो हालत है और जिस समय से यह सरकार प्रशासन में आयी है·····उसी दिन यह नया प्रपोजल लेकर आया कि 10 एडीशनल जी० एम० की पोस्ट बना दी जाय। सारे डिवीजंस में आप जाकर देखें एडीशनल डी० आर० एम० को बहाल किया गया है। कहते क्या हैं कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को डी-सेंट्रलाइज़ करने के लिए करते हैं, इफीसिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन जो वास्तव में वर्क मैन है, जिनसे गाड़ियां चलती हैं, गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, ए० एस० एम० हैं, पौंइंट मैन हैं, उनको नहीं बढ़ाते हैं, वहां पर इकानामी करते हैं।

मैं जानता हूं कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं ' बरौनी जंक्शन है, मैं उधर से गुजरता हूं, मेरा घर भी उधर ही पड़ता है, वहां पर मैं देखता हूं कि ए० एस० एम० को इतना काम रहता है कि यह ड्यूमनली पोसीबल ही नहीं है, लेकिन उसे मजबूर किया जाता है लेकिन हैण्ड्स नहीं बढ़ा सकते। अगर इनका यही एडमिनिस्ट्रेशन रहा तो सुधार क्या होगा। जो नीचे के कर्मचारी हैं वे रेल चलाने के लिए जवाबदार हैं या जो सेलून में या एयर-कंडीशन बंगले में रहते हैं, जो जाते हैं सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए पर देखेंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, लेकिन वे चलते हैं इंस्पेक्शन पर। आप अंदाज कर लीजिए कि क्या इंस्पेक्शन करेंगे, क्या सुधार करेंगे ? मंत्री जी आर्डनरी फर्स्ट क्लास में जाकर देखें कि कहां क्या हो रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है।

अभी शास्त्री जी ने ठीक ही बात बताई कि यह सरकार जीते जी तो समाजवाद ला नहीं सकती, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मर गए हैं, उनके लिए यह सरकार समाजवाद लाना चाहती है या नहीं ? वे आदमी जो ज्यादा पैसा देते हैं, हवाई-जहाज़ में चढ़ते हैं, उनकी दुर्घटना होने पर एक लाख रुपए और कम पैसा देकर जो हम मामूली लोग चलते हैं, मामूली लोगों का देश है हिन्दुस्तान, वे ट्रेन में चलते हैं और यदि वे मरते हैं तो उनको 50 हजार रुपए। यदि

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

आप वास्तव में यूनिफार्मिटी लाना चाहते हैं तो मरने के बाद उनके साथ समाजवाद लाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रामावतार शास्त्री : 50 हजार भी कहां हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी हमारे स्टेट से आते हैं, उनको जानकारी होगी कि सिमरिया जहां यह रेल दुर्घटना हुई है, वह जगह है स्व० राष्ट्रकवि स्वर्गीय दिनकर जी का जन्म स्थान, वहां यह दुर्घटना हुई है तो उस दृष्टिकोण से मैं मंत्री जी से कहना चाहूगा कि इस केस में कम से कम शुरूआत करें इस बात की कि आइंदा कम से कम मरने वालों के साथ चाहे वे रेल दुर्घटना में मरें, चाहे हवाई जहाज दुर्घटना में मरें, एक तरह का मुआवजा दिया जाए। इन्हीं बातों पर मैं मंत्री जी से खुलासा चाहता हूं।

श्री केदार पाण्डे : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बिंदुओं पर रोशनी डाली है उनके बारे में एक-एक करके मैं कहना चाहता हूं। पहली बात है सुरक्षा—मैं इस बात को कहना चाहता हूं। कि सुरक्षा ज़रूरी है और ट्रेन का चलना भी जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि सुरक्षा की कीमत पर ट्रेन चले। यह सही बात है कि ट्रेन बनी है इन्सान के लिए तो कोशिश यह करनी चाहिए कि जितनी भी सेफ्टी हम दे सकें, सुरक्षा दे सकें दें।

उसके लिए रूल्ज़ वगैरह हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह के आदेश हुए हैं कि रेलवे सेफ्टी को इगनोर करो और ट्रेन चलाओ। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं। ऐसा कोई आदेश किसी भी अफसर ने दिया हो तो उसको हमारे सामने आप रखें और हम उस पर विचार करेंगे।

मेंटेनेंस की जो बात है वह ठीक है। जितना वह होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है। पुराना सब सामान है ट्रैक है, सब कुछ है। लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान गया है और हम ने आदेश दिए हैं कि मेंटनेंस ठीक से होना चाहिए। पुरानी रेलें हैं उन में सुधार भी हुआ है और कहीं कहीं बहुत कम हुआ है, वैसी ही वे पड़ी हुई हैं·····दंडवते जी मुस्करा रहे हैं·····

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं इसलिए मुस्करा रहा हूं कि आप कहीं यह न कह दें कि जनता सरकार जिम्मेदार है।

श्री केदार पांडे : आपके वक्त जो हुआ सो हुआ और हमारे वक्त जो हो रहा है वह मैं बता रहा हूं।

अब आप एक्सीडेंट्स को लें। अप्रैल 1979 से नवम्बर 1979 तक 636 घटनाएं घटित हुई हैं। अप्रैल 1980 से नवम्बर.1980 तक 670 घटनाएं घटित हुई हैं। एक्सीडेंट्स हर साल होते

हैं। आप देखें कि 1976-77 में इनकी संख्या 780 थी और 1977-78 में 886। यह वह वक्त था जब जनता राज था। इस तरह की घटनाएं कम से कम हों यही उद्देश्य रहता है। घटनाएं हो सकती हैं कभी कभी। इससे यह पता चलता है कि थोड़ा बहुत एक्रेज इधर उधर हुआ है, वेरिएशन हुआ है।

ग्रीवेंसिस की बात आपने कही है और यूनियंज़ की बात कही है। मैंने भी करीब 15 साल मजदूर आन्दोलन में काम किया है. मजदूर आन्दोलन का मुझे अनुभव है। जब मैंने रेल मंत्रालय का चार्ज लिया तो सबसे पहले मैंने मजदूरों से मुलाकात की। दो फैड्रेशंज हैं जो रिकानाइज्ड हैं। उनके प्रतिनिधियों को मैंने बुलाया और उनसे बात की। वे काफी खुश थे। शास्त्री जी से भी मेरी बात हुई है। और भी होने वाली है। सभी ने मुझे कहा कि आप यहां पर काम करें, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। यहां बहुत से मजदूरों की मैंने सभा भी की। उन लोगों ने भी आश्वासन मुझे दिया कि हम पूरा सहयोग आपको देंगे। रेल कर्मचारियों, रेल मजदूरों में मेरा पक्का विश्वास है। मैं कह सकता हूं कि उनके सहयोग के बिना रेलें चल नहीं सकती हैं। डर से, भय से, तंग करके रेलें नहीं चलाई जा सकती हैं। ह्यूमन फैक्टर है। लोगों का पूरा सहयोग हमें लेना चाहिये और उसके लिए मैं बहुत तत्पर हूं।

स्टाफ का अपग्रेडिंग भी हुआ है, आफिसर्स का भी कुछ हुआ है। लेकिन कम हुआ है—

श्री रामावतार शास्त्री : आफिसर्स का ज्यादा हुआ है।

श्री केदार पांडे : आफिसर्स के अपग्रेडिंग की जो बात है उसमें अगर कोई ग्रीवंस है या आगे हो तो मेरे सामने उस चीज को लावें और मैं देखूंगा। मैंने अभी तमाम रेल कर्मचारियों से पूछा, उनके प्रतिनिधियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी एक दो महीने तक हम लोग आपके सामने कोई सवाल नहीं रखेंगे, हम ठीक से रेलवे चलाएंगे।

एक्सटेंशन पर जो लोग थे उनके हट जाने के बाद सतरह लाख जो रेलवे मैन हैं उन पर इसका बहुत असर पड़ा है, उन में उत्साह पैदा हुआ है। उन्होंने कहा हम लोग पूरा सहयोग आपको देंगे। उन्होंने हमारे सामने अभी कोई ग्रीवेंस नहीं रखा है। जब रखेंगे तो जरूर देखेंगे, उसको टाप प्रायोरिटी देंगे। और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक रेल कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे, जब तक वे इत्मिनान से काम नहीं कर सकेंगे, तब तक काम नहीं हो सकेगा। उनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्यों से में कहना चाहता हूं कि अगर रेल कर्मचारियों को कोई तबलीफ़ है, उनकी कोई मांग है, तो मैं उसे ओपन माइंड से सुनने के लिए तैयार हूं। इसमें कोई ट्रेडीशन वाली बात नहीं है।

मैंने दो रेकगनाइज्ड फ़डरेशन्ज़ से बात की है। इसके अलावा मैं अनरेकगनाइज्ड यूनियन्ज से भी बात करता हूं हाल ही में टी० टीज़० आये थे। मैं उनकी बहुत बड़ी सभा में गया। उनमें ऐसे लोग हैं, जिनकी यूनियन रेकगनाइज्ड नहीं है। मैंने कहा कि मैं रेल मंत्री हूं और रेल

[श्री केदार पांडे]

कर्मचारियों से बात करूंगा। रेल मंत्री और रेल कर्मचारियों में बहुत गहरा सम्बन्ध होना चाहिए। मैं किसी यूनियन के साथ पोलीटिक्ल कनसिडरेशन से बात नहीं करूंगा। रेल मंत्री में भी ट्रेड यूनियनिस्ट है। इसलिए जब आप मुझसे बात करने आयें, तो समझिए कि दूसरा ट्रेड यूनियनिस्ट रेल मंत्री के रूप में बैठा है। इस तरह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या चाहते हैं आप ?

हम रेलवे को माडर्नाइज़ करना चाहते हैं। उसे आधुनिक बनाना चाहते हैं। आज हमारे यहां सात हज़ार स्टीम इंजिन हैं। दूसरे देशों में स्टीम इंजिन नहीं हैं। रूमानिया में एक भी स्टीम इंजिन नहीं है। हम भी स्टीम इंजिनों को कम करना चाहते हैं। हम डीज़लाइज़ेशन और इलैक्ट्रिफ़िकेशन करना चाहते हैं। उसके लिए काम शुरू भी हो गया है। हम हर साल एक हज़ार किलोमीटर का इलेक्ट्रिफ़िकेशन करना चाहते हैं। यह शुरू करेंगे। अगर हमें ज्यादा बिजली मिल जाये, तो हम जल्दी करेंगे, लेकिन बिजली की भी तो कमी है देश में यह हम सब का कामन अंडरटेकिंग है।

जहां तक ट्रैक का सम्बंध है, हम बहुत जगह ट्रैक को रिप्लेस करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। हमारे साधन लिमिटिड हैं। हम मेनटेनेंस को टाप प्रायर्टी देंगे। अगर मेनटेनेंस ठीक नहीं होगा, इन्तज़ाम ठीक नहीं होगा, तो एक्सिडेंट्स हो सकते हैं।

जहां तक कम्पेन्सेशन का सम्बंध है, हवाई जहाज़ में एक लाख रुपये और रेल में पचास हज़ार रुपये का रूल है। हम इस बारे में सोच रहे हैं। विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी के लिए एक लाख रुपये कम्पेन्सेशन है, तो उसे घटाया जाये। यह ट्रेड यूनियनिज़्म नहीं है। जो नीचे है, उसे ऊपर उठाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : जो हवाई जहाज़ में दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसको एक लाख रुपया मिल जाता है। लेकिन रेलवे में किसी को पचास हज़ार रुपये नहीं दिए जाते हैं। कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है।

श्री केदार पांडे : जहां तक इस दुर्घटना का सम्बंध है, लोगों को कम्पेन्सेशन मिलेगा। उसके लिए एनक्वायरी हो रही है। जांच होने के बाद इस बारे में निर्णय हो जाएगा। अक्तूबर से लेकर नवम्बर, दिसम्बर तक आठ दस दुर्घटनाएं हुई हैं, जिस पर हमें खेद है। एक दुर्घटना में 35 लोग मरे और कुल मिला कर 79 डेथ्स हुई हैं। सच्चाई को सब को कुबूल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस स्थिति में सुधार करें—और सुधार होगा। सब रेलवे कर्मचारी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। किसी दुर्घटना में ह्यूमैन फ़ेल्युर हुई है। हो सकता है कि उसके अलावा कोई दूसरी ग़लती हुई हो। लेकिन इसके बारे में जांच पड़ताल हो रही है। मैं कोशिश करूंगा आइन्दा कि दुर्घटना कम से कम हों या भरसक न हों, उसको हम एलिमिनेट करें। लेकिन एलिमिनेशन आज के संदर्भ में संभव नहीं है। कहीं कहीं यह हो सकता है।

एक बात मैं कहूंगा कि लोडिंग आज बहुत बढ़ गई है जिससे कि अर्निंग होती है। साढ़े सात सौ की जगह ढाई हजार, तीन हजार लोडिंग हो रही है···(व्यवधान)·····

कोयला की जहां तक बात है कोयला अच्छा मिलना चाहिए, उसको भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको ठीक करें। क्वालिटी आफ कोल देखने की जरूरत है और वह हम देखेंगे।

जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है उस पर हम जरूर विचार करेंगे और देखेंगे कि आगे चल कर सुधार हो।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैंने रेल दुर्घटनाओं तथा चलती गाड़ियों में डकैतियों के कारण असुरक्षा के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं दी थीं किन्तु अध्यक्ष महोदय ने अपने आप ही केवल दुर्घटनाओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है। मुझे आशा है कि यदि मैं चलती गाड़ियों में चोरियों और डकैतियों की भी चर्चा करूं तो आप बारीकियों में नहीं जायेंगे क्योंकि वास्तव में हमारा प्रयोजन रेल यात्रियों की सुरक्षा से है।

मुझे खेद है कि वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है कि रेल दुर्घटनाएं प्रासंगिक हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता है केवल उन्हें कम किया जा सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि रेल दुर्घटनाओं से पूरी तरह से बचा जा सकता है। यदि आप इन दुर्घटनाओं का विश्लेषण करें तो जान पड़ेगा कि वे या तो मानवीय असफलता, मानवीय चूकों अथवा यांत्रिकी खराबियों के कारण होते हैं। इन तीनों को दूर किया जा सकता है।

भारतीय रेलें सुरक्षा और समय पर चलने के लिए प्रसिद्ध थीं किन्तु दुर्भाग्यवश हाल ही में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और हम यह कहते हुए संतुष्ट हैं कि इनसे बचा नहीं जा सकता है। वास्तव में रेलवे व्यवस्था ऐसी है कि यदि सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए और काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों की ओर से कोई चूक न हो तो किसी दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो सकती है।

हमने मंत्री बदल दिया है और अब मंत्री अपेक्षाकृत अधिक युवा हैं। यदि वह अपने अधिकारियों को कड़े अनुदेश दें और उन कर्मचारियों के साथ सीधा सम्पर्क करें जो वास्तव में काम कर रहे हैं तो अधिकांश दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों को यह पता लगाने के लिए विश्लेषण करना चाहिए कि मानवीय असफलताओं, कर्मचारियों की गल्तियों तथा यांत्रिकी असफलताओं के कारण क्रमशः दुर्घटनाओं की प्रतिशतता क्या है और फिर इन्हें दूर करने के लिए ठोस प्रस्ताव और उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए सुझाव दिये जाने चाहिए।

हमें उन मशीनों को जिनका उचित रख-रखाव नहीं होता है तथा जो अच्छी किस्म की

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

नहीं हैं, बदलना चाहिए। हमें बेहतर किस्म की मशीनों का उत्पादन करना चाहिए और हमें उनका आयात करने के लिए हिचकना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मानव जीवन का प्रश्न है।

मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने सरसरी तौर पर वक्तव्य दे दिया है कि इतनी जानें गई हैं और इतने व्यक्ति घायल हुए हैं। उत्तर देने का यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्य श्री यादव ने कहा है कि हमारे देश में पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के नागरिक हैं। यदि विमान यात्री की जान जाती है तो वह एक लाख रुपए के बराबर है। हमने जिन्दगी के मूल्य को निश्चित किया है। यदि दुर्घटना के कारण गाड़ी में कोई आदमी मरता है तो विमान दुर्घटना में जो क्षतिपूर्ति दी जाती है उसकी अपेक्षा उसे कम क्षतिपूर्ति दी जाती है। यह बहुत बुरी बात है। इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे रेल दुर्घटना में अथवा विमान दुर्घटना में मरे, क्षतिपूर्ति प्रत्येक मामले में बराबर होनी चाहिए। जीवन का मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता है। किन्तु जो भी क्षतिपूर्ति दी जाती है यह बराबर होनी चाहिए।

आपने कहा है कि हाल ही में कानपुर में चार रेल दुर्घटनाएं हुईं। कानपुर की एक रेल दुर्घटना में 34 व्यक्तियों की जानें गईं। साथ ही माननीय उप-मंत्री कह रहे थे कि 1963-64 में 1,600 दुर्घटनाएं हुई थीं और दुर्घटनाएं घट रही हैं। किन्तु सूची से जान पड़ेगा कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कई माननीय सदस्यों ने इन दुर्घटनाओं के बारे में कहा है। मैं इस मामले की गहराई में नहीं जा रहा हूं।

अब मैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् गाड़ियों में चोरियों और डकैतियों के बारे में कहूंगा। 20.11.1980 को इस सभा में कहा गया कि जनवरी से अक्तूबर, 1980 के बीच गाड़ियों में चोरियों के 214 तथा सशस्त्र डकैतियों के 85 मामले हुए जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में क्रमश: 160 और 47 मामले हुए थे। मैं यह आकड़े यह बताने के लिए नहीं दे रहा हूं कि जब से यह सरकार वापस आई चोरियों और डकैतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। मेरा यह तर्क नहीं है किन्तु यह एक तथ्य है कि जनवरी से अक्तूबर, 1980 के बीच चोरियों के 240 तथा डकैतियों के 85 मामले हुए। वास्तव में इन डकैतियों और चोरियों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किया है।

हाल ही में समाचार पत्रों में यह आया है कि इलाहाबाद में पहली दिसम्बर में तीन सशस्त्र चोरों का एक दल एक डिब्बे में घुसा। वे एक व्यापारी पर आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे उसके सारे सामान को ले गये। वहां खड़े एक पुलिस कर्मचारी ने इसमें हस्तक्षेप किया। तीन सशस्त्र डाकुओं के इस दल ने वास्तव में पुलिस कर्मचारी को मार दिया। गाड़ी में पुलिस कर्मचारी चोरों के इस दल द्वारा मारा गया।

मैं कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। गोरखपुर में 17 नवम्बर, 1980 को गाड़ी में दस व्यक्तियों का सारा सामान गुंडे पिस्तौल दिखा कर ले गये। इसी महीने दो स्थानों पर ऐसी ही घटनाएं हुईं।

मलयाला मनोरमा ने इस प्रकार की घटना का उल्लेख किया है। यह समाचार-पत्र केन्द्र में कांग्रेस (ई०) का समर्थन करता है। इस समाचार-पत्र ने उल्लेख किया है कि श्री कुरियन वर्गीज नाम का एक व्यक्ति बम्बई से त्रिवेन्द्रम जा रहा था, रास्ते में दो डाकुओं ने उसका सामान लूटने का प्रयत्न किया। श्री वर्गीज ने जंजीर खींचने का प्रयत्न किया। जरा सोचिये इन डाकुओं ने उसे भी पीटा। यह घटना मलयालम में मलयाला मनोरमा में छपी है। मैं इसे उद्धृत करता हूं—

"हाथ की घड़ी, गहने और रुपया लूटा गया। जब स्टेशन मास्टर को इसकी शिकायत की गई तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। जब पुलिस को सूचित किया गया तो उन्होंने रूखेपन से कहा कि उन्हें "और अधिक महत्वपूर्ण काम" है। यह रोजाना की घटनाएं हैं। कई व्यक्तियों को चोटें आईं। पुलिस और रेल कर्मचारी सभी उनके साथ मिले हुए हैं। उनमें पूछा गया कि फिर हमको न्याय कहां से मिलेगा।"

मेरा तर्क यह है कि जब इस घटना की रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को दी गई तो स्टेशन मास्टर ने अपनी अयोग्यता और असमर्थता दिखाई। इस समाचार-पत्र ने यह आरोप लगाया कि रेल अधिकारी और पुलिस का भी इन सभी डकैतियों में हाथ है। ये घटनाएं रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से हो रही हैं। यह एक तथ्य है जिसे मैं—चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे नोट करें। मेरा उनसे निवेदन है कि इसे रोकने के लिए वे सभी कदम उठाएं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए तथा मानवीय असफलता, चूकों और यांत्रिकी असफलताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की प्रतिशतता और संख्या का पता लगाने के लिए और इन सभी बातों के समाधान के लिए ठोस प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। क्या वह इनमें से प्रत्येक बात की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिए तैयार हैं? यांत्रिकी असफलताओं को दूर करने के लिए उन्हें तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। इसी तरह कर्मचारियों के सम्बंध में कार्यवाही करने के लिए दूसरी समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्हें इन समस्याओं की अलग-अलग जांच करनी चाहिए ताकि इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

गाड़ियों में डकैती और चोरी के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण गाड़ियों में पहले ही सशस्त्र पहरेदार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इनमें तैनात पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करेंगे क्योंकि इन पुलिस

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

कर्मचारियों को तैनात करने के बाद भी चोरियां और डकैतियां बढ़ रही हैं। उन्हें इस समय गाड़ियों में तैनात पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।

मेरा अन्य प्रश्न यह है कि क्या वे इस मामले को राज्य सरकारों के पास उठाएंगे क्योंकि यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है ? मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु में कटपडी स्टेशन पर लोगों का एक समूह रेलवे स्टेशन पर आता है, प्लेटफार्म पर जाता है और वहां गाड़ियों में जाकर यात्रियों को लूट कर भाग जाता है। अत: इस मामले को राज्य सरकारों के पास उठाया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले में राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले को राज्य सरकारों के पास उठायेंगे ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वह इस मामले को गृह मंत्रालय के पास उठाएंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है क्योंकि चाहे ये रेल दुर्घटना अथवा चोरी या डकैती की ही घटनायें क्यों न हों, इन्हें रोका जा सकता है। यात्रियों की सुरक्षा की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि आपका मत्रालय यह करेगा।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य ने न केवल रेल दुर्घटनाओं के ही प्रश्न के बारे में कहा है किन्तु उन्होंने समस्त समस्या को विचारार्थ लिया है। मैं भी चाहता था कि सारी समस्या के बारे में बोलूं किन्तु समय की कमी के कारण मैं यह नहीं करना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि रेल दुर्घटनाओं से पूरी तरह से बचा जा सकता है और हम सभी यही चाहते हैं कि इन दुर्घटनाओं से बचा जाए। वह चाहते थे कि रेल दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाये। अभी हाल ही में अक्तूबर में जो दो बड़ी दुर्घटनाएं इटोला और मियां गांव के बीच बड़ौदा के निकट इटारसी में तथा कानपुर के निकट जिजक और अम्बियापुर के बीच हुईं उनके सम्बंध में रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जांच से मालूम हुआ है कि ये दोनों दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण हुई हैं। इनमें से एक दुर्घटना यांत्रिकी असफलता के कारण हुई है अर्थात् जाम आदि होने के कारण डिब्बे पटरी से उतर गये थे।

जहां तक रेल डिब्बों के रख रखाव का सम्बन्ध है, हम निरंतर अधिकाधिक सावधानी बरतते हैं और रेल-डिब्बे समय-समय पर ओवरहाण किये जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रेलवे इस बारे में लापरवाही करती है। रेल प्रशासन निस्संदेह कर्मचारियों के साथ सीधे बातचीत करता है किन्तु मैं कहूंगा कि रेल कर्मचारी और स्वयं रेलवे सरकार के ही अंग हैं। उनके अपने कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उन्हें देश भक्ति की भावना से निभाना है।

जहां तक डकैती और चोरी का सम्बन्ध है रेल प्रशासन इस बात का और अधिकाधिक

ध्यान दे रहा है कि पुलिस बल को बढ़ाया जाये। अन्ततः पुलिस बल ही सशस्त्र लोगों को गाड़ियों में प्रवेश करने आदि की हरकतों से रोक पायेगा। जब ये नागरिक अपनी नैतिकता और चरित्र को खो बैठें तथा जब वे अपनी जिम्मेदारी भूल जायें तो फिर पुलिस बल ही रह जाता है···(व्यवधान)। जब नागरिक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है तब स्वभावतः इसके लिए हमें पुलिस बल की आवश्यकता होती है। डकैतियों में किसका हाथ होता है ? (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उन्हें रोके। यह आपकी जिम्मेदारी है···(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : डाकू भी देश का एक नागरिक है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका समस्त नागरिकों से तात्पर्य नहीं था। आपने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी पूरी बात सुनिए।

श्री मल्लिकार्जुन : एक डाकू भी देश का नागरिक है जो समाज के प्रति अपना कर्त्तव्य भूल गया है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात अच्छी तरह से नहीं समझ पाये हैं। वह केवल डाकुओं के बारे में कह रहे हैं न कि सभी नागरिकों के बारे में कह रहे हैं। एक डाकू भी नागरिक है। यही उन्होंने कहा है। बस। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात समझता हूं। उन्होंने कभी भी समस्त नागरिकों के बारे में नहीं कहा है। आप कार्यवाही वृत्तान्त देख सकते हैं। मैं उनकी बात समझता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : यह बड़े खेद की बात है कि लूट और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। किन्तु साथ ही मैं इस सम्मानित सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या हम बल को शस्त्र भी देंगे। हम बल की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हम चल न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं—यह अन्तिम चरण पर हैं—इनमें बहुत धनराशि का निवेश किया गया है। पूर्वी क्षेत्र जैसे कुछ स्थानों पर—पूर्वी क्षेत्र बहुत ही नाजुक और प्रभावित क्षेत्र है, उदाहरण के तौर पर धनबाद में हमने अतिरिक्त संख्या में बल को तैनात किया है। हम कदम उठा रहे हैं। मैंने पहले यह कहा था कि एक डाकू भी नागरिक होता है, समाज के प्रति उसका भी कर्त्तव्य होता है किन्तु उसे वह भूल जाता है। मैंने यह बात किसी दूसरे ढंग से नहीं कही है·····

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : यह नियम सदस्यों के अवशिष्ट अधिकारों के अन्तर्गत आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री ए० के० राय : जैसे आपके अवशिष्ट अधिकार हैं वैसे ही सदस्यों के भी अवशिष्ट अधिकार हैं और मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उन अवशिष्ट अधिकारों के अन्तर्गत उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, मैं उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ए० के० राय : मुझे अपने अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे अगली मद पर जाने दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इसकी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ राव।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इस विधेयक का इतना विरोध क्यों किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से इस संहिता के कुछ उपबन्धों को सख्त बनाने का प्रयास किया गया है। पहली बात यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108, 109 और 110 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं क्योंकि इन धाराओं में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि उनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करेंगे। 1973 की सहिता में इन धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त होते हैं अब यह अधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसका कारण यह है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधि और व्यवस्था का स्पष्ट पता नहीं रहता है क्योंकि उनका कार्य मामलों के निपटाने

तक सीमित होता है । वह उन परिस्थितियों पर विचार नहीं करते जिसके अन्तर्गत इन व्यक्तियों द्वारा यह अपराध किए जा रहे हैं । अत: यह आवश्यक है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, जो विधि और व्यवस्था का भी प्रभार सम्भालता है, यह अधिकार मिलने चाहिए । इसी कारण यह संशोधन लाया गया है····· ·····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आपने इस संशोधन के समर्थन में क्या सरल कारण बताया है ?

श्री जगन्नाथ राव : दूसरा खंड स्वीकृति देने के सम्बन्ध में है । कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अभियोजन नहीं किया जा सकता । पहले इस सम्बन्ध में अधिकार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को प्रदत्त थे । अब धारा 153क, 153ख, 295क, आदि के अन्तर्गत मुकदमा चलाने से पहले स्वीकृति देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया जा रहा है । अत: इस सम्बन्ध में मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे इस विधेयक का विरोध किया जा सके । इन धाराओं के अन्तर्गत गम्भीर अपराध आते हैं और सरकार भी अथवा मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, स्वीकृति के अभाव में मुकदमा नहीं किया जा सकता ।

खंड 4 के माध्यम से धारा 116 के पश्चात धारा 44 क जोड़ी जा रही है । खण्ड 5 जमानत के सम्बन्ध में है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 गैर-जमानती अपराधों के बारे में जमानत देने के सम्बन्ध में है । इसमें यह व्यवस्था है कि गैर-जमानती अपराधों में किन्हीं परिस्थितियों में जमानत पर रिहा किया जा सकता है । अब इस संशोधन के माध्यम से इन गैर-जमानती अपराधों के सम्बन्ध में उचित आधार पर जमानत पर रिहा करने वाले उपबन्ध को कड़ा बनाया जा रहा है । यहां पर कारण दिये गये हैं·····

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इसका किसी ने विरोध नहीं किया है ।

श्री जगन्नाथ राव : अत: गैर-जमानती अपराधों के मामले में इस खण्ड में वर्णित विशेष परिस्थितियों में जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था को सीमित किया जाना चाहिए । खंड 6 में अभियुक्त द्वारा भरा गया बांड तथा जमानत को जब्त करने की व्यवस्था है । न केवल बांड को जब्त किया जायेगा बल्कि दोनों को 6 महीने की अवधि के लिये साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा बांड को जब्त करने के साथ ही यदि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया जायेगा तो उसकी वसूली की जायेगी । अत: इसमें कोई गलत बात नहीं है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित की जा सकती हैं । न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में चल रहे मुकदमों सम्बन्धी कार्यवाही इस विधेयक के अधिनियम बनने और लागू होने तक जारी रहेगी ।

अत: विधेयक के किसी भी खंड को मैं विवादास्पद नहीं मानता हूं । अत: मुझे उन पर

[श्री जगन्नाथ राव]

और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक आज सदन में पेश है उसका मैं पूर्ण विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक जो पेश किया गया है वह इस सरकार की अक्षमता का परिचायक है। लगता है कि इस सरकार का विश्वास अपनी न्यायपालिका पर नहीं रह गया है और सरकार किसी प्रकार से घबरा कर या किसी ढंग से भयभीत हो कर यह विधेयक लायी है। इस विधेयक में कहा गया है कि न्यायपालिका कमजोर है और राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें यह भी कहा गया है कि इससे ला एण्ड आर्डर की स्थिति सुधरेगी। 108(1) के (क) में राजद्रोहात्मक बातों का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि यदि कोई ऐसी बात फैलाता है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124(क) या धारा 153(क) या धारा 153(ख) या धारा 295(क) या धारा 292 के अनुसार अश्लील वस्तु विक्रय, उसका निर्माण करना, उसका उत्पादन करना, आयात करना अथवा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के विरुद्ध कार्य करना जैसी बातों के लिए कार्यवाही की जाएगी।

धारा 109 में संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के प्रतिभूति का वर्णन है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बातें इस विधेयक में कही गयी हैं कि हम इन उक्त परिस्थितियों के कारण इस संहिता का संशोधन कर रहे हैं, मैं समझता हू कि ये बातें पहले से ही संविधान में वर्णित हैं और यदि संविधान का नियमपूर्वक पालन किया गया होता तो ऐसे ढंग से इस प्रकार के अमेंडमेंट की कोई जरूरत आज नहीं होती।

धारा 110 में लुटेरों, गृहभेदक, चोर, कुट रचियता, अथवा इनकी संरक्षा करने वालों, एवं अपहरणकर्ता, उद्यापनकर्ता, छली जमाखोरों, मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का जिक्र है। यह बातें इस विधेयक में कही गयी हैं जबकि पहले से ही संविधान में पर्याप्त कानून बना कर इन बातों की रोकथाम अच्छे ढंग से कर दी गयी है। इस विधेयक के द्वारा पुलिस को विशेष पावर दिया जा रहा है, एक्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट को विशेष पावर दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बगैर वारन्ट के भी पकड़ सकती है और उस व्यक्ति की जमानत नहीं हो सकती है, जमानत आदि लेने से इंकार भी किया जा सकता है।

मैं समझता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह सरकार की कमजोरी है। मुल्क में कानून तो हैं लेकिन कानून पालन करने के लिए ऐसा कोई नियामक आज देश में नहीं रह गया है जिस से कि कानून का पालन कराया जा सके। हमारे देश में जो सरकार काम कर रही है यदि वह संविधान का पालन बिना किसी भेदभाव के करे और जाति के आधार पर न करे तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है जिन बातों के लिए यह संशोधन किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं अपने कानून मंत्री के समक्ष एक बात रखना चाहूंगा। कानपुर में अभी तीन चार दिन पहले एक हरिजन विधायिका श्रीमती कमला दरियावाही पर पुलिस के एक आदमी ने संगीन पिस्तोल से हमला किया। क्या यह विधेयक उस पुलिस के आदमी को गिरफ्तार करा सकता है या उस पर मुकद्दमा चलवा सकता है ? यदि वह विधायिका भाग न गयी होती तो निश्चय ही पुलिस का वह आदमी, जो कि शराब के नशे में धुत था, विधायिका को मार डालता।

कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगी। एग्जीक्यूटिव की यह हालत है कि देश में चारों तरफ जहां अपराध होता देखा जा रहा है वहीं एग्जीक्यूटिव ही सामने आ जाती है। अभी आप देखें दिल्ली में एक महीने पहले एक घटना हुई। एक व्यक्ति अनिल कुमार शंकर सिनेमा देख रहा था, तभी पुलिस इस्पेक्टर ने उसको हाल के अंदर से खींच कर मारा, इतना मारा कि आज वह अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या इस अध्यादेश के मुताबिक उस पुलिस अधिकारी को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है ? क्या पुलिस इस अध्यादेश को प्राप्त करने के बाद या देश की एग्जीक्यूटिव इस अध्यादेश के आधार पर अपना ताण्डव नृत्य जो आज हो रहा है, उससे बढ़कर घोर तांडव नृत्य नहीं करेगे, ? वाराणसी के तमाम थाने जैसे मड़वाडीह, चपेलापुर, चौबेपुर, बड़ागांव आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं जहां कमजोर वर्ग के लोगों को, पुलिस के पास जितने पावर हैं, उनके आधार पर उनको पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है और इतने बुरी तरह से पीटा जा रहा है कि मैं बता नहीं सकता और उसके बाद उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने तक की मानवता भी पुलिस के अंदर नहीं है।

महोदय, मैं समझता हूं कि जितने अत्याचार मुल्क में हो रहे हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए यह अध्यादेश लागू किया जा रहा है। इससे एग्जीक्यूटिव, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिए जाएगे, जैसा कि मैंने पहले कहा है, क्या यह अधिकार प्राप्त करने से, हम कानून मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि जरा वे हम लोगों को यह समझाएं कि इन अधिकारों के बाद, जितने अधिकार उनके पास हैं, उनसे अधिक इस अध्यादेश द्वारा दे देने से क्या उनकी स्थिति और बदतर नहीं होगी ? क्या और अत्याचार नहीं बढ़ेगा ?

महोदय, तर्क दिया जा रहा है कि इस अध्यादेश के माध्यम से अपराधी की आदत सुधरेगी, बार-बार के अपराधी या सजायाफ्ता अपराधी सुधरेंगे, अपराधों में कमी होगी, अपराधी डरेंगे, ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था मजबूत होगी। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ध्यान दीजिए कि डंडे के बल पर कभी कोई सरकार चल

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

सकती है क्या ? यह सरकार डंडे के बल पर चलाई जा रही है। क्या इस सरकार के पास मस्तिष्क नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है ? क्या इस अध्यादेश का सहारा लेकर अब सरकार चलाई जायेगी ?

महोदय, मीसा और इमरजेंसी के पहले क्या हुआ था, उस समय देश का क्या हश हुआ था और वर्तमान सरकार जो 1974-75 में थी उसका क्या रूप था ? यह सारे का सारा हिन्दुस्तान जानता है। यह भय और आतंक का वातावरण यह अध्यादेश लाकर के देश में पैदा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह एक मीठा ज़हर है और अपने पापों को छिपाने के लिए एक गहरा षडयंत्र किया जा रहा है, इससे तमाम राजनीतिक व्यक्ति या जोलोग आंदोलनों में या सही बातों को कह देने में कभी नहीं हिचकते, उनके ऊपर इस अध्यादेश के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।

महोदय मैं इस अध्यादेश का बहुत ही कठोर शब्दों में विरोध करता हूं और मैं हाउस में अपने सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि वे दिमाग से और दिल से सोच कर इस अध्यादेश का विराध करने म हम लोगों की मदद करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट जो आप ला रहे हैं इसको पेश करने से पहले आप पढ़ लीजिए। आप उसको पढ़िए और श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय आप ही कृपा करके उस लाइन को पढ़ लीजिए।

"यह अध्यादेश, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था करता है :—

(iv) संहिता की धारा 108, 109 तथा 110 के अन्तर्गत सुरक्षा कार्यवाही करने का अधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट में निहित करना ; और

(v) उपरोक्त संहिता की धारा 108, 109 तथा 110 के अन्तर्गत सुरक्षा कार्यवाही करने के अधिकार को न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित करने का उपबन्ध करना।"

आप किसको पावर्ज़ ट्रांस्फर करना चाहते हैं ? ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट्स के पास तो पहले से ही पावर्ज़ हैं। इस आर्डिनेंस को आप पढ़िये। मालूम ऐसा होता है कि सैक्शंज़ 108, 109 और 110 में आप ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट को पावर्ज़ ट्रांस्फर करना चाहते हैं। या तो यहां पर एक्जीक्यूजिव मजिस्ट्रेट होना चाहिए लेकिन आप आब्जेक्ट्स एंड रीजेज़ में खुद कह रहे हैं कि आप ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट को पावर्ज़ ट्रांस्फर करना चाहते हैं। एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट में आलरेडी पावर्ज़ हैं। मैं समझ नहीं सका हूं कि आप क्या करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ?

श्री मूलचन्द डागा : जब मैं इसको पढ़ रहा था तब गाडगील साहब ने मेरी मदद की। अब आप ही बताइये कि क्या यह टाईपिंग मिस्टेक हो सकती है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : उन्होंने आपको गलत राय दी है।

श्री मूलचन्द डागा : गलत राय नहीं दे रहे हैं, आपका काम गलत है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : आप थोड़ा रुक जाइये। मिनिस्टर साहब समझने की कोशिश कर रहे हैं। वह आफिसर्स को कंसल्ट कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आर्टिक्ल 50 जो संविधान का है उसको आप देखें। उसमें यह कहा गया है :—

"राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा।"

1950 में संविधान बना था। तब हमने सोचा था कि हम ज्यूडिशरी को एग्जैक्टिव से अलग करेंगे और वह इंडिपेंडेंट होगी। साथ ही लैजिस्लेचर भी अलग होगी।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

1973 में हमने इसके बारे में एक एक्ट पास किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास किया और हमने यह कहा कि ये सारी पावर्ज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास न रह कर ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट के पास रहेंगी। आज 1980 में हम कह रहे हैं कि ये सारी पावर्ज एग्जैक्टिव—मजिस्ट्रेट के पास रहनी चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में सैक्शन 108, 109 और 110 में कितने चालान हुए और एक्सीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास यह पावर न होने के कारण प्रासीक्यूशन में कितनी डीलें हुई हैं। मैं समझता हूं कि अगर एक्सीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास केसिज जाने लगें, तो और डीलें होंगी और जनता को और ज्यादा नुकसान होगा। मैं समझ नहीं पाया कि सरकार सैक्शन 108 को क्यों एमेंड करना चाहती है, जबकि हमने सोच-समझ कर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह एमेंडमेंट की थी कि पावर जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास रहनी चाहिए।

[श्री मूलचन्द डागा]

मैंने इन बारे में दो आर्टिक्ल पढ़े हैं, जिनमें से एक स्टेट्समैन में छपा है। एक्सीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बैकडोर एन्ट्री होती है, क्योंकि सैक्शन 20 के अन्तर्गत उनकी एपायंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जबकि जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स को हाई कोर्ट एपायंट करती है। इस सैक्शन में कहा गया है :—

"प्रत्येक जिले में अथवा प्रत्येक महानगर क्षेत्र में राज्य सरकारें आवश्यक संख्या में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करती हैं और उसमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति करेगी।"

सरकार संविधान के आर्टिक्ल 50 की मंशा को न मानते हुए और 1973 में पास किये गये प्राविजन के ख़िलाफ़ जाते हुए हाई कोर्ट की पावर्ज़ एक्सीक्यूटिव को देना चाहती हैं।

यह आर्डिनेंस 23 सितम्बर को जारी किया गया था। 28 सितम्बर को स्टेट्समैन में यह एडिटोरियल कमेंट आया था :—

"निस्संदेह, इस प्रकार की गतिविधियां भर्त्सना योग्य हैं किन्तु अब खतरा यह है कि उत्साही कार्यपालिका मात्र आरोपों को ही प्रमाण मानने लगेगी। न्यायिक मजिस्ट्रेटों को हटाने से इस अध्यादेश से यह दोनों बातें सम्भव और सुगम हो गई हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट चाहें तो तबाही मचा सकते हैं। इसी प्रकार ही समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को खतरा है।"

मैं दूसरे अख़बारों के कमैन्ट्स पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मंत्री महोदय सोचें कि क्या यह जूडिशरी इंडिपेंडेंस पर हमला होगा या नहीं।

पी० शिव शंकर : नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत अच्छा एशोरेंस है। ऊपर बैठने वाले यह एशोरेंस देते हैं।

सरकार सैक्शन 108 के अन्तर्गत चालान करने की पावर्ज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रही है। पहले ये पावर्ज़ स्टेट गवर्नमेंट के पास थीं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी यह पावर दी जा रही है कि वह भी चालान कर सकता है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आपने दो लेखों का उल्लेख किया है । आप कृपया उन दोनों लेखों का अध्ययन करें ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह पढ़ कर सुनाता हूं ।

"केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के साथ.....।"

पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं था । हम लोग अभी जल्दी जल्दी बिल पास कर रहे हैं और बिल पास हो भी जायगा । पहले 108, 109 और 110 के अंदर जो चालान करने के पावर्स थे वह स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में थे । आज वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया ।..... (व्यवधान)...हां, तीनों को दे दिया । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले नहीं था, उस को भी दे दिया । तो उसके उपर 27 सितम्बर के बिज़नेस स्टैंडर्ड में कमेन्ट्स निकली हैं जिस में लिखा है :

अधिकारों का ह्रास

किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153ख तथा धारा 505 की उप-धारा 2 और 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की स्वीकृति के अधिकार को जिला मजिस्ट्रेट में निहित करने का कोई औचित्य नहीं है । यदि अब तक यह अधिकार संघ सरकार और राज्य सरकारों में निहित थे, उसके लिए उचित कारण भी थे । इसे कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध आवश्यक समझा गया था । कार्यपालिका में इन अधिकारों को निहित करने वाले कानून में यह व्यवस्था थी कि कार्यवाही करने की अनुमति किसी उच्च स्तर और उत्तरदायी स्तर से आनी चाहिए । यदि इस स्वीकृति लेने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है तो सरकारी प्रक्रिया को सुचारू और सरल बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी होगी न कि स्वीकृति के इस अधिकार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट में निहित किया जाये । शक्ति न केवल भ्रष्ट करती है बल्कि यह अत्याचार को बढ़ावा भी देता है । इससे इस बात से इन्कार नहीं किया जाता है आज इस प्रकार की कार्यवाही के मामले पहले से कहीं अधिक हैं । किन्तु जो सुरक्षात्मक व्यवस्था को जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की कार्यवाही की स्वीकृति का अधिकार उच्च स्तर के प्राधिकार में निहित होता है समाप्त करने का कोई कारण नजर नहीं आता है । इसे हटाने से वास्तव में समाचार-पत्रों, के लिए विशेष रूप से खतरा पैदा हो गया है । और एक से अधिक अवसरों पर श्रीमती गांधी द्वारा समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता के बारे में दिये गये बचन का उल्लंघन होगा ।

[श्री मूलचन्द डागा]

आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया। वह इस को यूज़ कैसे करेगा ? उसके ऊपर भी मैंने बताया कि इस प्रकार की जो पावर्स हैं वह अच्छी नही हैं।

अब बेल अप्लीकेशंस को लें। हिन्दुस्तान में अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रायल प्रिज़नर्स के केसेज़ हैं जो कई सालों से जेलों में पड़े हैं। बिहार में पांच-पांच, सात-सात साल के अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स हैं। चौदह-चौदह साल के हैं और उन का कोई इलाज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : समाज-विरोधी तत्व।

श्री मूलचन्द डागा : समाज-विरोधी तत्वों से आपका क्या अभिप्राय है। आपको उन्हें समाज-विरोधी तत्व सिद्ध करना होता है। हमें जनता के हितों की रक्षा करनी होगी।

किसी आदमी की आजादी को खत्म करना आसान नहीं है। हम सफेद पोश लोग सब बहुत अच्छे हैं जो उनको ऐंटी सोशल, कह दिया। हम हर एक आदमी की स्वतन्त्रता की रक्षा करना चाहते हैं। कांस्टाच्यूशन यह कहता है। बेल अप्लीकेशन में आपने अमैंडमैंट कर दिया। इसमें आप देखेंगे 437 में :

> "यदि किसी अधिकारी अथवा न्यायालय को अन्वेषण जांच, अथवा विचारण, जैसी भी स्थिति हो, के किसी स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने कोई गैर-जमानती अपराध किया है, किन्तु उसके अपराध में आगे जांच करने के पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त को, जांच को लम्बित रख कर, जमानत पर अथवा ऐसे अधिकारी अथवा न्यायालय के स्वविवेक पर रिहा कर दिया जायेगा .....।"

सभापति महोदय : आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं केवल कुछ मिनट लूंगा। आप धारा 446-क पुन: पढ़ें। इसे नया जोड़ा गया है। उन्होंने कहा है कि यह धारा 446 का स्थान लेगा। यह किस उद्देश्य से उसका स्थान लेगा ? यह एक नया उपबंध है। आप 'प्रतिस्थापना' शब्द का प्रयोग न करें।

अब आपने 446 (ए) भी अमेन्ड कर दिया। आप उसको पढ़िए। यह एक नया उपबन्ध

है। किन्तु वह कहते हैं कि वह प्रतिस्थापित उपबन्ध है।

अब यह जो ड्राफ्टिंग की जा रही है इसको कौन कर रहा है ? ला डिपार्टमैंट कर रहा है या कौन सा डिपार्टमैंट कर रहा है ? अगर आप बिल को पास करना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप जुडीशल मजिस्ट्रेट से पावर मत लीजिएगा। अगर आपने एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर दे दी तो गांवों में जो लोग रहते हैं उनकी हालत और बिगड़ जायेगी। वे गरीब लोग और भी परेशान हो जायेंगे। जुडीशल मजिस्ट्रेट अपने माइन्ड को जुडीशली एक्ससीइज़ करेगा लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने माइन्ड को जुडीशली एक्ससीइज़ नहीं करेगा। इसलिए आप मेहरबानी करके एक बार फिर सोचिए और इस पर पुनर्विचार कीजिए। मैंने अमेन्डमेन्ट इसलिए नहीं दिए हैं कि लोग कहने लगते हैं कि डागा ने अमेन्डमेन्ट दे दिए। लेकिन आप किसी बिल को हरीडली पास करने से पहले सोच लीजिए और विचार कर लीजिए। 1973 में इसी पार्टी ने इसी सदन में इसी संविधान के आर्टिकल 50 का आदर करते हुए पास किया था कि जुडीशियल मजिस्ट्रेट को पावर होनी चाहिए। आज अगर इससे यह पावर छीन कर एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आप यह पावर दे देंगे तो उचित नहीं होगा। आज करप्शन कितना रैम्पेन्ट है, यह कहने की जरूरत नहीं है। रोम-रोम में करप्शन भरा हुआ है। सेक्शन 108, 109 और 110 की पावर्स अगर आप एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे देंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। इस तरह से आप ऐन्टी सोशल एलिमेन्ट का नाम लेकर, उसकी आड़ में शिकार मत खेलें। मैंने होम मिनिस्टर से एक प्रश्न पूछा था, उनको हिम्मत के साथ यह फिगर देनी चाहिए थी कि 108, 109 और 110 के अन्तर्गत तीन सालों में इतने चालान किए गए। मैं कहता हूं 110 में केसेज़ पेश नहीं हुए होंगे और अगर पेश भी हुए होंगे तो उनका निर्णय नहीं हुआ होगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास करने से पहले आप दो तीन बातों को सोच लीजिए। आप एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडीशियल पावर्स मत दीजिए। साथ ही साथ बेल के मामले में इतना स्ट्रिक्ट मत बनें। बेचारे अण्डर ट्रायल प्रिज़नर्स सालों तक अन्दर रहते हैं। और ये लोग वही होते हैं जिनके पास साधन नहीं होते, जो कि गरीब लोग होते हैं। लीगल एट हमारे ला मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं दे पाए हैं। बीस साल हो जाने के बाद अभी तक उनको लीगल एड नहीं दी जा सकी है। इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए इस बिल पर पुनर्विचार करने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : इस विधेयक पर चर्चा करना बड़ा रुचिकर है क्यों कि यह समाज-विरोधी तत्वों तथा अभ्यस्त अपराधियों से सम्बन्ध रखता है। परन्तु इन समाज विरोधी तत्वों तथा अन्य अपराधियों से निपटने के लिए कई और सरकारी कानून और नियम भी हैं।

[श्री सी० टी० दंडपाणि]

वास्तव में यह विधेयक छोटा है । यह 2 या 3 मुद्दों से संबंध रखता है । यह इस प्रश्न से संबंध रखता है कि क्या हमारे पास न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट होने चाहिए। पिछले वर्षों में हम एक प्रकार की न्यायिक प्रणाली के माध्यम से कुछ परम्पराओं और प्रक्रियाओं का पालन करते रहे हैं । इस विधेयक से इसे हम न्यायिक से कार्यकारी अधिकारियों में बदल रहे हैं ।

जैसा कि मेरे मित्र ने पहले ही यहां कहा था, खण्ड 2 में यह उल्लिखित है :—

"प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट "शब्दों के स्थान पर" "कार्यकारी मजिस्ट्रेट" शब्द अन्त: स्थापित किया जाए ।"

जैसी कि श्री डागा ने कहा, कार्यकारी मजिस्ट्रेट राज्य सरकार का कर्मचारी है । इसलिए उसे राज्य सरकार के आदेश का पालन करना पड़ेगा । वस्तुत: मैंने सोचा था कि यह विधेयक पहले से अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया होगा और भली भांति तैयार किया गया होगा । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । मैं समझता हूं कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का परिणाम अव्यवस्था फैलाना होगा ।

केवल यही नहीं, हम राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दे रहे हैं । वास्तव में, हम, डी० एम० के० वाले, राज्य सरकार को अधिक अधिकार देने को कह रहे हैं, परन्तु राजनीतिक विरोधियों या अन्य के दमन के लिए नहीं । यह अलग प्रश्न है । इस मामले में राज्य सरकारों को अधिकार, किए गए हैं । उदाहरणार्थ, मेरा अपना अनुभव है । एक काश्तकार 15 से अधिक वर्ष से भूमि के एक टुकड़े पर खेती बाड़ी कर रहा था । एक दिन स्थानीय सत्ताधारी दल के एक विधायक ने उसे जमीन खाली करने को कहा । यह करीब एक साल पहले की बात है। काश्तकार उस एम० एल० ए० के अत्याचारों के विरोध में कोर्ट में गया । मामला उच्च न्यायालय में गया । प्रश्न यह था कि भूमि का कब्जा किसके पास था । उच्च न्यायालय ने काश्तकार के पक्ष में फैसला दिया । फैसला 11 या 12 बजे दोपहर को किया गया । उसी दिन, पोल्लाची नगर में निर्णय पहुंचने से पहले, स्थानीय एम० एल० ए० ने कुछ गुण्डों के बल पर काश्तकार से रातोंरात जमीन जबरदस्ती खाली करवा ली । अगली सुबह आर० डी० ओ०, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये इसका अर्थ यह हुआ कि अब कोई उस खेत में प्रवेश नहीं कर सकता । इसलिए मैं और मेरे जिला सचिव नामे श्री कानप्पन, भूतपूर्व मंत्री तथा अन्य उस स्थान पर कार्यकारी

मजिस्ट्रेट से मिलने गए। हमें रास्ते में गिरफतार कर लिया गया और एक सप्ताह के लिए कारावास दिया गया जिसका कारण अनुच्छेद 145 के अधीन घोषित आदेशों का विरोध करने का हमारा इरादा था। इस मामले में हमें बन्दी बनाया गया। अगर ऐसे अधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हाथों में दिए जाते हैं तो निश्चय ही इसका दुरुपयोग होगा। यदि सरकार किसी विशेष अपराधी या किसी विशेष वर्ग से निबटना चाहती है तो मेरा सुझाव है कि हम जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारों वाला एक विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्ति कर सकते हैं जो अन्य मामलों पर भी कार्यवाही कर सकें क्योंकि सभी न्यायालयों में विभिन्न मामले लम्बित पड़े हुए हैं। वे विशेष अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्थिति में होंगे। अत: मेरा सुझाव है कि कार्यवाही मजिस्ट्रेट के बजाय हम विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त पर सकते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे।

दूसरे इस मामले में राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। फिर भी अन्य महत्वपूर्ण बात जमानत की है। यहां अधिकार पुलिस के हाथ में है। एक पुलिस अधिकारी कह सकता है कि जमानत मंजूर की जाए या नहीं। अत: राज्य सरकार को अधिक अधिकार प्राप्त हैं और वे विपक्षी दलों का दमन कर सकते हैं। जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, यदि कोई कहता है 'तमिलनाडु की एम० जी० आर० या ए० डी० एम० के० सरकार" तो इसके बारे में कोई नहीं जानता। हमारी वर्तमान सरकार "307 सरकार", कहलाती है। कुडुमपेट नामक साधारण अपराध के कारण धारा 307 लागू की जा रही है। उदाहरणार्थ, मेरे चुनाव-क्षेत्र में सेवराज नामक 18 वर्षीय एक कालेज विद्यार्थी ने एक बस पर पत्थर फेंक दिया और उसे धारा 307 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। कोई जलूस निकालने पर भी 307 लागू होती है। हर बात के लिए धारा 307 लागू होती है। विधेयक के पृष्ठ 2 पर यह कहा गया है : "ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाना चाहिए जिसका अपराध प्रज्ञेय अपराध हो और वह पहले भी ऐसे अपराध में दोषी पाया गया हो जिसकी सजा मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास अथवा सात वर्ष या अधिक कारावास हो या वह पहले ही दो या उससे अधिक बार गैर-जमानती या प्रज्ञेय अपराध में दोषी पाया गया हो।" इस मामले में, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। मद्रास, तमिलनाडु में कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किए जा रहे हैं। मद्य निषेध के बारे में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसे दण्डित किया जाएगा। सभापति महोदय, क्या आप जानते हैं कि दण्ड क्या होगा ? यह पांच वर्ष या सात वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों ही होंगे। यह गैर-जमानती धारा है।

[श्री सी० टी० वंडपाणि]

तमिनाडु में इस अध्यादेश का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मानलो कोई व्यक्ति दो बार शराब पीता है या दो बार दोषी पाया जाता है, तो उसकी किसी भी न्यायालय में कभी भी जमानत नहीं होगी। इस मामले में, प्रत्येक को कई तरह से दण्डित किया जाएगा। मैं मद्य-निषेध संबंधी तमिनाडु अध्यादेश के बारे में 3 अक्तूबर, 1978 के इकानॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली का उद्धृण दे रहा हूं। इसके अनुसार "अध्यादेश की एक विशेषता यह है कि एक निश्चित अवधि के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को निष्कासित करने हेतु अधिकारियों को यह अध्यादेश प्राधिकार देता है।" अत: किसी व्यक्ति को उसकी जगह से दूसरी जगह निष्कासित किया जा सकता है। इस प्रकार, जन साधारण की स्थिति क्या होगी ? इस विषय में कई बातें मैं कहना नहीं चाहता। इसी तरह दूसरा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा रहा है। मान लो बांस उगाने वाले या कृषक बकाया नहीं चुकाते तो वे भी दण्डित किए जाएंगे। यह अपराध कम से कम दो वर्ष तथा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक की अवधि के लिए दण्डनीय है ; और न्यूनतम जुर्माना 3000 रुपये तथा अधिकतम जुर्माना 5000 रुपये है। इसके बाद एक और अध्यादेश है।

राज्य सरकार ऐसा कर रही है। इस प्रकार ये सारे दमनकारी क्रिया कलाप किये जा रहे हैं। तमिनाडु तथा अन्य स्थानों पर भी विपक्षी दलों के दमन के लिए राज्य सरकार इस विधेयक का उपयोग करेगी। श्री जगन्नाथ राव ने इसका हवाला दिया था और कहा था क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था की समस्या तथा समाज के विषय में नहीं जानते, अत: यह शक्ति कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दी गई थी। वहां पुलिस है और पुलिस स्वयं यह सारी कार्यवाही कर रही है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकेला ही सब बातों को समझ सकता है, यह आवश्यक नहीं है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट गलती करता है और स्थानीय सरकार, राज्य सरकार की सुविधानुसार स्थिति पैदा करता है। यह उन व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है जो वहां पर रहते हैं। इसके अनुसार खण्ड 5(ग) की उप धारा 4 में 'कारण' शब्द के स्थान पर कारणों अथवा विशेष कारणों शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। कारण का अर्थ है कारण। विशेष कारण क्या होंगे। कुछ-न-कुछ तो कहा गया होगा। परन्तु इस मामले में सरकार क्या करने जा रही हैं ? इस प्रकार की शब्दावली जन साधारण को भ्रमित कर रही है।

खण्ड 7(ख) के अनुसार इसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को केवल उसके ही बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा। इस बारे में पुलिस अधिकारियों के अधिकारों को हटा दिया जाना चाहिए। मैं न्यायालय को समझ सकता हूं। परन्तु पुलिस तो राज्य सरकार के हाथों में हैं।

खण्ड 8 के अनुसार यदि राज्य की विधान सभा संकल्प के माध्यम से अनुमति दे दे तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से अधिनियम क्रियान्वित कर सकती है।

राज्य सरकार को यह सब करने के अधिकार दिए जा चुके हैं। आपने राज्य, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए हैं। परन्तु जब राज्य सरकार स्वयं ऐसे कार्य करे तब आप क्या करेंगे ? क्या कोई व्यवस्था है ? कोई व्यवस्था नहीं। तमिलनाडु में विल्लूपुरम को लें। उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया था कि जो विभिन्न वर्गों और सम्प्रदायों के बीच शत्रुता पैदा करेगा, उससे सख्ती से निबटा जाएगा। विल्लूपुरम में सत्ताधारी दल के एक एम० एल० ए० ने हरिजनों और अन्य सम्प्रदायों के बीच कटुता पैदा कर दी थी। कई हरिजन मारे गए। एक आयोग गठित किया गया और डेढ़ वर्ष बाद रिपोर्ट पेश की गई। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कोई राज्य सरकार इस प्रकार इस विधेयक की भावना का उल्लंघन करती है तो उसके लिए आप विधेयक में क्या उपबन्ध करेंगे ? एक अन्य स्थान पालाकोडी में तमिलनाडु के सत्ताधारी दल के एक भूतपूर्व संसद सदस्य ने मुसलमानों को मारा और उनकी दुकानों में आग लगा दी। वे इसी सभा में संसद सदस्य थे। वे इन सब बातों के जिम्मेदार थे परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। पेरनामपेट में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हुए संघर्ष के लिए सत्ताधारी दल जिम्मेदार था। केरल में भी यही हो रहा है; वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सत्ताधारी दल के बीच संघर्ष हुए हैं। समाचार पत्रों में छपा था विद्वान व्यक्ति श्री नम्बूद्रीपाद ने कहा कि यदि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने हम पर हमला किया तो हम बदला लेंगे। नम्बूद्रीपाद जैसे बड़े नेता, अन्तर्राष्ट्रीय नेता का ऐसा कहना उचित नहीं है। आप क्या कर रहे हैं ? इसके पृष्ठ 7 पर कहा गया है "निम्नलिखित अधिनियमों अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 आदि·····में से एक या अधिक के अन्तर्गत कोई अपराध·····मुझे मेरे मित्र, भूतपूर्व मंत्री माननीय श्री सतीश अग्रवाल से कोई जानकारी मिली थी। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में फंसे हुए थे।

सभापति महोदय : अब हमें ऐसी बातें नहीं उठानी चाहिएं।(**व्यवधान**)

श्री माया तेवर (डिन्डिगल) : वे इस बात को नहीं उठा रहे। केवल वर्णन कर रहे हैं।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्णाकुलम): फिर भी वे वर्णन कर रहे हैं, यह बहुत अनुचित बात है यह गैर संसदीय है। वह भी अफवाह, माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल यहां हैं। (**व्यवधान**)

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्री अराक्कल मेरे मित्र हैं। (**व्यवधान**)

श्री के० माया तेवर : उन्हें भी मालूम होना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्री अराक्कल भी यह जानते हैं।

श्री के० माया तेवर : एम० जी० आर० के लिए वकालत नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : आप किसी और विषय पर आयें।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यही तो मैं कह रहा हूं। विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघर करने का एक मामला उनके विरुद्ध था। वह मामला आठ वर्ष से अधिक समय तक चला था। जनता पार्टी सरकार के दौरान वह मामला समाप्त कर दिया गया।

एक माननीय सदस्य : किसलिए ? क्यों ? (व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं कारण नहीं जानता कि यह क्यों समाप्त कर दिया गया।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : आप उनसे पूछ सकते थे। (व्यवधान)

श्री के० माया तेवर : भूतपूर्व प्रधान मंत्री इसे समाप्त कर देना चाहते थे।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मुझे इस बारे में श्री सतीश अग्रवाल से पता चला कि इसे समाप्त कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : बहुत सी बातें आपको वार्तालाप से पता लगीं, वे उद्धृत नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यह एक जांच थी, कोई मामला नहीं। जांच हमेशा संदेह पर की जाती है। कई जांच तो पिछले आठ दस साल से चल रही हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या इसे समाप्त कर दिया गया ?

श्री सतीश अग्रवाल : जी हां, इसे समाप्त कर दिया गया। यह भी एक जांच थी।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरा यह उद्देश्य नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप तथ्य बता रहे हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्री अराक्कल के हित के लिए भी। अतः इस विषय में, केन्द्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से कुछ लोगों को कुछ अधिकार दे रही है—चाहे वे कार्यकारी हों या न्यायिक—जो ऐसे क्रिया-कलापों में लिप्त रहें जो कानूनी नियमों के विरुद्ध हों। मैं यह सब बातें जानना चाहता हूं, सरकार इस विधेयक के सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। अतः यह कहकर मैं यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में यह विधेयक न्याय पालिका को कोई सहायता नहीं देगा।

अतः मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इन बातों पर विचार करें और एक ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें जो जनता और न्यायपालिका दोनों के लिए सहायक हों।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108, 109 और 110 के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करना है। इस उपबन्ध पर प्रथम आक्षेप यह है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका की अपेक्षा अधिक मजबूत बनाया जा रहा है और न्यायिक शक्तियों को कम किया जा रहा है। मेरा सविनय निवेदन है कि न्यायिक शक्तियों के क्षण का यहां कोई भी इच्छुक नहीं है। न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा होना चाहिये उसके अधिकार क्षेत्र में ही। यदि धारा 108, 109 और 110 अपराध के प्रश्न का उल्लेख करती हैं तो जहां किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है या अभियोग चलाया जाता है उसे अन्ततः एक अपराधी के रूप में घोषित किया जायेगा और दोष उस पर मढ़ा जाएगा और आजीवन एक अपराधी के रूप में उसे देय दृष्टि से

देखा जाएगा। अतः मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकारी से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए तथा सम्बद्ध व्यक्ति को, प्रक्रिया की समस्त बारीकियों के अनुरूप अपने बचाव का अवसर दिया जाना चाहिए। परन्तु धाराएं 108, 109 और 110 अगस्त अपराधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के सम्बन्ध में है। अतः यह ठीक ही कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में है और इसलिए मामला कार्यपालिका अभिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए। वास्तव में, कुछ वर्ष पूर्व मेरे राज्य में इन धाराओं के अधीन शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई थीं और सम्बद्ध पार्टियों के साथ न्याय करने के विचार से इसे बहुत असुविधाजनक पाया गया। एक बार उन्हें तथाकथित न्यायिक शक्तियों के अधीन निगरानी में रखा जाए तो बहुत दिनों तक तो निर्णय दिया ही नहीं जाता। इसीलिए इन धाराओं के अधीन प्रदान की गई शक्तियों को फिर से कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंपने की बात उठी।

श्री जगन्नाथ राव द्वारा उठाया मुद्दा भी उतना ही महत्व पूर्ण हैं, अर्थात् कर्मचारी मजिस्ट्रेटों को विधि और व्यवस्था की स्थिति की बेहतर जानकारी होती हैं। अतः ऐसे मामलों में वे कहीं अधिक अच्छा न्याय दिला सकते हैं। एक बात तो है कि विधान के इस अंश द्वारा हम विधि और व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा सुधार करने नहीं जा रहे हैं। यह तो विधान का एक बड़ा ही साल और छोटा सा भाग है। विधि और व्यवस्था तो पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति आदि से बनती बिगड़ती रहती है। इसमें तो हम अपने आपको एक क्षेत्र तक सीमित कर रहे हैं अर्थात सामाजिक क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों तक ही। यदि पर्यावरण प्रदूषण होता है, यदि नगरों के फैलाव से परिवहन, जल, विद्युत आदि जैसे मूलभूत ढांचों में गड़बड़ होती है, कमी आती है तो इससे अपराधों में वृद्धि होगी। यह अधिनियम प्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार के अपराधों या अपराधिक गतिविधियों को कम करने में सहायक नहीं होगा। इसी प्रकार यह अधिनियम उस आर्थिक क्षेत्र में भी पदार्पण नहीं करता है जहां आप पाते हैं कि गरीबी रेखा का स्तर बढ़ रहा है 1964-65 में यह 44% था। अब यह बढ़कर 48% हो गया है। अतः जब गरीबी का स्तर बढ़ रहा है तो अपराधों में वृद्धि अवश्य होगी। उस स्थिति में इस विधेयक में उस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से सुधार होने वाला नहीं है। इसका क्षेत्र तो बहुत ही छोटा और सीमित है जिसमें केवल सामाजिक क्षेत्र का, पुराने अपराधियों, अपराधियों और असामाजिक-तत्वों का उल्लेख किया गया है तथा पर्यावरण प्रदूषण या आर्थिक-क्षरण के कारण बढ़ रहे अपराधों का कोई उल्लेख नहीं किया है। केवल उन अपराधों के सम्बन्ध में ही यह विधेयक कुछ प्रभावी कदम उठाने के लिए ही है। जहां तक प्रथम उपबन्ध का सम्बन्ध है, चूंकि यह विशिष्टतया कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार में है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में हम तो इस बात का स्वागत करते हैं कि 108, 109 और 110 धाराओं के अधीन शक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर दिया गया है।

इन शक्तियों और धारा 478 के उपबन्धों के बारे में गलत धारणा है। धारा 478 के अधीन जिस सिद्धान्त को अब संशोधित किया जा रहा है वह कोई अलग से उपबन्ध या सिद्धान्त नहीं है। इस सिद्धान्त को तो पुराने कानून के अन्तर्गत पहले से ही स्वीकृत किया हुआ है। यह तो स्वागत योग्य सिद्धान्त है। यदि आप किसी राज्य में इन शक्तियों के कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को प्रदान किए जाने से सन्तुष्ट नहीं हैं तो यदि आपकी विधान सभा विधान बनाकर स्वीकृति देती है तो आप इन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अन्तरित कर सकते हैं। पहले तो यह काम विधान मंडल करती थी। परन्तु नियम तो

[श्री ए० टी० पाटिल]

वही है। मैं यह समझ नहीं पाता कि हम इस उपबन्ध को लेकर क्यों लड़े जबकि उसमें तनिक-सा ही अन्तर है। अन्तर यह है कि पहले तो शक्तियां विधान मंडल को दी गई थीं। उसके लिए ये शब्द थे "यदि राज्य विधान मंडल किसी संकल्प द्वारा ऐसा चाहती है।" वर्तमान उपबन्ध में कहा गया है "यदि किसी राज्य का विधान मंडल किसी संकल्प द्वारा ऐसी अनुमति देता है।" यदि आप विधान मंडल शब्द का प्रयोग करते हैं और यदि दो सदन हैं तो उस स्थिति में दोनों ही सदनों को संकल्प को पास करना चाहिये। चूंकि वर्तमान उपबन्ध में "विधान सभा" शब्द का उल्लेख है और यदि विधान सभा में कोई संकल्प पास हो जाता है तो इतना ही पर्याप्त है। अत: यह केवल एक अनुज्ञा देने वाला उपबन्ध है। धारा 108, 109 और 110 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों को शक्ति अन्तरित करने के लिए आपका स्वागत है। उनको न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपने से आपको कोई भी नहीं रोकता है? सच तो यह है कि यदि इन दो धाराओं को एक साथ पढ़ा जाए तो किसी प्रकार की लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि यह सिद्धान्त तो पहले से ही स्वीकृत है तथा लागू हो चुका है कितने राज्यों ने, या विधान-सभाओं ने अथवा विधान मंडलों ने ऐसा संकल्प पास किया है यह एक बिल्कुल भिन्न बात है परन्तु उन्हें तो पहले से ही शक्ति प्रदान की हुई है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई नया सिद्धान्त तैयार कर रहे है। यह सिद्धान्त तो पहले से ही स्वीकृत है।

इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है :

"संहिता की उपरोक्त धाराओं 108, 109 और 110 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सुरक्षा कार्यवाही करने हेतु शक्ति के अन्तरण का उपबन्ध करना।"

परन्तु इसमें कोई परस्पर-विरोधी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस उपबन्ध के बारे में कोई गलत धारणा हो गयी है। जो कुछ उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है वह सही है।

जहां तक अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, हम विधि और व्यवस्था के प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में हम केवल विशिष्ट अपराधों के मामले में जिला-मजिस्ट्रेटों को समवर्ती शक्ति प्रदान कर रहे हैं, न कि सभी अपराधों के मामले में। यह भी केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-ख और धारा 505 की उप धारा (2) और (3) के बारे में ही है क्योंकि इन दोनों धाराओं में इसी प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है। धारा 153-ख में धर्म या जाति आदि के आधार पर लोगों के दो वर्गों के बीच झगड़ा करने हेतु सूचना का प्रसारण करना या कोई पत्र आदि वितरित करना आता है। ये धाराएं समान हैं और समान उद्देश्य का उल्लेख उनमें हैं। नया उपबन्ध इसलिए तैयार किया गया है जिससे कि जिला मजिस्ट्रेट इसी सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकें और न कि सभी मामलों में।

अत: जब हम विधि-उपबन्धों की जांच करें तो वह हमें उचित परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए, उचित प्रकाश में करना चाहिए। इसमें जिला मजिस्ट्रेट को अभियोजन की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। वह अभियोजन नहीं करता, वह तो केवल स्वीकृति देता है. वह किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं करता, वह तो केवल इतना भर कहता है "मैं उस व्यक्ति के अभियोजन की स्वीकृति देता हूं।" बजाय इसके कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कार्यवाही करे, जिला मजिस्ट्रेट ऐसा करता है।

साम्प्रदायिक झगड़ों और दंगों के बारे में इस सभा में काफी चर्चा हो चुकी है। बहुत से माननीय सदस्यों की यह शिकायत है कि सरकार तत्परता एवं शीघ्रता से कार्यवाही नहीं करती। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार शीघ्रता से कार्यवाही कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला मजिस्ट्रेट या सम्बद्ध जिले के अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट आनी चाहिए। केवल तभी केन्द्रीय या राज्य सरकार मामले पर विचार कर सकती है, और कोई निर्णय लेकर उस पर कार्यवाही कर सकती है। चूंकि जिला मजिस्ट्रेट और जिले में बैठा अधिकारी दूर बैठे प्राधिकारी से जो चाहे दिल्ली में बैठा हो या राज्य की राजधानी में, मामले को कहीं अधिक अच्छी तरह से जानता है तो क्या यह अच्छा नहीं है कि समवर्ती शक्ति उसे दे दी जाए? हमें याद रखना चाहिए कि शक्ति तो अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने तक ही सीमित है। ये छोटी बातें हैं, छोटे क्षेत्र हैं, जिनमें समवर्ती शक्ति जिला मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जाती है। इस प्रकार के मामलों में शीघ्रता से निपटाने या शीघ्रता से उन पर कार्यवाही करने हेतु और वह भी उन सीमित क्षेत्रों में जहां साम्प्रदायिक झगड़े हों, विशेषकर जब इस सभा में निवारक कार्यवाही हेतु बार-बार मांग की जाए, यदि हम कोई ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो विधि के अधीन प्राधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने योग्य बनाएगी तो इस पर कोई आपत्ति क्यों उठाई जाए।

अब मैं जमानत की बात लेता हूं। जमानत के बारे यह में शिकायत की जाती है कि नागरिक की स्वतन्त्रता को छीन लिया जाता है। मेरा यह मत है कि यह तो आपराधिक न्याय का एक दर्शन है। प्रश्न तो यह है कि आया प्रतिकारी दण्ड सिद्धान्त को अपनाया जाए या सुधारात्मक दण्ड सिद्धान्त को। सुधारात्मक-दण्ड शीर्ष के अधीन निषेधात्मक दण्ड भी आएगा। आज की परिस्थितियों में जबकि अपराध बड़ी तेजी से बढ रहे है और जब राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति को खराब करने के लिए, कभी-कभी ऐसे लोगों द्वारा अपराधियों को उकसाया जाता है जो अपराध को भड़काने, में रुचि रखते हैं तो, मेरे विचार से तो हमें निषेधात्मक सिद्धान्त का अनुशरण करना चाहिए। इस धारा में बहुत ही थोड़ी सीमा तक यह बात कही गई है कि यदि वह पुराना अपराधी है तो उसे सम्बद्ध मजिस्ट्रेट के सुपुर्द रहना चाहिए और यदि उसे किसी अपराध विशेष के मामले में पहले ही दो बार सजा मिल चुकी है तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस धारा में कहा गया है :

> "ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जायेगा यदि ऐसा अपराध अवेक्षणीय अपराध है और यदि उसे पहले ही किसी ऐसे अपराध में दोषी पाया गया था जिसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास या सात वर्ष या अधिक के कारावास की सजा हो सकती थी या पहले भी वह एक या दो बार गैर-जमानती और अप्रक्षणीय अपराध में दो या तीन बार दोषी ठहराया गया था;"

जब किसी व्यक्ति की अपराधिता अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी है और आप उसे जमानत पर छोड़े जाने का अवसर दे रहे हैं तो मेरे विचार में आप उसे कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति दे रहे हैं। अगर आप अपराधों को रोकना चाहते हैं तो आपको अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आना होगा और यह आवश्यक है कि कड़ी कार्रवाही की जाए। इसलिए मैं इस उपबन्ध का समर्थन करता हूं।

किसी के भी मन में कोई भय या आशंका नहीं होनी चाहिए कि उसे वहां बहुत ज्यादा समय के

[श्री ए० टी० पाटिल]

लिए रखा जाएगा। यदि वह जमानत पर रिहा नहीं किया जाता तो अभियोग पक्ष पर यह जिम्मेदारी आती है कि वह सुनिश्चित करे कि मामले को शीघ्र निबटाया जाए। यदि वह दोषी ठहराया जाता है तो इस मामले में उसकी सजा में से उसके जेल में रहने की अवधि घटा दी जाएगी। इसलिए एक तरह से यह ऐसे व्यक्तियों तथा सम्पूर्ण समाज के लिए भी अच्छा उपबन्ध है।

मुझे धारा 6 के अन्तर्गत सिविल जेल में कारावास के उपबन्ध पर जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सिविल कानून में आपको ऐसे उपबन्ध मिलेंगे और इसलिए इस विषय में कुछ गलत नहीं है।

धारा 7 के अन्तर्गत बांड के निरसन के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि पेशेवर जमानतदारों, जो समाज पर कलंक हैं, पर नियन्त्रण करना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि ऐसे विधेयक लाए जाते हैं तो कृपया उनका समर्थन करें।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, पूरे इतिहास में हमने देखा है कि जब कभी शासकों या शक्तियों ने, जिन्होंने तानाशाही ताकतों को अपने हाथों में लेना चाहा, सदा ही अधिक शक्तियों के लिए शोर मचाया। मेरा सुझाव है कि वर्तमान नियमों के उपबन्ध, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा आपराधिक दण्ड संहिता, वर्तमान स्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त हैं। परन्तु शासक कहेंगे कि समय असामान्य उपायों की असाधारण मांग करते हैं। तब इस बहाने वे अपने आपको अधिक शक्तियों से सज्जित करना चाहेंगे जो बिलकुल अनावश्यक है और वे अपने हाथों में ऐसी शक्तियां लेते रहेंगे।

वर्तमान सत्ताधारी दल सत्ता सम्भालने के बाद से निरन्तर अधिक शक्तियों के लिए शोर मचा रहा है जैसे कि अकाल पीड़ित क्षेत्र से आया भूखा व्यक्ति शोर मचाता है और चाहता है कि चाहे कहीं से भी मिले वह अधिक से अधिक भोजन हथिया ले। इसी प्रकार वर्तमान सरकार अपने आपको ज्यादा शक्तियों से सज्जित करने के लिए शोर मचा रही है। (व्यवधान)

अपने आपको इन शक्तियों से सज्जित करने का भी एक कारण है। अप्रैल में मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था और उन्होंने सिफारिश की थी कि आदतन अपराधियों और साम्प्रदायिक कलह फैलाने वालों के विरुद्ध कानून के उपबन्धों को दृढ़ किया जाए। सतही तौर पर देखने पर इसमें कोई बुराई नहीं है कि आदतन अपराधी दण्डित हों और साम्प्रदायिक कलह फैलाने वाले तथा असंगत व्यक्तियों (से स्पष्टीकरण मांगा जाए) तब सभी सरकार की प्रशंसा करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि यही वास्तविक उद्देश्य है और यदि आप ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु वास्तविकता कुछ और है। अब अध्यादेश लाया गया था। इससे पहले, मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उन्होंने कई सिफारिशें की थीं। उसके बाद मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। अधिक शक्तियों से लैस होने की आवाज मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उठाई गई थी। वह सम्मेलन 30 सितम्बर को हुआ था। मुख्य सचिवों व मुख्य मंत्रियों ने क्या कहा ? उन्होंने कहा कि वर्तमान आपराधिक दण्ड संहिता के उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं।

वे अपराधों का पता लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन चाहते थे। यही कारण बताया गया।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव ने भी यह मांग की थी ।

श्री रतन सिंह राजदा : इसके बारे में आप श्री वेंकट-सुब्बया से पूछें ।

श्री ए० के० राय : आपको इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए अन्यथा इससे यह गलत धारणा पैदा हो जाएगी कि उन्होंने भी भाग लिया ।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं आपकी बात की सराहना करता हूं । उन्होंने कहा कि अपराधों का पता लगाने के लिए यह संशोधन जरूरी है जिससे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे इस प्रयोजन में बाधा पड़ती हो, किन मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को लाया जा रहा है ? पहले दोषियों, जो संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधों के लिए दोषी पाए गए, के बारे में कुछ प्रावधान हैं । साधारणत: उनके लिए अदालत जमानत की इजाजत नहीं देती । न्यायालय उन्हें विशेष हालतों में कारण रिकार्ड करके ही रिहा करती है । हाजिरन होने पर जमानती को जेल भेजा जा सकता है । इसके अलावा, जमानत रद्द भी की जा सकती है ये सभी संशोधन औपचारिक हैं ।

लेकिन मुख्य बात यह है कि संशोधन विधेयक कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अधिकार प्रदान करता है । जो व्यक्ति सर्वसाधारण की आजादी का ध्यान रखता है । वह इन प्रावधानों का विरोध ही करेगा ।

कोड सैशन जज तथा उच्च न्यायालय की निगरानी में काम करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा जिला मजिस्ट्रेट के अधीन काम करने वाले कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के कार्यों का सीमांकन करता है । इसका कारण क्या है ? इसका एक दिलचस्प कारण है ।

जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों की कुछ शक्तियों को 1973 के संशोधित कोड द्वारा कम किया गया था । मुख्य मंत्री चाहते हैं कि इन शक्तियों को फिर उन्हें दिया जाए । यहां बात बस से बाहर है ।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : इसके द्वारा अधीक्षकों को कौन सी और शक्तियां दी गयी हैं ?

श्री रतनसिंह राजदा : राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के पक्ष में नहीं हैं, जिसकी व्यवस्था 1973 के संशोधित कोड द्वारा की गयी थी । इसीलिए इस बारे में आवाज उठी है और वे इन कम की गयी शक्तियों को फिर उन्हें देना चाहते हैं । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यही है ।

नियन्त्रण और सन्तुलन प्रणाली को पूर्णत: हटाए जाने का विचार है । कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, जो सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में रहेंगे, को अत्याधिक शक्तियां दी जाएगी और वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, कानून के ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा परोक्ष रूप से कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं । यह एक सबसे बड़ा खतरा है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह नागरिक की आजादी को आघात पहुंचाने वाले निरंकुश संशोधन को न लाएं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संशोधन को लाने से पहले वह इस बारे में हजार बार सोच लें । उसके बाद प्रेस की आजादी का प्रश्न उत्पन्न होगा । इन प्रावधानों द्वारा प्रेस आजादी को

[श्री रतन सिंह राजदा]

गहरा धक्का पहुंचेगा। हम जानते हैं कि संशोधन करने वाली यह 108 धारा शान्ति के लिए खतरा है। इसकी तुलना आपातकालीन स्थिति के दौरान पेश किए गए संविधान के 42वें संशोधन से की जा सकती है। आपत्तिजनक मामलों का प्रकाशन अधिनियम के 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इस तरह एक आपत्तिजनक कानून की रक्षा की गयी। अब इसी प्रकार का संशोधन लाया जा रहा है और प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री की काटछांट की जाएगी, इसे प्रकाशित नहीं होने दिया जाएगा और जो भी इसे प्रकाशित करेगा उसे थोड़े ही केश पर जेल में भेजा जाएगा और दंडित किया जाएगा। उन पर दबाव डाला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये संशोधन जनविरोधी तथा निरंकुश हैं, जो लोगों की आजादी को कम करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अनुरोध करूंगा कि इन संशोधनों को वापिस लिया जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि अधिनियम के वर्तमान प्रावधान देश की वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आज सदन में कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) बिल 1980 प्रस्तुत किया गया है। उसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई, 1971 में हमारी खुद की, कांग्रेस पार्टी की, सरकार थी, उस वक्त हमने इसमें बहुत बढ़िया-बढ़िया अमेंडमेंट्स किए थे, जोकि वास्तव में जनता के हित में थे। लेकिन आज ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि फिर कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट कर रहे हैं। जब हम जुडिशियरी को महत्ता देते थे, हमने कलीयरली मान लिया था—सैपरेशन आफ जुडिशियरी को। हमने आर्टिकल-50 आफ दि कान्स्टीट्यूशन में मान्यता दी। लेकिन अब ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई और ऐसे कौन से बड़े भारी जुर्म हो गए हैं कि हमको इसमें अमेंडमेंट करना पड रहा है। 107 के अन्तर्गत जबकि ज्यादा आफेंसिस होते हैं और मजिस्ट्रेट को एक्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं कि वह स्थिति को सख्ती से कन्ट्रोल को और सख्ती से कन्ट्रोल करने के लिए 151 में अरैस्ट करने का भी प्रावधान है, जिससे कि वह लॉ-एंड-आर्डर को कन्ट्रोल करते हैं। आज 109 के अन्तर्गतसस पैक्टेड-वैगरेन्टन-पर्सन्स को, मैं खुद प्रैक्टिस करता था, मुझे मालभ है कि पुलिस जनरल आदमियों को, निरअपराध आदमियों को पकड़ लेती थी और ऐसे केसेज कोर्ट में आते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे लॉ-एंड-आर्डर सिचूएशन पर कोई बहुत बड़ा इफैक्ट नहीं पड़ता है।

दूसरे, मैं हैबिचूअल आफेंडर्स के बारे में कहना चाहता हूं। जो हैबिचूअल आफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ आपने इस बिल में स्ट्रिक्ट प्रोवीजन बना दिए हैं, बेल के लिए स्ट्रिक्ट प्रोवीजन बना दिए हैं, जिसको मैं सपोर्ट करता हूं।

इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक बेल के जो प्राविजन्ज हैं, वे काफी स्ट्रिक्ट नहीं हैं, लीनिएन्ट हैं और आफेन्स करने वाले उनका अनडयू एडवान्टेज उठाते हैं। इस लिये इस बिल में अब जो प्रावीजन किया गया है वह खास तौर से हैबिचुअल आफेन्डर्स के लिये है। जो आदमी दो बार आफेन्स करले उस के लिये कागनिजिविल और नान-बेलेबल प्रावीजन होना चाहिए, जिसकी इस बिल में व्यवस्था की गई है, इस लिए मैं इस प्रावीजन को सपोर्ट करता हूं। लेकिन जहां तक एक्जीक्यूटिव को अधिकार देने का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पहले ही बहुत काम है। रेवेन्यू

के मामले होते हैं, दूसरे मामले होते हैं। एक महीने के अन्दर हमारे सब-डीविजनल मजिस्ट्रेटस 20 दिन तो टूर करते हैं, जिससे दफा 107 के केसेज के डिस्पोल में भी दो-दो और तीन-तीन साल लग जाते हैं और जब इन केसेज के डिस्पोजल का भार उन पर पड़ेगा, तो जाहिर है कि इसमें बहुत ज्यादा डिले होगी।

इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं—डागा सहाब ने जो जानकारी चाही थी, आप पहले उस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कीजिये, पूरी तरह से केसेज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है—दफा 108, 109 और 110 इस प्रकार के केसेज बहुत कम होते हैं। इस लिए मेरा कहना है कि जुडिशियरी में डिस्पोजल जल्दी होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी है? आर्डिनेन्स को जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि एक महीने बाद यह मामला आता तो इस में कौन सा आकाश टूट जाता? आपकी इस कार्यवाही से आज हम को अपोजीशन का क्रिटिसिज्म सुनना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी में हम इस प्रकार का क्रिटिसिज्म क्यों सुनें। गवर्नमेंट की भूल से हमें इस प्रकार का क्रिटिसिज्म सुनना पड़े यह ठीक नहीं है।

इसके अन्दर एक प्रावीजन है—

"यह भी शर्त है कि खण्ड (ii) में उल्लेखित व्यक्ति के रिहा करने के लिये न्यायालय आदेश देगा यदि उसे सतोष हो कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायपूर्ण तथा उचित होगा"

इसमें जो "स्पेशल रीजन्ज" का प्रावधान किया है, बेल के मामले में लोग इसका फायदा उठा लेंगे, क्योंकि इस में कोर्ट्स का डिस्क्रीशन है। यदि कोर्ट्स ठीक ढ़ग से अपनी डिस्क्रीशन को एक्सरसाइज नहीं करती है तो फिर इन्साफ नहीं होगा। इसलिये "स्पेशल रीजन्ज" को स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहिए था ताकि स्पष्ट हो जाय कि ये रीजन्ज क्या हों।

शोयर्टी के बारे में जो प्रावीजन किया है—वह ठीक है। आजकल श्योरिटी देने वालों की एक प्रोफेशनल क्लास लग गई है, कोर्ट्स में बैठे रहते हैं। अब इस में जो प्रावीजन किया गया है कि यदि कोई श्योरिटी की राशि न दे जो उसका इम्प्रीजनमेंट हो सकता है—यह अच्छा प्रोवीजन है और मैं इस का समर्थन करता हूं।

इसके क्लास 8 में धारा 478 को बदला है, जिसमें यह प्रावीजन किया है कि अब यह अधिकार एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी होगा। मैं यह समझता हूं कि यह काम तो असेम्बली चाहती तो स्वयं कर सकती थी, आप को इस प्रकार के प्रावीजन की आवश्यता क्यों पड़ी? जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के यहां इन्साफ जल्दी होता। इस लिये मेरा कहना है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का क्लाज है वह इसमें रहना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं—इसमें जो ओरिजनल प्रावीजन था, वह 1973 में बहुत सोच-समझ कर किया गया था। उस समय श्री राम निवास मिर्धा जी ने उस बिल को पायलोट किया था, उस पर पूरा डिस्कशन हुआ था और उन्होंने उस वक्त उन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया था, पूरी तरह से रीजन दिये थे। इस लिये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सी स्थिति पैदा हो गई है जिस से इस को बदला गया है। मैं यह चाहता हूं कि इसके

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन

बारे में जो हम ने एमेंडमेंट रखे हैं उन को आप मान्यता दें और 'जुडीशियल मजिस्ट्रेट' शब्द जो हैं, वे इसमें रहने दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं परन्तु कंडिशनली और पार्शियली इस को सपोर्ट करता हूं।

सभापति महोदय : श्री योगेन्द्र झा।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री योगेन्द्र झा संयुक्त समिति के सदस्य थे।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरे मित्र ने सभा को याद दिलाया है कि मैं संयुक्त समिति का सदस्य था मैं संयुक्त समिति का सदस्य अवश्य था लेकिन संयुक्त समिति द्वारा मेरे सुझावों को स्वीकार न करने पर मुझे अपनी असहमति की टिप्पणी देनी पड़ी। विधेयक को राज्य सभा ने पारित कर लिया था। मैंने लोक सभा के कुछ मित्रों की सहायता से विधेयक को फिर राज्य सभा को भिजवाया जिसके बाद कुछ अच्छे प्रावधान जोड़े गये तथा स्वीकार किये गये। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता भारत के साधारण नागरिकों के लिए पहले की अपेक्षा कुछ कम असहनीय बनी। लेकिन उसके बाद नौकरशाही तथा पुलिस की दमनकारी मनोवृत्ति कुछ सक्रिय बनी और कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव देने शुरू किये कि हमें वापिस उपनिवेशवादी युग को लौटना चाहिए। जनता पार्टी शासन के ढाई वर्ष के दौरान इसकी दंड प्रक्रिया संहिता में बिना सुनवायी के बंदी बनाने सम्बन्धी प्रावधान को जोड़ने का प्रयास किया और इस सभा को एक ऐसा संशोधन स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया कि कुछ लोगों को बिना सुनवायी तथा कार्यवाही के जेल में रखा जा सकता है। सौभाग्यवश जनता पार्टी उस समय तक राज्य सभा में बहुमत में नहीं थी और कांग्रेस (आई) विपक्ष में थी वह भी तत्कालीन सरकार के विरुद्ध हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करती थी और इस प्रकार वह संशोधन अस्वीकार हुआ। अब संयोगवश राज्य सभा में स्थिति ऐसी नहीं है। यदि हम यहां कुछ गलती करते हैं तो राज्य सभा इसे ठीक करती है। अतः इस सभा को कुछ अधिक जिम्मेवार होना पड़ता है और इस प्रकार मुझे उस पक्ष की ओर से और सत्तारूढ़ दल की ओर से कुछ आवाजें सुनते हुये मुझे खुशी होती हैं।

उद्देश्य तथा कारणों के कथन में दो मुख्य प्रश्न उठाये गये हैं एक प्रश्न 'जमानत सम्बन्धी प्रावधान का संशोधन करना है ताकि पक्के अपराधियों को जमानत लेने के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़े।' यह परस्पर विरोधी है क्योंकि जमानत सम्बन्धी वर्तमान प्रावधानों जिनकी सिफारिश विधि आयोग ने की और उन्हें संयुक्त समिति ने स्वीकार किया और सभा ने पारित किया का अर्थ यह है कि जमानत कोई दया नहीं है। सुनवायी के दौरान किसी व्यक्ति को जेल में रखने का अधिकार कार्यपालिका, राज्य तथा पुलिस का नहीं होना चाहिए।

यहां इस बात पर चर्चा हो रही है कि यदि किसी पर एक बार मुकदमा चलाया जाता है तो उसको जेल में रखा जाना चाहिए। उसकी क्यों और कब जमानत मंजूर की जानी चाहिए इस बात पर चर्चा की जा रही है। मैं इसे दूसरे ढंग से कहूंगा। किसी व्यक्ति को तब तक एक दिन के लिए भी जेल में क्यों रखा जाए जब तक कि उसे दोषी सिद्ध नहीं किया जाता है? मान लिया जाए—क्यों मान लिया

जाए, यह बहुत से मामलों में हो रहा है। लोगों को ट्रायल के दौरान बन्दियों के रूप में जेल में रखा जाता है और इन्हें बेगुनाह, पूर्णत: बेगुनाह घोषित किया जाता है। उन्हें सन्देह के लाभ के आधार पर नहीं है बल्कि पूर्णत: बेगुनाह होने के आधार पर रिहा किया जाता है। इन्हें कई वर्षों तक जेल में रखा जाता है। उस व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन लिये जाने की कौन क्षतिपूर्ति करने वाला है जिसे पूर्णत: बेगुनाह घोषित किया जा चुका है? इस लिये प्रश्न यह नहीं है कि क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए; बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को तब तक एक दिन के लिये भी जेल में क्यों रखा जाय जब तक कि उस व्यक्ति या महिला को दोषी घोषित नहीं किया गया था। इस लिये, मैं समझता हूं कि जमानत का प्रश्न उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था जिस तरीके से इसे यहां पर प्रस्तुत किया गया है। उसी आधार पर संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ बातों की सिफारिश की है और सभा ने उसे उसी समय स्वीकार कर लिया था और इससे हमारे देश की स्थिति को सुधारने में मदद मिली है।

दूसरे, निवारक कार्यवाहियों में कार्यपालिका को शक्ति देना उल्टे चरखे पूनी कातने वाली बात है। अभियोगी को न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जब कोई मुकदमा चलाया जाता है तो यह कार्यपालिका के आदेशों के आधार पर कार्यपालिका द्वारा चलाया जाता है और क्या कार्यपलिका को उसका न्यायाधीश भी होना चाहिए? इसलिए संयुक्त प्रवर समिति और विधि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि शक्ति कार्यपालिका के हाथों में ले ली जानी चाहिए और न्याय-पालिका को दे देनी चाहिए—इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायपालिका में आपके पास अच्छे व्यक्ति हैं या कार्यपालिका में बुरे व्यक्ति है बल्कि सिद्धान्त रूप से वही व्यक्ति उसी समय पर अभियोगी तथा न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। यदि आप कार्यपालिका के लिए अधिक शक्ति चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में हमें बतायें। नई दण्ड प्रक्रिया संहिता में कार्यपालिका को बहुत शक्तियां मिली हुई हैं जो पहले उसको नहीं मिली थीं। नई दण्ड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए धारा 110 में नये उपबंध किये गए थे :

'निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध नामत :—

(क) दवाई और सौंदर्य प्रशाधन अधिनियम 1940,

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973,

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि व परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952,

(ख) खाद्य अधिमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954,

(ङ) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955,

(च) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955।

(छ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1972, या

(दो) किसी अन्य कानून के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध जिसमें जमाखोरी या मुनाफा-खोरी या खाद्य या दवाई के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार का निवा रण उपबधित हो इस प्रकार ये उपबंध किये गये थे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सभा को बतायें कि क्या सारे देश में कोई मुकदमा एक भी जमाखोर या एक भी काला बाजारी करने वाले या एक भी मिलावट करने वाले या छुआछूत (अपराध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चलाया गया है? क्या

[श्री योगेन्द्र झा]

केन्द्र शासित क्षेत्रों में या दिल्ली राजधानी में भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है? उसे किसने रोका है ? क्या कार्यपालिका मुकदमे चलाती है और न्यायपालिका बाधक बनती है ? क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट बाधक बनते हैं ? मैं कहूंगा कि आप ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत करें। मुकदमे क्यों नहीं चलाये गये थे ? यह उनकी सरकार है। यह काला बाजारियों का राज्य है, जमाखोरों का राज्य है यह वह प्रणाली है जिससे वे शासन कर रहे हैं। इसीलिए धारा 110 के अन्तर्गत शक्ति दी गई थी परन्तु पिछले छः वर्षों में एक भी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया है। इसलिए कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त है परन्तु उसका प्रयोग करने की सरकार की इच्छा नहीं है। जनता पार्टी या भूतपूर्व कांग्रेस (अर्स) या किसी भी दल की ऐसी इच्छा नहीं थी।

उन व्यक्तियों के विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया जो काला बाजारी जमाखोरी तथा मिलावट करने के मामलों में शामिल थे। इसलिए जहां उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं, उन्होंने उनका प्रयोग नहीं किया। कार्यपालिका जन-साधारण को सताने के लिए शक्ति चाहती है। यह संशोधन इस लिये किया जा रहा है कि यदि दो या उससे अधिक बार कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है तो उसकी जमानत मंजूर नहीं होगी। इस देश के हजारों लाखों मजदूरों, किसानों तथा युवकों को जिन्होंने अपनी मांगों को पूरा कराने के आन्दोलन के कारण चार या पांच बार सजा काटी है, जमानत नहीं मिल सकेगी। लेकिन दूसरी ओर हत्या करने वाले जमीदारों और काले धन को सफेद धन में बदलने वाले बड़े-बड़े पूजीपतियों को धन की शक्ति के कारण छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, यह संशोधन अवांछनीय है। यह बड़ा हानिकर होगा यह अध्यादेश सरकार की दृष्टि से भी पूर्णतया न्यायोचित नहीं है। अध्यादेशों को जारी करना शक्ति का खुला दुरुपयोग है।

श्रीमान अन्त में मैं एक बात करना चाहता हूं। यहां एक बात यह रखी गई है कि राज्य विधान सभायें संकल्प पास करके न्यायिक प्राधिकारी को शक्ति दे सकती है। मैं सुझाव देता हूं कि आप इसे उल्टे ढंग से कहिए। आप राज्यों को यह शक्ति क्यों नहीं देते हो ? वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता में पहले ही कार्यपालिका को शक्ति दी गई है। यह तो पहले से ही है। इसलिए इसकी यहां पर क्या आवश्यकता है ? सभी कांग्रेस (आई) सरकारें तथा विधान सभायें कार्यपालिकाओं को यह शक्ति दे दें। संसद को लोकतन्त्र के विरुद्ध ऐसे पाप करने के लिए प्रेरित क्यों किया जाय ? श्रीमान इसका मुख्य असर यह है कि यदि हम इसे कानून का रूप दे देते हैं तो इससे विधि शास्त्र का उल्लंघन होगा।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : आप कहते हैं कि संसद को यह पाप नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि राज्य सरकारें इस पाप को करें। आप दोनों बातों को नहीं कह सकते हैं। आप कहते हैं कि केन्द्र को यह पाप नहीं करना चाहिए। तो यह पाप राज्यों को क्यों करना चाहिए ?

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र झा : यदि सरकार अधिक शक्तियां देना चाहती है, वे तो पहले ही दण्ड प्रक्रिया संहिता में है। यह उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। (व्यवधान)। यदि वह आपने राज्यों में इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए है तो हम आपका विरोध विधान सभाओं में भी करेंगे।

सभापति महोदय : श्री झा अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री योगेन्द्र झा : मैं कहता हूं कि संसद को यह पाप करने में भागीदार नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहना है। श्रीमान इसलिए यह विधेयक जैसा कि यह है समूचे रूप में न्यायोचित नहीं है और इससे विधि और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता नहीं मिलेगी। बल्कि इससे केवल दमनकारी ताकतों तथा जन-विरोधी ताकतों को मदद मिलेगी। इसलिए इस विधेयक को अस्वीकृत करना ही होगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि क्या यह वांछनीय है या नहीं। मेरे अनुसार यह पूर्ण रूप से अवांछनीय है। मुझे मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना है। मुझे आशा है कि वे उत्तर देंगे। आपको उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक भी व्यक्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराध के कारण मुकदमा चलाया गया था। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में एक भी व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक अपराध के कारण मुकदमा नहीं चलाया गया है।

सभापति महोदय : श्री रामसिंह यादव।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन हेतु विधेयक पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं विशेष रूप से मेरे साथी वक्ता और अधिवक्ता जो हैं, जिन्होंने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

उन्होंने कहा है कि धारा 108, 109, 110, 145 और 147 में एग्जैक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को श्रवण करने के जो अधिकार दिए गए हैं वे उचित नहीं हैं। मैं उनका ध्यान मौजूदा दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 117, 121, 122 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धारा 373 में कहा गया है कि इन धाराओं के अन्तर्गत सजा पाए हुए व्यक्ति के विरुद्ध जो अपील दायर करना चाहता है वह सैशन जज के यहां दायर कर सकता है, डी० एम० के यहां अपील दायर नहीं होगी। यह शंका कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जो निर्णय होगा वह सरकार के ही पक्ष में होगा निर्मूल है क्योंकि यहां भी अपील की पावर सैशन जज को ही दी गई है, डी० एम० को नहीं।

कानून और व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया गया है। हमारे विरोधी दल के सदस्यों को भी मौका मिला था शासन करने का। आज जब वे पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की आलोचना करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन से कदम उठाए थे जिससे पुलिस की पावर्ज सर्कमवेंट होती और उन्होंने सी० आर० पी० सी० में कौन से एमेंडमेंट किए थे जिन से पुलिस की पावर्ज पर अंकुश लगता। कार्यपालिका को ला एण्ड आर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपने दी है, दायित्व दिया है और हमारा अनुभव और हमारा तजुर्बा यह बताता है कि ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट को ला एण्ड आर्डर की पावर्ज जब दी गई है तो उससे हालत बिगड़ी ही है, सुधरी नहीं है। उसका कारण यह है कि एक काम यदि दो में विभक्त कर दिया जाता है और आधा काम एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है और आधा ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट को तो वह काम कभी भी सही नहीं हो सकता है। काम को सही रूप से करने के लिए जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ही यह पावर रहती।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेरी पावर्ज हासिल नहीं की है और वह इसलिए कि धारा 478 सी० आर० पी० सी० की जो हैं उसमें राज्य सरकारों को पावर दी गई है कि

[श्री रामसिंह यादव]

वे अगर जरूरी समझती हैं तो धारा 108, 109, 110, 145 और 147 के तहत यदि विवादों का निपटारा करवाना चाहती हैं, निर्णीत करवाना चाहती है तो ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट से करवा सकती हैं : इस वास्ते यह जो विधेयक पेश किया गया हैयह किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है और जो शकाएं उन्होंने व्यक्त की हैं, वे उचित नहीं हैं।

437 में यह व्यवस्था की गई है कि जो आदतन आफेंस करते हैं जो आफेन्डर्ज उनकी बेल नहीं ली जाएगी। जो इससे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं या जो ड्राफ्ट करने वाले लोग हैं उन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दफा 437 का तो आपने संशोधन कर दिया है, 436 का कर दिया है वहीं पर 116 और 446 के प्राविजन्स को कोई सरपास नहीं कर सकता है, उसकी तरफ भी आप क्यों नहीं देखते हैं और इसी तरह का संशोधन 438 में करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर कत्ल का मुकदमा है, जिसकी सजा हो चुकी है या वह व्यक्ति जिसको दो बार से अधिक बार सजा हो चुकी है उसको भी इसमें एंटीसी-पेटरी बेल मिल जायेगी। 436 और 437 और 439 में तो बेल नहीं मिल सकती है लेकिन 438 में मिल जायेगी। आपको चाहिए था कि आप यह देखते कि 438 में भी उसको एंटीसीपेटरी बेल न मिलती और उसका संशोधन आप करते।

एक व्यक्ति जो किसी का कत्ल करता है, मर्डर करता है तो जो वीरीव्ड फैमिली है उसको आप कम्पैसेट करवाना चाहते हैं लेकिन आप दर तय नहीं करते हैं। आपको दर भी तय कर देनी चाहिए थी। आप लाजिमी कर दें कि कम से कम इतना कम्पेंसेशन वीरीव्ड फैमिली को जरूर मिलेगा। जिस तरह से एक्सीडेंट होने की सूरत में पचास हजार या एक लाख आप कम्पैंसेशन देते हैं उसी तरह से जिसका कत्ल हो उसके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और उसकी दर तय कर दी जानी चाहिए।

सैक्शन 110 में यह प्रोविजन है कि ब्लैक मार्केटियर्ज, होर्डर्ज और स्पगलर्ज, हैबिचुअल आफेंडर्ज और जो लोग सिविल लिबर्टीज एक्ट के तहत आफेंसिज करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। मंत्री महोदय थानों या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स से इनफर्मेशन मंगा कर देखें कि इस सैक्शन के तहत कितने चालान पेश हुए हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने जानबूझ कर चालान पेश नहीं किए हैं, तो पुलिस वालों को दण्डित करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

विरोधी पक्ष की ओर से कहा जाता है कि पुलिस की पावर्ज को करटेल किया जाए, लेकिन मुझे दुख है कि इस बारे में एक भी सुझाव नहीं आया है कि पुलिस की पावर्ज को कैसे करटेल किया जाए। जो जिम्मेदारियां सरकार ने पुलिस को दी हैं, अगर वह उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं है, उसके द्वारा लापरवाही या नैग्लीजेंस की गई है, तो पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

मुझे बार का एक्सपीरियंस है कि बहुत से मर्डर केसिज में इनवेस्टीगेटिंग आफिसर असली मुलजिम को छोड़ देता है और गलत आदमी के खिलाफ चालान पेश करता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सेशन्ज जज, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यह स्ट्रिक्चर्ज देता है कि असली मुलजिम को छोड़ दिया गया है और किसी गलत आदमी को हीनस आफेंस में फंसा दिया गया है, तो उस निर्दोष

व्यक्ति को इनवेस्टीगेटिंग आफिसर से कम्पेन्सेशन क्यों नहीं दिलाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 को और लिबरल, उदार, बनाया जाएगा और ऐसे एव्यूज्ड को डिफेंस के लिए प्रावधान किया जाएगा, जिसके पास मीन्स नहीं है। सेशन्ज कोर्ट हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बड़े वकील उसकी पैरवी करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। मेरा सुझाव है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैवल पर यह रूल बनाया जाए कि ऐसे लोगों को अच्छे वकीलों की पैरवी कम्पल्सरिली दी जा सके।

इस बिल के द्वारा जो नया सैक्शन 446 ए जोड़ा गया है, वास्तव में वह उन लोगों के लिए है, जो हैबिचुअली जमानत देते हैं। अगर उनसे सम्बन्धित अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो उनसे जुर्माना वसूल न होने की स्थिति में उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस धारा के मुताबिक उस आदमी को भी उतनी ही सजा दी जाएगी, जो बीमारी की वजह से या गलती से अदालत में हाजिर न हो सके। इसमें कम्पलसरिली छः महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें मेजिस्ट्रेट को डिसक्रीशन देनी चाहिए थी कि अगर वह समझे कि कोई व्यक्ति रीजनेबल ग्राउंड्स की वजह से नहीं आ सका है, तो उसे सजा न दी जाए। इस बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है।

जिस तरह जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का प्रावधान किया जाता है, उसी तरह इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, क्योंकि सैकंड क्लास और थर्ड क्लास के एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। इसमें इस बात को स्पेसिफिक नहीं किया गया है।

बेल सम्बन्धी प्राविजन में 'स्पेशल रीजन्ज' की बात कही गई है। मुझे इस पर आपत्ति है। विधि शब्दावली, लीगल फ्रेजालोजी, में 'स्पेशल रीजन्ज' की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ 'रीजन्ज' ही काफी है। 'कारणों' का अर्थ है कि वे कारण हैं जो उस न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं जिसे न्यायिक विवेक अधिकार प्राप्त है। जहां एक व्यक्ति जुडिशल डिसक्रीशन एक्सरसाइज करता है, वहां 'स्पेशल रीजन्ज' की जरूरत नहीं है। इसलिए 'स्पेशल' शब्द अनावश्यक और निरर्थक है, इससे कोई मतलब हल नहीं होता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री ए० के० राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन स्वयं एक आपराधिक संशोधन है। मेरा कहना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता इस तरह से संशोधित की जानी चाहिए ताकि इस सभा के समक्ष लाए जा रहे इस प्रकार के संशोधनों पर रोक लगाई जा सके। श्रीमान छोटी सुविधाओं के बारे में प्रश्न नहीं है जो पहले दी गई थी और जिन्हें वापस ले लिया गया है। इससे संविधान में राजनीति के जो निदेशक सिद्धान्त दिए गए हैं उनके अनुच्छेद 50 पर आपराधिक कुठाराघात होता है। इसमें इस प्रकार कहा गया है :

"50—कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण—राज्य की लोक-सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा।"

[श्री० ए० के० राय]

संविधान सभा के बाद-विवाद में इस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। उस समय यह अनुच्छेद 39-क के अधीन था। उस समय डा० अम्बेडकर ने इस प्रकार से कहा था :

"बहुत समय से इस देश की यह इच्छा रही है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होनी चाहिए और यह मांग उसी समय से बरकरार बनी रही है जबसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के उस संकल्प को मूर्त नहीं दिया जिसमें इस विशेष सिद्धान्त को देश के प्रशासन में लागू करने की मांग की गई थी। हम समझते हैं कि समय आ गया है जब इस सुधार को किया जाना चाहिए।"

श्रीमान, अगले दिन अर्थात् 25 नवम्बर 1948 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस विशेष वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया और उन्होंने यह कहा :

"मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यह न्यायपालिका तथा कार्यपालिक के कृत्यों के पृथक्करण के पक्ष में है। मैं यह भी कह सकता हूं कि जितना जल्दी इसको लाया जाता है उतना ही अच्छा है।"

श्रीमान, उस समय यह कांग्रेस संकल्प था। अब यह कांग्रेस का शासन है। यह कांग्रेस (आई) की सरकार है। मुझे आशा है कि हमारे अर्द्ध-गृह मंत्री महोदय जब वाद-विवाद का जबाब दे रहे हो तो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या कांग्रेस (आई) सरकार के लिए कांग्रेस संकल्प का आदर करने की कोई बाध्यता है जो बहुत पहले पारित किया जा चुका था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस समय कांग्रेस (आई) दल सत्तारूढ़ है।

श्री ए० के० राय : यह कांग्रेस (आई) है, कांग्रेस (यू) है और अब कांग्रेस (दे) होगी··· (व्यवधान) आप अपने दल के नाम के पीछे सभी अक्षर 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' आदि जोड़ना शुरू करो तथा 'जोड़' पर अन्त करो। उसके बाद प्रत्येक को शामिल कर लिया जाएगा। (व्यवधान) श्री जैल सिंह अब कांग्रेस (आई) में बैठे हैं और वहां से निकलने के बाद वे कांग्रेस (जेड़) बना लेंगे। और यही कांग्रेस का अन्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने दलील दी है कि यह विधान का एक छोटा सा भाग है। परन्तु इसकी शरारत पैदा करने की शक्ति छोटी नहीं है। यह बहुत बड़ी है। आपको मालूम हो जाएगा कि यह धारा 108, 109 तथा 110 से सम्बन्धित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह धारा 110 गरीब लोगों के लिए चिरस्थायी अनर्थ है ये वे लोग हैं जिन्हें कष्ट उठाने हैं। धनी लोगों, सत्तारूढ़ लोगों सम्पन्न लोगों को कष्ट नहीं उठाने हैं। गरीब लोग हैं जिन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और इन्हें उन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस बात का दावा किया गया है कि यह संशोधी विधेयक समाज विरोधी तत्वों तथा अभ्यस्त अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लाया गया है। यदि आप इतिहास का अध्ययन करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि 1942 के आन्दोलन के बाद ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को समाज विरोधी तथा अभ्यस्त अपराधियों के रूप में पुकारा करती थी तथा ब्रिटिश सरकार विज्ञापन दिया करती थी। उस समय वे वहां नहीं थे; केवल कांग्रेस दल वहां था। ब्रिटिश सरकार समाज विरोधी तत्वों, अभ्यस्त

अपराधियों तथा अन्य सभी इस प्रकार की बातों को घोषित किया करती थी। आज के असन्तुष्ट लोग कल के शासक हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कानून को उस पर ध्यान देना चाहिए।

विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर पहले ही अच्छी तरह से बहस हो चुकी है और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि सभी न्यायिक शक्तियां मुकदमा चलाने वालों को कैसे दी जा रही हैं जो मुकदमा भी चला रहे हैं। क्या उद्देश्य यह है कि वह अधिक बर्बरता से स्थिति पर काबू पा सके? अब कांग्रेस (आई) का सभा में भारी बहुमत है, उनका केन्द्र तथा लगभग सभी राज्यों में भी शासन है; जमीन पर उनका शासन, हवा पर उनका शासन है तथा पानी पर उनका शासन है। अब उनके डरने की क्या बात है। आपकी अनुमति से या अनुमति के बिना एक के बाद दूसरा विधेयक लाकर सरकार न्यायिक व्यवस्था की शक्तियां क्यों कम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

श्री ए० के० राय : सरकार इस विधेयक को काला बाजारी तथा मुनाफा खोरी को रोकने के लिये लाई है जो बाद में इन लोगों के संरक्षण में और अधिक पनपेगी। इसके बाद, सरकार समाज-विरोधी राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक को लायी है जो इस सभा के विचाराधीन पड़ा है और अब इस विधेयक को लाया गया है। ये सब निवारक नजरबन्दी के उपाय हैं। यह बताने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि विशेष व्यक्ति समाज विरोधी है या नहीं केवल आशंका से। काम चल जाएगा। इससे गरीब लोग, हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़े लोग प्रभावित होंगे। वे कहते हैं कि वे समाज विरोधी लोग हैं, और वे उन्हें जेल में डाल देंगे। परन्तु धनी लोगों के बारे में क्या है? अग्रिम जमानत के लिये उपबंध किया गया है। इसका कौन प्रयोग करेगा? केवल धनी व्यक्ति और उच्च कार्यकारी अधिकारी। जिन लोगों ने भागलपुर में अनेक कैदियों को अंधा कर दिया उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली। उसको रोकने के लिए कोई संशोधन नहीं आया है। असली बातें तो ये ही हैं जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। मैं सभी मन्त्रियों तथा अस्थायी मन्त्रियों को ऐसे विधेयकों के परिणामों की चेतावनी देते हुये अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। जस्टिस वी० आर० कृष्ण अय्यर ने जिस समय वह न्यायधीश थे मद्रास में एक भाषण देते हुए कहा था :

> "राजनीति के बिना कानून अन्धा है, कानून के बिना राजनीति बहरी है। हम अन्धे अन्याय और बहरी राजनीति से उस हद तक घोर परेशान है कि वह दिन दूर नहीं है जब आम करोड़ों व्यक्ति अब काफी परेशान हो रहे हैं, इसके बाद वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देंगे कि सरकार किस बात के लिये है और शासन के अन्याय की धांधले बाजी के प्रति आक्रोश प्रकट करना शुरू कर देंगे।"

और आगे,

"जब न्याय के विरुद्ध अदालतें कानून का साथ देती है तो उसके घातक परिणाम होंगे।" इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्नाकुलम्) : मैं तीन मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा क्योंकि श्री सतीश अग्रवाल को इस विधेयक का समर्थन करने के लिए वास्तव में बधाई देता हूं। यदि आप उपस्थित हुए होते तो आपने वास्तव में इनके तर्कों की प्रशंसा की होती। उन्होंने एक को (अर्थात

[श्री जेवियर अराक्कल]

खण्ड 2) को छोड़कर सभी उपबन्धों की प्रशंसा की। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को दी गई शक्ति को कौन प्रभावित करता है जिसके लिए यहां श्री ए० टी० पाटिल, माननीय गृह मन्त्री महोदय, बड़े तर्क पूर्ण ढंग से कानूनी रूप से कानून का विश्लेषण किया है। अब श्री वाजपेयी उस बात को समझ गये हैं जो मैंने कही है। जो देर से आते हैं वे कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों का उल्लेख कर सकते हैं। यदि आप उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण का उल्लेख करते हैं तो वे दिये गये कारण पांच हैं। क्या इस सभा में कोई इन प्रश्नों से असहमत है ? अनेक सदस्यों ने इस विधेयक के समर्थन में इन पांच प्रश्नों पर अपने विचार बड़े जोरों से व्यक्त किये हैं। केवल एक प्रश्न जिस पर वे असहमत थे यह था कि क्या शक्ति कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए या नहीं। श्रीमान, मेरा निवेदन यह है कि यदि आप अधिनियम की धारा 108, 109 तथा 110 का उल्लेख करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि यह शक्ति क्यों दी गई है और किस उद्देश्य के लिए यह दी गई है। श्रीमान यदि आप दंड प्रक्रिया संहिता को नहीं रखते हैं तो आप अनुलग्नक का उल्लेख कर सकते हैं। पृष्ठ 6 पर दिया गया है। श्री राय ने यहां एक शानदार भाषण दिया है। मैं उससे अवश्य सहमत हूं। परन्तु इसका क्या सारांश है ? इसका कोई दूसरा अर्थ तो नहीं होगा। हमें इन धाराओं के अन्तर्गत हो रहे अपराधों के प्रति वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा। श्रीमान पृष्ठ 7 पर "निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अन्तर्गत कोई अपराध, नामतः (क) दवाई तथा सौंदर्य प्रसाध, अधिनियम, 1940, (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 73 तथा (ग) कर्मचारी भविष्यनिधि तथा परिवार पेंशन निधि आदि आदि। श्री राय, आपका मतलब है कि ये अपराध गरीब हरिजनों तथा गरीब लोगों द्वारा किये जाते हैं ? मुझे मालूम नहीं है। श्रीमान जहां तक मुझे जानकारी है इस अधिनियम का उद्देश्य उन लोगों को गिरफ्तारी है जो अपराध करते हैं और इन अपराधों को गैर-जमानती बनाना है। हम सब एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए वचन बद्ध है।

श्रीमान मैं इन उपबन्धों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आदेशसूचक तथा आदेशात्मक है। मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को पहले ही लाया जाना चाहिए था। दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य उपबंध है जिनपर तुरन्त ध्यान देने और संशोधन करने की आवश्यकता है। उन वकीलों को मालूम हो जाएगा जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वकालत कर रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। हमें वह अच्छी तरह से मालूम है।

पहले ही अधिक काम है; विलम्ब हो चुका है, अनेक अवांछित प्रक्रियायें है। मेरा निवेदन है कि इस संशोधन से अवांछित प्रक्रियाओं को दूर किया जाएगा।

आप उससे सहमत नहीं हैं आपका तर्क कहां है ? एक ओर तो आप विलम्ब होने तथा इन्कार करने की बात करते हो। देरी करने का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित करना। यहां हम न्याय करना चाहते हैं। यह सभा यहां उठाये गये प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिये काफी कटिबद्ध रही है। यहां पर अनेक लोगों की बातें सुनने का हमें विशेषाधिकार था। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जब हम धारा 108, 109 तथा 110 से सम्बन्धित आर्थिक तथा अन्य अपराधों के मामलों पर विचार करते हैं तो यह आदेशसूचक तथा आदेशात्मक हो जाता है। यह विधेयक पहले ही लाना चाहिए था और क्रियान्वित किया जाना चाहिए था।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का तह दिल से समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, क्रिमनल प्रोसीजर कोड के संशोधन का जो बिल इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह प्रजातन्त्र की ओर से तानाशाही की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। यह सरकार की मनोदशा का प्रतीक है। इस देश के लोगों को भारतीय संविधान में कुछ फण्डामेन्टल राइट्स दिये गये हैं, उन राइट्स को छीना जाय, यहां के लोगों के अधिकारों को कैसे कम किया जाय—इस तरह का प्रयास इस बिल में किया है। संविधान की धारा 50 के अनुसार क्रिमनल प्रोसीजर कोड में जो पहले संशोधन किया गया था, उनमें एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी की तरफ ले जाने का प्रयास था, लेकिन आज उन निदेशक सिद्धान्तों के विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि आप को उस दिशा को बदलने या उस दिशा में चलने के बाद वापस आने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप जो संशोधन लाए हैं, पहले हमें इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिए कि क्या हमको इस बात का अधिकार है कि हम एक बार जुडीशियरी को अधिकार दे दें और उसको एक्जीक्यूटिव से सैप्रेट कर दें, उसको फिर से जुडीशियरी से छीन कर एक्जीक्यूटिव को दे सकते हैं ? इस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजा जाय और उनसे राय लेनी चाहिये, अन्यथा नतीजा यह होगा कि हम यहां बिल को पास कर देंगे, लेकिन आगे जाकर कानून के इन्टरप्रेटेशन में यह अवैध करार होगा।

इस देश में अब तक के जो तौर-तरीके हो रहे हैं, उनमें कानून ने गरीबों पर अंकुश रखा है, लेकिन इस देश के अमीरों के लिए खुली छूट रही है। उन पर किसी कानून का कोई अंकुश नहीं रहा है। अच्छा तो यह होता कि इस देश में पुलिस का जो राज कायम है, नौकरशाही और पुलिस की जो तानाशाही बढ़ती जा रही है, उस पर रोक लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे कर, नौकरशाही को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे कर इस देश में आप तानाशाही की हालत को लादना चाहते हैं। आप की मंशा और उद्देश्य यही मालूम होता है।

यदि कानून में ऐसा संशोधन होता कि जिन गरीबों पर अत्याचार होते हैं, जो बोट क्लब पर बैठ कर धरना देते हैं, माननीय गृह मन्त्री जी और प्रधान मन्त्री जी के दरवाजे खटखटाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का प्रयास होता तो हम इसका समर्थन करते, लेकिन ऐसा कोई प्रयास इस बिल में नहीं है। पुलिस स्त्रियों के साथ बलात्कार करती है, लोगों की आंखें फोड़ देती है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है—उनके खिलाफ इस कानून में व्यवस्था होनी चाहिए थी। पुलिस का सताया हुआ अगर पुलिस के खिलाफ कोई केस रजिस्टर कराये तो वह रजिस्टर किया जाय और पुलिस के खिलाफ भी उसी तरह से कार्यवाही की जाय, जैसी दूसरे मुलजिमों में साथ होती है, तब हम इस कानून का समर्थन करते।

माननीय मन्त्री जी, एक मंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक की हैसियत से आप मेरे साथ किसी थाने में चलिए, यदि आप वहां कोई रिपोर्ट लिखाना चाहेंगे, तो वह रिपोर्ट वहां नहीं लिखी जायगी, जब तक आप उनको पैसा नहीं देंगे। हिन्दुस्तान के किसी भी थाने में

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

आसानी से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, बहुत से राज्यों का तो मुझे भी अनुभव है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद पुलिस के लिए दफा 109 में लोगों को फंसवाते हैं। दफा 109 का हर तरह से हनन होता है और वही पुरानी रटी-रटाई कहानी कोर्ट में दोहरा दी जाती है। रात को 12 बजे पकड़ा, उसकी जेब से "आला-नकब" और एक बीड़ी का बंडल निकला। हालांकि 109 का जुर्म जुर्म नहीं है, लेकिन लाखों लोगों के साथ यही होता है, वही कहानी अदालत में दोहराई जाती है। न्याय व्यवस्था पर इन कानूनों का क्या असर पड़ेगा, यह आप देखिये। पुलिस के हाथ में आज शासन है, आपका शासन आज नहीं है। मंत्री जी, आप यहां बैठे हुए हैं, आपका शासन नहीं है। आज तो शासन पुलिस कर रही है। आप के हाथ में कोई बागडोर नहीं है, पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है। आज पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो इन्वेस्टीगेशन मशीनरी है, उसका तो कहना ही क्या? जिस को चाहा, छोड़ दिया पैसे लेकर और जिसको फंसाना चाहा, फंसा दिया कत्ल के मामले में फंसा दिया या डकैती के मामले में फंसा दिया। जैसा वह चाहे कर सकती है, और आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। उन पर आप अंकुश लगाइये। अगर आपने इस देश में पुलिस के जो बढ़ते हुए अधिकार हैं, उनको न रोका और उसके लिए कानून में संशोधन न किये, तो मैं यह कहूंगा :

"हद से बढ़ जाती हैं जब इन्सान की मजबूरियां,
अमनपसंद लोग भी बगावत की बात करते हैं।"

इस देश के गरीब लोगों की आंखें निकलवा कर के देश के प्रजातन्त्र की रक्षा आप नहीं कर पायेंगे। आप इस देश की स्त्रियों की थानों में बेइज्जती कराकर पुलिस के अधिकारों की बात करते हैं और इस तरह के इस नये कानून को इस देश में ला रहे हैं कमाल है। आप 153 बी और 505 बी में हिन्दुस्तान के सारे मुकद्दमों को उठा कर देख लीजिए। केवल पालीटीकल आदमियों पर मुकदमे चलाए जाते हैं चाहे वह ललित सिंह यादव पर मुकद्दमा चलाया गया हो या राम स्वरूप वर्मा पर चलाया गया हो और चाहे जयपाल सिंह कश्यप पर चलाया गया हो। जो जाति विरोध की बात करे, जो जाति-तोड़ने की बात करे, उस पर आपकी पुलिस मुकद्दमा कायम करती है, जो बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल्ड कास्ट्स की बात करता है, जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की बात करता है, आपकी पुलिस उस पर मुकद्दमा कायम करती है। अदालत छोड़े या न छोड़े लेकिन आप की पुलिस ऐसे ही लोगों पर मुकद्दमे कायम करती है। आप इस बिल के द्वारा कानून में जो संशोधन ला रहे हैं, उसमें डी० एम० को अधिकार दे रहे हैं। इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दीजिए। 153 बी० और 505 बी० में सैंक्शन की पावर डिस्ट्रिक्ट जज को होनी चाहिए। यह इन्सान के फन्डामेन्टल राइट का सवाल है, उस के बोलने के अधिकार का सवाल है, जो संविधान ने उसको दिया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज की सैंक्शन के बाद ही ये मुकद्दमे चलने चाहिए न कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह यह अधिकार दिया जाना चाहिए क्योंकि उसको जिधर आप घुमायेंगे, वह घूमेगा। आज पुरी एक्जीक्यूटिव जिस तरह से बेनकाब हो रही है, बेमिसाल हो रही है, वह सब को मालूम है। चारों तरफ नौकरशाही के कारण घोर अन्याय व्याप्त है। इस बिल को लाकर और उसको आप बढ़ा रहे हैं।

यह कहते हुए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया है, उस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभ्यस्त अपराधियों समाज विरोधी तत्वों से लाभ तथा साम्प्रदायिक दगे भड़काने वालों से कारगर ढ़ग से निपटने की आवश्यकता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मैं इस चिंता का भागीदार हूं। इस सभा से मेरा केवल एक निवेदन है कि वर्तमान विधेयक के खण्ड 2 तथा 3 इस चिन्ता की वजह से अनुचित है। इस विधेयक के खण्ड 2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को शक्तियों का हस्तांतरण करने का प्रस्ताव है। सरकार को सदन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान कानून में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शक्तियां हैं, न कि कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के पास है। उससे सरकार वर्तमान स्थिति पर प्रभावी रूप मे काबू पाने में किस प्रकार रुकावट महसूस करती है। मुझे यह बात अवश्य कहनी चाहिए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को शक्तियां हस्तांतरित करने से हमारे कानूनों में प्रक्रियात्मक मामलों में जो परित्राण हैं वे नष्ट हो जायेंगे। मुझे सदन को यह बात अवश्य बतानी चाहिए कि वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 478 के अनुसार राज्य विधान मंडलों के पास शक्ति है और राज्य विधान मंडल स्थिति का जायजा ले सकते हैं और यदि स्थिति बहुत खराब हो तो संकल्प पास कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि-शक्तियां का न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को हस्तांतरण किया जाए। यह वर्तमान विधेयक में एक बहुत अच्छा उपबन्ध है—यदि स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो राज्य विधान मंडल को एक संकल्प पास करना चाहिए और सम्बन्धित राज्य सरकार को धारा 478 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायलय से परामर्श लेना चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार शक्तियों का न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को हस्तांतरण कर देना चाहिए। यह कोशिश करना सरकार की ओर से ज्यादती है कि संविधान के अनुच्छेद 25 की भावना को समाप्त करने के लिए इस सदन को सहमत कराया जाए जिसमें न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है।

संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए मैं उस समय कई अन्य बातें कहूंगा जब मेरे संशोधन आएंगे। अब मैं विधेयक के खण्ड 3 का उल्लेख करता हूं जिसमें यह उपबंध है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 ख अथवा धारा 505 की उपधारा 2 अथवा उपधारा 3 के संबंध में मुकदमे चलाने की मंजूरी अब जिलाधिकारियों द्वारा भी दी जा सकती है। वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की मंजूरी दे सकयी हैं। अब शक्ति जिलाधिकारियों को भी दिये जाने का प्रस्ताव है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस शक्ति को देने में क्या गलत बात है ? हमने केवल दो या तीन दिन पहले साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में पूरी बहस की थी और उस समय भी मैंने यह बताया था कि यह सर्वविदित तथ्य है कि दुर्भाग्यवश स्थानीय अधिकारी साम्प्रदायिकता से बचे हुये नहीं हैं और वह एक निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ यही दुर्भाग्य की बात है।

इस सम्बन्ध में हमने बार-बार यह देखा है कि वे जबर्दस्त पक्षपात रवैये से काम करते हैं। ऐसा स्थानीय प्रभाव के कारण होता है। वर्तमान कानून कहने को ही सुरक्षा उपाय है, मैं कहूंगा कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सब अधूरा सुरक्षा उपाय है कि स्थानीय प्रभावों के परिणाम-

[श्री जी० एम० बनातवाला]

स्वरूप इस तरह के मुकदमे नहीं चलाए जायें। यदि मुकदमा चलाने की शक्ति जिला अधिकारी को दे दी जाएंगी तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वह स्थानीय प्रभावों के अधीन काम करेगा। वर्तमान की तरह, वहां की शक्तियों का दुरुपयोग होगा। मुकदमे चलाने की मंजूरी देने कि शक्ति का अनेक बार दुरुपयोग हुआ है। आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने एक ऐसा विधेयक है जिसमें उपचारों की व्यवस्था की गई है लेकिन वे गलत उपचार है और इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यहां उपस्थित हमारे कुछ मंत्रियों के खिलाफ की गई कुछ व्यक्तिगत छींटा-कशी का मैं उत्तर नहीं देना चाहता। कुंठा के कारण इस तरह की व्यक्तिगत छींटाकशी की गई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों के दौरान, वे माननीय सदस्य, जिन्होंने अर्द्ध मंत्री अथवा मंत्रीवत जैसे शब्दों का उल्लेख किया है, सपने में भी एक मंत्री का एक चतुर्थांश नहीं बन पाएंगे।

मुझे आशा थी कि ये चर्चा बड़े ही उद्देश्यपरक तथा गरिमायुक्त तरीके से की जाएगी। इन विपक्षी सदस्यों में से कुछ कुंठा की भावना के शिकार हैं। कुछ सदस्यों के साथ यह त्रासदी है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि जहां अज्ञानता आनन्द दायक हो, वहां बुद्धिमान बनना मूर्खता है। जैसे मैंने कहा, मैं इन संशोधनों को लाए जाने के पीछे विद्यवान मूल उद्देश्यों और विचारों का उल्लेख करना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्य इस गलत धारणा के शिकार हैं कि इस विधेयक द्वारा किए जाने वाले ये संशोधन दाण्डिक स्वरूप के हैं। वस्तुतः ये सुरक्षात्मक कार्य विधियां हैं, और इन उपबन्धों का उद्देश्य अपराधों को रोकने और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखना है। यह विधेयक केवल एक निरोधक उपाय है। दाण्डिक स्वरूप को बनाने की दृष्टि से इसे तैयार नहीं किया गया है और वस्तुतः इन धाराओं के अन्तर्गत की गई किसी भी कार्यवाही के खिलाफ सैशन जज के समक्ष अपील की जा सकती है। यह विचाराधीन है और अंतिम रूप में भी है। और दूसरी बात, श्री सतीश अग्रवाल ने कहा है कि ये तीनों धाराएं पहले 1973 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधिकार क्षेत्र में थी। और अब वे कहते हैं कि कुछ बातों के भय से यह सरकार अधिक दाण्डिक शक्तियों से अपने को लैस करने का प्रयास कर रही है जिससे वह अपनी स्थिति और ज्यादा सुरक्षित बना सकें। मैं माननीय सदस्य महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि संशोधन भी, जो 1973 में किया गया था, वर्तमान प्रधान मंत्री श्री मती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा ही किया गया है। कुछ अकाट्य कारण हैं। जैसाकि मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में कहा, इसके कुछ अकाट्य कारण हैं कि इन मामलों पर दोबारा विचार किया जाए और जो मैंने कहा था उसे पुनः उद्धृत करता हूं :

> देश में विद्यमान कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए तथा विधि प्रवृतन सम्बन्धी ऐजेंसियों को समाज विरोधी तत्वों, विभिन्न गुटों और समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने वाले तत्वों के बारे में कड़ी कार्यवाही करने का अधिकार देने के लिए यह आवश्यक है कि कानून को अविलम्ब सख्त बनाया जाए।"

यह अकाट्य कारण था और सरकार जिसके ऊपर प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है और जो जनता का व्यापक शासनादेश प्राप्त कर सत्ता में आई है। समझती है कि पेशेवर अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों, उन लोगों, जो विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न कर रहे हैं तथा काले बाजारियों एवं तस्करों से निपटने और कानून तथा व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी उसकी है। ये समाज विरोधी तत्व ही हैं जो देश में परेशानियां पैदा कर रहे हैं। इसलिए, हमने यह आवश्यक समझा कि इन धाराओं को कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। फिर भी, जब 1973 में दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधित की गई थी, राज्य सरकारों को एक छूट दी गई थी, यदि राज्य विधान सभा कोई संकल्प पारित कर देती है और उच्च न्यायालय की सहमति हो तो वे कार्य पालिका के निए, इन मामलों को कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को दिए जाने का समर्थन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में, मैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों का उल्लेख कर रहा हूं। दिल्ली प्रशासन ने भी इन धाराओं को कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों के अधिकार क्षेत्र में रखना पसन्द किया। यहां प्रस्तुत विधेयक में भी हमने कहा है कि राज्य विधान सभा की अनुमति से तथा उच्च न्यायालय की सहमति से यदि कोई राज्य सरकार अब भी इन धाराओं को न्यायिक मजिट्रेटों के अधिकार क्षेत्र में रखना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। इसलिए इस सम्बन्ध में श्री मूलचन्द डागा ने वह स्वयं एक प्रमुख वकील है—विधेयक को समुचित रूप से समझा नहीं और कहना शुरू कर दिया कि विधेयक के उद्देश्य में यह बताया गया है कि हम दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपरि उल्लिखित धारा 108, 109 और 110 के अन्तर्गत सुरक्षात्मक कार्यवाहीयां करने के लिए शक्तियों को हस्तांतरण करने के इस उपबंधों को बरकरार रख रहे हैं। वह उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण की मद (चार) को देख नहीं सके हैं अथवा भूल गये हैं, जिसमें कहा गया है कि

> "संहिता की धाराओं 108, 109 और 110 के अंतर्गत सुरक्षात्मक कार्यवाहियां करने के लिए कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों में शक्तियां निहित करना।"

खण्ड 8 में बताया गया है कि 'मूल अधिनियम की धारा 478 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रति स्थापित की जाएगी" इसलिए श्री डागा खण्ड 8 के अन्तर्गत दी गई नई धारा 478 को पढ़ें तो वह सही स्थिति को समझेंगे।

सारी चर्चा इस बात पर केन्द्रित रही है कि केन्द्रीय सरकार अधिक दाण्डिक शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश कर रही है तथा और अधिक निरंकुश होने के लिए तथा कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को और ज्यादा शक्तियां देने की कोशिश कर रही है। इस सम्बन्ध में, मैं श्री जगन्नाथ राव और श्री ए० टी० पाटिल के भाषणों का उल्लेख कर सकता हूं जिन्होंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए हैं और इसलिए ये शक्तियां उनको दी गई हैं जिससे पेशेवर अपराधियों और समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ जल्दी से कार्यवाही की जाए। अतः इस संशोधन द्वारा जो प्रावधान किए जाने की बात की गई है उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल ने अपने दावे के पक्ष में विधि आयोग की भावी रिपोर्ट को उद्धृत किया है क्योंकि भावी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास होनी चाहिए। परन्तु मैं माननीय सदस्य महोदय को विधि आयोग की उनकी रिपोर्ट का हवाला देता हूं जिसमें यह

[श्री पी० वेंकट सुब्बया]

स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये शक्तियां कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों के पास होनी चाहिए। अत: यदि विधि आयोग एक समय पर एक रूप देता है और दूसरे समय पर दूसरी राय देता है तो हमें पूरी स्थिति को ध्यान में रखना होगा और किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

धारा 109 और 110 उन संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ हैं जिनकी गतिविधियां घिनौने अपराध करने को बढ़ावा देती हैं अथवा पेशेवर अपराधियों जैसे लुटेरे, सेंधमारों आदि के खिलाफ हैं। (व्यवधान) यह बार-बार स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिज्ञ पेशेवर अपराधियों के अन्तर्गत नहीं आएगा और मुझे विश्वास है कि उन माननीय सदस्यों में से, जिनके प्रति मेरा बहुत आदर है, किसी को भी पेशेवर अपराधियों अथवा समाजविरोधी तत्वों के अन्तर्गत नहीं माना जाएगा। संसद के माननीय सदस्य स्वत: के अधिकार से नेता हैं, वे जनता के प्रतिनिधि हैं। सरकार का इरादा इन उपबन्धों को किसी भी राजनीतिक विरोधी के विरुद्ध इस्तेमाल करने का नहीं है। वे देश में इस तरह की एक धारणा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये उपबन्ध राजनीतिक प्रयोजन के लिए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं केवल आशा करता हूं कि जैसा आप चाहते हैं वह पूरा हो।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : यदि कार्यपालिका मजिस्ट्रेट जिस पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए बाध्य करता है तो मैं नहीं जानता कि इसमें माननीय सदस्यों को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। मैंने विधि आयोग की उनकी रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया है। आयोग ने धारा 108 से 110 तक के अन्तर्गत विरोधात्मक रूप की कार्यवाहियों तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में उनके जबर्दस्त प्रभाव पर जोर दिया है। वास्तव में, उस रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई थी कि इन सभी धाराओं के अन्तर्गत आने वाली शक्तियां व्यापक रूप से कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों में निहित की जानी चाहिए। विधि आयोग की उनकी रिपोर्ट में यह राय दी गई थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने, धारा 106 में, जिसमें समवर्ती शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दी गई हैं, संशोधन के सम्बन्ध में आपत्तियां की हैं। मैं बताऊंगा कि यह केवल धारा 153ख और 155 की उपधारा (दो) और (तीन) के सम्बन्ध में है, जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों को समवर्ती शक्तियां देने का प्रस्ताव है और ये धाराएं राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के अपराधों से सम्बन्ध रखती हैं। इसका स्वरूप बहुत सीमित है। मैं श्री वनातवाला की भावनाओं को समझ सकता हू। परन्तु एक साथ हम यह नहीं कह सकते कि सारे अधिकारी अथवा नौकरशाही साम्प्रदायिक विचारों के हैं। यदि राज्य अथवा देश की नौकरशाही के माध्यम से प्रशासन चलाना है तो इसमें (नौकरशाही में) कुछ विश्वास रखना होगा। यह संशोधन सीमित स्वरूप का है। जब मुख्य सचिवों की बैठक हुई तो उन्होंने भी इस बात की सिफारिश की कि इस उपबन्ध को भी उचित रूप से संशोधित किया जाए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : पश्चिम बंगाल तथा केरल के मुख्य सचिवों समेत ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं तो मुख्य सचिवों के मतैक्य का उल्लेख कर रहा हूं। मैं अब यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि आया पश्चिमी-बंगाल और केरल के मुख्य सचिवों ने इसका अनुमोदन

किया था, मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि मुख्य सचिवों की बैठक में जो मतैक्य बना था वह यह है कि यह परिवर्तन लाया जाना चाहिए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : जब मैंने यह मुद्दा उठाया कि क्या पश्चिमी बंगाल और केरल के प्रतिनिधियों ने इस मत का समर्थन किया था तो मुझे बताया गया था कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे। अतः वह इसे स्पष्ट करें।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं उस बात का उत्तर दे चुका हूं। उन्हें और क्या चाहिए ?

इसके बाद मैं जमानत के उपबन्ध को और अधिक कठोर बनाए जाने की बात को लेता हूं। इस खण्ड का उद्देश्य एक विशेष वर्ग के पुराने अपराधियों के लिए जमानत प्राप्त करना कठिन बनाना है। इसमें यह उपबन्ध किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही दो बार संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा किसी अपराध में उसे एक बार मृत्यु दण्ड दिया गया है अथवा आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है अथवा संज्ञेय और गैर-मजानती अपराध के लिए दो या उससे अधिक अवसरों पर पहले भी अपराधी ठहराया जा चुका है तो साधारणतया अदालत उसकी जमानत मंजूर नहीं करेगी। ऐसे मामलों में जमानत केवल विशेष कारणों से होगी और वह भी लिपिबद्ध की जाएगी। कुछ सदस्यों ने कहा है कि 'विशेष कारण' के अन्तर्गत अदालत जो चाहे कर सकती है। विशिष्ट और स्पष्टरूप से यह कहा गया है कि जांच-अधिकारी को कारणों का ब्यौरा तैयार करना चाहिए जिसमें उसे विशेष कारणों को गिनाना होगा। बिना कारण दिए वह प्रार्थना के आधार पर मनमाने ढंग से जमानत की मंजूरी नहीं दे सकता है।

इसमें यह भी उपबन्ध है कि ये बातें उस मामले में लागू नहीं होंगी जिसमें गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री है अथवा बीमार या कमजोर है। इससे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी बातों का उत्तर मिल जाएगा।

यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह उपबन्ध उन पुराने अपराधियों की आपराधिक गति-विधियों को समाप्त करने के लिए हैं जो कि जमानत के उदार उपबन्धों का लाभ उठाते हैं और जमानत पर छोड़े जाने पर फिर अपराध करते हैं। दिल्ली से प्राप्त की गई कुछ सूचना से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसी की पुलिस-प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, 1-1-78 के बाद ऐसे 1805 व्यक्ति विभिन्न अपराधों में पकड़े गए जिन पर पहले भी मुकदमे चल चुके थे। प्रशासन के विरोध प्रकट करने के बावजूद उन सबको जमानत पर छोड़ दिया गया था और इसके बाद वे सब अपराधों में प्रवृत्त हो गए।

महोदय, दिल्ली प्रशासन ने रिपोर्ट दी है कि "इनमें से 90 के रिकार्ड की और आगे जांच की गई और जिसमें यह पाया गया कि 67 ऐसे थे जिन पर ऐसे अपराधों में दोष सिद्धि हो चुकी थी जिनमें 7 वर्ष या अधिक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है आदि या दो ऐसे अपराधों में दोषसिद्धि हो चुकी हो जो अदालत के विचार से गैर-जमानती अपराध हों।" इनमें से अब तक 37 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अधीन बन्दी बनाया जा चुका है।

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

महोदय, विचारणाधीन कैदियों के बारे में, जिसका यहां जिक्र किया गया है, मेरा यह कहना है कि जबकि भारत सरकार विधि-आयोग द्वारा अपने 78वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश पर, जिसमें विचारणाधीन कैदियों को लम्बे समय तक बन्दी बनाए रखने की घटनाओं को कम करने की बात कही गई है, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, त्रिपुरा राज्य सरकार अपने त्रिपुरा राज्य में लागू करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 को संशोधित करने के लिए उत्सुक हैं जिससे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास अथवा तीन या अधिक वर्ष की सजा योग्य अपराध में हिरासत में बन्दी बनाकर रखने की अवधि अधिक से अधिक 300 दिन तक कर दी जाए। वर्तमान त्रिपुरा सरकार इस हिरासत अवधि को बढ़ाकर अधिक से अधिक दो सौ दिन करना चाहती है। (संहिता में यह स्थिति है कि साधारणतया अधिक से अधिक 60 दिन के लिए हिरासत में रखा जा सकता हैं और मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष इससे अधिक के कारावास के दण्डनीय अपराध में अधिकाधिक 90 दिन के लिए हिरासत में रखा जा सकता है) त्रिपुरा सरकार ने तो इस परिवर्तन की मांग वहां उठ खड़े हुए दंगों को देखकर की थी। यह बात कहकर मैं कोई राज्य सरकार पर आक्षेप लगाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। परन्तु, उस क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए त्रिपुरा सरकार को, जोकि एक वामपंथी और प्रगतिशील सरकार मानी जाती है, इस सुझाव के साथ मजबूर होकर आगे आना पड़ा कि हिरासत की अवधि बढ़ाकर 200 दिन कर दी जाए। और अपराधों के मामले में बाद में साधारणतया हिरासत में अधिकाधिक 120 दिन के लिए रखने रिमाण्ड की स्वीकृति दी गई और मृत्युदण्ड यां आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक के कारावास के दण्डनीय अपराध में यह अवधि अधिक से अधिक 180 दिन तक की हो सकती है।

राज्यों की सलाह ली गई और पश्चिमी बंगाल तथा केरल समेत अधिकांश राज्य जमानत के बारे में इस प्रकार के संशोसन के लिए सहमत हो गए (व्यवधान)।

महोदय, जो दूसरी बात मुझे कहनी है वह जमानतियों के बारे में है। हमने इसे भी बहुत कठोर बना दिया है क्योंकि कुछ लोग नियमित रूप से जमानत देने का काम करते हैं। अत: इन लोगों के बारे में ध्यान रखा गया है।

महोदय, खण्ड 7 में हमने एक नई धारा 446क जोड़ दी है। इस उपबन्ध को इसलिए जोड़ने का प्रस्ताव है कि उस व्यक्ति के जमानती बन्ध पत्र को रद्द किया जा सके जिसके अदालत में उपस्थित होने के बन्ध-पत्र को जब्त कर लिया गया हो और बन्ध-पत्र की इस जब्ती के बाद उसको तब तक केवल अपने बन्ध-पत्र पर नहीं रिहा किया जाएगा जब तक वह अपनी अनुपस्थिति के पर्याप्त कारण नहीं देता। इस उपबन्ध का उद्देश्य अभियुक्त द्वारा अदालत में उपस्थित न होने तथा मामले के विचारण में विलम्ब करने के लिए उदार उपबन्धों के दुरुपयोग को रोकने का है। अब तो अदालतें भी स्वयं ऐसे व्यक्तियों के जमानती बन्ध-पत्रों को रद्द कर सकती है।

अब मैं खण्ड 9 को लेता हूं। यह एक बचाव खण्ड है और इस बात के प्रावधान हेतु लाया गया है कि इस विधेयक के लाए जाने से पूर्व जो अदालती कार्यवाहियां पहले ही हो चुकी हैं उन पर अब क्या कार्यवाही की जाए।

जहां तक राज्य सरकारों से विचार-विमर्श का सम्बन्ध है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यदि कोई राज्य सरकार यह चाहती है कि ये शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास ही रहनी चाहियें तो वे ऐसा अपनी राज्य विधान-सभाओं में संकल्प पास करके और राज्य सरकार से सहमति लेकर कर सकती है।

जहां तक जमानत से सम्बद्ध उपबन्धों का सम्बन्ध है, 1979 के प्रारम्भ में ही राज्यों से विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया गया था, और पश्चिमी-बंगाल और केरल समेत अधिकांश राज्यों ने उन उपबन्धों पर सहमति प्रकट की है जो अब विधेयक के खण्ड 5, 6 और 7 में जोड़े गये हैं जहां तक खण्ड 2 और 3 का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं अपने भाषण में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, इन्हें मुख्य सचिवों के सम्मेलन के बाद ही सम्मिलित किया गया था।

जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये उपाय निवारक कार्यवाही हेतु हैं, जिससे कि इन समाज विरोधी, असामाजिक तत्वों को शान्ति भंग करने का मौका न दिया जा सके, वे विधि और व्यवस्था की समस्या न खड़ी कर सकें और कानून को अपने हाथों में न ले सकें।

ये मामले के तथ्य हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के अभिप्रेत अर्थ का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। कुछ भी हो वे अपना मत प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र हैं परन्तु मैं यह बात फिर से दोहराता हूं कि यह सरकार विधि और व्यवस्था को बनाए रखने, और उसको न्याय दिलाने के लिए जिन्हें सदियों से न्याय नसीब नहीं हुआ है और जिन्हें कुचलकर और दबाकर रखा गया है, दृढ़-संकल्प है। हम उन्हें दबोचकर रखने वाले और असामाजिक तत्वों के पंजों से बाहर निकालना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मेरा उन माननीय सदस्यों से निवेदन है, जिन्होंने संशोधन के नोटिस दिए हैं, कि वे उन्हें वापिस ले लें और विधेयक के पक्ष में मतदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभा 6 बजे सांय स्थगित हो जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस विधेयक को पास अवश्यमेव करना है। इसमें केवल 15 मिनट लगेंगे।

मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिए तीन घन्टे का समय रखा गया था। अब श्री रामावतार शास्त्री विरोध कर रहे हैं परन्तु उनके दल को पांच मिनट का समय दिया गया था।

श्री रामावतार शास्त्री : आप मेरे दल का उल्लेख क्यों कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मुझे आपको वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराना चाहिए? वह जानते हैं कि यह उनकी कमजोरी की बात है।

इसके लिए तीन घन्टे का समय दिया गया है। क्या हम इस पर टिके हैं, मैंने तो हर वक्ता से

[उपाध्यक्ष महोदय]

चार या पांच मिनट बाद बैठ जाने के लिए कहा होगा। ऐसा मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो हर प्रकार के अवसर दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि यह विधेयक आज ही पास हो जांय। हम कुछ अधिक समय तक बैठेंगे, हमें तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहिये। अन्य अवसरों पर जब विपक्ष कुछ चाहता है तो हम तो उनकी बात मान लेते हैं। अतः मुझे सभा की अनुमति चाहिये।

क्या सभा चाहती है कि सभा चलती रहे ?

माननीय सदस्य : जी हां,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रतिदिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कल ही तो हमने काफी देर तक बैठने का निर्णय लिया था। क्या यह प्रतिदिन होता रहेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। अब से आगे चाहे कोई भी वक्ता क्यों न हो हम समय के पाबन्द रहेंगे। तीन घन्टे का समय दिया गया था। परन्तु अब तक साढ़े तीन घन्टे से अधिक समय बीत चुका है। (**व्यवधान**)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आमतौर से सभा के समय के बढ़ाये जाने की अनुमति दे दी जाती है। परन्तु आज इस बात को थोपने का प्रयास न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई थोप थोड़े ही रहा हूं।

श्री समर मुखर्जी : यह तो हमारे धैर्य की परीक्षा है। आप इसे भली-भांति समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से हर कोई अब थक चुका है और सदस्यगण जानना चाहते हैं। हममें से बहुतों ने लोगों को समय दे रखा है। हमें उनसे मिलना है। मुझे अभी तत्काल जाना है। मैंने यह सोचकर कि 6 बजे सभा स्थगित हो जायेगी किसी को मिलने का समय दे रखा है। इसी प्रकार बहुत से माननीय सदस्यों की पूर्व-नियुक्तियां हैं। यदि सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाना है..... (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : कार्य मंत्रणा समिति ने जितना समय निश्चित किया है उसी के भीतर-भीतर सभा का कार्य समाप्त किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति ने जितना समय इसके लिए दिया है उसका कठोरता से पालन किया जाये गा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार हम आपके निवेदन को स्वीकार कर चुके हैं। समय के बारे में हमें समझौता करना होगा। हमें लेने और देने वाली नीति का अनुसरण करना चाहिए। श्री सतीश अग्रवाल कोई बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। (**व्यवधान**)

श्री समर मुखर्जी : आज तो आप सदन को स्थगित कर दीजिए।

श्री ए० के० राय : हम और अधिक बैठने के इच्छुक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो मुझे कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आवंटित समय के समाप्त हो जाने पर घन्टी बजानी पड़ेगी ।

श्री समर मुखर्जी : प्रतिदिन ही देर से बैठना पड़ता है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यह हमारी गलती नहीं है। सदस्य को बोलने के लिए अधिक समय चाहिये । अतः हम चाहते हैं कि यह आज ही पूरा हो जाना चाहिये । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : रामावतार शास्त्री जी बैठ जाइये। आप छोटे दल के सदस्य हैं। (**व्यवधान**) आप अधिक समय लेते हैं। मैं समय के विचार से यह बात कह सकूं।

श्री समर मुखर्जी : ऐसा प्रतिदिन नहीं हो सकता। आज आप स्थगित कर दीजिए। हम आप से किसी और दिन सहयोग कर लेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : कल तो केन्द्रीय कक्ष में एक बैठक हो रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आपको यह शोभा नहीं देता। आज हर कोई कठिनाई में है। इस पर कल विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कल केन्द्रीय कक्ष में एन उत्सव है हमें 6 बजे सभा स्थगित करनी होगी ।

श्री समर मुखर्जी : इसे परसों के लिऐ निश्चित कर दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री सतीश अग्रवाल उत्तर देंगे। फिर सभा को खण्ड-दर-खण्ड विचारण और संशोधनों पर विचार करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह 6.30 बजे समाप्त हो जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सम्भव नहीं है। आज हमने समय दिया हुआ है, पूर्व नियुक्तियां हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : हम सहयोग देते हैं। हम कोई कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा निश्चित किए गए समय से बन्धे नहीं रहते हैं। जब हमें सहयोग चाहिए तो उस ओर से हर प्रकार के विरोध हो रहे हैं मुझे खेद है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज मत कीजिए।

भीष्म नारायण सिंह : कल कैसे करेंगे। कल तो सोवियत प्रैजीडेंट आयेंगे और परसों रिन्यूमरेटिव प्राइस पर डिकशन करना है। सब एक साथ कैसे होगा। हम आपका सहयोग चाहते हैं।

मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं कि वे सहयोग दें। मैं हमेशा उनसे सहयोग करता हूं।

श्री निरेन घोष (दमदम) : यह निश्चित समय के अन्दर समाप्त नहीं हो सकता। आप सभी लोक सभाओं को लीजिये। ऐसा ही होता है। क्या यह कोई नई चीज है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कुछ समाधान निकालना चाहिये।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : एकमात्र समाधान कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित समय के अनुसार ही चलना है। इस बारे में आप उदार रहे हैं—

श्री भीष्म नारायण सिंह : प्रत्येक मामले में।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : निश्चय ही हम उनसे सहयोग की आशा रखते हैं। उन्हें हमसे सहयोग करना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा सकता। हमें कार्य को पूरा करना है।

श्री ए० के० राय : मेरे पास एक सरल समाधान है। यदि वे कोई अच्छा विधेयक लाते हैं, तो हम देखेंगे कि वह पास हो जाए। यदि विधेयक खराब हो तो हम अपना सहयोग नहीं देंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उस पर सभा ही विचार करेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सतीश अग्रवाल को बुला रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप सभा की राय लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दें।

श्री रामावतार शास्त्री : जितना आपको अधिकार है। उतना हमको भी है। हमारी बात मान जाइये, कल देखा जायेगा।

श्री भीष्म नारायण सिंह : कल कैसे देखिएगा। कल तो ब्रेजनेव साहब का भाषण सुनियेगा इस लिए इसको आज ही करना ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमारे पास वह काम है। परसों दो बजे के लिए एक अन्य चर्चा निश्चित की गयी है। "आदान-प्रदान" के बिना सभा का काम चलना सम्भव नहीं है। सरकार एक अपील कर रही है। कभी-कभी आप भी अपील करते हैं। दोनों पक्षों को आपस में सहयोग करना है। यदि इसमें कोई तकनीक न हो या ऐसी ही कोई और बात न हो, तो लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। अब श्री सतीश अग्रवाल उत्तर देंगे। अन्यथा वह जोश समाप्त हो जायेगा। श्री सतीश अग्रवाल

प्रो० रामावतार शास्त्री : कल के बाद क्या होगा ?

श्री मधु दंडवते : हम आपकी अपील को आज सुनेंगे। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि यह कोई पूर्वोदाहरण न बने। इस मामले में यह सब ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पूर्वोदाहरण नहीं बनेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यादेश तथा मंत्री महोदय द्वारा पुरःस्थापित विधेयक को अस्वीकार करने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव पर प्रकट दोनों पक्षों के विचारों को बड़े ध्यान से सुना है।

श्री जगन्नाथराव, श्री ए० टी० पाटिल, श्री आर० एस यादव तथा श्री अराक्कल को छोड़कर शेष सभी सदस्यों ने अध्यादेश के जारी करने सम्बन्धी सरकार की मनोवृत्ति तथा विधेयक के कुछ प्रावधानों की आलोचना की है।

मंत्री महोदय ने प्रस्ताव का उत्तर देते समय विधि आयोग के 37 वे प्रतिवेदनों का हवाला दिया है जिससे उनके इस तर्क को शक्ति मिली है कि 37 वे प्रतिवेदन की सिफारिश के अनुसार खंड 108, 109 तथा 110 के अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की प्रणाली जारी रखनी चाहिये। अब दोनों पक्ष के वकील मित्र इस बात की सराहना करेंगे कि रद्द, संशोधित अथवा असहमति वाले निर्णय की कानून की नजरों में कोई भी पवित्रता नहीं होती। यदि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो और यदि यही उच्चतम न्यायालय इसे संशोधित करे तो उस निर्णय का हवाला किसी बात के समर्थन में किसी न्ययालय के सामने नहीं दिया जा सकता और ऐसा होना व्यवसायिक दुराचार ही है। मैं आपके द्वारा इस सभा तथा मंत्री के विधि आयोग के 41वें प्रतिवेदन, जिसका हवाला मैंने इस सभा में दिया, कि याद दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में, मैं उनकी प्रारम्भिक प्रस्तावना के अंतिम अनुच्छेद को पढ़ना चाहूंगा। विधि आयोग का 37वां प्रतिवेदन दंड प्रक्रिया धारा 1 से 176 से सम्बन्धित था उसके बाद विधि आयोग को बन्द किया गया। एक दूसरे विधि आयोग का गठन किया गया जिसने पहले विधि आयोग के प्रतिवेदनों सहित सभी प्रावधानों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने 41वें प्रतिवेदन में कहा है—

> "यद्यपि पहले 14 अध्यायों पर विधि आयोग के पहले प्रतिवेदन में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है और अनेक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, फिर भी हमने उनकी सिफारिशों की समीक्षा, संशोधन अथवा परिशोधन करना तथा विभिन्न संशोधनों के सुझाव देना जरूरी समझा है। दंड प्रक्रिया संहिता जैसे समेकित तथा विस्तृत कानून का खंड में संशोधन करना सम्भव नहीं है क्योंकि संहिता के एक भाग के संशोधनों का प्रभाव किसी न किसी प्रकार अन्य भागों पर भी पड़ता है। अतः हम इस अंतिम प्रतिवेदन में सुझाव देते हैं कि इस संहिता पर शुरू से अध्याय वार विचार किया जाए और आयोग की सिफारिशों को एकीकृत रूप में पेश किया जाए।"

इस विधि आयोग ने, अपने 41वें प्रतिवेदन में पहले विधि आयोग के 37वें प्रतिवेदन की धारा 1 से 176 सम्बन्धी अंतरिम सिफारिशों पर विचार किया। उस आयोग ने समूची दंड प्रक्रिया संहिता पर समेकित तथा विस्तृत दृष्टि से विचार किया। उन्होंने पहले प्रतिवेदन की सिफारिशों पर भी विचार किया, उन्होंने इसे स्वयं परिवर्तित, संशोधित किया और भारत सरकार को एक समेकित तथा एकीकृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह सब उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, बार एसोसिएशनों का परामर्श लेने के बाद किया। चूंकि इस विधि आयोग ने कुछ अधिक स्पष्ट प्रक्रिया का सुझाव दिया, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि श्री वेंकट सुब्बया द्वारा धारा 108, 109 तथा 110 और कार्यकारी मजिस्ट्रेट सम्बन्धी धाराओं के पक्ष में दिए गए

[श्री सतीश अग्रवाल]

तर्कों के समर्थन में दिया गया 37 वे प्रतिवेदन का हवाला अनुचित है और कानूनी भाषा में मैं कह सकता हूं कि उसे रद्द किया गया, संशोधित किया गया। एक रद्द किए गए प्रतिवेदन का हवाला नहीं दिया जाना चाहिए और कानून की दृष्टि में ऐसा करना व्यावसायिक दुराचार है। अतः बात वहां समाप्त हो जाती है।

जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है। मैं उन्हें तथा अन्य सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में 41वें प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के उपरांत कार्यवाही शुरू की गयी थी। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि विधेयक को आपकी सरकार ने प्रस्तुत किया है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इसे किसी अन्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। विधेयक 10 दिसम्बर 1970 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। दिसम्बर 1970 में इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया उसके बाद लोक सभा भंग हुई और उस समय भी इस विधेयक को 31 मार्च, 1971 को लोक सभा के बनने के बाद राज्य सभा में दूसरी संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया और 2 अप्रैल, 1971 को इसे लोक सभा में लाया गया। अतः 1971 में दोनों सभाओं के सदस्यों, सत्तारूढ़ दल के सभापति, सत्तारूढ़ दल के अधिकांश सदस्यों की संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया और मामला उसे सौंपा गया। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता और मैं केवल इतना ही कहूंगा। कि इस संयुक्त प्रवर समिति ने देश की सभी 11 बार एसोसिएशनों, व्यक्तियों, प्रख्यात न्यायविदों, विधि विशेषज्ञों तथा वकीलों तथा अन्य जनसंस्थाओं से कुल 154 ज्ञापन प्राप्त किए। इस संयुक्त प्रवर समिति ने प्रख्यात वकीलों, विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों, मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, पुलिस आयुक्तों तथा उन सभी से जिनकी सूची रिपोर्ट में दी गयी है, से प्राप्त 72 साक्ष्यों की जांच की। उन्होंने देश का दौरा किया, 44 बैठकें कीं, रिपोर्ट का मसौदा बनाया तथा इसे 4 नवम्बर 1972 को स्वीकार किया जिसे उसके बाद सभा में पेश किया गया और फिर दोनों सभाओं में खंडवार चर्चा हुई जो 1973 के अंत तक चलती रही—

श्री रामसिंह यादव : आपकी राजस्थान सरकार ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की।

श्री सतीश अग्रवाल : सरकार अथवा व्यक्ति कोई भी हो यदि आपकी सरकार ने कोई अच्छा काम किया हो तो हम उसका समर्थन करते हैं। मैंने आपके पटसन राष्ट्रीयकरण विधेयक का समर्थन किया। यह सरकार यदि कोई अच्छा काम करती है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह समझते हों कि सरकार का हर कार्य ठीक है। मुझे उस निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसे तत्कालीन राजस्थान सरकार ने लिया था। यदि लिया गया था तो मैं उसका समर्थन नहीं करता क्योंकि उस ओर के बहुत से माननीय सदस्यों ने खंड (2) का समर्थन नहीं किया था। यह जमीर की बात है और मंत्री होते हुए भी मैंने अपनी सरकार के सभी कार्यों की सराहना नहीं की थी और मेरी हर मामले में अपनी राय हुआ करती थी। इस बारे में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए।

जहां तक 37वें प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यह निरर्थक हैं क्योंकि इसमें 41वे प्रतिवेदन द्वारा परिवर्तन किया गया था। जहां तक संयुक्त प्रवर समिति के इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, साक्ष्य लेने,

इस पर चर्चा करने, एक साल तक दोनों सभाओं में इस पर चर्चा करने, खंड 108, 109 तथा 110 की शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में निष्कर्षों पर पहुंचने की प्रक्रिया आदि आदि ही इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण हैं और अब कुछ मुख्य सचिवों अथवा पुलिस आयुक्तों अथवा गृह सचिवों की सिफारिश के आधार पर सरकार एक अन्य निष्कर्ष पर पहुंची है और अब वे महसूस कर रहे हैं कि देश भर में कानून और व्यवस्था स्थिति पर काबू पाने के लिए उन प्रावधानों का संशोधन किया जाना चाहिए जिन्हें काफी प्रयत्नों के बाद दड संहिता में शामिल किया गया। कानून और व्यवस्था की स्थिति की इन शक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को देने से ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे कि उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कहा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अपनी अदालतों में और भी कई काम करने पड़ते हैं। प्रथम श्रेणि के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के ही नहीं बल्कि अब कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को भी वर्ग भेद बिना ही शक्तियां प्रदान की जा रही हैं।

श्री रामसिंह यादव को इस बात की जानकारी है कि कार्यकारी मजिट्रेस्ट प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणि के होते हैं। अब यदि आप केवल कार्यकारी मजिस्ट्रेट को लिखें, प्रथम श्रेणि के मजिस्ट्रेट को नहीं, तो प्रतीत होगा कि तहसीलदार की धारा 108, 109 तथा 110 के बारे में कार्यवाही शुरू कर सकता है। अतः मुख्य सचिवों तथा पुलिस आयुक्तों की सिफारिश है कि ये शक्तियां तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जायें और यदि ऐसा किया जाए तो परिणाम भी खराब होंगे। आप कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे। हम भी सरकार की तरह चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। अतः यह एक राजनैतिक प्रश्न नहीं है लेकिन यह प्रश्न देश की राजनैतिक स्थिरता का है। यह देश की प्रमुखता का प्रश्न है। यह देश को एक बनाए रखने का प्रश्न है। मैं यह नहीं समझ सका कि 1970 के बाद तीन-चार वर्षों तक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्ति देने सम्बन्धी प्रयास के बावजूद भी अब आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर बिना प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय दर्जा अंकित किए कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इस संशोधित प्रावधान के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी धारा 108, 109 तथा 110 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग करेगा।

इस संशोधन का कथापि समर्थन नहीं कर सकता में जिसके द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यी जगह तृतीय श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को धारा 108, 109 और 110 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया जा रहा हो।

अतः इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। यदि माननीय मन्त्री या सरकार यह महसूस करती है कि कोई संशोधन प्रस्तुत करना होगा, जिससे किसी श्रेणी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की किसी श्रेणी को खण्ड 2 में सम्मिलित किया जाए, तो माननीय मंत्री को चाहिए कि अध्यक्ष से स्थगन लें और इस संबंध में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करें। मैं संसदीय कार्य मन्त्री से भी अनुरोध करूंगा कि यह दलगत प्रश्न नहीं होना चाहिए। यदि आप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पदको बदलना चाहते हैं तो कम-से-कम उसके बराबर के पद से ही बदलें। घोड़े के स्थान पर गधा या खच्चर नहीं हो सकता। बहरहाल मैं इसे संसदीय कार्य मन्त्री पर छोड़ता हूं जो पूरे संसदीय कार्यों की देख-भाल कर रहे हैं। मैं इसे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वेंकट सुब्बय्या के सद्विवेक पर भी छोड़ता हूं। इस प्रश्न से निबटना उन्हीं का काम है।

श्री अराक्कल ने एक प्रश्न उठाया था कि इन मामलों में देर हो जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेटों

[श्री सतीश अग्रवाल]

के न्यायालयों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास मामलों को निपटाने के अलावा और कोई काम नहीं है। जैसा कि आपको भली-भांति ज्ञात है, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के पास न्यायालय के काम के अलावा 101 काम निपटाने के लिए होते हैं। मुझे 25 सालों से निचले न्यायालयों का अधिक अनुभव नहीं है। क्योंकि अपनी वकालत के आरम्भिक पांच सालों तक मैं 1950 से 1955 या 1956 तक न्यायालय जाता रहा। उसके बाद मैंने वकालत छोड़ दी। राजस्थान विधान सभा का 15 सालों तक सदस्य रहने के नाते मैं इस तथ्य से अवगत हूं। मजिस्ट्रेट या एस० डी० ओ० कभी सूखा राहत कार्य, कभी बाढ़ राहत कार्य और कभी इलाके के मुआयने के लिए आए बी० आई० पी० की परिचर्या करने के लिए प्रायः दौरे पर रहते हैं। अतः वे मामले जल्दी निपटाने में असमर्थ रहते हैं। मेरे मित्र श्री अराक्कल यदि मामलों का शीघ्र निपटाना चाहते हैं तो यह न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में ही हो सकता है क्योंकि उनके पास मामलों को निपटाने के सिवाय कोई काम नहीं होता।

श्रीमान्, अब इस विशेष प्रश्न पर, कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी आशंका व्यक्त की है कि यह सरकार न्यायपालिका के प्रति आदर भावना रखती है। मैं इस विषय पर दोबारा आ नहीं रहा हूं। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो हम भूल गए हैं —मैं यह कहता हूं कि आपातकाल के दौरान, पूरे देश में, 400 जिला मजिस्ट्रेटों और कलक्टरों में से जिन्होंने नजरबन्दी आदेश जारी किये थे, उन आदेशों की अवधि को, प्रत्येक तिमाही पर, यह कहते हुए, बढ़ाना था कि "मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि आपात काल के हित में नजरबन्दी की अवधि बढ़ा दी गई।" क्या आप पूरे देश में एक भी जिला मजिस्ट्रेट बता सकते हैं जिसने कहा हो "मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिए नजरबन्द व्यक्ति को एक साल बाद भी छोड़ा गया।" इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिला मजिस्ट्रेट सत्ताधारी दल की इच्छानुसार कार्य करते हैं। परन्तु चाहे यह दल या वह दल सत्ता में हो, हमारे पास ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट दिल्ली में हैं जिन्होंने 1978 में श्रीमती गांधी को छोड़ दिया था। यह न्यायपालिका है। चाहे यह दल सत्ता में हो या वह दल सत्ता में हो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा न्यायपालिका की मर्यादा-कायम रखनी चाहिए। इस सरकार द्वारा न्यायपालिका की मर्यादा कायम रखनी चाहिए। इस सरकार द्वारा न्यायपालिका की मर्यादा हनन का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इन मामलों को न्यायिक मजिष्ट्रेटों के अधिकार-क्षेत्र में रखने का प्रबल समर्थक हूं क्योंकि मूलभूत सिद्धान्त के रूप में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने का सिद्धान्त हमने स्वीकार किया हुआ है। श्रीमान, इसके सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के विचार मैं उद्धृत नहीं करना चाहता।

श्री मान, एक विशेष प्रश्न, जो श्री जगन्नाथ राव ने बहुत झिझकते हुए उठाया और जिसे श्री पाटिल ने दोहराया वह था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था की समस्या को नहीं समझते। वे कानून और व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। यह सच हो सकता है। परन्तु इनका उससे कोई सरोकार नहीं है। यह पुलिस के लिए है कि वह इसे नियन्त्रित करे। पुलिस को मामले बनाने होते हैं। पुलिस को अभियोग तैयार करना होता है। पुलिस को ही मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के लिए कागजात पेश करने होते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट इससे किस प्रकार सम्बन्ध रखता है?

जब आप कार्यकारी मजिस्ट्रेट चाहते हैं तो इसलिए कि आप समझते हैं उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है और आप उसे निर्देश दे सकते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और उसे कार्रवाई करनी चाहिए। श्री डागा जानते हैं कि बीकानेर और जौहरी बाजार में कितने गोली चलाने का आदेश दिया था। अत: श्रीमान कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति की देख-भाल कर रहे हैं तथा गोली चलाने व लाठी-चार्ज के आदेश में संलग्न हैं, को धारा 108, 109 और 110 के अन्तर्गत शक्तियां न दी जाएं। ये सब कारण हैं कि उन्हें इस विशेष प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए तथा ये अर्ध न्यायिक कार्रवाइयां न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे देनी चाहिएं।

श्रीमान्, एक तर्क श्री पाटिल द्वारा रखा गया था जिसका गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री द्वारा समर्थन किया गया था कि धारा 478 के अन्तर्गत एक उपबन्ध हैं जिससे राज्यों ने उपबन्ध का संशोधन पहले ही कर दिया है। सभा द्वारा संकल्प पारित कर दिये जाने और उच्च न्यायालय की सहमति लेने के बाद धारा 108, 109 और 110 के अन्तर्गत इन अधिकारों को कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंप दिया गया। यदि कुछ राज्यों ने ऐसा कर दिया है तो व्यर्थ में इस कानून को क्यों लाया जाए। यदि अन्य राज्य ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें करने दिया जाए। इस पर रोक कहां है? उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों ने यह कर लिया है। अत: पुराने अपराध प्रक्रिया संहिता के खण्ड 2 और धारा 478 का संशोधन किए बिना यदि यह इच्छित परिणाम, सभा के केवल एक संकल्प द्वारा, प्राप्त किया जा सकता है तो आपके पास अधिकांश राज्यों में बहुमत प्राप्त है। यदि वहां के मुख्य मंत्री कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को यह प्राधिकार सौंपने के पक्ष में हैं तो वे पुरानी अपराध प्रक्रिया संहिता में मौजूद धारा 478 का लाभ उठा सकते हैं और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार सौंप सकते हैं और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ये अधिकार सौंप सकते हैं तथा सारी बुराई को दूर कर सकते हैं। समस्या कहां है? परन्तु आप सिद्धान्त रूप में सफाई देने और इसे न्याय संगत दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि न्यायपालिका कानून और व्यवस्था के साथ न्याय करने में असमर्थ है। मैं इस विषय में आपसे सहमत नहीं हूं।

यह मूल सिद्धान्त का प्रश्न है। और यदि आप इसे इस तरह करेंगे तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। माननीय मंत्री ने कुछ अन्य सम्मेलनों, जो त्रिपुरा में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो केरल में हुआ, आदि का हवाला दिया था। और उन्होंने उस विशेष सम्बन्ध में हवाला दिया था कि त्रिपुरा से एक सुझाव था और वह सुझाव उन्होंने इस सभा में पढ़ा था। कहा था कुछ अन्य राज्य सरकारें इससे सहमत हो गई थीं जहां तक त्रिपुरा का संबन्ध है हम आशा करते हैं कि पूरा देश त्रिपुरा में न बदले। त्रिपुरा की स्थिति त्रिपुरा में ही रहने दें। बाकी देश के लिए त्रिपुरा आदर्श नहीं है। जो कुछ त्रिपुरा में हुआ हम पूरे देश में नहीं करना चाहते। श्रीमान चाहे यह मार्क्सवादी नेतृत्व वाली सरकार हो या बामपन्थी नेतृत्व वाली, बुरा हर जगह बुरा है, चाहे यह कम्युनिस्ट सरकार या जनता सरकार या कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया हो। इसीलिए मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल या केरल के बाद में कुछ नहीं कह सकता हमें उन आक्रमणों का पता है जिनका हम केरल में सामना कर रहे हैं और हम ही इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं तथा इसीलिए आपने भी वहां के जनवरी 1980 के विधान सभा चुनावों में हमसे सहयोग किया था। देश में ऐसी स्थिति विकसित हो सकती है जब सभी राष्ट्रवादी शक्तियां इन आलोक तान्त्रिक शक्तियों से लड़ने के लिए फिर से एक जुट हो जाएंगी। तब

[श्री सतीश अग्रवाल]

देश में राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक शक्तियां पुनर्गठबंधित हो जाएंगी। हमें किसी भी या प्रत्येक के प्रति भावुक नहीं होना चाहिए। यहां हम सब देश भक्त हैं; हम देश के हित में सोचते हैं और हमारे दिल में देश के प्रति ईमानदारी है। कुछ राजनीतिक विचारों के लिए कभी आप हमारी आलोचना करते हैं; कभी हम आपकी आलोचना करते हैं; परन्तु देश की सुरक्षा और अखण्डता से सम्बन्धित आधारभूत प्रश्नों पर हम सब एक हैं। हमने त्रिपुरा की रक्षा की। मैं इसे सिर्फ उद्धृत कर रहा हूं। (व्यवधान) केरल में वह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस (ई) एक है। यहां हम और आप एक हैं; कहीं हम और ये एक हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि देश की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में, जो अगले वर्ष तक उत्पन्न हो जाएगी, मैं नहीं जानता कि पुनर्गठबंधन क्या होगा। मैं इस की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। मैं इस राजनीतिक स्तर पर नहीं हूं। परन्तु मैं केवल श्री वेंकट सुब्बय्या द्वारा त्रिपुरा के बारे में उद्धरणों मानों त्रिपुरा हमारे लिए उच्चतम न्यायालय हों का जवाब देने के लिए हवाले दे रहा था।

हम सभी मामलों में त्रिपुरा का अनुसरण नहीं करेंगे। वास्तव में हमने त्रिपुरा सरकार के अधिकार की रक्षा उसके सत्ता में रहने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए की न कि उसका स्थान लेने के लिए या समाप्त करने के लिए। भगवान करे, जो त्रिपुरा में हुआ वह देश में कहीं भी न हो। अतः यह कोई तर्क नहीं है जो कोई आधारभूत बन्धनकारी प्रभाव रखता हो। विधि आयोग द्वारा स्वयं बदली हुई और प्रतिवर्तित 37 वें रिपोर्ट का आपने हवाला दिया है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : श्री अग्रवाल, यह कोई न्यायालय नहीं है जहां एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट का स्थान ले लेती है। रिपोर्ट 37 वीं रिपोर्ट है। यह कोई सत्र न्यायालय का निर्णय नहीं है जो उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा बदला जा रहा है। यह जाने माने विधिवेत्ताओं द्वारा दी गई रिपोर्ट है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 41 वीं रिपोर्ट 37 वीं रिपोर्ट का स्थान लेगी। अतः ऐसा नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह कब ठीक होगा ? जब पिछली रिपोर्ट, आन्तरिम रिपोर्ट, आंशिक रिपोर्ट उसी राज्य के पहले अधिकारी द्वारा ही रूपान्तरित नहीं की गई। इस संबंध में आपकी सरकार द्वारा गठित विधि आयोग ने रिपोर्ट को रूपान्तरित किया, रिपोर्ट को उलट दिया; रिपोर्ट की कोई मन्जूरी नहीं है, जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है रिपोर्ट का अस्तित्व ही नहीं है। यह मूलभूत प्रश्न है। मैं तर्कों में नहीं पड़ना चाहता। आपका अपना कोई तर्क होगा।

खण्ड 2 के संदर्भ में, मंत्री महोदय के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं। मैं अन्य खण्डों के उपबन्धों को नहीं उठाता। अध्यादेशों को जारी करने के सिद्धान्त और अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के प्रयोग के सिद्धान्त का विरोध करना मेरा मौलिक अधिकार अब भी है और तब भी है मैंने उसका बुनियादी तौर पर विरोध किया। मैं इसका शुरू से ही विरोध करता रहा हूं। अतः उस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं। विधेयक के अन्य खण्डों का संदर्भ न देते हुए मैं खासकर खण्ड 2 का विरोध करता हूं। और माननीय मंत्री ने उत्तर देते समय कोई अकाट्य कारण नहीं दिया। उन्होने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया कि सात साल बाद यह पत्तनोन्मुखी कदम क्यों उठाया जा रहा है। अब हम 1980 में हैं। आपकी सरकार ने विधि आयोग की शिफारिशों के आधार पर, विज्ञप्ति के आधार पर, गवाहों की सुनवाई के आधार पर, जाने माने विधिवेत्ताओं और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन तथा पूरे देश की बार एसोसिएशन के वकीलों और अधिवक्ताओं की राय के आधार पर 1973 में कानून का संशोधत किया था।

सरकार ने यह कानून बनाया है तथा 'कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के सिद्धान्त को निदेशक सिद्धान्तों में सम्मिलित करने की चेष्टा कर रही है और यह शक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेटों को देना चाहती है। यह कदम अधोगति का है। इसलिए मैं सरकार के रवैये की दृढ़तापूर्वक निन्दा करता हूं। मैं माननीय सदस्यों तथा सभा से अपील करता हूं कि वे मेरे इस संकल्प को दलीय सम्बन्धों पर ध्यान दिये बिना स्वीकार करें, जिसके लिए मैं सभा का अनुमोदन चाहता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्रीमान, मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा उठाई गई एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के विभिन्न वर्ग हैं। मैं समझता हूं कि वह पुरानी रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु इस समय जैसी स्थिति है कार्यकारी मजिस्ट्रेटों में विभिन्न वर्ग नहीं हैं। मजिस्ट्रेटों में कोई वर्ग एक, दो अथवा तीन के मजिस्ट्रेट नहीं हैं। मेरी सूचना के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सतीश अग्रवाल के संविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1980 को जारी किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या-6 **6.44 म० प०**

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा. श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूप चन्द
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या-6 6 म० प०

अब्बासी, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगंयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कष्ण दत्त, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिार्जुन, श्री
मल्लु, श्रा अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री बी० के०

नामयाल, श्री पी०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

उरांव, श्री कार्तिक

पांडे श्री कृष्णचन्द्र

पंडित, डा० वसन्त कुमार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री राम स्वरूप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजीलाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिंह देव, श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरसिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाउसाहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
बैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बय्या, श्री पी०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाथ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 20

विपक्ष में : 100

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मत विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव सम्बन्धी संशोधनों पर विचार किया जायेगा।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

विपक्ष में : श्री पी० एम० नरसिंह राव
श्री मुन्दर शर्मा
श्री एस० बी० सिदनाल
श्री शंकर राव पाटिल
श्री सी० पलानी अप्पन

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री डागा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मूल चन्द डागा द्वारा रखे गये संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 12 सदस्य हों, अर्थात :—

1. श्री वनवारी लाल
2. प्रो० मधु दण्डवते
3. श्री हरीश कुमार गंगवार
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. श्री निहाल सिंह जैन
6. डा० कर्ण सिंह
7. श्री विक्रम महाजन
8. श्री टी० नागरत्नम
9. श्री अर्जुन सेठी
10. श्री धर्मदास शास्त्री
11. श्री पी० वेंकटसुब्बया
12. श्री मूलचन्द डागा

और इसे 31 जनवरी, 1981 तक प्रतिवेदन देने को कहा जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या-7 **6-47 म० प०**

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश

बनातवाला, श्री जी० एम०

बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूप चन्द
राजदा, श्री रतन सिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या-7 **6.47 म० प०**

अब्बासी, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री ज्रे वियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०

भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगंयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दाभी, श्री अजीत सिंह
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
कृष्ण दत्तर, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री वी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
उरांव, श्री कार्तिक
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री राम स्वरूप
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री मुन्दर

शर्मा, श्री नंद किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दरसिंह, श्री

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री साबेंग

तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

वैराले, श्री मधुसूदन

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के मध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 21
विपक्ष में : 102

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 10 को विचारार्थ रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 12 सदस्य हों, अर्थात :—

1. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
2. श्री मुकन्द मंडल
3. श्री सनत कुमार मंडल
4. श्री मन्नी लाल
5. श्री रामस्वरूप राम
6. श्री भोलाकांत
7. श्री अमर राय प्रधान
8. श्री अजीत कुमार साहा
9. श्री गदाधर साहा
10. श्री बाबूलाल सोलंकी
11. श्री सुन्दर सिंह; और
12. श्री पी० वेंकट सुब्बय्या

और इसे 26 जनवरी, 1981 तक प्रतिवेदन देने को कहा जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या : 8 **6.3 म० प०**

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बनातवाला, श्री जी० एम०

*श्रीमती मोहसिना किदवई ने विपक्ष में मतदान किया :

बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूपचंद
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत विभाजन संख्या : 8 6.3 म० प०

अब्बासी, श्री काजी
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०
भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दलीपसिंह
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगंयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
फर्नांडीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
मौजागिन, श्री एन०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महावीर प्रसाद, श्री

मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री बी० के०
रामग्याल, श्री पी०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
उरांव, श्री कार्तिक
पलानी अप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री रामप्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बाला साहब बिखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकर राव
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वसन्त राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री रामस्वरूप
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री अर्जुन
शाक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानंद, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिवशंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंहदेव, श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
त्रिपाठी, श्री रामनारायण
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बय्या, श्री पी०
वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी

यादव, श्री राम सिंह

यादजानी, डा० गोलम

जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

विपक्ष में : 22

पक्ष में : 102

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या : 9 **6.58 म० प०**

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अप्पाला नायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराक्कल, श्री जेवियर

बरवे, श्री जे० सी०

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरेन्द्र सिंह राव, श्री

चन्द्रशेखरसिंह, श्री

चरणजीत सिंह, श्री

*निम्न सदस्यों ने भी विपक्ष में मतदान किया :

श्रीं जैलसिंह

श्री कृष्ण दत्त

डा० प्रताप बाघ

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपत्ति श्रीमती विद्या

चिंगयाग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचंद

*दंडवते, श्रीमती प्रमिला

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगरसिंह, श्री

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गौजागिन, श्री एन०

जैन, श्री वृदि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्षमण

कौल, श्रीमती शीला

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मैत्रा, श्री सुनील

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

*गलती से पक्ष में मतदान कर दिया ।

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री हरिनाथ

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

नायर, श्री बी० के०

नामाग्यल, श्री पी०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि,

पनिका, श्री रामप्यारे

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री रामस्वरूप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीशचन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सतीश प्रसादसिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानंद, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजीलाल

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री मुन्दर

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

*शास्त्री, श्री रामावतार

शिवशंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह देव श्री के० पी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखवंस कौर, श्रीमती

तपेश्वरसिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सावेंग

तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊ साहिब

वैराले, श्री मधुसूदन

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद

वर्मा, श्री फूलचंद

वर्मा, श्री रौतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री रघुनाथसिंह

वर्मा, श्री शिवचरण

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

*गलती से पक्ष में मतदान कर दिया ।

याजदानी, डा० गोलम

जैल सिंह, श्री

जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या-9 6-58 म० प०

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलास

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

गहलौत, श्री अशोक

घोष, श्री निरेन

गिरि श्री सुधीर

हसदा, श्री मतिलाल

होरो, श्री एन० ई०

लारेंस, श्री एम० एम०

मंडल, श्री मुकुन्द

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

पाल, प्रो० रूपचंद

राजदा, श्री रतनसिंह

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री अजीत कुमार

स्पैरो, श्री आर० एस०

सुण्दर सिंह, श्री

त्रिपाठी, श्रीं आर० एन०

वर्मा, श्रीं रवीन्द्र

जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणामये इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 96
विपक्ष में . 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा ।

खण्ड 2

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 7, "108" लोप किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन रख रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं एक फिर सरकार से तथा सभा से निवेदन करता हूं कि दलीय सम्बन्धों से ऊंचे उठकर इस बात पर ध्यान दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दी जाने वाली शक्तियां कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को न दी जाए जिससे देश में पालिका मैटर न्यायपालिका को पृथक रखने के लोकतन्त्रीय सिद्धान्त को समाप्त किए जाने से बचाया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला के संशोधन संख्या 7 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 7

"108" लोप किया जाए ।"

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया ।

पक्ष में : श्री कार्तिक उरांव
श्री डूमरलाल बैठा
श्री कृष्ण दत्त
श्री उमराव पाटिल
श्री गिरराज सिंह
श्री राम सिंह यादव
श्री सुन्दर सिंह
श्री आर० एस० स्पैरो
श्री अशोक गहलोत

विपक्ष में : श्रीमती प्रमिला दण्डवते
श्री रामावतार
श्री सुनील मैत्रा

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन सं० : 16 7.01 म० प०

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बनातवाला, श्री जी० एम०
बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दण्डवते, प्रो० मधु
दण्डवते, श्रीमती प्रमिला
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
*कौल, श्रीमती शीला
लारेन्स, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूपचन्द
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बा०, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

*गलती से पक्ष में मतदान कर दिया ।

अप्पालासायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
देव, श्री सन्तोष मोहन
दण्डपाणि, श्री सी० टी०
डोगरा, श्री गिरधारीलाल
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराजसिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण दत्त, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम, कृष्ण मूर्ति श्री
लकप्पा, श्री के०
मलिक श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री वी० के०
नामग्याल, श्री पी० के०
नेहरू, श्री अरूणकुमार
उरांव, श्री कार्तिक
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, शंकरराव
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्नकुमार, श्री एस० एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री रामस्वरूप
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, पी० वेंकट
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री अर्जुन
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, श्री नन्दकिशोर
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिवशंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह देव, श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वैराले श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बैया, श्री पी०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधार लाल
बाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री राम सिंह

याजदानी, डा० गोलम

जैल सिंह, श्री

जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के मध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 21

विपक्ष में : 102

संशोधन अस्वीकार हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 को मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या : 11 7.04 म० प०

पक्ष में

अन्सारी, श्री काजी जलील

आनन्द सिंह, श्री

अकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराक्कल, श्री जेवियर

बैठा, श्री डूमर लाल

बालेश्वर राम, श्री

बरवे, श्री जे० सी०

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

* निम्न सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री मुकंद मंडल

विपक्ष में : श्री भेरावदन के० गधावी

श्री महावीर प्रसाद

श्रीमती सुशीला कौल

वीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगंयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मिश्र, श्री हरिनाथ

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नेहरु, श्री अरुण कुमार

उरांव, श्री कार्तिक

पलानीअप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिंतामणी

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चंद्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री राम स्वरूप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शाक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजीलाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा,, श्री सुन्दर

शर्मा, श्री नंद किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखबंस कौर, श्रीमती

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री साबेंग

तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊ साहिब

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

वैराले, श्री मधूसूदन

वेंकट रामन, श्री आर०

वेंकट सुब्बय्या, श्री पी०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री राम सिंह

याजदानी, डा० गोलम

जैल सिंह, श्री

जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश

बनातवाला, श्री जी० एम०

बर्मन, श्री पलाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दण्डवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

घोष, श्री निरेन

गिरि, श्री सुधीर

हसदा, श्री मतिलाल

होरो, श्री एन० ई०

लारेंस, श्री एम० एम०

मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री मुकुन्द

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

राजदा, श्री रतनसिंह

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री अजीत कुमार

शास्त्री, श्री रामावतार

*सुन्दर सिंह, श्री

वर्मा, श्री रवीन्द्र

जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 101

विपक्ष में : 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

8 पृष्ठ 2, पंक्ति 9—

"अथवा जिला मजिस्ट्रेट से" लोप किया जाये :

---

* श्री सुन्दर सिंह ने भी विपक्ष में मतदान किया ।

9 पृष्ठ 2, पंक्ति 12 और 13—

"उप-धारा (1क) के अन्तर्गत मंजूरी देने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट कर सकेगा" को लोप किया जाये ।

इस समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(ख) के अधीन शक्ति केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के पास है । अब इस शक्ति को जिला मजिस्ट्रेटों को दिये जाने का प्रस्ताव है। अल्प मत के समुदायों का यह दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है कि उन्हें स्थानीय अधिकारियों के प्रभाव और दबाव के कारण कष्ट उठाना पड़ा । मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार दबे हुए, दलित लोगों एवं अल्पमत समुदायों के प्रति वचनबद्ध है । मेरा सरकार से निवेदन है कि जिला मजिस्ट्रेटों को यह शक्ति अनावश्यक रूप से न दी जाये जिन पर कि स्थानीय दबावों का प्रभाव पड़ना सरल है । अंतर्निहित वर्तमान संरक्षणों को बना रहने दीजिए। मेरा मत है कि वर्तमान बिगड़ी हुई स्थिति भी इसकी अनुमति नही देती ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री बनातवाला खण्ड 3 पर रखे संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9—

"अथवा जिला मजिस्ट्रेट को" लोप किया जाये :

पृष्ठ 2, पंक्ति, 22 और 13—

"उप-धारा (1क) के अंतर्गत मंजूरी देने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट कर सकेगा" को लोप किया जाये ।"

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन सं० : 12 7.10 म० प०

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश

बनातवाला, श्री जी० एम०

बर्मन, श्री पलाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

घोष, श्री निरेन

गिरि, श्री सुधीर

हासदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूप चन्द
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगंयाग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गहलोत, श्री अशोक

गिरिराज सिंह, श्री

गौजागिन, श्री एन०

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कृष्ण दत्तर, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

महाबीर प्रसाद, श्री

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री हरिनाथ

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

उरांव, श्री कार्तिक

पलानीअप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री राम स्वरूप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजीलाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री सुन्दर

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह, देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुन्दरसिंह, श्री

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री साबेंग

तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

वैराले, श्री मधुसूदन

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारीलाल

वाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री राम सिंह

याजदानी, डा० गोलम

जैल सिंह, श्री

जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 22

विपक्ष में : 104

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन संख्या : 13 7.14 म० प०

अब्बासी, श्री काजी जलील

आनन्दसिंह, श्री

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अप्पाला नायडू, श्री एल० आर० ए० एस०

पक्ष में

अराकल, श्री जेवियर

बैठा, श्री डूमरलाल

बालेश्वर राम, श्री

बरवे, श्री जे० सी०

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीपसिंह

बीरेन्द्रसिंह राव, श्री

चन्द्रशेखरसिंह, श्री

चारणजीत सिंह श्री

चाव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या

चिगंयाग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दांभी श्री अजीतसिंह

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री उत्तम राव पाटिल

श्री राम नगीना मिश्र और

श्री सुन्दर सिंह

विपक्ष में : श्री रूपचंद पाल

डागा, श्री मूलचंद

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगरसिंह श्री

फर्नांडीस श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गहलोत, श्री अशोक

गिरिराज सिंह, श्री

गोजागिन श्री एन०

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमा. श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कृष्ण दत्त, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

महाबीर प्रसाद, श्री

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मिश्र, श्री रामनगीना

मोतीलालसिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

उरांव, श्री कार्तिक

पलानीअप्पन, श्री सी०

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब बिखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकर राव

पाटिल, श्री उत्तम राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री रामस्वरुप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शक्यवार, श्री नाथू राम

शकरानन्द, श्री वी०

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री सुन्दर

शर्मा, श्री नन्दकिशोर

शास्त्री श्री हरिकृष्ण

शिवशंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह देव, श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरसिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैमब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोस्ट, श्री भाउसाहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री रामसिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बनातवाला, श्री जी० एम०
बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
घोष, निरेन श्री
गिरि श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल

होरो, श्री एन० ई०

झा, श्री योगेन्द्र

लारेंस, श्री एम० ए०

मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री मुकन्द

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

पाल, प्रो० रूप चन्द

राजदा, श्री रतनसिंह

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री अजीत कुमार

शास्त्री, श्री रामावतार

वर्मा, श्री रवीन्द्र

जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 101

विपक्ष में : 23

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन संख्या : 14 7.17 म० प०

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

आनन्द सिंह, श्री

*श्री हरिनाथ मिश्र ने भी पक्ष में मतदान किया ।

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराक्कल, श्री जेवियर

बैठा, श्री डूमर लाल

बालेश्वर राम, श्री

बरवे, श्री जे० सी०

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरेन्द्र सिंह राव, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चरणजीत सिंह, श्री

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेनुपत्ति, श्रीमती विद्या

चिंगयांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

देव, श्री सन्तोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगरसिंह, श्री

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गहलोत, श्री अशोक

गिरिराज सिंह, श्री

गौजागिन, श्री एन०

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कृष्ण दत्त, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

महावीर प्रसाद, श्री

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री हरिनाथ

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

नायर, श्री बी० के०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

उरांव, श्री कार्तिक

पलानीअप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाडिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री राम स्वरूप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० के० वेंकट

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शाक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री मुन्दर

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

तपेश्वर सिंह, श्री

सुन्दर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री साबेंग

तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बैया, श्री पी०
वीरभद्रसिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारीलाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री रामसिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैन सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दण्डवते, प्रो० मधु
दण्डवते, श्रीमती प्रमिला
घोष, श्री नीरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
झा, श्री भोगेन्द्र
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूपचन्द
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीतकुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 103

विपक्ष में : 21

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाये :—

"वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है, तो वह ऐसे न छोड़ा जायेगा।" (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33,—

"तो" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"कृषि या व्यवसाय संघों के विवादों या किसी वर्ग के लोगों की सामूहिक मांगों सम्बन्धी आन्दोलनों से सम्बद्ध मामलों में के सिवाय।" (16)

श्रीमान जी, यहां प्रश्न यह है कि इस विधेयक के माध्यम से जो संशोधन किया जा रहा रहा है उसमें नई दण्ड प्रक्रिया संहिता की भावना का उल्लंघन होता है क्योंकि इस खण्ड 5 के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका अपराध साबित न हुआ हो जमानत पर रिहा करना और अधिक कठिन बना दिया गया है। उस अवस्था में मैंने एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है :

"यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और वह मृत्यु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष-सिद्ध किया गया है, या वह किसी अजमानतीय और संज्ञेय अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह ऐसे न छोड़ा जाएगा।"

इस संशोधन का विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण सदन यह समझ ले कि यह बहुत खतरनाक है। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो या उसे एक महीने की कड़ी सजा या साधारण सजा या दो महीने की कड़ी सजा या साधारण सजा दी गई हो—चाहे यही मान लो कि कड़ी सजा ही दी गई हो—तो फिर उस व्यक्ति को

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री पी० नामग्याल

विपक्ष में : श्री रतन सिंह राजदा

दोषी साबित हो जाने पर उसे किसी नये मामले में जमानत नहीं दी जायेगी। बाद में चाहे उस व्यक्ति को निर्दोष ही क्यों न पाया जाये और उसे साफ ही बरी क्यों न कर दिया जाये। परन्तु यदि उस व्यक्ति को अपने पहले जुर्म के कारण एक या दो महीने के लिए नजरबंदी के रूप में जेल में रखा जाता है, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को एक वर्ष तक तो जेल में रखा जायेगा और उसके बाद भले ही उसे रिहा कर दिया जाये। यह तो न्याय तथा न्यायिक-प्रक्रिया के विरुद्ध एक अपराध होगा न कि व्यक्ति के विरुद्ध इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाना चाहिये और मैंने इसी सुधार हेतु अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। अतः मेरा संशोधन एक सुधार के रूप में है जिससे कि अन्तिम तीन पंक्तियों का लोप किया जा सके। कम से कम इतना तो किया ही जाना चाहिये। इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाय और इसके लिए मैं उनसे निवेदन चाहता हूं कि इसका प्रभाव न केवल हमारे पर ही पड़ेगा अपितु इसका प्रभाव सम्पूर्ण प्रक्रिया पर पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पेश किये गये खण्ड 5 से सम्बद्ध संशोधन संख्या 5 और 16 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है, तो वह ऐसे न छोड़ा जायेगा।" (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33,—

"तो" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

'कृषि या व्यवसाय संघों के विवादों या किसी वर्ग के लोगों की सामूहिक मांगों सम्बन्धी आन्दोलनों से सम्बद्ध मामलों में के सिवाय"। (16)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या : 15 7.28 म० प०

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
झा, श्री भोगेन्द्र
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूपचंद
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दलीपसिंह

बीरेन्द्र सिंह राव, श्री

चन्द्रशेखर, सिंह श्री

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या

चिगंयाग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

फर्नांडीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गहलोत, श्री अशोक

गिरिराज सिंह, श्री

मौजागिन, श्री एन०

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कृष्ण दत्ता, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

महाबीर प्रसाद, श्री

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री वी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
उरांव, श्री कार्तिक
पलानी अप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री रामप्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बाला साहब बिखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकर राव
पाटिल, श्री उतमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्त कुमार, श्री एस० एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री रामस्वरूप
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री अर्जुन
शाक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानंद, श्री बी०
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिवशंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंहदेव, श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बय्या, श्री पी०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह
यादजानी, डा० गोलम

जैल सिंह श्री

जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 22

विपक्ष में : 102

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या : 16 **7.30 म० प०**

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अप्पाला नायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराक्कल, श्री जेवियर

बैठा, श्री डूमर लाल

बालेश्वर राम, श्री

बरवे, श्री जे० सी०

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरेन्द्र सिंह राव, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या

चिगंयाग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गहलोत, श्री अशोक

गौजागिन, श्री एन०

जमीलुर्रमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

किदवाई, श्रीमती मोहसिना

कृष्ण दत्तर, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

महाबीर प्रसाद, श्री

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री हरिनाथ

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नेहरू, श्री अरुण कुमार

उरांव, श्री कार्तिक
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री राम स्वरूप
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री अर्जुन
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नंद किशोर
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दरसिंह, श्री

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री साबेंग

तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

वैराले, श्री मधुसूदन

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री राम सिंह

याजदानी, डा० गोलम

जैल सिंह, श्री

जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

गिरि, श्री सुधीर

हसदा, श्री मतिलाल

होरो, श्री एन० ई०

झा, श्री भोगेन्द्र

लारेंस, श्री एम० एम०

मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री मुकुन्द्र

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

पाल, पो० रूप चन्द

राजदा, श्री रतन सिंह

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री अजीत कुमार

शास्त्री, श्री रामावतार

*त्रिपाठी, श्री आर० एन०

वर्मा, श्री रवीन्द्र

जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम** इस प्रकार है :

पक्ष में : 98

विपक्ष में : 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

**निम्न सदस्यों ने भी में मतदान भाग लिया :

पक्ष में : श्री राम प्यारे पनिका, श्री गिरीराज सिंह, श्री वृद्धि चन्द्र जैन तथा श्री राम नारायण त्रिपाठी।

विपक्ष में : श्री निरेन घोष।

मत विभाजन संख्या : 17 7.39 म० प०

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण दत्त, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
उमरांव, श्री कार्तिज
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री रामस्वरूप
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीशचन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री अर्जुन
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानंद, श्री बी०
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिव शंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह देव श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊ साहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते. श्रीमती प्रमिला
गिरि श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
झा, श्री भोगेन्द्र
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूपचंद

राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 101
विपक्ष में : 21

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन सं० : 18 / 43 म० प०

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०
भारद्वाज, श्री परसराम

*श्री निरेन घोष ने भी विपक्ष में मतदान दिया ।

भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
देव, श्री सन्तोष मोहन
दण्डपाणि, श्री सी० टी०
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराजसिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण दत्त, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम, कृष्ण मूर्ति श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री

महाला०, श्री आर० पी०
मलिक श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
उरांव, श्री कार्तिक
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री रामस्वरूप
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री अर्जुन
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द श्री बी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिवशंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह देव, श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बय्या, श्री पी०
बीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह

याजदानी, डा० गोलम

जैल सिंह, श्री

जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश

बर्मन, श्री पलाश

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

गिरि, श्री सुधीर

हसदा, श्री मतिलाल

होरो, श्री एन० ई०

झा श्री, भोगेन्द्र

लारेन्स, श्री एम० एम०

मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री मुकुन्द

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

पाल, प्रो० रूपचन्द

राजदा, श्री रतनसिंह

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री अजीत कुमार

शास्त्री, श्री रामावतार

वर्मा, श्री रवीन्द्र

जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 102

विपक्ष में : 21

* निम्न सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री गिरधारी लाल डोगरा।

विपक्ष में : श्री निरेन घोष।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 8

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 36—

धाराओं के पश्चात् '107' अन्तःस्थापित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही परिचालित किया जा चुका है ।

श्री भोगेन्द्र झा : खण्ड 8 के सम्बन्ध में यह केवल औपचारात्मक संशोधन है । मेरा संशोधन काफी महत्वपूर्ण है और इसके अन्तर्गत धारा 107 को भी धारा 108, 109 तथा 110 की श्रेणी में ही शामिल किया गया है जिससे कि किसी राज्य विशेष में राज्य विधान सभा को संकल्प द्वारा इन तीनों धाराओं के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है । वर्तमान विधेयक में धारा 107 को शामिल नहीं किया गया है । नई दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 में 6 महीने की सीमा निर्धारित की गई है जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि 6 महीनों में कोई निर्णय नहीं किया जाता तो फिर वह कार्यवाही समाप्त समझी जायेगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट विशेष कारणों को दर्शाते हुये यह निदेश न दें कि इस मामले में समय का बढ़ाया जाना आवश्यक है । सैशन न्यायाधीश इसके बारे में अन्य निर्णय भी कर सकता है । ऐसे अनेक मामले मेरी जानकारी में है जिनमें कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट अनावश्यक रूप से मामलों को एक एक वर्ष या दो वर्ष तक लटकाते रहे हैं और मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री को भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिये क्योंकि यह नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध है । इसके दो कारण हैं । एक कारण तो यह है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को···

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये···श्री राय, वह बोल रहे हैं और मैं उनसे संक्षिप्त में बात कहने के लिए कह रहा हूं । आप क्यों खड़े हो रहे हैं । मुझे आपका परामर्श नहीं चाहिये ।

श्री भोगेन्द्र झा : श्रीमान जी, मैं किसी के भाषण में बाधा नहीं डालता और न ही बाधा डाला जाना पसन्द ही करता हूं···

श्री जमीलुर्रहमान : इस संशोधन विशेष पर बोलने के लिए श्री भोगेन्द्र झा को कितना समय दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री भोगेन्द्र झा : श्रीमान आपके प्रति अपना सम्पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से बाधा डालना मुझे पसन्द नहीं है ।

इस विधेयक के माध्यम से हम खण्ड 8 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करने जा रहे हैं। यदि विधान सभा द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाता है तो धारा 108, 109 तथा 110 न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यक्षेत्र में आ जायेगी। परन्तु धारा 107 को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 107 को भी इन्ही के साथ जोड़ दिया जाय। धारा 107 मुख्य रूप से किसानों, कामगारों तथा समाज के अन्य वर्गों के विरुद्ध है। विधेयक के उद्देश्य में यह कहा गया है कि इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था को बनाये रखना, अपराधों को रोकना या उन पर नियंत्रण करना है, किसी आन्दोलन, लोक तान्त्रिक आन्दोलन जैसे कि किसानों, कामगारों तथा समाज के अन्य वर्ग के लोगों के आन्दोलनों को दबाना नहीं है। श्रीमान जी यह उपयुक्त ही होगा यदि हमारी न्यायिक व्यवस्था में लोक तांत्रिक आन्दोलनों को उपयुक्त स्थान दिया जाये। परन्तु धारा 109 तथा 110 तो अपराधों की रोक-थाम के लिए है। इसलिए मेरा निवेदन है कि धारा 107 को भी इसमें शामिल किया जाये क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने हमें धोखा दिया है। आप कृपया धारा 107 को भी इसमें शामिल कर लीजिये। गत अनेक वर्षों का अनुभव यह बताता है कि इसका उल्लंघन खुलमखुल्ला किया जाता है। धारा 107 किसी उल्लंघन के बारे में नहीं है। यदि शांति भंग होने की तनिक भी संभावना होती है तो कार्यवाही आरम्भ कर दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में हो रही अहिंसा का एक कारण यह भी बना हुआ है। यदि आप शांति भंग करते हैं तो आप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 या 324 का उल्लंघन करते हैं और यदि अपराध साबित हो जाता है तो इसके लिए चार या पांच वर्ष की सजा हो सकती है। परन्तु यदि धारा 107 के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया हों या शांति भंग किये जाने की आशंका हो, तो उसी के आधार पर आप कार्यवाही आरम्भ कर देते हैं और एक या दो वर्ष की सजा हो जाती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। 6 महीने की सीमा रखी गयी है। कार्यपालिका यही कर रही है। कम से कम धारा 107 को अलग न रखिए। इसीलिए मेरी मंत्री महोदय और उस पक्ष के मित्रों से अपील है कि वे धारा 107 को धारा 108, 109 और 110 के साथ मिला दें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मंत्री महोदय उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें, तो उत्तर दे सकते हैं। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता। कृपया सुनिए। यह मत्री पर छोड़ दिया जाता है। यदि वह उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं उन्हें उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता।

श्री ए० के० राय : आप उन्हें इस पर विचार करने के लिए समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पीठासीन अधिकारी हूं। मैं हर बात पर गौर कर रहा हूं। मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : हम इस पर मत विभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गयी हैं। प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 42,—

"धारा" के पश्चात् "107" अन्तःस्थापित किया जाये। (6)

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन सं० : 19 19.56 म० प०

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बर्मन, श्री पलाश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
झा, श्री भोगेन्द्र
लारेंस, श्री एम० एम०
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूप चन्द
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अहमद, श्री मोहम्मद असरार

आनन्द सिंह, श्री

अकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराक्कल, श्री जेवियर

बैठा, श्री डूमर लाल

बालेश्वर राम, श्री

बरवे, श्री जे० सी०

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरेन्द्र सिंह राव, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या

चिगंयाग कोनयक, श्री

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भैरावदन के०

गहलोत, श्री अशोक

गिरिराज सिंह, श्री

गौजागिन, श्री एन०

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण दत्त, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री
महाला, श्री आर० पी०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
उरांव, श्री कार्तिक
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणी
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चंद्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री राम स्वरूप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वीं० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

शाक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नंद किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दर सिंह, श्री

तपेश्वर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री साबेंग

तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊ साहिब

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

वैराले, श्री मधुसूदन

वेंकट रामन, श्री आर०

वेंकट सुब्बय्या, श्री पी०

वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

विपक्ष में : 101

पक्ष में : 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 क

उपाध्यक्ष महोदय : नए खण्ड 8क को अन्तःस्थापित करने के लिए संशोधन संख्या 13 है। यह सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, **8क (नया)**

पंक्ति 3 के पश्चात्

निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"1978 के अधिनियम 34 का आनुषंगिक संशोधन

8 क. दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 72 का लोप किया जाएगा।"

(श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) (13)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 8क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके परिणामस्वरूप अन्य खण्डों का पुनर्संख्याकन किया जाएगा ।

खंड 9 और 10

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 9 और 10 में कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं उन्हें मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 और 10 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अब हमारे पास बोलने के लिए 3 सदस्य हैं । उन्होंने अपने नाम दिए हैं । उन्हें संक्षेप में भाषण देना चाहिए । उन्हें 3 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए । श्री निरेन घोष आप 3 मिनट से अधिक समय न लें ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : कांग्रेस (आई) सरकार जितनी अलग-थलग पड़ गई है यह उतने ही कठोर विधान लोगों के अधिकार कम करने के लिए ला रही है । वह अंग्रेजों की घृणास्पद पुलिस प्रणाली को जारी रख रही है । उसने इन वर्षों में यही किया है । इसने वही उपनिवेशवादी प्रणाली, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता आदि को अपनाया है और अब इस समय वह यह संशोधन लायी है । इसने इसमें प्रगतिवादी ढंग से संशोधन नहीं किया है और इसने अपने आपको अंग्रेजों से भी अधिक प्रतिक्रियावादी सिद्ध किया है । जनता सरकार ने भी नजरबंदी के बारे में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का प्रयत्न किया था परन्तु अपने ही दल से और बाहर से दबाव पड़ने के कारण उसे शीघ्र वापस लेना पड़ा । परन्तु यह सरकार संकट के कगार पर होते हुए भी इसे वापस लेना नहीं चाहती ।

महोदय, इस विधेयक में कतिपय मामलों में मजिस्ट्रेट को केन्द्रीय या राज्य सरकारों के समान शक्तियां प्रदान की गयी हैं । यह सरकार ज्ञान शून्य हो गयी है और इसने अब इसका

सहारा लिया है। वह 'अभ्यस्त अपराधियों' की बात करती है। 'अभ्यस्त अपराधियों' की परिभाषा क्या है? एक दण्डाधिकारी पुलिस की मिलीभगत से समझता है कि कुछ लोग 'अभ्यस्त अपराधी' हैं। यही बात है। इस कारण वे 'अभ्यस्त अपराधी' हो जाते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि उनके सहयोग के बिना, पुलिस की मिलीभगत के बिना अपराधी रह नहीं सकते।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल में यही होता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कोई कहानियां कोई और बात न सुनायें। आपके लिए 1 मिनट और है। कृपया समाप्त करें।

श्री निरेन घोष : लूट के माल का बंटवारा हुआ। पुलिस ने अधिक हिस्सा मांगा। परन्तु अपराधियों ने इसे बिलकुल देना बन्द कर दिया। उन्होंने चोरी, अपराध, आदि करने चाहे। तब पुलिस अपराधी वर्ग के सामने झुक गई···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके 3 मिनट समाप्त हो गए हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब श्री रामावतार शास्त्री।···(व्यवधान)

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : महोदय, उनका समय समाप्त हो गया है। उन्हें अपना भाषण जारी नहीं रखने दिया जाना चाहिए ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, क्या आप बोलना चाहते हैं या नहीं?··· (व्यवधान) × ×

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, मैं केवल आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं किसी और को नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, किसानों, मजदूरों, मध्यवर्गीय कर्मचारियों और आम गरीब जनता के आन्दोलनों से घबरा कर ही सरकार ऐसे जन-विरोधी कानूनों का आश्रय ले रही है। अगर ऐसी बात न होती, तो इस कानून को लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस विधेयक के समर्थन में सात कानूनों का जिक्र किया है, जिनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये कार्यवाही करना चाहते हैं। उसमें इन्होंने बटमारों, मकान तोड़कों, चोरों, उचक्कों, जाली लोगों का जिक्र किया है। यदि ऐसे लोग होंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं केवल एक जबाब चाहता हूं—अब तक आपने ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। अगर आप यह बतला दें तो शायद हमारा विरोध कम हो सके। लेकिन आपने अब तक यह बात नहीं बतलाई है कि पिछले ढाई महीनों में, अध्यादेश के जारी करने के बाद से, इस तरह के कितने लोगों के खिलाफ, चोर-बाजारी करने वाले

× ×कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोगों, दबा छिपा कर बेचने वाले लोगों, गल्ला छिपा कर बेचने वाले लोगों, मुनाफाखोरों, को जेल में डाला है। आप चाहें तो अभी भी बतला सकते हैं।

तीसरी और अन्तिम बात—पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं···(व्यवधान) ··कैलाश नगर कालोनी के गरीबों के मकानों पर बार-बार छापे मारे जाते हैं। चोरी का सामान कुछ भी नहीं निकलता है, फिर भी छापे मारते हैं—यह कहां का न्याय है। पटना में इस तरह के छापे मारे गये हैं। चोरी कोई नहीं करता है, फिर भी पुलिस वाले तंग करते हैं—आप की पुलिस उनको तंग करती है ··(व्यवधान) वहां लोगों की हत्या कर दी गई, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। अफसर लोग जो मन में आता है, करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं (व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

दीर्घायें खाली करायी जायें।

सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या : 20 20.12 म० प०

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराक्कल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बरवे, श्री जे० सी०
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपति श्रीमती विद्या
चिंगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचंद
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
जैन, श्री वृदि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण दत्त, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
महाबीर प्रसाद, श्री
मल्लिार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नायर, श्री बी० के०
नामाग्याल, श्री पी०

उरांव, श्री कार्तिक

पलानीअप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि,

पनिका, श्री रामप्यारे

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

राम, श्री राम स्वरूप

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

सेठी, श्री अर्जुन

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊ साहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दण्डवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
झा, श्री भोगेन्द्र

लारेंस, श्री एम० एम०

मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री मुकुन्द

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

पाल, प्रो० रूपचन्द

राजदा, श्री रतनसिंह

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री अजीत कुमार

शास्त्री श्री रामावतार

वर्मा, श्री रवीन्द्र

जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 96

विपक्ष में : 21

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

8.11 बजे म० म० :

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 10 दिसम्बर, 1980/ 19 अग्रहायण, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

*श्री गिरधारी लाल डोगरा ने भी पक्ष में मतदान किया ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-110002.